खण्ड-424, अंक-6
शुक्रवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1920
(26 जून, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–104
नियम 301 की सूचनाएं	105
जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्ट्रियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न गम्भीर बेरोजगारी समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद बहराइच में गेहूं केन्द्रों पर भारी अनियमितताओं की जांच के फलस्वरूप दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद सीतापुर के सिधौली तहसील मुख्यालय पर शासन द्वारा स्वीकृत फायर ब्रिगेड सेन्टर का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में ...म 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद श्रावस्ती के ग्राम सेमरा वैरिया निवासिनी ...मती मिथलेश कुमारी की दहेज ...या की जांच कराने के संबंध में नियम ... अन्तर्गत सूचना ...	107
जनपद फैजाबाद के सोहावल क्षेत्रान्तर्गत कई विकास खण्डों में विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन तथा किसान पेंशन में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल की पांच कि०मी० पटरी निर्माण में हुई धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
देहरादून के धर्मपुर मोथरीवाला में रिस्पना नदी एवं डोईवाला कुडकावाला पर सोसवा नदी में पुल का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
नियम 300 की सूचनाएं	108
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	109
श्री लाल जी वर्मा, स० वि० स० को दिनांक 21 मई, 98 को लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेने हेतु लखनऊ आते समय थानाध्यक्ष इब्राहिमपुर द्वारा अकारण रोके जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	110–112
उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1991-92 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1992-93 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (पन्द्रहवां संशोधन) विनियम, 1998 (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे (वित्तीय वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 (सदन के पटल पर रखा गया)	113
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण .....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	113
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखा गया) ...	113

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 114

शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ... 114

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यिक) तथा प्रतिवेदन संख्या–2 (राजस्व प्राप्तियां) (सदन के पटल पर रखा गया) 114

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवा संशोधन) नियमावली 1994 ... (सदन के पटल पर रखा गया) ... 114

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... 114

नियम 300 के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाए जाने का प्रयास 115–116

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुर:स्थापित) 116

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 (पुर:स्थापित) ... 117

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ... 117–55

श्री गोरखनाथ पाण्डेय की नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारूप में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिह्न "विधि" रखे जाने संबंधी चर्चा का स्थगन ... 166–167

श्री अजय कुमार पोइया की नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के "आवागमन कर" तत्काल समाप्त किये जाने संबंधी चर्चा का स्थगन 167

श्री अजय कुमार पोइया की नियम 103 में निर्धारित प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुधारने के लिये पीपल व नीम के वृक्षों का वृक्षारोपण किये जाने संबंधी चर्चा का स्थगन ... 167

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 167

दि० 26 अप्रैल, 1998 को वाराणसी में जहरीली शराब पीने से हुई पांच मौतों के उपरान्त आबकारी विभाग द्वारा "एन० सी० थिनर" को जब्त एवं प्रतिबन्धित किये जाने से तत्संबंधी उद्योगों के बन्द हो जाने तथा उसमें लगे लोगों के बेरोजगार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन 167

जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 13 मई, 1998 में लिये गये निर्णय के बावजूद असेवित क्षेत्रों में ही जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन 167

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इस्तिफातगंज एवं केदार नगर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना न कराये जाने से किसानों, बुनकरों एवं अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लाल जी वर्मा की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन 167

नत्थियां 168–182

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीके अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उमाकान्त यादव श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
कौकब हमीद, श्री	मेरठ
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गाजियाबाद
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पटेल राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित सदस्य
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महाराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
यशवंत, श्री	आजमगढ़
योगेन्द्र सिंह, श्री	देवरिया
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम चन्दर यादव, श्री	फैजाबाद
राम नक्षत्र, श्री	पडरौना

राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
श्रीराम, श्री	जालौन
श्रीराम, श्री	मऊ
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश जतारिया	झांसी
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मेडिकल कालेज में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में पांच गुना हुई वृद्धि को कम करने की मांग

**1.– श्री जगदम्बिका पाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कालेज में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में पांच गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फीस की बढ़ी हुई दरों को कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता था कि माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों की सुविधाओं के लिये और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन मै समझता हूं कि वह निष्ठुर हैं और निष्ठुर सरकार के मंत्री हैं, इसलिये सभी के मन में कुन्ठा होना स्वाभाविक है। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या जो मेडिकल कालेज में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में पांच गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि–"जी हां," तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के जो भीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिससे किसी भी कल्याणकारी राज्य में शिक्षा का मौलिक अधिकार बन सके और दूसरी ओर इस सरकार ने उन मेडिकल छात्रों को जो अध्ययनरत हैं उनकी फीस में 5 गुना वृद्धि कर दी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं और जो गरीब छात्र हैं उनकी सहायता के लिये सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि पिछली सरकार ने तीस गुना वृद्धि कर दी थी और उस वृद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी और उस रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसमें कहा है कि पांच गुनी फीस तक बढ़ा सकते है। मान्यवर, फीस वृद्धि का कारण यह है कि 1960 से यह फीस सबसे पहले निर्धारित हुई थी और 37–38 वर्षों के बाद भी वहीं रही, जब कि महंगाई का इन्डेक्स बहुत बढ़ गया है और दूसरे मेडिकल कालेज के छात्रों पर जो खर्च हो रहा है, वह एक लाख रुपये से अधिक है और तीसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, इससे मैं बिलकुल सहमत हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही यह काम नहीं किया है, महाराष्ट्र

की सरकार ने किया है और आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने भी किया है। अगर आप चाहें तो मैं आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूं, इसी के कारण यह निर्णय लेना पड़ा है कि फीस में वृद्धि की जाये। मान्यवर, मैं यह भी माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसी प्रदेश के अन्तर्गत सरकार ने इन्जीनियरिंग कालेज में फीस में वृद्धि की है और 10 हजार तक वृद्धि कर दी है और हमने तो मात्र पांच गुनी वृद्धि की है जैसे ट्यूशन फीस 2 सौ रुपये थी और इसको एक हजार रुपये कर दिया गया है, पहले 6 हजार रुपये थी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा है कि एक कमेटी बना कर इसकी जांच करा ली जाये और इसका परीक्षण करा लिया जाये। कमेटी बनाने की जो गाइड लाइन्स बतायी है, वह व्यवहारिक रूप से फिजिबल कम दिखाई पड़ती हैं। इस कमेटी के अन्तर्गत कौन-कौन लोग होंगे, उनकी संख्या काफी बड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

कमेटी के बारे में प्रश्न नहीं किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने स्वयं देखा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 गुना फीस बढ़ा सकते हैं, यह मैनडेटरी नहीं है। उसके आधार पर सरकार ने 5 गुना वृद्धि कर दी। इस वृद्धि से अभिभावकों पर जो बोझ पड़ गया है उस पर सरकार पुनर्विचार करेगी क्योंकि इससे निश्चित रूप से हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गयी है। यह ठीक है कि महंगाई बढ़ी है। उ० प्र० की सरकार कल्याणकारी सरकार है। तो उसमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको सरकार को जनहित में करना होता है, जो नान-प्रोडक्टिव होते हैं, जो अस्पतालों में आप खर्च करते हैं उसकी कोई बैलेंसशीट नहीं बनाते हैं। एक तरफ आप इंटरमीडिएट के छात्र, छात्राओं की फीस माफ कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कालेज के छात्रों की फीस को 5 गुना बढ़ा रहे हैं इसका क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष-

औचित्य तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया एक तो उच्च न्यायालय ने कहा है कि इतने तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा 37 वर्ष पूर्व यह फीस थी और तब से महंगाई में बहुत वृद्धि हुई है। तीसरा एक लाख से अधिक शासन का एक छात्र पर व्यय होता है यह 3 आधार उन्होंने बता दिये।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मेडिकल कालेज के छात्रों की फीस में वृद्धि की गयी है क्या उसके साथ-साथ मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिये कोई नई सुविधा भी मुहैया कराई गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

जो शुल्क में वृद्धि की गयी है उसके साथ-साथ मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्रों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें क्या कोई वृद्धि की गयी है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि वर्तमान में मेडिकल कालेज के छात्रों पर प्रति छात्र एक लाख से ऊपर सरकार का व्यय होता है। ऐसी स्थिति में यह हमें बढ़ानी पड़ी। जहां तक सुविधाओं की बात है कि पहले से ये सुविधाएं हैं उनको चुस्त-दुरुस्त कर रहे हैं और जो मशीन उपकरण हैं वह भी उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री राम जग–

माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं एक तो उच्च न्यायालय के निर्णय की बात कही है तो मैं जानना चाहता हूं जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसको सदन के पटल पर रखेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने जो आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा फीस बढ़ाये जाने का हवाला दिया है वह आप की तरह ही सरकारें हैं तो आप पश्चिम बंगाल केरल जहां वामपंथी सरकारें हैं क्या उन्होंने भी फीस बढ़ायी है क्योंकि यह राष्ट्रीय मामला है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने केवल दो प्रदेशों का उल्लेख किया । इसका मतलब यह नहीं हुआ है कि दूसरे प्रदेशों में बढ़ाये हैं या नहीं उसी के आधार पर तय नहीं होता ।

श्री राम जग–

वामपंथी सरकारें जहां पर हैं उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है उसका उदाहरण क्यों नहीं देते हैं ? दूसरा उच्च न्यायालय के फैसले की कापी सदन के पटल पर रखेंगे क्योंकि उन्होंने बल दिया कि 5 गुना बढ़ा सकते हैं यह नहीं कहा कि 5 गुना बढ़ा दें ?

श्री अध्यक्ष–

(श्री रामजग के बैठ जाने पर) आपने अनुपूरक प्रश्न तो कोई पूछा नहीं ।

श्री राम जग–

क्या जिन प्रदेशों में फीस नहीं बढ़ायी गयी है उसी प्रकार से अपने प्रदेश में फीस नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया कि एक लाख रुपये खर्च आ रहा है एक छात्र को तैयार करने में । क्या यह खर्च आज की तारीख में आना शुरू हुआ है या पहले से आ रहा है । जिन प्रदेशों का मंत्री जी ने उल्लेख किया वहां की परकैपिटा इन्कम क्या है और अपने प्रदेश की परकैपिटा इन्कम क्या है । इससे स्पष्ट हो जायेगा कि जहां पर फीस नहीं बढ़ायी गयी है वहां की परकैपिटा इन्कम उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा है हमारे प्रदेश में जहां पर अभिभावकों की पर-कैपिटा इन्कम कम है ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के अभिभावकों को अधिक बोझ उठाना पड़ेगा । दूसरा प्रश्न यह है कि जो बैकवर्ड या शेडयूल कास्ट के छात्र हैं या माइनारिटीज और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले छात्र हैं और जो प्रतिभावान हैं ऐसे छात्र मेडिकल में आ जाते हैं तो ऐसे छात्रों को विशेष सुविधायें देने पर विचार करेंगे । तीसरा प्रश्न यह है कि जो पहले सुविधा मेडिकल छात्रों को मिलती थी चाहे वह लाइब्रेरी की हो या प्रयोगशाला की हो फीस बढ़ाने के बाद क्या उस सुविधा को बढ़ाने के लिये आमूल चूल परिवर्तन किया गया है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

माननीय विधायक जी ने जो कहा कि सरकार ने जो बढ़ाया है वह कहां तक उचित है ? शायद आपको याद होगा, आप संसदीय कार्य मंत्री थे और यहां बैठते थे, सुश्री मायावती जी मुख्य मंत्री थीं । उन्होंने 30 गुना वृद्धि की थी और आपने तर्क दिया था उसके बारे में कि वृद्धि करना बहुत जायज है उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए । अगर उससे आप बैक आउट करते हैं तो मैं नहीं कहता । जहां तक सवाल फीस वृद्धि का है वह निर्णय उच्च न्यायालय के सुझाव पर लिया है । जहां तक अन्य सुविधाएं देने का सवाल है तो 1960 की अपेक्षा सुविधायें बढ़ी हैं खास तौर से इक्विपमेंट बढ़ाये गये

हैं, लाइब्रेरी सुविधा और इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं । पर्याप्त सुविधा वृद्धि की गयी है और आगे भी सुविधा बढ़ाने का प्रयास है ।

श्री राम जग–

क्या जिन प्रदेशों में फीस नहीं बढ़ायी गयी है उसी प्रकार से अपने प्रदेश में फीस नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया कि । लाख रुपये खर्च आ रहा है एक छात्र को तैयार करने में । क्या यह खर्च आज की तारीख में आना शुरू हुआ है या पहले से आ रहा है । जिन प्रदेशों का मंत्री जी उल्लेख किया वहां की परकैपिटा इन्कम क्या है और अपने प्रदेश की परकैपिटा इन्कम क्या है । इससे स्पष्ट हो जायगा कि जहां पर फीस नहीं बढ़ायी गयी है वहां की परकैपिटा इन्कम उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा है हमारे प्रदेश में जहां पर अभिभावकों की परकैपिटा इन्कम कम है ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के अभिभावकों को अधिक बोझ उठाना पड़ेगा । दूसरा प्रश्न यह है कि जो बैक वर्ड या शेडयूल कास्ट के छात्र हैं या माइनारिटीज और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले छात्र हैं और जो प्रतिभावान हैं ऐसे छात्र मेडिकल में आ जाते हैं तो ऐसे छात्रों को विशेष सुविधायें देने पर विचार करेंगे । तीसरा प्रश्न यह है जो पहले सुविधा मेडिकल छात्रों को मिलती थी चाहे वह लाइब्रेरी की हो या प्रयोगशाला की हो फीस बढ़ाने के बाद क्या उस सुविधा को बढ़ाने के लिये आमूल चूल परिवर्तन किया गया है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

माननीय विधायक जी ने जो कहा कि सरकार ने जो बढ़ाया है वह कहा तक उचित है । शायद आपको याद होगा, आप संसदीय कार्य मंत्री थे और यहां बैठते थे, सुश्री मायावती जी मुख्य मंत्री थीं । उन्होंने 30 गुना वृद्धि की थी और आपने तर्क दिया था उसके बारे में कि वृद्धि करना बहुत जायज है उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुये । अगर उससे आप बैक आउट करते हैं तो मैं नहीं कहता । जहां तक सवाल फीस वृद्धि का है वह निर्णय उच्च न्यायालय के सुझाव पर लिया है । जहां तक अन्य सुविधायें देने का सवाल है तो 1960 की अपेक्षा सुविधायें बढ़ी हैं खास तौर से इक्विपमेंटस बढ़ाये गये हैं, लाइब्रेरी सुविधा और इन्टरनेट से जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं । पर्याप्त सुविधा वृद्धि की गयी है और आगे भी सुविधा बढ़ाने का प्रयास है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक सवाल अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के छात्रों के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष–

क्या अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोई सुविधा देने का प्रस्ताव है ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, जहां तक सुविधाओं का सवाल है जो सुविधायें प्राप्त हैं वह प्राप्त होती रहेंगी उनमें कोई कटौती नहीं होगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ट्यूशन फीस जो 200 रुपये थी उसको बढ़ाकर एक हजार किया है । वर्तमान समय में एक मेडिकल कालेज के छात्र की ट्यूशन फीस और टोटल फीस जो ली जाती है उसका ब्रेकअप बताने की कृपा करेंगे और जो आपने 5 गुना फीस की है इसका ब्रेकअप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, मेडिकल कालेज के अन्तर्गत हर आइटम की अलग-अलग फीस है । जो फीस बढ़ी है उसके संबंध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जैसे ट्यूशन फीस 200 रुपये थी उसको एक हजार रुपये कर दिया । लाइब्रेरी की 5 रुपये थी उसको 25 रुपये करने का निश्चय किया, गेम्स की 7 रुपये थी उसको 35 रुपये करने का निश्चय किया । इस प्रकार से विभिन्न मदों में पांच गुना की वृद्धि की है । इस तरह से टोटल फीस जितनी लगती थी उसमें पांच गुना की वृद्धि होगी उससे ज्यादा की नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मैंने प्रश्न किया था कि आज एक छात्र को टोटल कितनी फीस देनी पड़ रही है । अगर एक हजार देनी पड़ रही है तो उसका पांच गुना पांच हजार हो जायेगा यह तो ठीक है । परन्तु कुल कितनी देनी पड़ रही है, मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपके पास कुल फीस का योग कितना हुआ, सूचना है तो बता दें ।

श्री शिवाकान्त ओझा–

टोटल फीस में पांच गुना वृद्धि की गयी है । यह कुल कितनी होगी यह बाद में बता देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज एक छात्र को कुल कितनी फीस देनी पड़ रही है वे कह रहे हैं कि बाद में बता देंगे । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें ।

श्री अध्यक्ष–

विचार कर लिया जायेगा ।

देश के अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के विकास एवं समृद्धि हेतु कार्ययोजना बनाने की मांग

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देश के अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा के विकास एवं समृद्धि हेतु सरकार वर्ष 1998-99 में क्या कोई विशेष कार्ययोजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? उसके लिये कितना धन प्रस्तावित है ? क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1997-98 में इस दिशा में कोई धन खर्च किया है ? यदि हां, तो कितना और किस-किस राज्य में ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में इस दिशा में कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है । हिन्दी भाषा के वैभव और समृद्धि के संबंध में सवाल है। हिन्दी भाषा का सवाल देश की एकता और अखण्डता से जुड़ा सवाल है । मैं एक दो मिनट में अपनी पृष्ठभूमि के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जल्दी कहिये वरन् समय निकल जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, भाषाई आधार पर दुर्भाग्यवश इस देश के प्रान्त बने हैं इसलिये मैं कह तो नहीं सकता लेकिन अन्दाजा कर सकता हूं कि पचास वर्ष बाद यह प्रान्त अलग देश की मांग भी कर सकते हैं । हिन्दी भाषा मोती के बीच में जो धागा होता है उसकी तरह है और देश की अन्य भाषाएं उन मोती की तरह होनी चाहिये जो उस धागे में पड़ी होती हैं । जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने अहिन्दी प्रांत में हिन्दी को प्रख्यापित करने के लिये, देश की एकरूपता कायम करने के लिये एक प्रयोग लागू किया था । वह प्रयोग क्यों समाप्त कर दिया गया ? दूसरा सवाल यह है कि एक संस्था ने एक शोध संस्थान की रिपोर्ट दी है । इसमें सारी दुनियां में 10 हजार भाषायें बताई गई हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि 110 मिलियन चीनी भाषा के लोग, 470 मिलयिन अंग्रेजी भाषा के लोग और 418 मिलियन हिन्दी भाषा के लोग और 372 मिलियन स्पेनिश भाषा के लोग, और 288 मिलियन रूसी और 182 मिलियन मान्यवर, अरबी भाषा के लोग, 125 मिलियन पुर्तगाली और 124 मिलियन मान्यवर, जापानी भाषा के लोग हैं । इस तरह से हमारा दूसरा नम्बर है हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों में दुनिया में । तो मान्यवर, मेरा प्रश्न यह भी है कि माननीय मंत्री जी आप हिन्दी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये क्यों नहीं चिन्तित हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

इसमें कोई व्यवस्था नहीं है माननीय सदस्य चाहते हैं तो लिखकर दे दें मैं उनको उत्तर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्रियों को निर्देशित करायें उनके और मुख्य मंत्री के आदेशों और वक्तव्यों में और सरकार के विभाग की घोषणाओं में विरोधाभास नहीं होना चाहिये। मान्यवर, मैंने दो प्रश्न पूछे हैं पहला तो यह कि क्या सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? दूसरा प्रश्न पूछा है क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर भी विचार करेगी ? यदि हां, तो बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जायेगा ? मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं यह सरकार क्या प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई योजना बना रही है इस सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई योजना नहीं बना रही है मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में बेरोजगारी दूर करने की बात कही है और "रोजगार छतरी योजना" चलाने की बात कही है तो यह किस परिपेक्ष्य में कही है ?

श्री राधेश्याम कोरी–

वर्तमान सरकार शिक्षित एवं अशिक्षित ही नहीं वरन् ग्रामीण अंचलों तथा पूर्वी क्षेत्र में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये सरकार कृत संकल्प है।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह कोई बिजली की रिपोर्ट नहीं है कि इस तरह पढ़कर उत्तर दिया जाय। मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं यह उचित नहीं है। बेरोजगारों की संख्या कितनी है बेरोजगारी दूर करने के लिये यह क्या कर रहे हैं यह कुछ तो बतायें ? चाहे वह शिक्षित बेरोजगार हों चाहे वह अशिक्षित बेरोजगार हों। इतना समय हो गया और कोई योजना नहीं बनी है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है इसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर है श्रम मंत्रालय को बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कदम उठाना चाहिये।

श्री राधेश्याम कोरी–

बेरोजगारी भत्ता देने के लिये माननीय सदस्य ने मांग की है सरकार के पास संसाधनों की कमी है। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं जा सकता है। सरकार इस मामले में चिन्तित है, संवेदनशील है। बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिये शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत उन्हें बैंकों से लोन मुहैया कराया जा रहा है। उनको स्वतः रोजगार के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी केन्द्र सरकार की योजनाएं बता रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिये प्रधान मंत्री रोजगार योजना है। मैंने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है। मंत्री जी बतायें वे क्या योजनायें बना रहे हैं ? मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मंत्री जी बतायें कि इस समय प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं और कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं ? इन सबको रोजगार देने के लिये सरकार की स्पष्ट क्या नीति है ? जैसा कि इस बजट भाषण के 38 नं० पेज पर मुख्य मंत्री जी ने दर्शाया है।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी अगर आपके पास आंकड़ें हों, तो बता दें ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जिले-जिले में आपके सेवायोजन कार्यालय हैं । जब पाल साहब ने सवाल किया है तो आपने जानकारी हासिल की होगी । अगर बेरोजगारों की संख्या आपके संज्ञान में नहीं है तो मंत्री जी तैयार होकर नहीं आये हैं । जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी दे सकते हैं लेकिन जब मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो संसदीय कार्य मंत्री के जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि शहर में भी और गांवो में भी बेरोजगार हैं, क्या उनके पंजीयन हेतु कोई नया दिशा-निर्देश देकर जो शिक्षित और गैर-शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी जिलेवार सूची तैयार करेंगे, उसके उपरान्त उसे अमलीजामा पहनाने के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में रोजगार छतरी योजना देने की बात कही है और माननीय मंत्री जी को इसकी कोई जानकारी नहीं है । माननीय मंत्री जी को उस छतरी की कुछ तीलियां अपने पास रखनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहते हैं और मंत्री जी कुछ कह रहे हैं । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जिलेवार पंजीकृत बेरोजगारों की क्या संख्या है और उन्हें रोजगार देंगे या नहीं ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक स्पैसिफिक सवाल यह जानकारी प्राप्त करने के लिये किया गया है कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है ? 31 दिसम्बर, 1997 तक जो टोटल बेरोजगार पूरे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं उनकी संख्या 26,96,746 है और उनमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 19,74,965 है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारों की है लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है और इससे प्रदेश के नौजवानों में असन्तोष व्याप्त है । इसलिये मेरा निवेदन है कि नियम 49 में चर्चा करा दें इसके लिये मैंने आपको लिखकर दिया है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता जी, जहां भी संयुक्त मोर्चा की सरकारें हैं हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं । यह सरकार बेरोजगारों, नौजवानों की विरोधी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बेरोजगारी दूर करने के लिये वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री ने ढपोरशंखी घोषणायें की हैं और माननीय सेवायोजन मंत्री को कुछ भी जानकारी नहीं है । बेरोजगारी दूर किये जाने के प्रश्न पर माननीय मंत्री का चुप्पी साध लेना, संसदीय कार्य मंत्री जी का अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाना यह बात साबित करता है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार कतई चिन्तित नहीं है । सरकार का जो चरित्र है उसके खिलाफ हम सदन का बायकाट करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, विपक्ष का यह कहना कि यह सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये ...

श्री राम जग–

यह सरकार बेरोजगार विरोधी है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रही है, इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान होता रहा)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बेरोजगारों की एक सूची यहां प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ आबादी में यदि 5 लोगों का एक परिवार मान लिया जाय तो 3 करोड़ 20 लाख परिवार होते हैं और हर परिवार पीछे कम से कम एक व्यक्ति बेरोजगार अवश्य है, इस हिसाब से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा बेबुनियाद और आधारहीन है। बेरोजगारों की संख्या इस समय कम से कम 3 करोड़ 20 लाख है। सरकार अपनी जवाबदेही से कतरा रही है, लापरवाही और संवेदनहीनता के विरोध में हम और हमारी पार्टी सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री का बयान, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान के एकदम विपरीत है, यह सरकार बेरोजगारों के प्रश्न पर सही जवाब नहीं दे रही है, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम नरेश यादव सदन त्याग कर चले गये)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने संवेदनशील प्रश्न पर जो सरकार का दृष्टिकोण है। वह अब इनके आचरण से स्पष्ट हो रहा है। इतने संवेदनशील प्रश्न पर जिस तरह से उनकी खूबसूरत मुस्कराहट बिखर रही है वह उचित नहीं है। इतने गम्भीर प्रश्न को वालीबाल की तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में उछाला जा रहा है। मेरी मांग है कि नियम 49 के तहत इसकी चर्चा कराने की कृपा करें। मैं इसके लिये लिखित अनुरोध भेज रहा हूं। इस प्रश्न पर माननीय मंत्री का जो आचरण है, वह निन्दनीय है। और प्रश्नों पर तमाम जिस तरह से उत्तर दिये जा रहे हैं वह तो हम आप देख ही रहे हैं लेकिन बेरोजगारी के संबंध में जो सबसे बड़ी समस्या है इस पर उनका आचरण निन्दनीय है। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें। चर्चा से कम पर और कोई चीज विपक्ष के लोगों को मान्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर विचार करूंगा।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट, डा० धर्मज्ञ मिश्र सहित अनेक विपक्षी विधायक सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे "रोजी रोटी दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो।)"

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

(श्री अम्बिका चौधरी के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम 48 के तहत चर्चा स्वीकार करने के लिये अपना निवेदन श्री अवधेश प्रसाद जी ने आपके पास भेज दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आ गया है तो विचार कर लूंगा । अभी और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा एक साथ चर्चा की मांग करने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य चर्चा की मांग कर रहे हैं हम यह इम्प्रेशन नहीं देना चाहते कि चर्चा से हम बचना चाह रहे हैं, यह आपके विवेक की बात है कि चर्चा स्वीकार करें, हम चर्चा के लिये तैयार हैं । केवल जानकारी के लिये इतना बता रहा हूं कि इसी विषय पर एक संकल्प भी स्वीकृत हुआ है संभवतः आप की तरफ से किसी का संकल्प है उसमें तिथि निर्धारित होने वाली है जैसी आपकी इच्छा हो, चर्चा भी रखें, संकल्प भी रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को आपत्ति नहीं है सम्पूर्ण विपक्ष आपसे मांग करता है कि इसमें चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका निवेदन आ गया है, माननीय अध्यक्ष जी से परामर्श कर रहे हैं जैसाकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा बिलकुल यही विषय शलाका में आ भी गया है यह अवसर निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है जिससे इस विषय पर ठीक से चर्चा हो जाय आपके सभी भाव आ जाएं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी की सूचना है वह तो बाद में बात आयेगी इस समय यह विषय विद्यमान है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, चर्चा स्वीकार कर लीजिये, जब सरकार राजी है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इस पर चर्चा हो जाएगी ।

प्रदेश में बाल मजदूरों का शोषण रोकने हेतु उपाय

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बाल मजदूर के शोषण को रोकने हेतु कोई उपाय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार ने प्रदेश में बाल मजदूरों की संख्या ज्ञात करने हेतु अब तक कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां । बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रिया वाले नियोजनों में बाल श्रमिकों के नियोजन के निषेध एवं अन्य प्रक्रिया वाले नियोजनों में बाल श्रमिकों को विनियमित किये जाने का प्राविधान है । उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह बाल श्रमिकों का मामला है । मान्यवर, यहां बारह-चौदह साल के बच्चे रिक्शा चलाते हैं और छोटे-छोटे मजबूरी में पेट पालने के लिये काम करते हैं । उत्तर प्रदेश में आपने जो सर्वेक्षण कराया है, बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है, उनके शोषण को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था जिला अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में । टोटल संख्या 33 बाल श्रमिकों की थी, 15,105 खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिक थे 18,013 बाल श्रमिक गैर खतरनाक उद्योगों में काम करते पाये गये । अभी यह प्रश्न किया गया था कि उनके शोषण को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? मान्यवर, खतरनाक उद्योगों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों को पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया है । 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कार्य करने की रोक लगा दी गयी है । जहां पर शिकायतें मिल रही हैं उन पर कठोर कार्यवाही की जा रही है । दूसरा बाल श्रमिक जो उद्योगों में कार्य करते पाये गये हैं उनको खतरनाक उद्योगों से हटाकर शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश दिया गया है और उनके परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार देने का प्रयास किया गया है । ऐसे बाल श्रमिकों के लिये पुनर्वास कल्याण संगठन के माध्यम से प्रदेश सरकार ने एक करोड़ की धनराशि दी है । जो सेवा योजना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नौकरी करा रहे हैं उन पर कार्यवाही की गयी है और 20 हजार रुपया दण्ड का प्राविधान रखा गया है । अनेकों सेवायोजकों को इस तरह की नोटिस दी गयी है और सात (07) लाख की धनराशि उसके माध्यम से जमा हो चुकी है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हर दफ्तर में, प्रत्येक कार्यालयों में सरकारी और गैर सरकारी और प्रदेश के छोटे-बड़े होटलों में नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है । कितने ही होटल लखनऊ में ऐसे हैं जहां पर नाबालिग बच्चों से काम लिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी ने शायद देखने की कोशिश ही नहीं की होगी । उनसे काम भी लिया जाता है और उन्हें न तो भरपेट खाना दिया जाता है और न ही अच्छी मजदूरी दी जा रही है, तो इस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है । अभी बेरोजगारों की समस्या पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था और आपने उस पर चर्चा हेतु स्वीकार कर लिया था । मान्यवर, यह भी अहम मसला है । मान्यवर, संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नहीं बतायी । यह भी बताया गया कि जो बाल श्रमिक मजदूरी कर रहे हैं उनको हटा दिया जायेगा । तो जब इनको हटा दिया जायेगा तो उनके जीवन यापन के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि उनके परिवार के एक व्यस्क सदस्य को रोजगार दिया जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आज हजारों की संख्या में होटल, छोटे-बड़े चल रहे हैं और यहां पर इनसे काम लिया जाता है और न तो उन्हें भर पेट खाना ही दिया जा रहा है और न ही उनको ठीक से मजदूरी ही दी जा रही है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह तो आपको अलग से पूछना होगा तभी इसका उत्तर आ पायेगा। इनके शोषण को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की जाय, मा० मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री यही बता दें कि लखनऊ शहर के कितने होटलों में कितने नाबालिग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि स्वयं मंत्री जी ने कहा कि खतरनाक जगह पर बच्चे काम रहे हैं। तो क्या होटल खतरनाक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका तो जिलेवाइज सर्वेक्षण करना होगा, तभी इसका उत्तर आ सकता है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि कौन-कौन से तथाकथित स्वयंसेवी संस्थायें बाल श्रमिकों के नाम पर विदेशों से धन प्राप्त कर रही हैं तथा उनकी गतिविधियों के नियमन के लिये कोई न कोई कानून व कार्य प्रणाली तो बनायी गई होगी ? क्योंकि जो पैसा विदेशों से आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। मेरी पक्की जानकारी है कि मिर्जापुर व भदोही जो कालीन का क्षेत्र है वहां पर बाल श्रमिक के नाम पर विदेशों से करोड़ों रुपये आ रहा है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मंत्री जी तीन चीजें बता दें– पहला, कौन-कौन से तथाकथित स्वयं सेवी संस्थायें बाल श्रमिक के नाम पर विदेशों से पैसा ले रही हैं और उसका दुरुपयोग कर रही है, दूसरा, उनकी कार्य प्रणाली के नियमन के लिये क्या कोई कानून है, तीसरा, वह संस्थायें जो धन का दुरुपयोग कर रही हैं, उसकी आप जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। क्योंकि ये संस्थायें देश का नाम विदेशों में में खराब करने पर लगी हुई हैं बाल श्रमिक के नाम पर ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, चूंकि प्रश्न में स्वयं सेवी संस्थाओं जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिये इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी संस्थाओं की जांच करायेंगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने स्वयं इसकी विस्तृत जानकारी की है क्योंकि स्वयं मेरी भी जिज्ञासा है। आई० एल० ओ० के माध्यम से ये संस्थायें सीधे धन लेती हैं। ऐसी संस्थाओं पर क्या अंकुश लगाया जा सकता है

क्योंकि प्रदेश के बाल श्रमिकों की स्थिति का विदेशों में गलत प्रस्तुतीकरण करके ये धन कमा रहे हैं। मैंने भदोही व मिर्जापुर के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी इस संबंध में तो मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार के माध्यम से इन्हें धन नहीं मिलता अपितु सीधे आई० एल० ओ० से इन्हें धन मिलता है। कितना अंकुश इन पर हम लगा सकते हैं इस पर निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने अभी जो प्रश्न किया था उसमें क्या मंत्री जी जांच करायेंगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, ठीक है मैं जांच करा लूंगी।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1986 से जब से बाल श्रमिक अधिनियम लागू है और सरकार ने स्वीकार किया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो आज की तारीख में क्या मंत्री जी इस अधिनियम में संशोधन करके इस तरह का प्राविधान करेगी जिसमें पूर्णतया बाल श्रमिकों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके ?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बाल श्रम पर यदि पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, किन्तु यह पेट की भूख के लिये श्रम करेंगे, इसलिये इन बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने की क्या सरकार कोई योजना बनाएगी जिससे बाल श्रम रुक सके ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, इस संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 का है, इसमें यह प्राविधान है कि खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्णतया कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और इस संबंध में सरकार कार्य कर रही है।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बाल श्रमिकों के पुनवास के लिये सरकार क्या योजना बना रही है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहती हूं कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं कल्याण निधि में जमा कर दिया है। बाल श्रमिक जिन नियोजकों के यहां काम रहे हैं उनको नोटिसें देकर प्रति बच्चे पर 20 हजार रुपये के हिसाब से धनराशि जमा करने के लिये कहा जा रहा है।

जनपद आगरा, फिरोजाबाद में सूचीबद्ध बाल श्रमिकों की संख्या

*3–डा० राम बाबू हरित–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा, फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97 में कितने बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में कितने दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार की बाल श्रमिक रोकने हेतु क्या नीति है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97 में कुल 151 बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये तथा 111 दोषी नियोजकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किये गये। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश से बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने हेतु बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण तथा उनके पुनर्वासन एवं उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति के उन्नयन से संबंधित कार्यवाही की जाती है ।

डा० रामबाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 151 बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये हैं तो जनपद आगरा और फिरोजाबाद में कितने-कितने बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये हैं तथा इन बाल श्रमिकों को सरकार द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? नियोजकों द्वारा कितना धन उन्हें उपलब्ध कराया गया है ? कितने पीड़ित बाल श्रमिकों को सूचीबद्ध किया गया है तथा सरकार उनके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि जनपद आगरा में और फिरोजाबाद में वर्ष 1996-97 में कितने बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये हैं, तो मैं बताना चाहती हूं कि आगरा में 32 और फिरोजाबाद में 1824 बाल श्रमिक सूचीबद्ध किये गये हैं । मैं इनके पुनर्वास के लिये बताना चाहती हूं कि खतरनाक उद्योगों से बचने के लिये उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, अधिकांश परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है और नियम बनाये गये हैं और जल्दी ही यह लागू हो जायेंगे ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने खुद इसकी समीक्षा की है और बाल श्रमिकों को देखा है और कार्यवाही की है ?

(उत्तर नहीं आया)

तारांकित प्रश्न

मेरठ महानगर में नालों की सफाई कई वर्षों से न होने से पूरे महानगर में जल भराव की उत्पन्न समस्या एवं निराकरण के लिए कार्यवाही करने की मांग

*1.—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ महानगर में नालों की सफाई कई वर्षों से न होने के कारण पूरे महानगर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो उसके निराकरण के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय अनुमानित है ? क्या उसका कार्यान्वयन वर्तमान बरसात में हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मेरठ में नालों की संख्या अधिक होने तथा सीमित संसाधनों के कारण समस्त नालों की पूरी सफाई प्रतिवर्ष नहीं हो पाती है, तथापि आवश्यकतानुसार कुछ नालों की सफाई प्रतिवर्ष कराई जाती है । जिसके कारण अत्यधिक वर्षा हो जाने पर अस्थायी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

जी हां । नगर निगम मेरठ द्वारा नालों की सफाई हेतु जे० सी० बी० मशीन एवं मानव श्रम-दिवस द्वारा सफाई कराने की योजना बनायी गयी है ।

मेरठ महानगर के मुख्य नालों जैसे दक्षिणी नाला (ओडियन नाला), आबू नाला व मोहनपुरी नाले की सफाई की योजना के लिए 155.82 लाख का व्यय अनुमानित है ।

नालों की सफाई की योजना के कार्यान्वयन का दायित्व नगर निगम, मेरठ का है । नगर निगम, मेरठ के सीमित संसाधनों के कारण उक्त योजना का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन सम्भव नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैंने मेरठ के नालों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था और प्रश्न किया था कि उनकी सफाई नहीं हो रही है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया है कि नालों की संख्या अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष कुछ नालों की सफाई हो पाती है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कुछ नाले कौन से हैं, जिनकी सफाई करायी जाती है । मान्यवर, एक दो नालों की सफाई करा कर पैसे को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है और शेष नाले भरे पड़े हैं, उनकी सफाई के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है वह घुमा फिरा कर दे दिया गया है, मैंने तो मेरठ के नालों की सफाई के लिये एक स्पेसिफिक कार्य योजना के बारे में पूछा था, लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया गया और उत्तर में यह भी कहा गया है कि नगर निगम के पास जो साधन हैं वह सीमित हैं, इस कारण सभी नालों की सफाई करा पाना सम्भव नहीं है । क्या नगर निगम मेरठ की 15 लाख जनता के स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेगी और नालों की सफाई का निर्णय नहीं लिया जायेगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री, श्री टंडन जी, 15 नवम्बर को मेरठ गये थे और नालों पर खड़े होकर यह निर्देश दिये थे कि इनकी सफाई करायी जाये, लेकिन उनके निर्देश पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि दसम् वित्त आयोग ने कितनी धनराशि दी है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, दशम् वित्त आयोग की माननीय सदस्य ने चर्चा की है तो विगत वर्ष एक करोड़ 14 हजार रुपये मेरठ नगर निगम को दिये गये जिससे उन्होंने सफाई कार्य के लिये उपकरण एवं नालों की सफाई व्यवस्था कराई और उसके लिए मशीन खरीदी गयी थी और इस वर्ष भी लगभग उतनी ही धनराशि 1 करोड़ 14 हजार रुपये नगर निगम मेरठ को दिये जा रहे हैं और उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि जो प्रमुख नाले हैं जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं हुई उनकी प्राथमिकता के आधार पर सफाई करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था क्या वही नाले हैं जिनकी बार-बार सफाई की जाती है और कुछ नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं की जाती है जिनके कारण स्थिति बिगड़ रही है ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, नालों की सफाई एक सतत् प्रक्रिया है वही नाले बार-बार भर जायेंगे तो उनकी सफाई भी बार-बार कराई जायेगी परन्तु कुछ ऐसे नाले हैं जिसको माननीय सदस्य ने इंगित किया है माननीय मंत्री जी ने जिसके संबंध में आदेश दिये हैं उस नाले की सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । माननीय विधायक ने जिसके संबंध में कहा है उसकी सफाई के लिये निर्देश दे दिया गया है और काम चालू है ।

श्री रवंश कपूर–

मान्यवर, यह केवल मेरठ की ही समस्या नहीं है मेरी जानकारी है कि पूरे प्रदेश में विशेषकर बरसात के पूर्व नालों की सफाई कराई जाती है पिछले 2-3 वर्षों से नगर निकाय इस कार्य में शिथिल पड़ गये हैं जिसके कारण सभी जगह जल भराव की गम्भीर स्थिति हो जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि बरसात आने वाली है इससे पूर्व सभी जगह नालों की सफाई सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधायक जी को जानकारी देना चाहता हूं कि यह कार्य स्थानीय निकायों का है जो महत्वपूर्ण नाले हैं वहां पर हर साल सफाई करायी जाती है फिर भी स्थानीय निकायों को निर्देश दिये जायेंगे कि नालों की सफाई करायें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तथ्यों से परे है क्या जिन नालों पर 15 नवम्बर, को माननीय नगर विकास मंत्री लालजी टण्डन स्वयं खड़े होकर देख रहे थे और अमर उजाला का एक पत्रकार गिर गया था क्या उस नाले की जानकारी लेने के लिये क्या सफाई हो रही है इसके लिये सचिवालय स्तर के अधिकारी को भेजकर रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर विशेष कदम उठायेंगे ?

श्री सतीश महाना–

विधायक जी के अनुसार सच्चाई जानने के लिए और जांच करने के लिये भेज दिया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

जो मंत्री जी ने निर्देश दिया था उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इसकी जांच करने के लिये उच्च अधिकारी को भेजें और उसमें किसी अधिकारी ने ढिलाई बरती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? (कोई उत्तर नहीं आया)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्याम किशोर यादव को बुला लिया है।

ग्रामीण अंचलों में ऊर्जीकरण हेतु सर्वे कराने का कार्य अवर अभियन्ता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा कराये जाने की मांग

*2—श्री श्याम किशोर यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अंचलों में ऊर्जीकरण हेतु सर्वे करने का कार्य अवर अभियन्ता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा न करके लाइन मैनों तथा अन्य छोटे कर्मचारियों से कराया जाता है ? क्या यह सही है कि इससे बड़े पैमाने पर विद्युत खम्भों, विद्युत तारों एवं अन्य सामग्रियों की बड़े पैमाने पर चोरी एवं काले बाजार में बिक्री की जाती है तथा काफी लम्बा चौड़ा एस्टीमेट भी बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए सर्वे करने का कार्य कम से कम अवर अभियन्ता स्तर से कराये जाने की नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

जी नहीं ।

उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत करने एंवं अन्य सभी कार्यों को कराने हेतु सर्वे करने का कार्य अवर अभियन्ता द्वारा किये जाने से संबंधित आदेश पूर्व में ही परिषद् द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम किशोर यादव–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जीकरण हेतु सर्वे का कार्य अवर अभियन्ता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा करने का प्राविधान है । जबकि वर्तमान में यह कार्य जो अवर अभियन्ता हैं उससे नीचे के कर्मचारी लाइन मैनों द्वारा किया जा रहा है जो ज्यादा स्टीमेट बनाकर बीच में पैसा खाने का काम करते हैं । इससे उपभोक्ता और किसान बुरी तरह परेशान हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की व्यवस्था की जायेगी कि अवर अभियन्ता या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही स्टीमेट बनाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् ने 1975 में जो आदेश दिया था उसमें जे० ई० को अधिकार दिया गया है सर्वे करने और सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का । कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है कि प्रदेश में किसी गांव में विद्युतीकरण का स्टीमेट जे० ई० से नीचे का कर्मचारी बनायेगा । अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक सूचना दे देंगे तो जांच करा लूंगा । उन्होंने यह भी कहा कि गांव में विद्युतीकरण में तमाम गोलमाल कर लिया जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि मैदानी क्षेत्र में । गांव के विद्युतीकरण में 5 लाख रुपये खर्च होते हैं और हिल्स में 10 लाख रुपये खर्च होते हैं तो गबन की गुंजाइश नहीं है कि कर्मचारी हेराफेरी कर सके ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पिछले दिनों बहराइच गये थे जैसे ही डाक बंगले में बैठे उसी समय बिजली चली गयी । आपने निर्देश दिया कि दरगाह शरीफ का मेला लगने वाला है बिजली की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने यह भी जानने की कोशिश की क्या जो आदेश दे आये थे उसका पालन हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह अलग से प्रश्न कर रहे हैं, मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आपने कहा कि लाइन का स्टीमेट बनाने का काम जे० ई० करेगा । आपके राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में झगड़ा भी है जिस पर हमें कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितनी लाइनें बनकर तैयार हैं; जिसमें विद्युतीकरण हो जाना चाहिए ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

वाराणसी नगर में हैण्ड पम्प खराब होने के कारण पेयजल संकट दूर करने एवं रिबोर करने हेतु धनराशि की मांग

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी नगर में लगे हुए हैण्ड पम्पों में से बहुत बड़ी संख्या में हैण्ड पम्प खराब हो चुके हैं जो सभी रिबोर करने योग्य हैं ? क्या पेयजल संकट दूर करने हेतु हैण्ड पम्पों को रिबोर करने के लिये सरकार आवश्यक धन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी नगर में 1559 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें से माह अप्रैल एवं मई, 98 में अस्थाई तौर पर 313 खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करा दिया गया है । स्थाई तौर पर रिबोर करने के योग्य हैण्डपम्पों की संख्या 362 है ।

रिबोर के हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिये शासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

विद्युत विभाग में अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने की मांग

*4—श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रेन्टिस पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में रिक्त पदों पर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 2818/36/6/97/31 बी/97 द्वारा निर्देशित किये जाने के बाद क्या मा० उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 764/93 दिनांक 12-1-95 के आदेश का परिपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है ? क्या समायोजित न हो पाने के कारण शक्ति भवन पर उक्त अप्रेन्टिस क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन्हें समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी हां । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 764/93 दिनांक 12-1-95 में दिये गये आदेशों का परिपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रशिक्षुओं को सीधे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है । वर्तमान में परिषद् में नई भर्ती (अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों एवं भूमि विस्थापितों को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध है । प्रतिबन्ध हटने पर जब परिषद् द्वारा नई नियुक्तियां की जायेंगी एवं विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अपने प्रार्थना-पत्र के साथ प्रशिक्षु अपने अन्य शैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ शिशिक्षु परीक्षा उत्तीर्ण होने का एन०सी०बी०टी० से प्राप्त प्रमाण-पत्र और इस आशय का शपथ-पत्र भी देंगे कि उन्हें अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है तब चयन में उनको, मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, अन्य बातों के समान रहते हुए अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा नियुक्तियों में वरीयता प्रदान की जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 1998-1999 में असेवित ग्रामों की निःशुल्क विद्युतीकरण की व्यवस्था

*5—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में कुछ असेवित ग्रामों की निःशुल्क विद्युतीकरण की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसकी कोई रूपरेखा बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

वर्ष 1998-99 में 3333 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 500 असेवित (वर्जिन) ग्रामों का लक्ष्य सम्मिलित है । इसके लिये निर्धारित नीति के अनुसार ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामवासियों को कोई धनराशि जमा नहीं करनी होती । विद्युत संयोजन लेने हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा विद्युत संयोजन लेते समय निर्धारित सर्विस कनेक्शन चार्जेज सेक्यूरिटी, सिस्टम लोडिंग इत्यादि की राशि जमा करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कृषि उद्योग आदि क्षेत्रों में समतल विकास के लिये अधिक विद्युत उत्पादन की जानकारी

*6—श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उद्योग आदि क्षेत्रों में समतल विकास के लिये अधिक विद्युत उत्पादन की कोई विशेष कार्य योजना सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रदेश में अधिक विद्युत उत्पादन के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्य योजना का विवरण निम्नवत् है :—

1–अल्पकालिक

(अ) टाण्डा तापीय परियोजना की 110 मे०वा० की चौथी इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर चालू कर दी गयी है । इसको जुलाई, 1998 में वाणिज्यिक भार पर लिये जाने की आशा है ।

(ब) बन्द पड़ी 4 तापीय इकाइयों (कुल क्षमता 617 मे०वा०) का मरम्मत कार्य पूर्ण कर चरण बद्ध रूप से इस वर्ष वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर चालू किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(स) तापीय एवं जलीय विद्युत गृहों के नवीनीकरण/आधुनिकीरण हेतु कुल लागत रु० 886 करोड़ की योजना तैयार की गयी है जिसके सम्पादित किये जाने पर तापीय विद्युत गृह की पी० एल० एफ० औसतन 60 प्रतिशत प्राप्त किया जाना लक्षित है । इस कार्य योजना में ओबरा तापीय विद्युत गृह हेतु क्रैश प्रोग्राम के रूप में रु० 126.60 करोड़ की योजना पी० एफ० सी० ऋण द्वारा अंशतः वित्त पोषित शामिल हैं ।

2—दीर्घकालिक

दीर्घकालिक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 6146.84 मे०वा० नई उत्पादन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है । उपरोक्त में 743 मे०वा० राज्य सेक्टर में 572.5 मे० वा० संयुक्त क्षेत्र में एवं 4831.34 मे०वा० निजी क्षेत्र में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी

*7—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिये क्या कोई सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू है ? यदि हां, तो कितनी आयु के बीड़ी श्रमिकों पर उक्त योजना लागू है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना से मई, 1998 में प्रदेश के कितने बीड़ी श्रमिकों को लाभ पहुंचा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

उत्तर प्रदेश बीड़ी श्रमिकों के लिए भारत सरकार श्रम मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से बीड़ी श्रमिकों के लिये ग्रुप इन्श्योरेन्स स्कीम चलायी जा रही है । यह स्कीम 18–60 वर्ष की आयु के बीड़ी श्रमिकों पर लागू है । इस योजना के अन्तर्गत मई, 98 में 22 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका निस्तारण नियमानुसार किया जा रहा है ।

प्रदेश में बेरोजगार अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों को रोजगार देने की मांग

*8—श्री राजधारी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि 12 जनवरी, 1995 के सिविल अपील संख्या 4347/90 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बेरोजगार अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों को रोजगार देने पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उस के क्रम में उ० प्र० सरकार ने 31 मार्च, 1998 तक कितने अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान किया है ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर में विधायकों को सस्ते रेट पर आवास उपलब्ध कराने की मांग

*9—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार पूर्व की भांति विधायकों को सस्ते रेट पर लखनऊ में निजी आवास हेतु भूखण्ड अथवा निर्मित आवासों को क्रय करने की सुविधा प्रदान करने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? इस योजना का क्रियान्वयन कब से हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कार्यरत इकाईयों की जानकारी

*10—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कितनी इकाईयां कार्यरत हैं ? निगम का वार्षिक टर्न ओवर क्या है ? क्या यह सच है कि इस निगम के पास कोई काम नहीं है ? यदि हां, तो बिना कार्य के इस निगम को अस्तित्व में बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की एक मात्र फिरोजगांधी तापीय विद्युत परियोजना, उ० प्र० सरकार ने 13-2-92 को ही उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की देनदारी के एवज में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को सौंप दी थी। वर्तमान में इस निगम के पास कोई परियोजना/इकाई कार्यरत नहीं है अतः टर्न ओवर का प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन निगम को विद्युत उत्पादन से संबंधित कुछ कार्य दिये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

लखनऊ जनपद में विद्युत बिल भुगतान हेतु पास बुक प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव

*11—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत बिलों के भुगतान के लिये लखनऊ में पास बुक प्रणाली लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रणाली कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु विचाराधीन परियोजना की जानकारी

*12—श्री समरपाल सिंह, श्री बी० आर० वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री केशव मेहरा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की समस्या के समाधान हेतु क्या कोई नयी परियोजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार विद्युत आपूर्ति में सुधार किस प्रकार करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

विद्युत की समस्या के समाधान हेतु कुल 6146.84 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिये निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :—

1–वर्तमान उत्पादन इकाईयों पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य सम्पन्न कराकर बेहतर विद्युत उत्पादन की उपलब्धता।

2–मुख्य पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं नये मुख्य पारेषण कार्यों का सम्पादन।

3–द्वितीय पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यों का सम्पादन।

प्रदेश में विद्युत विभाग में अप्रेन्टिस शुदा व्यक्तियों के समायोजन की मांग

*13—डा० धर्मेश मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रेन्टिस पूर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग में रिक्त पदों पर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र सं०-2818/36/6/97/31 बी/97 द्वारा निर्देशित किये जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या-764/93 दिनांक 12-1-1995 के आदेश का परिपालन नहीं किया जा रहा है ? क्या ट्रेन्ड शुदा नवयुवकों को नौकरी में समायोजित न हो पाने के कारण वे शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो युवा अप्रेन्टिस के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन कब तक इन्हें समायोजित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-01-95 का परिपालन परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

जी हां।

प्रशिक्षुओं को सीधे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है वर्तमान में परिषद् में नई भर्ती (अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पद, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों एवं भूमि विस्थापितों को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध हटने पर जब परिषद् द्वारा नई नियुक्तियां की जायेंगी एवं विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अपने प्रार्थना-पत्र के साथ प्रशिक्षु अपने अन्य शैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ शिशिक्षु परीक्षा उत्तीर्ण होने का एन० सी० वी० टी० से प्राप्त प्रमाण-पत्र और इस आशय का शपथ-पत्र भी देंगे कि उन्हें अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है तब चयन में उनको, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार,अन्य बातों के समान रहते हुए अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा नियुक्तियों में वरीयता प्रदान की जायेगी।

*14—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 151 द्वारा उल्लिखित]

लखनऊ स्थित मोहन गोल्ड वाटर पर ई० एस० आई० के कथित बकाये के भुगतान की मांग

*15—श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मोहन गोल्ड वाटर जो बियर बनाती है उसके यहां ई० एस० आई० का लाखों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो उस बकाये को जमा कराने की सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी—

ई० एस० आई० अंशदान नियोजकों/नियोजितों से वसूल करने का अधिकार ई० एस० आई० कारपोरेशन, भारत सरकार के नियंत्रण में है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नगत बकाये की सूचना देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*16—डा० राम सिंह सैनी—

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 98 द्वारा उत्तरित]

*17—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[8वें शुक्रवार में ता० प्र० सं० 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर में शुद्ध पेय जलापूर्ति की मांग

*18—श्री बाल चन्द्र मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में प्रति व्यक्ति पेयजल की आवश्यकता कितनी है तथा नगर की जनसंख्या कितनी है ? पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या संसाधन जुटाये गये हैं ? क्या वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो आवश्यकता के अनुरूप शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर ली जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन—

मानक के अनुसार कानपुर नगर के लिये पेयजल की आवश्यकता 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 25 लाख है।

पेयजल की आपूर्ति के लिये गंगा नदी से 280 एम० एल० डी० तथा 76 नलकूपों से 77 एम० एल० डी० पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर में 7412 हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित किये गये हैं।

जी नहीं। वर्तमान आवश्यकता 425 एम० एल० डी० के सापेक्ष 357 एम० एल० डी० पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

योजनायें बनाई गई हैं। उनके क्रियान्वयन के पश्चात् उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

जनपद गोण्डा के अधिक पिछड़े ब्लॉकों में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में निर्धन आवासों की जांच की मांग

*19—श्री राम विशुन आजाद—

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया नवाबगंज और बजीरगंज में वर्ष 1995 से मार्च, 1998 तक कितने ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम योजना में शासन द्वारा चयन किया गया है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन्दिरा आवास योजना में पात्र व्यक्तियों का चयन न करके अपात्र व्यक्तियों का चयन संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया गया है ? क्या सरकार सारे अम्बेडकर ग्रामों में आवासों की जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राधेश्याम कोरी—

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, नवाबगंज और बजीरगंज में वर्ष 1995 से मार्च, 1998

तक 33 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम की संख्या
1–छपिया	17
2–नवाबगंज	10
3–वजीरगंज	06

विकास खण्ड छपिया के ग्राम खपरीपारा में दो अपात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया था। इन अनियमितता के दोषी ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तत्समय के संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, जो वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी निचलौल के पद पर कार्यरत हैं, का स्पष्टीकरण संयुक्त विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के माध्यम से मांगा गया है। उक्त दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी गोण्डा के माध्यम से संदर्भित गांवों के इन्दिरा आवासों की जांच यथाशीघ्र करवा ली जायेगी। यदि कोई अनियमितता प्रकाश में आती है, तो नियमानुसार दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खण्ड बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर पसनामऊ के अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को सम्पन्न करने के अन्तर्गत शासन ने उक्त गांव में विद्युतीकरण नहीं करवाया है ? यदि हां, तो उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

2–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम रुइया को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर उक्त गांव में विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

'जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके है।

प्रश्न नहीं उठता।

3–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खण्ड मल्लावां के ग्राम कंथरी को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथकिमता के आधार पर उक्त गांव में विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अम्बेडकर ग्राम में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कंथरी वर्ष 1997-98 में विद्युतीकरण हेतु चयनित अम्बेडकर ग्रामों की सूची में सम्मिलित न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण का चयन शासन की निर्धारित नीति के आधार पर एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से कराया जाता है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां का ग्राम–कंथरी वर्तमान में विद्युतीकरण हेतु चयनित अम्बेकर ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः वर्तमान में इस ग्राम का विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने की मांग

4–श्री छब्बू पटेल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में कार्यरत वर्कचार्ज दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं का वेतन, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार उन्हें वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29-12-94 में लिये गये निर्णयानुसार वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी एवं अवर अभियन्ताओं को रु० 60/- प्रति दिन की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कार्यवाही प्रचलित हैं।

जनपद बागपत में गैडवरा में स्थापित विद्युत सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की मांग

5–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गैडवरा, बागपत में 33 के० वी० सब स्टेशन पर क्षमता से अधिक भार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

गैडवरा उपसंस्थान की क्षमता (5×4.3) एमवीए से बढ़ाकर (2x5) एमवीए स्वीकृत हो चुकी है।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

[illegible]

6–डा० धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मसिआईजाफरपुर को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर उक्त ग्राम में विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? शासन द्वारा उक्त अम्बेडकर ग्राम में कब तक विद्युतीकरण करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

7–डा० धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम कुरसठ बुजुर्ग से उड़हा तथा तर्जनपुर को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् भी उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं करवाया गया है ? शासन द्वारा उक्त अम्बेडकर ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

8–श्री अफजाल अहमद–

। अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

जनपद मैनपुरी के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में किये गये विकास कार्यों की जानकारी

9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1990-91 से लेकर अब तक जनपद मैनपुरी में स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों में क्या-क्या विकास योजनायें लागू की गयी हैं ? उक्त जनपद में अब तक किये गये विकास कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में क्या-क्या विकास कार्यक्रम किये जायेंगे ? उसका विवरण क्या है ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां, वर्ष 1990-91 से लेकर अब तक जनपद मैनपुरी में स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों में मुख्य रूप से 1– सम्पर्क मार्ग 2–विद्युतीकरण 3–नाली खड़ंजा 4–प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण 5–आई०-आर० डी० पी० 6–इंदिरा आवास निर्माण 7–स्वच्छ शौचालय 8–नि:शुल्क बोरिंग 9 हैण्डपम्प स्थापना 10–किसान पेंशन 11–विधवा पैशन की विकास योजनायें लागू की गई हैं। वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक चयनित 44 ग्रामों में से 15 ग्राम 250 जनसंख्या से कम आबादी के हैं, इसलिये शासनादेश के अनुसार इन ग्रामों में क्रमांक 1 से लेकर 4–तक के पूंजीगत अवस्थापना संबंधी कार्य सम्पादित नहीं किये गये हैं।

जनपद मैनपुरी में अब तक किये गये विकास कार्यों का विवरण संलग्नक 1, 2, 3, में संलग्न है धन की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तर 1 में अंकित विकास कार्य कराये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि शासन की नीति के अनुसार 1000 से कम आबादी वाले अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग विद्युतीकरण तथा प्राइमरी स्कूल अवस्थापना एवं भवन निर्माण के विकास कार्य नहीं कराये जाते हैं।

प्रस्तावित कार्य का विवरण संलग्नक 4[†] पर संलग्न है।

प्रदेश में जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के स्थल चयन का अधिकार विधायकों को देने की मांग

10—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के स्थल चयन का अधिकार विधायकों को देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि स्थल चयन का अधिकार पहले विधायकों को दिया गया था ? यदि हां, तो अब यह अधिकार क्यों समाप्त कर दिया गया है ?

श्री लालजी टण्डन–

शासनादेश संख्या –969(1)/9-5-98-37 बजट/97 डी० सी० (बी), दिनांक 31 मार्च, 98 एवं शासनादेश संख्या–1681(2)/38-5-98-(72)/97, दिनांक 31-3-98 द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में 25-25 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये है, जिनके स्थल चयन का अधिकार शासनादेश संख्या 1772/9-5-98 दिनांक 16-6-98 द्वारा माननीय विधायकों में निहित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटन का प्रकरण

11—श्री चेतराम–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-4-98 जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नाम सम्बोधित था, तथा जो जानकीपुरम् योजना में वर्ष 1990 में भूखण्ड आवंटियों को कब्जा न दिये जाने एवं दूसरी योजना में भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापा नहीं गया है।

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

मा० सदस्य के संदर्भित पत्र के साथ चालान संख्या–7857 दिनांक 24-8-92 को रु० 20,888 की धनराशि उनके द्वारा भूखण्ड संख्या–1/815/एच में किस आधार पर जमा किया गया था उसका उल्लेख लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में नहीं है। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और न ही उनके पक्ष में कोई आवंटन ही हुआ है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के नगरपालिका पिलखुआ में भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

12—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-4-98 का पत्र जो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पिलखुआ (गाजियाबाद) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उन भू-माफियाओं की सूची सदन के पटल पर रखेंगे जिन्होंने सार्वजनिक सम्पत्ति ठाकुरद्वारा मंदिर, धर्मशाला, पक्का प्राचीन तालाब पर कब्जा कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में आवास विकास परिषद् द्वारा क्रय की गयी भूमि पर निर्मित कालोनी

13—श्री संजय गर्ग तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1985 से अब तक आवास विकास परिषद् द्वारा प्रदेश स्तर पर कितने रुपये की भूमि आवास बनाने हेतु खरीदी गयी है ? उनमें से कितने पर कालोनी बनायी गयी है और कितने पर नहीं ? क्या सरकार तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आवास विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1985 से मई, 1998 तक प्रदेश स्तर पर कुल रु० 14067.43 लाख की लागत से 7059.96 एकड़ भूमि आवासीय कालोनी बनाने हेतु खरीदी गयी है।

उनमें से 4676.28 एकड़ क्षेत्रफल पर कालोनी बनायी गयी है। शेष पर निर्माण एवं विकास कार्य अभी होना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री समरपाल सिंह–

[**22 बुधवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित**]

15—श्री यशपाल सिंह चौहान—

[4थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद जौनपुर के 33 के० वी० सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर को सरैया फीडर से जोड़ने हेतु कार्यवाही करने की मांग

16—श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के 33 के० वी० सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर को सरैया फीडर से जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

11 के० वी० सरैया फीडर को सम्पूर्ण रूप से 33 के० वी० सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर से जोड़ने का तकनीकी दृष्टि से वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है।

11 के० वी० सरैया फीडर से मात्र कुछ भाग को 33/11 के० वी० सब स्टेशन कबीरुद्दीनपुर से जोड़ने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जिलाधिकारी, जौनपुर के स्तर से वांछित धनराशि, जो लगभग रु० 3.50 लाख है, प्राप्त होने पर कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में टर्मलोन एवं मार्जिन मनी योजना में लाभान्वित अभ्यर्थियों की जानकारी

17—डा० वकार अहमद शाह—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 में राज्य अल्प संख्यक कल्याण विभाग के टर्मलोन एवं मार्जिन मनी योजनाओं में कितना धन मिला है ? इस योजना से जनपद बहराइच में 1997-98 मे कितने लोग लाभान्वित हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली)—

वर्ष 1997-98 मे उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम को मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में उत्तर प्रदेश शासन से रुपया 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की सहायता से चलाई जा रही टर्म लोन योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से रुपया 514.52 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

जनपद बहराइच में वर्ष 1997-98 में मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत 3 व्यक्ति तथा टर्मलोन योजना के अन्तर्गत 03 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

जनपद बहराइच के सभी विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 1997-98 में छात्रवृत्ति की दोनों किश्तों का वितरण कराये जाने की मांग

18—डा० वकार अहमद शाह—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बहराइच के सभी विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 1997-98 में छात्रवृत्ति की दोनों किश्तों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो वितरित की गयी धनराशि कितनी है ? कौन से विद्यालयों में दोनों किश्तों का वितरण नहीं हो पाया है ? इसका वितरण कब तक करा दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के लिये दोषी कौन है ?

श्री राजा गजनफर अली-

जनपद बहराइच तथा नवसृजित जनपद श्रावस्ती में क्रमशः 1341 तथा 672 विद्यालयों को ही छात्रवृत्ति की दोनों किश्तों का भुगतान किया गया है।

छात्रवृत्ति की पुनरीक्षित दरों के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु बहराइच जनपद में आवंटित समस्त धनराशि रु० 245.91 लाख तथा श्रावस्ती जनपद में आवंटित धनराशि रु० 63.49 लाख स्कूलों के खातों में स्थानान्तरित कर वितरित की गयी है।

जनपद बहराइच तथा श्रावस्ती के जिन विद्यालयों को छात्रवृत्ति की प्रथम किश्त दी गयी किन्तु दूसरी किश्त का भुगतान नहीं हो पाया है उनकी संख्या 21 है जिनकी सूची संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 समाप्त हो जाने के पश्चात् अब उक्त विद्यालयों जिनको धनावंटन की कमी के कारण प्रथम किश्त के पश्चात् दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया जा सका है, उन विद्यालयों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में दूसरी किश्त का भुगतान किया जाना अब सम्भव नहीं है।

विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 168 पर)

जनपद चन्दौली नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में वर्ष 1996-97 में की गयी निविदा में लगभग आठ लाख रुपये की बोर्ड को क्षति होने के संबंध में निविदा की जांच कराने की मांग

19—श्री प्रभु नारायण सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् मुगलसराय, जनपद चन्दौली में वर्ष 1996-97 में प्रशासक द्वारा की गयी निविदा को निरस्त करके अध्यक्ष द्वारा करायी गयी निविदा में लगभग आठ लाख रुपये की बोर्ड की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यक्ष द्वारा करायी गयी निविदा की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में वर्ष 1996-97 में नहीं अपितु वर्ष 1995-96 में प्रशासक के कार्यकाल में कराई गई कतिपय निविदाओं को तत्कालीन अयक्रमित बोर्ड के प्रभारी अधिकारी द्वारा आगामी बोर्ड से कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर पुनः निविदा प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये। अध्यक्ष द्वारा प्रशासक के कार्यकाल की निविदा को निरस्त नहीं किया गया। अध्यक्ष के कार्यकाल में प्राप्त निविदा पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशासक के कार्यकाल में प्राप्त निविदा से रुपये 7,16,268 अधिक है। निविदा में प्राप्त दरों का सत्यापन नगर पालिका परिषद् द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता से कराने के उपरान्त कार्य कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय द्वारा वर्ष 1997 में अनधिकृत रूप से की गयी निविदाओं की जांच की मांग

20—श्री प्रभु नारायण सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् मुगलसराय जनपद चन्दौली में बिना प्रकाशित कराये दिनांक 17-5-97 व 17-6-97 को निविदा करायी गयी, जिसमें 10-6-97 की

निविदा स्वीकृति हेतु दो प्रतिशत की मांग की गयी थी ? क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा उक्त प्रतिशत न देने पर निविदा को निरस्त कर दिया गया ? एवं पुनः निविदा 6-12-97 को करायी गयी जिसमें निगोसियेशन के आधार पर कुल 45 निविदायें स्वीकृत की गयी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि 10-6-97 की निविदा में आठ कार्यों में ही बोर्ड को पन्द्रह लाख रुपये की क्षति हुई है ? तथा पूरे निविदा में बोर्ड को पचास लाख रुपये की क्षति हुई है ? क्या सरकार उक्त निविदाओं की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद, मुगलसराय, जनपद चन्दौली में दिनांक 17-5-97 को कुल आठ निविदायें आमन्त्रित की गयी थी। उनका समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया था। दिनांक 17-6-97 को पालिका द्वारा कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। 10-6-97 की निविदा स्वीकृति हेतु दो प्रतिशत की मांग नहीं की गयी।

दिनांक 10-6-97 की निविदा की कार्यवाही अनियमित होने के कारण निरस्त कर दी गयी।

जी हां।

दिनांक 10-6-97 की निविदा में आठ कार्यों में नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने, महंगाई बढ़ जाने एवं पी० डब्लू० डी० के शिड्यूल दर में संशोधन होने से 3,30,494.00 रुपये का भुगतान बोर्ड को अधिक करना पड़ा।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रविदास नगर के ज्ञानपुर मुख्यालय में स्थित ज्ञान सरोवर के सुन्दरीकरण न होने के कारण दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

21—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रविदास नगर के ज्ञानपुर मुख्यालय में स्थित ज्ञान सरोवर के सुन्दरीकरण के लिये दिये गये धन का सही उपयोग हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उसका न तो सुन्दरीकरण किया गया और न ही किये गये कार्य की जांच की गयी है ? क्या जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

पूर्वान्चल विकास निधि की वर्ष 1996-97 की योजना के अन्तर्गत ज्ञानपुर सरोवर जल निकासी हेतु 1.5 कि०मी० नाली का निर्माण नामक योजना हेतु रु० 6.00 लाख स्वीकृत किये गये थे। इस धनराशि में से 2.75 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। शेष 3.25 लाख रुपये की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है, जिस पर कार्य हो रहा है।

कार्य की जांच सहायक अभियन्ता डी० आर० डी० ए० से करायी गयी है और कार्य में कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अम्बेडकर गांवों को बिजली पानी एवं सड़क से संतृप्त करने की जानकारी

22—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर ब्लाक तथा डीघ ब्लाक के अम्बेडकर गांवों में किन-किन गांवों को वर्ष 1997-98 में बिजली, पानी एवं सड़क से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड ज्ञानपुर अन्तर्गत 6 ग्राम (रघुरामपुर, दशरथपुर, शिवरामपुर, सिंहपुर, बेरापुरवा, लोहराखास) एवं विकास खण्ड डीघ के अन्तर्गत एक ग्राम विछिया का चयन किया गया था।

विद्युतीकरण हेतु वर्ष 97-98 में धनराशि प्राप्त न होने के कारण उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया।

पेयजल में विकास खण्ड ज्ञानपुर एवं डीघ अन्तर्गत चयनित सभी अम्बेडकर ग्राम पेयजल से संतृप्त हैं।

सम्पर्क मार्ग अन्तर्गत विकास खण्ड ज्ञानपुर के 6 अम्बेडकर ग्रामों के सापेक्ष एक ग्राम सिंहपुर लेपित है। शेष 5 ग्रामों में से 4 ग्रामों हेतु धनराशि लोक निर्माण विभाग को मार्च, 98 में प्राप्त हुई। वर्तमान में पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कार्य की प्रगति धीमी है क्योंकि मीरजापुर खनन पर रोक लगा हुआ है। ग्राम बेरीपुरवा हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है। विकास खण्ड डीघ के विछिया ग्राम हेतु धनराशि मार्च, 98 में प्राप्त हुआ, कार्य प्रगति पर है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अन्तर्गत ग्राम सभा मदोरा के मजरा गोशा के विद्युतीकरण की मांग

23—श्री रामजग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अन्तर्गत ग्राम सभा मदोरा के मजरा गोशा जिसमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के ही लोग निवास करते हैं, में अब तक विद्युतीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त मजरे का कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से कराया जाता है। प्रश्नगत ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची में न होने के कारण वर्तमान में इसके विद्युतीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

24—श्री नरेन्द्र कुमार शिशौदिया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद झांसी में सभी गांवों को विशेष योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण की मांग

25—श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार किसी विशेष योजना के तहत शीघ्र सभी ग्रामों के विद्युतीकरण कराने की योजना तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

झांसी जनपद में 245 ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण सभी ग्रामों का विद्युतीकरण परिषद् के आन्तरिक संसाधनों से कराये जाने की कोई योजना नहीं है ।

झांसी जनपद के नगर पंचायत मोठ में सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की मांग

26—श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के नगर पंचायत मोठ में सफाई कर्मचारियों को कितने माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या उन कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने हेतु नगर पंचायत मोठ को धन आवंटित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पंचायत मोठ के सफाई कर्मचारियों का 8 माह का वेतन अवशेष है ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा नागर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि से वेतन का भुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण में खम्भे एवं स्टेक जाम व सीमेन्ट का प्रयोग न करने के संबंध में उचित कार्यवाही करने की मांग

27—श्री राम जग–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेदकर ग्रामों, गांधी ग्रामों में विद्युतीकरण में खम्भों एवं स्टेक को जाम करने के लिये सीमेन्ट एवं गिट्टी का प्रयोग होता है ? यदि हां, तो आजमगढ़ जनपद के मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र के अम्बेदकर ग्रामों में विद्युतीकरण में खम्भे एवं स्टेक जाम करने में सीमेन्ट का प्रयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके संबंध में जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अम्बेडकर ग्राम एवं गांधी ग्रामों के विद्युतीकरण में केवल सेक्शन पोल डबल पोल तथा स्टे को जाम करने के लिये सीमेन्ट व गिट्टी का प्रयोग किया जाता है ।

मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में कार्य कराने के समय सीमेन्ट की कमी के कारण सेक्शन पोल तथा डबल पोल को जाम करने के लिये सीमेन्ट व गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु स्टे को जाम करने के लिये सीमेन्ट व गिट्टी का प्रयोग किया गया । अब पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध है । अतः सेक्शन पोल तथा डबल पोल जाम करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में इन्दिरा नगर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटियों से भवन निर्माण हेतु जलकर और मलवा चार्जेज दोहरी वसूली को बन्द करने की मांग

28—श्री तेजभान सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में जिन भूखण्ड आवंटियों से वर्ष 1991 में भवन निर्माण हेतु जलकर, मलवा चार्जेज जमा करके नक्शा पास किया गया था और अब भवन निर्माण करा रहे हैं उनसे, जल वितरण व्यवस्था जल संस्थान को हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप पुनः भवन निर्माण जलकर एवं मलवा चार्जेज वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस दोहरी वसूली को बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के परिषदीय स्कूलों के असहाय बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण करने की मांग

29—श्री राम अचल राजभर—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जनपद देवरिया के वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में किन-किन अरबी, फारसी मदरसों एवं परिषदीय स्कूलों को कितनी-कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है ? इसी क्रम में जामिया अरबिया मुराजुल उलूम स्थित ग्राम देवरिया, बुद्धूखान, विकास खण्ड देतही, देवरिया, जनपद देवरिया को वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रबन्धक द्वारा फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर धनराशि हड़प ली गयी, यदि हां, तो क्या असहाय बच्चों को छात्रवृत्ति पुनः वितरण करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली—

जनपद देवरिया के वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में संलग्नक "क" के अनुसार अरबी फारसी मदरसों/परिषदीय स्कूलों को अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की गयी है ।

मदरसा जामिया अरबिया मेराजुल, उलूम, देवरिया बुद्धूखान को वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में निम्नवत धनराशि का आवंटन किया गया :—

1995-96	50,328.00
1996-97	91,680.00
1997-98	1,77,240.00

उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्ति मांग पत्र के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है । फर्जी आंकड़ों को प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे न तो कोई जानकारी प्रकाश में आयी है और न ही किसी अभिभावक/छात्रों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक के संबंध में छात्रवृत्ति हड़पने के बावत कोई तथ्य संज्ञान में लाया गया है और न ही छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की शिकायत प्रकाश में लायी गयी है । छात्रवृत्ति का वितरण अल्पसंख्यक पात्र छात्रों में नियमानुसार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 169–170 पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत भू-खण्डों का आवंटन साइट एण्ड सर्विसेज के भू-खण्डों का आवंटन स्वामियों के पक्ष में कराये जाने की मांग

30—श्री रामपाल वर्मा—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के संबंधित समस्त भूमि प्राधिकरण के अधिकार कब्जे में किस-किस तिथियों में आ चुकी है ? प्रश्नगत योजनान्तर्गत साइट एंड सर्विसेज के कितने भू-खण्ड हैं ? क्या प्रत्येक भूखण्डों की कास्टिंग एवं आवंटन किया जा चुका है ? चालान/आवेदन पत्र संख्या 22542 से संबंधित व्यक्ति/आवेदक के पक्ष में आवंटित भू-खण्ड की संख्या क्या है ? सरकार कब तक भू-खण्डों की रजिस्ट्री आवंटित व्यक्तियों के पक्ष में करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत अर्जित 1522 एकड़ भूमि का अधिकार (कब्जा) प्राधिकरण के पक्ष में क्रमशः दिनांक 20-1-1983, 25-2-1983, 13-3-1983, 15-3-1983, 20-3-1983, 22-3-1983, 1-10-1983, 3-10-1983, 4-10-1983, 19-11-1983, 29-3-1984, 15-12-1984, 15-3-1985, 21-3-1985, 23-9-1986 को प्राप्त हुआ है ।

सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत साईट एण्ड सर्विसेज के स्थल पर 1147 भूखण्ड हैं ।

प्रश्नगत योजना में आवंटन पात्र व्यक्तियों के मध्य किया जा चुका है एवं इन समस्त भू-खण्डों की कास्टिंग की जा चुकी है ।

आवेदक के पक्ष में कोई आवंटन नहीं है ।

ये भू-खण्ड किराये क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं। आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दिये जाने के उपरान्त ही उनके पक्ष में विक्रय अथवा पट्टा विलेख का निबंधन कराया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण की पनकी स्कीम के सेक्टर ए, बी व सी के भवन स्वामियों के लिए सामने वाली सड़क पर जल आपूर्ति व सीवर लाइन जल निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

31—श्री रामपाल वर्मा—

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की पनकी स्कीम के सेक्टर ए, बी व सी के निवासियों भवन स्वामियों के लिये जल आपूर्ति व जल निस्तारण व सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो पिछले 25 वर्षों में जल आपूर्ति व जल निस्तारण व सीवर लाइन क्यों नहीं चालू करवाई जा चुकी है ? क्या सेक्टर—सी के प्लाट संख्या 543 से 553 के सामने वाली सड़क पर जल आपूर्ति व सीवर लाइन व जल निस्तारण की सुविधा प्रत्येक भवन स्वामियों को उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

इन सेवाओं के विकासोपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा जल सम्पूर्ति एवं सीवर व्यवस्था अनुरक्षण हेतु 25-11-97 को जल संस्थान को तथा जल निस्तारण व्यवस्था 3/4 अप्रैल, 1989 को नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका परिषद् मुगलसराय, चन्दौली द्वारा वर्ष 1996-97 में कराये गये कार्यों की जांच की मांग

32–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् मुगलसराय जनपद–चन्दौली में वर्ष 1996-97 में शांह कुटी में ईंट बिछाने हेतु श्री राजनारायण ठेकेदार की निविदा स्वीकृति हुयी थी ? क्या इनके द्वारा गलियों में ईंट बिछाने का कार्य किया गया एवं उसका भुगतान भी हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त ईंटों को उखाड़कर आइटम चेंज करके पत्थर का चौका लगाने हेतु बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया एवं चौका का भुगतान अधिक रेट से दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, वर्ष 1996-97 में शांह कुटी मार्ग एवं नाली निर्माण हेतु श्री राजनरायण ठेकेदार की निविदा स्वीकृति हुई थी, जिसमें ईंट खड़न्जे के निर्माण का कार्य भी था ।

जी हां, ठेकेदार द्वारा ईंट खड़न्जा बिछाने हेतु आगणन 2617 वर्ग मीटर के विपरीत 721 वर्ग मीटर खड़न्जा बिछाया गया एवं उसे उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है ।

जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि उक्त बिछाये गए ईंटों को उखाड़ कर आइटम चेंज करके पत्थर का चौका लगाने हेतु बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया एवं पत्थर चौका का भुगतान अधिक रेट से दिया गया । जो ईंट खड़न्जे बिछाए गये वे उसी स्थल पर है । शेष स्थल जहां पर खड़न्जा नहीं लगा था पर बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार पत्थर का चौका लगाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–जालौन के ग्राम डकोर में 133 के० वी० विद्युत सब स्टेशन निर्माण कराने के सम्बन्ध में चयनित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

33–श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में जालौन जनपद के ग्राम डकोर में 133 के० वी० विद्युत सब स्टेशन निर्माण कराने की घोषणा की गई थी और भूमि का चयन कर लिया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

विकास खण्ड डकोर के ही ग्राम कुसमिलिया पर 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराया जाना है जिसके लिये भूमि का चयन कर लिया गया है एवं भूमि भी राज्य विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गयी है । ग्राम कुसमिलिया पर 33/11 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण हेतु वांछित धनराशि अभी तक बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो पाया है ।

जनपद झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जानकारी

34–श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो क्या झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

वर्तमान में प्रदेश से समस्त जनपदों (बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है ।

जी नहीं ।

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन 14–16 घंटे तक विद्युत आपूर्ति हो रही है । विद्युत की उपलब्धता एवं मांग में अन्तर आ जाने के कारण विद्युत प्रणाली को फेल होने से बचाने के लिये विद्युत कटौती करना आवश्यक हो जाता है । परिवर्तकों की ओवरलोडिंग, विद्युत लाइन के तारों की चोरी, आंधी व तूफान तथा वर्षा के कारण जानमाल की दुर्घटना से बचाने के लिये तथा अन्य स्थानीय विद्युत दोषों के कारण विद्युत बाधित हो जाती है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति का औसत समय कम हो जाता है ।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में मेन्टीनेन्स डिवीजन के अधिशासी अभियन्ताओं को स्टोर तथा रख-रखाव का चार्ज दिये जाने की मांग

35–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अंचल के विद्युत मेन्टीनेन्स डिवीजन के अधिशासी अभियन्ताओं के पास स्टोर का चार्ज न होने के कारण विद्युत वितरण तथा रख-रखाव में असुविधा होती है तथा विशेष रूप से ट्रान्सफार्मर बदलने में अत्यधिक विलम्ब होता है जिससे कृषि कार्य बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये मेन्टीनेन्स डिवीजन के अधिशासी अभियन्ताओं को ट्रान्सफार्मर के स्टोर तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

इस समस्या के निराकरण के उद्देश्य से परिषद् के समस्त वितरण खण्डों (जो पूर्व में मेन्टीनेन्स डिवीजन कहलाते थे) में विभिन्न वितरण सामग्री (ट्रान्सफार्मर सहित) के न्यूनतम भण्डारण हेतु भण्डार खोले जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा में मऊ जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर में विद्युत सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की मांग

36–श्री ददू प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 मई, 1997 को बांदा में मऊ जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में विद्युत सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर बांदा में मऊ उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि वर्ष 1998-99 की कार्य-सूची में सम्मिलित है । परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर गोण्डा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

37–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में सभासदों द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-4-97 को जांच हेतु जिलाधिकारी गोण्डा को दिया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है दिनांक 25-6-97 को नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा सभासदों का साक्ष्य लिया था ? यदि हां, तो सरकार ने अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सभासदों से प्राप्त शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से जांच करायी गयी ।

जी हां ।

जांच में अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर को आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के कारण उन्हें भविष्य में सतर्क रहने तथा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्य करने के लिये सचेत कर दिया गया है ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर के भ्रष्टाचार के संबंध में मण्डलायुक्त, फैजाबाद को प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र

38–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख नं० 513627 दिनांक 25-9-97 को नगर पंचायत मनकापुर के भ्रष्टाचार के संबंध में आयुक्त फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच कराई गयी । जांच में अध्यक्ष आंशिक रूप से दोषी पाये गये । उन्हें भविष्य में सतर्क रहने और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्य करने के लिए सचेत कर दिया गया है ।

उत्तरांचल में विद्युतीकरण के लिए पोल संख्या बढ़ाने की मांग

39–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में विद्युतीकरण के लिए 10 पोल प्रति विद्युतीकरण-ग्राम से अधिक पोल किए जाने का प्रस्ताव है ? क्या इसके लिए पर्वतीय एवं मैदानी ग्रामों में पूर्ण समानता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पोल की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामों के विद्युतीकरण के वर्तमान मानकों के अनुसार प्रत्येक ग्राम का पूर्ण विद्युतीकरण करवाया जा रहा है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को शासन के समानान्तर सचिवालय घोषित करने की मांग

40–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शासन के समानान्तर सचिवालय घोषित करने से परिषद् को 70 करोड़ से अधिक की हानि होने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 22-10-96 जो मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त हानि के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मा० सांसद के पत्र में विद्युत परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 5 एवं 15 के निरन्तर उल्लघंन की और मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है । पत्र में शासन के समानान्तर परिषदीय सचिवालय घोषित किये जाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष रुपये 70 करोड़ से अधिक की हानि की भी बात कही गयी है ।

शासन द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का गठन 1 अप्रैल, 1959 को किया गया था । गठन के साथ ही शासन द्वारा किये जा रहे सभी कार्य परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये गये थे । इन कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु शासन में प्रचलित प्रथा के अनुरूप, परिषद् सचिवालय का गठन किया गया ।

परिषदीय सचिवालय के समस्त कर्मियों को वेतन, समयबद्ध वेतनमान, सचिवालय भत्ता, वाहन भत्ता आदि परिषद् स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जाते हैं ।

दिनांक 28-2-95 से परिषद् में नवीन पदों का सृजन एवं उन्हें भरा जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है ।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हाथरस (महामायानगर) से वांछित धनराशि वसूलने की मांग

41–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि व श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, आगरा ने अपने आदेश सं० 5896 दिनांक 25-5-97 द्वारा रु० 24,523.29 भू-राजस्व की भांति अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हाथरस (महामायानगर) से वसूल करने एवं इस राशि का भुगतान स्व० श्री दान सहाय की पत्नी मौहर श्रीदेवी को करने के आदेश, कलेक्टर, महामाया नगर को दिये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उक्त धनराशि की वसूली न करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उक्त धनराशि की वसूलयाबी कब क्क कर संबंधित व्यक्ति को भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

कोई नहीं । क्योंकि उप श्रमायुक्त आगरा के आदेश माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17-3-86 के अनुसार पारित नहीं हुये थे । परिषद् को दी गयी विधिक राय के अनुसार उप श्रमायुक्त के समक्ष आपत्तियां दाखिल की गयी जिसकी सुनवाई जुलाई माह में की जायेगी ।

प्रकरण न्यायाधीन है ।

42–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) व श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, आगरा ने अभिनिर्णय वाद सं० 137/83 एवं 257/83 में श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा पारित एवार्ड के अन्तर्गत अपने आदेश संख्या 11535 दिनांक 15-9-97 एवं आदेश सं० 11542 दिनांक 15-9-97 द्वारा क्रमशः रु० 85,473.46 एवं रु० 71,277.90 भू-राजस्व की भांति अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड हाथरस (महामाया नगर) से वसूल करने एवं इस राशि का भुगतान क्रमशः श्रीमती महादेवी पत्नी (स्व०) श्री हुकुम सिंह व श्री हरीमोहन पुत्र जमुना प्रसाद को करने के आदेश कलेक्टर, महामायानगर को दिये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उक्त धनराशि की वसूली न करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उक्त धनराशि की कब तक वसूलयाबी करके संबंधित व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह सही है कि उपश्रमायुक्त, आगरा द्वारा 15-9-97 को अभिनिर्णय वाद संख्या 137/83 एवं 257/83 में अपने आदेश संख्या 11535 दिनांक 15-9-97 एवं आदेश संख्या 11542 दिनांक 15-9-97 द्वारा क्रमशः रुपये 85,473.46 एवं रु० 71,277.90 भू राजस्व की वसूली हेतु आदेश जारी किए गये थे जो माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17-3-86 के प्रतिकूल होने के कारण पुनः उप श्रमायुक्त, आगरा के समक्ष आपत्तियां दाखिल कर दी हैं जिन पर उप श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई जुलाई माह में की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अधीन टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, अम्बेडकर नगर के अधीक्षण अभियन्ता पर घोटालों/भ्रष्टाचार के आरोप की मांग

43–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) व श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, अम्बेडकर नगर में तैनात श्री हरपत सिंह, अधीक्षण अभियंता द्वारा आय के स्रोतों से अधिक करोड़ों की सम्पत्ति इकट्ठा करने, अनेक घोटालों व भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कोई विजिलेंस जांच विद्युत परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं तथा अब तक जांच के क्या परिणाम आये हैं ?

44–क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को तत्कालीन प्रधान मंत्री के पत्र दिनांक 24-2-97 की प्रति सहित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मजदर संघ का पत्र सं० 2364/उ० प्र०वि०म०सं०/97 दिनांक 23-6-97 एवं पत्र सं० 107/उ०प्र०वि०म०सं०/टाता०श०प० दिनांक 29-7-97, जो उक्त अधिकारी द्वारा टाण्डा विद्युत परियोजना में आन लाइन कन्डेक्टर ट्यब क्लीनिंग सिस्टम की आपूर्ति में किये गये घोटालों की विजिलेंस जांच कराने के संबंध में है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

जी हां ।

परिषद् के सदस्य (उत्पादन) द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री लालचन्द मौर्या, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् देवरिया के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवरिया का पत्रांक-14/कैम्प 97-98 दिनांक 3 अप्रैल, 1997 जो श्री लालचन्द मौर्या, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, नबाबगंज (बाराबंकी) द्वारा नगरपालिका परिषद्, देवरिया के कार्यकाल के दौरान की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं अनौपचारिक शिक्षा में 10 लाख रुपये का घपला किये जाने के मामले के जांच कराने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

शिकायतों की जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से करायी जा रही है । जहां तक अनौपचारिक शिक्षा में 10.00 लाख रुपये के घपला किये जाने के मामले में जांच कराने का संबंध है । इस प्रकरण पर श्री मौर्या के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में रेगुलेराइजेशन से संबंधित कथित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

46–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उबैदुर्रहमान, वरिष्ठ सहायक, संचरण अनुभाग, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उ० प्र० सचिवालय का दिनांक 20 अप्रैल 1998 का पत्र मा० मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को दिनांक 21 मार्च, 1997 जोकि सचिवलाय सेवा में रेगुलेराइजेशन के संदर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

श्री उबैदुर्रहमान, वरिष्ठ सहायक संचरण निदेशक कार्यालय के पत्रों में सचिवालय संवर्ग में विनियमित कराकर सचिवालय सेवा/संवर्ग का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया था । प्रकरण सचिवालय प्रशासन विभाग को संदर्भित किया गया था । उक्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त श्री रहमान को सचिवालय संवर्ग में विनियमितीकरण (रेगुलेराइजेशन) का लाभ दिये जाने का आधार नहीं पाये जाने की सूचना दी गयी ।

मोहल्ला मायानगर, निरालानगर लखनऊ में शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक सड़क निर्माण की मांग

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला माया नगर, पोस्ट निराला नगर लखनऊ में शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक की सड़क निर्माण के लिए वर्ष 1992 के माह अप्रैल में

आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

उक्त मार्ग पर खड़न्जा व नाली का निर्माण कार्य सूडा सेल द्वारा करा दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के 25–30 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने के उपरान्त प्रोन्नति की मांग

48–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के 25–30 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने के उपरान्त भी पदोन्नति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु सेवा आदेश 1963 में कोई संशोधन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

नगर निगमों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ में लालगंज क्षेत्र के पल्हना विद्युत उपकेन्द्र में एस० एस० ओ० के अभाव में शिकायत

49–श्री नरेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज क्षेत्र के पल्हना विद्युत उपकेन्द्र को कितने एस० एस० ओ० द्वारा संचालित किया जा रहा है ? क्या एस० एस० ओ० के अभाव में उक्त विद्युत उपकेन्द्र की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उक्त उपकेन्द्र को दो एस० एस० ओ० द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

जी नहीं । उक्त विद्युत उपकेन्द्र की मशीनें काफी पुरानी तथा जर्जर हालत में हैं, जिनको बदलने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत उपकेन्द्र, पल्हना, लालगंज, आजमगढ़ की मशीनों के मशीनीकरण एवं विद्युत आपूर्ति के अभाव में विद्युत बिल माफ करने की मांग

50–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उपकेन्द्र पल्हना, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ की अति पुरानी तथा जर्जर मशीनों के कारण पिछले 5/6 महीने में विद्युत वितरण विशेष रूप

से जून, जुलाई, अगस्त, 1997 में पूर्णरूप से बाधित रही, जिससे उस उपकेन्द्र से जुड़े पचासों गांवों को बिजली नहीं मिली लेकिन उन्हें बिजली का बिल देना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार जून, जुलाई, अगस्त, 1997 के बिजली बिलों को माफ करते हुये पल्हना उपकेन्द्र के मशीनों का नवीनीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत उपकेन्द्र पल्हना की विद्युत आपूर्ति माह जून, जुलाई, अगस्त, 1997 में पूर्णरूप से बाधित नहीं रही, वरन् दो फेसों में दिनांक 2-7-97 से 28-7-97 तक 26 दिन बाधित रही बिजली का बिल परिषद् के नियमानुसार देय है ।

बिजली का बिल परिषद् के नियमानुसार माफ नहीं किया जा सकता है ।

पल्हना उपकेन्द्र के नवीनीकरण हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

कार्य अगस्त, 1998 में पूर्ण होना संभावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बीबीपुर को अम्बेडकर गांव घोषित करने के उपरान्त अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण करने की मांग

51–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तरबा में ग्राम बीबीपुर को 1995-96 में अम्बेडकर गांव घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण कार्य किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

ग्राम बीबीपुर, खण्ड विकास, तरबा वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम चयनित नहीं था । इस ग्राम को 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया ।

इस ग्राम की अनुसूचित जाति की बस्ती में आंशिक रूप से विद्युतीकरण हो गया है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण अंचल के जले ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने की मांग

52–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण अंचल के जले ट्रांसफार्मरों के बदलने में कितने दिन लगते हैं ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ग्रामीण अंचल के जले ट्रांसफार्मरों को बदलने में सात दिन से अधिक का समय न लगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदलने में सामान्यतः एक सप्ताह से दो सप्ताह का समय लगता है ।

परिषद् के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने के कारण ट्रांसफार्मर बदलने में कभी-कभी सात दिन से ज्यादा समय लग जाता है । तथापि परिषद् क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को 3 दिन में बदलने के लिये प्रयासरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगर निगम को वित्तीय वर्ष 1995-96 से अब तक राज्य सरकार द्वारा दी अनुदान एवं कृत कार्यों के विवरण की जानकारी

53–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1995 से अब तक किन वर्षों में किस मद में राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान वाराणसी नगर निगम को दिया गया है ? उक्त धनराशि से कौन से कार्य कराये गये ? क्या नियत मद के विपरीत भी कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम वाराणसी को वित्तीय वर्ष 1995-96 से अब तक निम्नलिखित मदों में उल्लिखित धनराशि अनुदान के रूप में दी गई है :–

	वर्ष (रुपये लाख में)			
मद का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
सड़क अनुदान	124.10	100.00	227.00	—
मार्ग प्रकाश	52.00	—	5.00	25.00
सफाई उपकरण	50.00	32.32	98.525	—
गंगा घाट के सुधार हेतु	42.00	—	—	—
जल निकासी	20.00	20.00	50.00	—
सीवर सफाई	10.00	—	—	—
घाटों की सफाई	10.00	—	—	—
स्कूलों की मरम्मत	10.00	—	—	—
संक्रमक रोग चिकित्सालय	—	5.00	—	—
डेगू बुखार की रोकथाम	—	10.00	—	—

कराये गये कार्यों को सूची† विस्तृत होने कारण विधान सभा के पटल कार्यालय पर देखी जा सकती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

54–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज मवाधार व सिसोगी इण्टर विज्ञान की मान्यता का प्रकरण एवं निस्तारण करने के संबंध में जानकारी

55–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज मवाधार व राजकीय इण्टर कालेज सिसोगी की इण्टर विज्ञान की मान्यता के प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त दोनों लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां।

† छापी नहीं गयी।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

आर्य कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार को इण्टर विज्ञान की मान्यता के लम्बित प्रकरण के निस्तारण करने की मांग

56–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार का इण्टर विज्ञान की मान्यता का प्रकरण कितने समय से शासन स्तर पर लम्बित है ? प्रश्नगत मान्यता प्रकरण लम्बित रहने का क्या कारण है व इसके लिये दोषी कौन है ? क्या शिक्षा सत्र 1998-99 के लिये आर्य कन्या इण्टर कालेज कोटद्वार को इण्टर विज्ञान की मान्यता प्राप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

शासन द्वारा आर्य कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार को इण्टर विज्ञान की मान्यता शासनादेश दिनांक 19-3-98 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पब्लिक इण्टर कालेज सुरखेत धरासूद्ध पौड़ी गढ़वाल की हाई स्कूल स्तर पर अतिरिक्त विषयों की मान्यता प्राप्त करने की जानकारी

57–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इण्टर कालेज सुरखेत धरासूद्ध पौड़ी गढ़वाल की हाई स्कूल स्तर पर अतिरिक्त विषयों की मान्यता का प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो मान्यता कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि से आवंटित धनराशि के वितरण में अनियमितता की शिकायत

58–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1997-98 में जनपद बांदा को कुल कितने रुपये बुन्देलखण्ड, संतुलित विकास निधि से प्रदान किये गये हैं ? क्या उक्त धनराशि विधान सभावार बराबर-बराबर वितरित की गयी है ? क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक व अन्य अधिकारियों ने विधायकों की बगैर सहमति से बुन्देलखण्ड विकास निधि से धन का वितरण कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वर्ष 1997-98 में जनपद बांदा को बुन्देलखण्ड विकास निधि से रुपये 185.473 लाख आवंटित किये गये हैं।

जनपद स्तर पर मा० जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श हेतु दिनांक 19-10-97 को आहूत बैठक में मा० सदस्यगण विधान सभा एवं मा० सदस्यगण विधान परिषद् की सहमति से विद्युत समस्या के निदान

हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए रु० 46.00 लाख मात्राकृत किये गये हैं तथा शेष धनराशि विधान सभा क्षेत्रों में बराबर-बराबर स्वीकृति की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि योजनाएं सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से ली गयी हैं।

जनपद मैनपुरी के नि० क्षेत्र भोगांव में बिजली की आपूर्ति न होने के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में वांछित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

59–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में बिजली की आपूर्ति न होने के कारण फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के विद्युत उपकेन्द्र से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति एक सप्ताह से बिल्कुल बन्द है ? यदि हां, तो उसका दोषी कौन है ? क्या वांछित विद्युत आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पम्प लगाये जाने का अनुरोध एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक प्रकोष्ठ के प्रश्नकर्ता के पत्र को पत्रांक सी० एम० वि० को० 318-41 दिनांक 29-9-97 प्रमुख सचिव, नगर विकास को 150 नग इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पम्प विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, भोगांव, जनपद मैनपुरी में लगवाने हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

मा० विधायक का एक अन्य पत्र दिनांक 24-9-97 मुख्य मंत्री कार्यालय विधायक कोष्ठक के पत्रांक–सी० एम० वि० को०/एम० सी० 80-40 मैनपुरी/97 दिनांक 26-9-97 प्राप्त हुआ है।

मा० विधायक महोदय के पत्र दिनांक 24-9-97 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में 150 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने का अनुरोध किया गया था।

वर्ष 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निराकरण हेतु 299 हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि त्वरित राहत पेयजल योजना में स्वीकृत धन के दुरुपयोग में शिकायत की टी० ए० सी० से जांच की मांग

61–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर-गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि योजना में वर्ष 1993 से 1997 तक त्वरित राहत पेयजल योजना में शासन द्वारा कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा जल निगम, गोण्डा द्वारा निर्माण कार्य मानक के अनुसार पूरा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायती-पत्र दि० 26-1-96 को परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार टी० ए० सी० जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा के लिए पेयजल योजना हेतु वर्ष 1993-94 में रु० 5.00 लाख, वर्ष 1994-95 में रु० 6.512 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रु० 3.228 लाख कुल रु० 14.74 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा जल निगम, गोण्डा द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है, समस्त कार्य अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, गोण्डा एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक जल निगम, फैजाबाद द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अनियमितताओं के संबंध में दिया गया पत्र दिनांक 26-1-96 परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की सूचना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा को बिना समिति के अनुमोदन के, धनराशि के आहरण/व्यय विषयक शासन् द्वारा निर्धारित अधिकार की जानकारी

62–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत, मनकापुर, जनपद गोण्डा के अध्यक्ष को बिना समिति के अनुमोदन के कितनी धनराशि आहरण/व्यय करने का अधिकार शासन ने निर्धारित किया है ? उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि अध्यक्ष द्वारा अपने अधिकार से अधिक धनराशि का आहरण व्यय बिना समिति अनुमोदन के भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर अध्यक्ष के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शासन द्वारा धन आहरण एवं वितरण का कोई अधिकार अध्यक्ष को नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा को समिति द्वारा दो लाख रुपये व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा इलाहाबाद बैंक मनकापुर में नगर पंचायत का खाता न खोलकर व्यक्तिगत अपने नाम से खाता खोलने के संबंध में जांच एवं कानूनी कार्यवाही की मांग

63–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष द्वारा इलाहाबाद बैंक मनकापुर में नगर पंचायत का खाता न खोल कर व्यक्तिगत अपने नाम से खाता खोला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा कर अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पंचायत मनकापुर का खाता इलाहाबाद बैंक मनकापुर में अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के संयुक्त नाम से है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत मनकापुर गोण्डा में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के नाम पर धन के दुरुपयोग की जांच एवं कार्यवाही की मांग

64–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा में नवम्बर, 1995 से नवम्बर, 1997 तक कितनी धनराशि विद्युत प्रकाश व्यवस्था पर माहवार किन-किन विद्युत दोषों में व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य कागजों में दिखाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत मनकापुर, गोण्डा में नवम्बर, 1995 से नवम्बर, 1997 तक विद्युत प्रकाश व्यवस्था पर माहवार किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

1–नवम्बर, 95	कोई व्यय नहीं है ।	
2–दिसम्बर, 95	कोई व्यय नहीं है ।	
3–जनवरी, 96	चोक, बल्ब व राड पर व्यय–	5,559.00
4–फरवरी, 96	कोई व्यय नहीं है ।	
5–मार्च, 96		16,850.00
6–अप्रैल, 96	कोई व्यय नहीं है ।	
7–मई, 96	कोई व्यय नहीं है ।	
8–जून, 96	बल्ब सोडियम, स्वीच, राड, बल्ब	4,060.00
9–जुलाई, 96	बल्ब आदि	3,070.00
10–अगस्त, 96	कोई व्यय नहीं है ।	
11–सितम्बर, 96	कोई व्यय नहीं है ।	

12–अक्टूबर, 96	राड, तार आदि	5,598.00
13–नवम्बर, 96	बल्ब, तार	4,002.00
14–दिसम्बर, 96	राड आदि	2,310.00
15–जनवरी, 97	बल्ब, मेन स्वीच	8,630.00
16–फरवरी, 97	रोडसेट, तार	1,942.00
17–मार्च, 97	कोई व्यय नहीं है।	
18–अप्रैल, 97	कोई व्यय नहीं है।	
19–मई, 97	कोई व्यय नहीं है।	
20–जून, 97	कोई व्यय नहीं है।	
21–जुलाई, 97	राडसेट, तार	4,476.00
22–अगस्त, 97	राड, तार, पट्टी बल्ब आदि	8,171.00
23–सितम्बर, 97	राड आदि	2,010.00
24–अक्टूबर, 97	कोई व्यय नहीं है।	
25–नवम्बर, 97	कोई व्यय नहीं है।	
योग	...	66,678.00

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में क्रय अनुबन्धों में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की मांग

65–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारेषण डिजाइन, तापीय उत्पादन डिजाइन एवं सामग्री क्रय डिजाइन में अधीक्षण अभियन्ता पदों पर तैनाती की अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित की गई है ? निर्धारित अधिकतम समय सीमा से अधिक समय से उक्त संगठन में कितने अधिकारी तैनात हैं ? उनके नाम क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन संगठनों के विभिन्न पदों पर रहते हुये सबसे अधिक समय से तैनात अधिकारी द्वारा कितने मूल्य के क्रय अनुबन्ध किये गये हैं ? क्या क्रय अनुबन्धों में व्याप्त वित्तीय अनियमितता की जांच शासन द्वारा गठित विशेष जांच सम्प्रेक्षा दल द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इन इकाइयों में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनाती की अधिकतम सीमा स्थानान्तरण नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्यतः 3 वर्ष है। परन्तु अधीक्षण अभियन्ताओं की तैनाती उनकी प्रबन्ध, तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता अनुभव आदि के आधार पर आवश्यकतानुसार किये जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को परिषदीय कार्यहित में प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से नीति से हटकर स्थानान्तरण करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

समय सीमा 03 (तीन) वर्ष से अधिक 04 (चार) अधीक्षण अभियन्ता तैनात हैं, जिनके नाम निम्नवत् हैं :-

1-श्री वी० के० ओझा, 2-श्री पी० पी० रस्तोगी, 3-विजय प्रकाश, 4-श्री ए० के० खन्ना ।

सबसे लम्बे समय से कार्यरत अधिकारियों द्वारा अनुबन्धित क्रय अनुबन्ध निम्न मूल्य के किये गये हैं :-

1-श्री सतीश कुमार, जो पारेषण परिकल्पना संगठन में दिनांक 18-3-96 से तैनात हैं, द्वारा दिनांक 20-1-98 तक रुपये 15.75 करोड़ के क्रय अनुबन्ध किये गये ।

2-श्री पी० पी० रस्तोगी 400 के०वी० पारेषण परिकल्पन मण्डल, लखनऊ द्वारा रुपये 369.59 करोड़ + 3418 मिलियन येन के क्रय अनुबन्ध किये गये ।

3-श्री वी० के० अग्रवाल, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल द्वितीय जो 19-6-96 से तैनात हैं द्वारा रुपये 146.66 करोड़ के क्रय अनुबन्ध किये गये ।

4-श्री ए० के० खन्ना, तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण द्वारा रु० 30.277 करोड़ के कार्य के अनुबन्ध किये गये ।

अनुबन्धों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता संज्ञान में नहीं है । अगर अनियमितातायें संज्ञान में आती हैं तो उनकी नियमानुसार जांच की जायेगी ।

66-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 42 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बागपत के बिनौली ब्लाक में 33 के० वी० के दो नये विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण कराने की जानकारी की मांग

67-श्री समरपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जनपद के बिनौली ब्लाक में 33 के० वी० के दो नये विद्युत उप केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उपरोक्त विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में ओवर लोड ट्रांसफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग

68-श्री समरपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं तथा कितने ट्रांसफार्मर ओवर लोड हैं ? क्या सरकार ओवर लोड ट्रांसफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद बागपत में 11/0.4 के० वी० के 25 से 100 के० वी० ए० क्षमता तक के 22 परिवर्तक दिनांक 15-6-98 को खराब थे। 11/0.4 के० वी० के 103 परिवर्तक ओवर लोड हैं। ओवर लोड परिवर्तकों को समुचित क्षमता के परिवर्तक से बदलने हेतु कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति एवं संसाधनों की अनुलब्धता के कारण परिवर्तकों को लगवाने में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है परन्तु आवश्यकतानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जाती है।

बागपत जनपद के बिनौली ब्लाक में बिजली की क्षतिग्रस्त लाइन के तारों को बदलने के संबंध में योजना की जानकारी

69–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जनपद के बिनौली ब्लाक में बिजली की क्षतिग्रस्त लाइन के तारों को बदलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जनपद बागपत की जिला योजना में वित्तीय स्वीकृति हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

वर्ष 1997-98 में बिनौली ब्लाक के लगभग 60.00 किलोमीटर तार बदल दिये गये थे। वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जनपद वाराणसी में भेलूपुर हाउसिंग एकोमोडेशन एरिया के ब्लाक नं० ए जोन–3 के प्लाट नं० 165 से सटी सड़क भूमि को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने का आरोप

70–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में भेलूपुर हाउसिंग एकोमोडेशन एरिया ब्लाक नं०–ए जोन–3 के प्लाट नं० 165 के दक्षिण 110 फीट सड़क निर्धारित की गयी है ? क्या उक्त प्लाट नं० 165 से सटी भूमि जो सड़क का हिस्सा है, को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किसी को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितनी, किसको और आवंटन का आधार क्या है ? क्या इसके लिये निविदा आमंत्रित की गयी या नीलामी हुई ? क्या आवंटित भूमि के नीचे सीवर लाइन गई हुई है ? क्या प्रश्नगत सरकारी सड़क को अवैध रूप से बेचे जाने की श्रीमती सावित्री देवी का शिकायती स्पीड पोस्ट प्रार्थना-पत्र संख्या 159 दिनांक 3-7-95 तथा फैक्स पत्र संख्या 246805 दिनांक 13-7-95 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-8-95 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

योजना के ले-आउट प्लान में प्लाट नं० 165 के दक्षिण 100 फीट सड़क निर्धारित है ।

जी नहीं । प्रश्नगत भूमि सड़क का हिस्सा नहीं है, वरन् प्राधिकरण की बची हुई 2496 वर्गफीट भूमि थी, जिसे श्री सत्य प्रकाश सोनकर को आवंटित किया गया है । यह आवंटन शासन के निर्देशों के परिपेक्ष्य में 1995 में किया गया था ।

जी नहीं ।

जी हां ।

आवंटित भूमि के नीचे 9 इंच डाया की सीवर लाइन गयी हुई है ।

श्रीमती सावित्री देवी का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-7-95 तथा फैक्स पत्र दिनांक 13-7-95 प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-8-95 मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से आवास विभाग में प्राप्त हुआ था । किये गये आवंटन के औचित्य तथा वांछनीयता के प्रश्न पर जांच के आदेश दिये गये हैं । यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान कराने की मांग

71–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के अन्तर्गत जून, 1992 में कुल कितने लिपिकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये ? उनके नाम, पदनाम क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ग्रेच्युटी एवं पेंशन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पेंशन एवं ग्रेच्युटी को रोकने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जून, 1992 में एक लिपिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है ।

सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम श्री अनिरुद्ध दुबे एवं पदनाम वरिष्ठ लिपिक है ।

जी नहीं ।

स्टोर विभाग में लोहा व सीमेन्ट क्रय का समायोजन न हो सकने के कारण श्री दुबे की ग्रेच्युटी का 25 प्रतिशत व पेंशन का 25 प्रतिशत रोक कर शेष का भुगतान किया गया है ।

चूंकि श्री दुबे का आंशिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी उनकी स्वयं की गलती एवं लापरवाही के कारण रुका है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में नगर विकास परिषद् द्वारा निर्बल आय वर्ग के नागरिकों को आवासीय योजना में आवास उपलब्ध कराने की जानकारी

72–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या आवास एवं विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर विकास परिषद् द्वारा निर्बल आय वाले नागरिकों के लिये कोई आवासीय योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो प्रति निर्बल आय धारकों द्वारा

कितना धन व्यय करने पर आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्वच्छता के दृष्टिकोण से शुष्क पड़े शौचालयों को जल प्रभावित शौचालय में परिवर्तन हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रतिदिन के आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत असहाय व्यक्तियों के आवास आवंटित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-98, जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा राज्य के कतिपय नगरों में निर्बल आय वर्ग हेतु आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत 5, 10 तथा 15 रुपये प्रतिदिन की दर से आवास उपलब्ध कराने की योजना प्रचलित है ।

राज्य नागर विकास अभिकरण उ० प्र०, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वच्छकार विमुक्ति योजना संचालित कर रहा है । इस योजना में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन तथा शौचालय रहित भवनों में जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण किया जाता है । इस योजना में नगरों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । वर्तमान में प्रदेश के 69 नगरों में यह योजना संचालित है ।

मुख्य मंत्री जी को संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-4-98 पर नियमानुसार भवन आवंटित करने हेतु निर्देश उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिये गये हैं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर के विद्युतीकरण में भयंकर घोटाले के संबंध में प्रेषित मा० विधायक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

73–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ स्थल, कुशीनगर के विद्युतीकरण में भयंकर घोटाला किया गया है ? क्या इस संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 5-4-94, जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या इसकी भरपाई दोषी के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ? विदेशी अनुदानों को रोके जाने हेतु परिषद् क्या उपाय कर रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर द्वारा की गयी थी ।

आरोप सही न पाये जाने के कारण भरपाई का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी अनुदानों को रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता कार्य मण्डल, गोरखपुर द्वारा किये गये धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

74–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता कार्य मण्डल, गोरखपुर द्वारा किये गये धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार संबंधी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 19-4-94, जो कि मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं श्री ए० के० वरिष्ठ, सदस्य (वितरण) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या परिषद् को हुई क्षति की भरपाई अधिकारियों के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में निम्न बिन्दुओं को उठाया गया था :–

1–आवश्यकता से अधिक विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण ।

2–घटिया टाइप के स्विच गेयरों की खरीददारी ।

3–33 के० वी० उप केन्द्र जनपद आजमगढ़ का निर्माण कार्य अधूरा ।

4–उप केन्द्रों के निर्माण हेतु जमीन खरीद में घोटाला ।

5–33 के० वी० उप केन्द्रों हेतु भूमि के चयन में लापरवाही ।

6–खम्बों की बुनियाद व खम्बों के निर्माण में कमी ।

7–33 के० वी० उप केन्द्रों व लाइनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अत्यन्त घटिया ।

8–33 के० वी० उप केन्द्रों के निर्माण में वास्तविक लागत से अत्यधिक व्यय ।

उक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर से कराई गई तथा जांचोपरान्त कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता कार्य मण्डल, गोरखपुर पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के आरोप विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

75–श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर) तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में माहवार लाइन लासेज क्या रहा ? इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये ? क्या लखनऊ जोन, लखनऊ के मुख्य अभियन्ता द्वारा वसूली के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने संबंधी श्री शैलेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 6-3-98, जो अध्यक्ष/सदस्य (वितरण) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में लाइन हानि की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वर्ष	प्रतिशत हानि
1	1995-96	22.79
2	1996-97	24.58
3	1997-98	23.00 (लक्ष्य)

वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में माहवार लाइन हानि का आंकलन संलग्नक 1, 2 एवं 3 पर दर्शाया गया है।

धनाभाव के कारण तकनीकी लाइन हानि कम करने में बाधा है।

परन्तु उ० प्र० रा० वि० परि० में विद्युत चोरी रोकने के लिये विविध उपाय संलग्न† –4 में दर्शाया गया है।

जी हां।

इस पर छानबीन की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोताओं के उत्पीड़न करने सम्बन्धी मा० विधायक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के उत्पीड़न समाप्त करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 6-3-1998 जो कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम गोरखपुर एवं मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) गोरखपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के स्टोरों की संख्या एवं उन पर नगर निगम के कर्मचारियों के अवैध कब्जे को हटाकर उचित प्रयोग करने की मांग

77–श्री अजय कुमार पोंइया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम लखनऊ में कितने स्टोर हैं ? उन स्टोरों में से कितने स्टोरो में नगर निगम के कर्मचारियों को अवैध कब्जा है ? क्या सरकार उन्हें खाली करा कर उनका उचित प्रयोग करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया।

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ में पन्द्रह स्टोर हैं।

नगर निगम, लखनऊ के दो स्टोरों के कुछ भाग में नगर निगम के कर्मचारी रह रहे हैं।

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त कर्मचारियों से स्टोर के कब्जे के भाग को खाली कराये जाने के निर्देश दे दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौतियों में हुए घोटाले के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

78–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ में कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौतियों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में आर्थिक अपराध सेल द्वारा जांच की गयी है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियो तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहल्ला माया नगर पोस्ट निराला नगर में बिजली के पुराने जर्जर तारों को बदलने एवं तीन फेज लाइन करने के आदेशों का अनुपालन कराने की जानकारी

79–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला माया नगर (शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक) पोस्ट निराला नगर लखनऊ में बिजली के पुराने जर्जर तारों को बदलने एवं तीन फेज लाइन करने के आदेश सन् 1992 में दिये गये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों का अनुपालन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की जिला योजना का वर्ष 1997-98 के प्रस्तावित बजट के कार्यों में उत्तरांचल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतने का आरोप एवं कार्यवाही की जानकारी

80–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की जिला योजना का वर्ष 1997-98 का लोक निर्माण विभाग का प्रस्तावित बजट के कार्यों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत हो गयी हैं ? क्या उत्तरांचल विकास विभाग की उदासीनता के कारण 1997-98 की जिला योजना के

अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित कार्य अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हुए हैं जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो विकास कार्यों को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी उत्तरांचल विकास के अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जनपद पौड़ी के जिला सेक्टर के चालू कार्यों हेतु रु० 390.27 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, परन्तु जिला योजना के नये कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हो सकी ।

जी नहीं, सक्षम स्तर से नये कार्यों के प्रस्ताव/आगणन प्राप्त न होने के कारण ।

जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 190 द्वारा उत्तरित]

नगर निगम वाराणसी के पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों की भांति समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन कर महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग

82–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नगर निगम वाराणसी के पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे लाभार्थियों को इस भीषण महंगाई में घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, वाराणसी के पेंशनर्स को राज्य कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता आदि दिये जाने हेतु नगर निगम, वाराणसी के पेंशन नियमों में संशोधन कराकर महंगाई भत्ता के निर्धारण की कार्यवाही करते हुए भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की विद्युत खण्ड में दैनिक वेतन पर कार्यरत सिविल अवर अभियन्ताओं को नियमित करने की योजना

83–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की विद्युत खण्ड में सिविल अवर अभियन्ता कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वे पूर्ण वेतन पा रहे हैं ? क्या दैनिक वेतन के अवर अभियन्ता (प्राधिकरण में कार्यरत) को नियमित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विद्युत खण्ड अलग से शासन द्वारा सृजित नहीं है । कतिपय विकास प्राधिकरणों में विद्युत एवं यांत्रिक अवर अभियन्ताओं की तैनाती कार्य को देखते हुए की गयी है ।

जिन विकास प्राधिकरणों में विद्युत/यांत्रिक के अवर अभियंता तैनात नहीं हैं वहां पर विद्युत का कार्य सिविल अवर अभियंताओं द्वारा ही देखा जाता है ।

जी हां।

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित करने के उद्देश्य से चयनोपरान्त 149 अवर अभियन्ताओं की सूची दिनांक 22 जुलाई, 1997 को जारी की गयी थी, परन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाने एवं मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा दाखिल विशेष अपील के निस्तारण तक इस प्रसंग में अग्रेत्तर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। दैनिक वेतन पर कार्यरत शेष अवर अभियंता के विनियमितीकरण के संबंध में भी किसी प्रकार की कार्यवाही मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही सम्भव है।

जनपद गोण्डा के नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

84–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद गोण्डा के नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध जांच के संबंध में एक शिकायती-पत्र संख्या–एम०-4/30-48/गोण्डा/97, दिनांक 14-8-97 पर प्रमुख सचिव, नगर विकास को जांच एवं कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर के विरुद्ध शिकायत की जांच करायी गयी। जांच में अध्यक्ष आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के कारण उन्हें भविष्य में सतर्क रहने और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्य करने के लिए सचेत कर दिया गया है।

अध्यक्ष, नगर पंचायत मनकापुर गोण्डा पर निजी खाता खोलकर स्वीकृत धनराशि आहरित करने विषयक जांच एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

85–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत मनकापुर जनपद गोण्डा को शासन द्वारा वित्तीय सहायता वर्ष 1995 से 1997 तक किन-किन मदों में दी गयी है ? क्या उक्त स्वीकृत धनराशि नगर पंचायत के खाते में जमा की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या शासन को यह जानकारी है कि नगर पंचायत मनकापुर को दी गयी धनराशि के आहरण/वितरण का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत एवं सचिव, नगर पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाता संचालन के लिए अधिकृत है ? क्या नगर पंचायत मनकापुर का खाता अध्यक्ष द्वारा अपने व्यक्तिगत नाम से खोला गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवा कर अध्यक्ष के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पंचायत मनकापुर को वर्ष 1995 से 1997 तक निम्न विवरण अनुसार वित्तीय सहायता दी गई :–

पद का नाम (अनुदान)	वर्ष		
	1995	1996	1997
सड़क	—	5,00,000	3,00,000
बाढ़ अतिवृष्टि	1,00,000	—	—
मार्ग प्रकाश एवं सफाई उपकरण ।	24,000	—	2,00,000
दशम् वित्त आयोग की संस्तुत धनराशि ।	—	61,750	61,750
बकाया वेतन	57,547	1,78,682	35,042
पथकर	53,120	79,680	—

उक्त धनराशि नगर पंचायत मनकापुर, जनपद गोण्डा के पी० एल० ए० खाते में जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से जमा कराई गई है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बंसल ब्रिक फील्ड सुगामऊ, गाजीपुर, लखनऊ पर घटिया किस्म का ईंट निर्माण करने संबंधी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

86–श्री रामनाथ –

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधान परिषद् सदस्य श्री अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी का पत्र दिनांक 2-4-98 जो ग्राम सुगामऊ, थाना गाजीपुर, जिला लखनऊ के बंसल ब्रिक कम्पनी के भट्ठा मालिक सुरेन्द्र अग्रवाल से बन्धुवा मजदूर छुड़ाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मजदूरों को बन्धक से छुड़वाने तथा घटिया किस्म के ईंट निर्माता बंसल ब्रिक फील्ड की ईंटों के इस्तेमाल पर रोक लगायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जांच करने पर कोई बन्धुआ श्रमिक नहीं मिला । अतः उनको बंधक से छुड़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के उरई में स्थित माहिल तालाब की खुदाई एवं सौन्दर्यीकरण में हुए घपले के आरोप की जांच की मांग

87–श्री श्रीराम पाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित माहिल तालाब की खुदाई सफाई तथा सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 1991 में धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि से मानव दिवस सृजित करके मजदूरों द्वारा कार्य कराया जाना था ? यदि हां, तो क्या ट्रैक्टरों से आई० ई० एस० उरई द्वारा कार्य कराने पर जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या है ? क्या जांच कार्य पूर्ण हुए बिना उक्त कार्य हेतु पुनः धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित माहिल तालाब की खुदाई, सफाई एवं सौंदर्यीकरण हेतु वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 1993-94 में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जालौन स्थान उरई को धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी ।

जी हां ।

जी हां । इस प्रकरण में कार्य की जांच व मस्टररोल के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर प्राविधिक समिति का गठन किया गया था । अभी इस संबंध में प्राविधिक समिति की स्पष्ट आख्या प्राप्त नहीं हुई है । जी नहीं । जांच कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् उक्त कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में कतिपय ग्रामों में विद्युत उपकेन्द्र स्थापना हेतु आहरित धन एवं निर्माण में विलम्ब का आरोप

88–श्री श्रीराम पाल–

क्या उर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के ग्राम बावई, सिरसाकलार तथा ग्राम अफवरपुर इटौरा में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत 33 के० वी० ए० के विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो विद्युत विभाग को धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ न कराने के कारण क्या हैं ? क्या कार्य प्रारम्भ न करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

1–परिषद् को केवल दो उपकेन्द्रों यथा ग्राम सिरसाकलार तथा ग्राम बावई में उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु धन प्राप्त हुआ ।

2–ग्राम सिरसाकलार पर कार्य प्रगति पर है ।

3–ग्राम बावई में उपकेन्द्र का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही भूमि में विवाद उत्पन्न होने के कारण मुंसिफ मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्य न करने के स्थगन आदेश दे दिये जाने के कारण कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

4–ग्राम अकबरपुर-इटौरा में उपकेन्द्र के निर्माण हेतु वांछित धनराशि बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्राप्त हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

जनपद जालौन के योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण कराने की मांग

89–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्मित सिंचाई नलकूपों का ऊर्जीकरण हेतु विभाग को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त वर्षों में निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में जनपद जालौन में 9 राजकीय नलकूपों हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

सात राजकीय नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। शेष दो राजकीय नलकूपों को दि० 30-6-98 तक कार्य पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद लखनऊ में अवैध निर्माण को रोकने विषयक शिकायती-पत्र

90–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में अवैध निर्माण को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 1-2-97 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की टाण्डा तापीय परियोजना अम्बेडकर नगर में कथित घोटाले के आरोप की भरपाई की मांग

91–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा की तापीय परियोजना अम्बेडकर नगर में रुपये 90 लाख का घोटाले एवं अधीक्षण अभियन्ता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, प्रथम द्वारा नियमों के विपरीत कार्य कराने विषयक श्री मानवेन्द्र सिंह का पत्र क्रमशः दिनांक 23-2-96 एवं 18-5-96 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? परिषद् को हुई हानि की भरपाई कैसे की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषद् में श्री मानवेन्द्र सिंह का एक पत्र दिनांक 23-2-96 प्राप्त हुआ।

महानिदेशक, इक्वेटर, लखनऊ से जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त पत्र में लगाये गये आरोप निराधार है । वर्ष 1988 से 1995 तक लगभग 321.25 लाख रुपये विलम्ब शुल्क रेलवे ने निर्धारित किया, जिसमें से रेलवे ने 225.94 लाख रुपये माफ कर दिया । शेष विलम्ब शुल्क 95.32 लाख रुपये के लिए टाण्डा परियोजना ने रेलवे हेड आफिस, दिल्ली से माफ करने के लिए अपील कर दी है जिसे माफ कराने के लिए महाप्रबन्धक, टाण्डा परियोजना के स्तर से प्रयास जारी हैं । तथापि, परिषदीय हित में लगभग 96.17 लाख रुपये टाण्डा परियोजना ने विभिन्न ठेकेदारों से कटौती कर ली है । इस प्रकार परिषद् को कोई हानि नहीं हुई ।

92–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

93–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नगर पंचायत बेवर जनपद मैनपुरी में नगर पंचायत के सदस्यों के कथित इस्तीफे की जानकारी

94–श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान कार्यकाल में नगर पंचायत बेवर जनपद मैनपुरी में कितने नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दिया गया ? वह कौन-कौन सदस्य हैं और उनका इस्तीफा क्यों स्वीकृत नहीं किया गया ? क्या यह सच है कि जिलाधिकारी मैनपुरी ने विगत जनवरी, 1997 में त्याग-पत्र स्वीकृत करने की संस्तुति शासन को भेजी थी ? यदि हां, तो शासन स्तर पर उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्तमान कार्यकाल में नगर पंचायत, बेवर, जनपद मैनपुरी के सात नगर पंचायत सदस्यों ने त्याग-पत्र दिया है ।

उक्त सदस्य सर्वश्री गिरीश चन्द्र, केशव कुमार, बिजेन्द्र सिंह, ज्योति प्रकाश, श्रीमती सावित्री देवी, श्री अल्लारखी, श्रीमती सुमन वर्मा के त्याग-पत्र सामूहिक रूप से व अलग-अलग जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के पत्र संख्या–1011/टी०ए०सी०, दिनांक 03 फरवरी, 1997 के साथ प्राप्त हुआ, कतिपय सदस्यों के त्याग-पत्र फर्जी होने की शिकायत प्राप्त होने के कारण, जिलाधिकारी से आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

आवास विकास परिषद्, लखनऊ की राजाजीपुरम् योजनान्तर्गत हाईटेन्शन लाइन से निर्धारित दूरी पर भवन/भूखण्ड बनाये जाने की मांग

95–श्री राम कृपाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आवास विकास परिषद् द्वारा संचालित राजाजीपुरम् योजना अन्तर्गत सेक्टर–10 व 13 के बीच से निकलने वाली हाईटेन्शन लाइन के तारों की दूरी से कितने फुट जगह छोड़कर मकान/भूखण्ड देने/बनाने का प्राविधान है ? सेक्टर–10 के सी–3999 से 3959 के सामने से निकलने वाली हाईटेन्शन लाइन से कितनी दूरी छोड़ी गयी है ? क्या उसी के अनुरूप सेक्टर–10 में बनाये गये एस० एफ० एस० के भवनों व भूखण्ड संख्या–10/4018 से 10/4025 के सामने से निकली हाईटेन्शन लाइन से नियमानुसार दूरी छोड़कर भवन/भूखण्ड दिये/बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? हाईटेन्शन लाइन के तारों की सिधाई से कितनी दूरी छोड़ी गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सेक्टर–10 व 13 के मध्य से गुजर रही हाईटेन्शन लाईन 132 के० वी० की है भारतीय विद्युत नियमावली 1956 की धारा–80 में दी गयी व्यवस्थानुसार भवन की क्षैतिजिक दूरी 9.5 फिट एवं ऊर्ध्वाकार दूरी 15 फिट रखे जाने का प्राविधान है।

सेक्टर–10 के सी–3999 से 3959 के सामने से निकलने वाली हाईटेन्शन लाइन से 20 फिट की दूरी फ्रंट सेट बैंक को जोड़ते हुए छोड़ी गयी है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर पंचायत मनकापुर जनपद गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

96–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अर्धशासकीय पत्र संख्या–808, दिनांक 9-1-98/नगर विकास अनुभाग–1, दिनांक 20-3-98 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत मनकापुर जनपद गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच पूरी हुई ? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी, हां।

जांच में अध्यक्ष नगर पंचायत मनकापुर को आंशिक रुप से दोषी पाये जाने के कारण भविष्य में सतर्क रहने तथा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्य करने के लिये उन्हें सचेत कर दिया गया।

जनपद बलरामपुर में धान क्रय केन्द्र खोलने की मांग

97–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में जनपद बलरामपुर में धान क्रय केन्द्र खोलने का आदेश दिया गया था किन्तु इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और किसानों का शोषण व्यापारियों द्वारा किया गया ? यदि हां, तो सरकार उन क्रय एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार जनपद बलरामपुर के विकास खण्डों में धान क्रय केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में जनपद बलरामपुर में धान क्रय केन्द्र खोलने का आदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में वर्ष 1996-97 में कुल 14 धान क्रय केन्द्र तथा वर्ष 1997-98 में कुल 11 धान क्रय केन्द्र खोले गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के प्रत्येक विकास खण्ड में धान क्रय केन्द्र खोले गये।

उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसु, लखनऊ के उपभोक्ताओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

98–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसु, लखनऊ के उपभोक्ताओं का उत्पीड़न तत्काल बन्द करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक

17-11-97 एवं 30-3-98 जोकि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० परि० को संबोधित था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी, हां ।

मा० विधायक महोदय ने कनेक्शन संख्या आर० वाई०–6/914 एवं इ०डीडी/2112/046468 के सन्दर्भ में फर्जी बिल भेजकर अवैधानिक उगाही एवं गलत तरीके से बकाया अधिभार की वसूली की शिकायत की थी । मा० विधायक जी द्वारा संदर्भित शिकायत की जांच श्री आर० एस० प्रसाद, अधीक्षक अभियन्ता द्वारा की गई, जिसके अनुसार कनेक्शन संख्या–आर० वाई०–914/002597 पर उपभोक्ता को भेजे गये बिल में 5222 रीडिंग निर्गत हुयी थी, जोकि मीटर ब्लैंक में अनाधिकृत रूप से इनपुट डाटा में भरने के कारण हुई थी । बिल संशोधित कर दिया गया है । कनेक्शन संख्या–इ०डीडी/2112/046468 के संबंध में जांच करने पर यह पता लगा कि 3/96 से 1/98 तक मात्र 3/97, 9/97, 11/97 में एन० आर० के बिल बने थे जबकि शेष बिल रीडिंग के है । उनको भेजा गया बिल ठीक पाया गया ।

जनपद हरदोई के मल्लांवां निर्वाचन क्षेत्र में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को विकास कार्य योजना से संतृप्त करने की मांग

99–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लांवां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम परचल, रसूलपुर को अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किया गया है किन्तु उक्त ग्राम में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया जिससे योजना का पूरा लाभ ग्रामीणवासियों को नहीं मिल पा रहा है ? शासन कब तक सम्पूर्ण ग्राम को संतृप्त करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

उक्त ग्राम में विकास कार्य कराये गये हैं । विवरण संलग्न है ।

निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्तुत ग्राम को संतृप्त घोषित कर दिया गया है ।

[विवरण के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 171 पर]

जनपद आगरा के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

100–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड शमसाबाद में कुर्रा चित्तरपुर, मंझारा तथा विकास खण्ड फतेहाबाद में निवोहरा में 33/11 के० वी० उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 98 को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

कुर्रा–चित्तरपुर तथा निवोहरा में 33 के० वी० उपकेन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव क्षेत्रीय तकनीकी समिति द्वारा वर्तमान में अनुमोदित न होने के कारण इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है । अतः इनको पूर्ण करने की तिथि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर निगम आगरा के अन्तर्गत कारवान लोहामण्डी में देवी के मन्दिर के पुजारी पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

101–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, आगरा के अन्तर्गत मुहल्ला कारवान लोहामण्डी में देवी के मन्दिर पर उक्त मन्दिर से पुजारी ने अनाधिकृत रूप से आवास का निर्माण कर लिया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध रूप से निर्मित भवन को तोड़े जाने का मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी, आगरा द्वारा विकास प्राधिकरण को आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर निगम आगरा द्वारा सड़कों व नाली, खड़ञ्जा पर स्वीकृत धनराशि के खर्च की जानकारी

102–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में नगर निगम, आगरा द्वारा सड़कों व नाली, खड़ञ्जा आदि पर पुनः निर्मित कराये जाने हेतु कुल कितना धन स्वीकृत किया गया था ? किन-किन सड़कों व नाली खड़ञ्जा पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में नगर निगम, आगरा को रुपये 1,00,00,000/-(रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[सूची देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 172–173 पर]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में बांट-माप नियंत्रक अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पम्पों के मीटर में हेरा-फेरी करने का आरोप

103–श्री छब्बू पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240–मुगलसराय जनपद वाराणसी के बांट-माप नियंत्रक अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पम्पों का मीटर कम करके 100 लीटर के स्थान पर 90 लीटर उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

इस संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण में प्रयोग किये गये खम्भों की संख्या तारों की मात्रा के विवरण की जानकारी

104–श्री छब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240–मुगलसराय के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1997-98 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा किन गांवों में कितना खम्भा व कितना मीटर तार लगाया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240–मुगलसराय में वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची एवं प्रत्येक के विद्युतीकरण में प्रयोग किये गये खम्भों की संख्या एवं तार की मात्रा का विवरण निम्नवत् है :–

(अ) वर्ष 1996-97

विकास खण्ड–नियमतावाद

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	खम्भों की सं०	लगाये गये तार की मात्रा (मी० में)
1	महावलपुर	746	12	1009
2	सहजौर	223	34	6562
3	सैमरा	705	12	1648
4	गौरी	89	41	7400
5	नरैना	125	30	4697
6	महेवा (गांधी ग्राम)	801	48	9445

(ब) वर्ष 1997-98

विकास खण्ड–नियमतावाद

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	खम्भों की सं०	लगाये गये तार की मात्रा (मी० में)
1	हिनौती	27	58	8972
2	गुवास	113	45	6273

देवरिया के गौरा बरहज में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी योजना के तहत कराये गये कार्यों की आडिट से जांच संबंधी शिकायती-पत्र

105–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, गौरा बरहज, देवरिया में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी योजना के तहत कराये गये कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल से जांच संबंधी श्री बृज भूषण सिंह कुशवाहा का पत्र दिनांक 20-3-98 जोकि मुख्य सचिव को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी देवरिया से प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड भदोही से कथित धनराशि की वसूलयाबी तथा श्रमिकों को भुगतान की मांग

106–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–16885/92 में दिनांक 11-4-97 को पारित निर्णय के अन्तर्गत माननीय श्रम न्यायालय, वाराणसी द्वारा विधिक वाद संख्या–68/97 से 97/97 एवं 104/97 से 119/97 में पारित आदेश दिनांक 28-8-97 के अनुसार श्रमायुक्त, वाराणसी ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड भदोही से रु० 17,00,960/–की वसूलयाबी भू-राजस्व की भांति किये जाने हेतु कलेक्टर, वाराणसी को वसूलयाबी प्रमाण-पत्र सं०–14361/वनाप्र–11 वि० वा० दिनांक 12-11-97 को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त धनराशि वसूल न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? उक्त धनराशि की कब तक वसूली करके संबंधित 30 श्रमिकों को भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां । पत्र संख्या–14361/व०ना०प्र०–11 वि० व०, दिनांक 12-11-97 प्रेषित किया है ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्पेशल अपील सं०–287/97–यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम यू० पी० विद्युत मजदूर संघ के मामले में पारित आदेश दिनांक 9-2-98 के अनुसार वसूली की कार्यवाही कतिपय शर्तों के अधीन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है । अतः मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में वसूली की कार्यवाही स्थगित है ।

मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 9-2-98 के परिपेक्ष्य में वसूली की कार्यवाही सम्प्रति स्थगित है ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा बेची गयी भूमि का अधिकारियों द्वारा लीज रेन्ट न लेने का आरोप

107–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ नगर निगम द्वारा बेची गयी जमीनों का लीज रेन्ट मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि सम्पूर्ण लीज रेन्ट अधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । जिन भूखण्डों की लीज डीड निष्पादित की जा चुकी है उनका लीज रेन्ट नियमित रूप से जमा हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रोलिंग मिल आर्क फर्नेस एण्ड स्टील प्लान्ट्स पर विद्युत चोरी करने का आरोप

108–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रोलिंग मिल आर्क फर्नेस एण्ड स्टील प्लान्ट्स द्वारा विद्युत की अरबों रुपये की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 11-3-97, जो कि मुख्य सचिव को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस प्रकार के उद्योगों द्वारा विद्युत चोरी की शिकायतें प्राप्त होती रहती है ।

जी हां । जहां चोरी की शिकायत प्राप्त होती है वहां जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । एच० वी०–I टैरिफ में चोरी रोकने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक के प्रस्ताव के अनुसार सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रानिक मीटर उपलब्धता के अनुसार निजी उपभोक्ताओं के परिसरों एवं सब स्टेशन पर प्राथमिकता के आधार पर लगाये जायं ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् की अनपरा तापीय परियोजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में हुए घोटाले के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

109–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के आवासों के निर्माण में भारी घोटाले करने विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 30-5-94 जो तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र पर महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना के द्वारा जांच करायी गयी । माननीय विधायक द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर आधारित आरोप निराधार पाये गये और तद्नुसार यह प्रकरण परिषद् स्तर पर समाप्त कर दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि की भांति पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना की मांग

110–श्री समरपाल सिंह–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ० प्र० के समुचित विकास हेतु सरकार पूर्वांचल विकास निधि की भांति पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि प्रदेश का पश्चिमांचल पूर्वांचल की अपेक्षा विकसित है तथा प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए अन्य विकास निधियों की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मेजा के ग्राम गोशाला का विद्युतीकरण एवं टूटे तारों/खम्भों को बदलने की मांग

111–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम–गोशाला, विकास खण्ड–मेजा, पो०–कोरांव, जनपद इलाहाबाद के विद्युतीकरण हेतु श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् के कोटे से पूर्वांचल विकास निधि योजना 1992-93 में रु० 1.80 लाख स्वीकृत हुआ था तथा उक्त धनराशि उसी वर्ष अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, 57–जार्जटाउन इलाहाबाद को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं कार्य मार्च, 1996 में प्रारम्भ किया गया ? खम्भे तार आदि लग गये लेकिन बिजली जलने के पूर्व ही खम्भे टूट गये ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि अभी तक टूटे खम्भे व तार विद्युत विभाग ने नहीं बदले हैं और न ही उक्त ग्राम–गोशाला को ऊर्जीकृत किया गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? कब तक नई लाइन खींच कर विद्युत आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 31-3-96 को यह कार्य पूर्ण करा दिया गया ।

जून, 1996 में इलाहाबाद जनपद में भयंकर तूफान (साइक्लोन) आया था, जिसके कारण खम्भे/तार टूट गये । अतः इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जी हां ।

तार व खम्भे बदलने के कार्य में विलम्ब करने के हेतु दोषी अवर अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दे दिया गया है ।

यह कार्य दिसम्बर, 1998 के अन्त तक पूर्ण करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

अम्बेडकर उद्यान, लखनऊ के मूल प्रोजेक्ट की लागत एवं निर्माण कार्य में धांधली का आरोप

112–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर उद्यान, लखनऊ के मूल प्रोजेक्ट की लागत क्या थी ? सितम्बर, 1997 तक कितनी धनराशि अलग-अलग मदों में व्यय की गयी ? क्या यह सत्य है कि निर्माण कार्य में करोड़ों रुपये की धांधली की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अम्बेडकर उद्यान परियोजना के अन्तर्गत अम्बेडकर उद्यान, अम्बेडकर स्थल, अतिथि गृह एवं जन सुविधा परिसर के निर्माण हेतु रुपया 83.42 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था ।

सितम्बर, 1997 तक अम्बेडकर उद्यान परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में निम्नानुसार व्यय किया गया है :–

अम्बेडकर उद्यान	= रु० 2600.0748 लाख
अम्बेडकर स्थल	= रु० 1686.91 लाख
अतिथि गृह एवं जनसुविधा परिसर	= रु० 2132.452 लाख

जांच विचाराधीन है ।

शासन द्वारा अम्बेडकर उद्यान परियोजना की दोहरी जांच सी० ए० जी० तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक की जा रही है ।

जनपद-बलरामपुर में धान क्रय केन्द्र मानक के अनुसार न खोलने का आरोप

113–श्री उवैदुर्रहमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 में जनपद-बलरामपुर में किस-किस विकास खण्ड में धान क्रय केन्द्र, किस-किस एजेन्सी द्वारा खोले गये और कितना कुन्टल धान समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया ? क्या यह सही है कि क्रय केन्द्र नहीं खोले गये और धान क्रय नहीं किया गया ? सरकार क्रय केन्द्र न खोलने वाली एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

वर्ष 1996-97 में जनपद बलरामपुर में हाट शाखा द्वारा विकास खण्ड बलरामपुर, हरैयासतधरवा, गैसड़ी, उतरौला, रेहराबाजार में एक-एक और पी० सी० एफ० द्वारा जनपद के समस्त नौ ब्लाकों में से प्रत्येक ब्लाक में एक-एक तथा वर्ष 1997-98 मे हाट शाखा द्वारा विकास खण्ड बलरामपुर में एक, गैसड़ी में एक, उतरौला में एक, रेहराबाजार में एक तथा पी० सी० एफ० द्वारा विकास खण्ड हरैयासतधरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, उतरौला श्रीदत्तगंज एवं रेहड़ाबाजार में एक-एक धान क्रय केन्द्र खोले गये । वर्ष 1996-97 में धान खरीद नहीं हुई तथा वर्ष 1997-98 में 988.70 कुन्टल धान की खरीद हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बलरामपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् उतरौला, द्वारा टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी न कराके स्वयं संचालित कराने की जानकारी

114–श्री उवैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, उतरौला द्वारा दिनांक 30-3-98 को इस आशय की सूचना प्रकाशित करायी गयी थी कि टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी होगी ? यदि हां, तो क्या निर्धारित तिथि पर नीलामी करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि नीलामी न कराकर नगर पालिका परिषद् उसको स्वयं संचालित कर रही है और परिषद् को क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद स्तर पर मा० सदस्या सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक में अधिशासी अधिकारी के व्यस्त होने के कारण नीलामी कार्यवाही स्थगित की गई ।

जी हां ।

परिषद् को हो रही क्षति के संबंध में जिलाधिकारी, बलरामपुर से सूचना मांगी गई है ।

सूचना प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका परिषद् उतरौला बलरामपुर को कतिपय वित्तीय वर्षों में विकास कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

115–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में जो नगर पालिका परिषद्, उतरौला जनपद बलरामपुर को अनुदान धनराशि मार्ग निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, नाली निर्माण, जल संभरण व्यवस्था तथा सुलभ शौचालय हेतु अवमुक्त की गई उस धनराशि से कार्य टेण्डर से कराये गये या अमानी से कराये गये ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में नगर पालिका परिषद्, उतरौला को मार्ग निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, नाली निर्माण, जल संभरण व्यवस्था तथा सुलभ शौचालय में स्वीकृत किए गये अनुदान से कराये गये कार्य विधिवत निविदा आमंत्रित कर ठेके पर कराये गये हैं ।

उपरोक्त सभी कार्यों का भुगतान लोक निर्माण विभाग से कार्य व बिल सत्यापनोपरान्त किया गया है ।

अधिशासी निदेशक उ० प्र० कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ को सम्बोधित कथित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

116–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अगस्त, 97 पर राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद के आदेश पत्रांक 1398/वी०आई०पी०, दिनांक 5 अगस्त, 1997 द्वारा अधिशासी निदेशक, उ० प्र० कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जी हां ।

प्रश्नगत कर्मचारी की सेवा बहाली के उपरान्त वेतन का निर्धारण कर दिया गया है । बहाली की तिथि से निर्धारित वेतनमान में वेतन दिया जा रहा है । समस्त बकाया वेतन आदि के भुगतान पर व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जल संस्थान/जल कल सेवा के कथित अवर अभियन्ता का बिना चयन समिति की संस्तुति के पदोन्नति करने विषयक शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

117—श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–329/9-3-95-55–डब्लू/88, दिनांक 16 फरवरी, 1995 द्वारा जल संस्थान/जलकल सेवा के एक अवर अभियन्ता को मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का संदर्भ देते हुए बिना चयन समिति की संस्तुति के पदोन्नति दी गयी है ? क्या उक्त पदोन्नति के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० की आख्या के आधार पर एक "सी" श्रेणी जलकल अभियन्ता/अवर अभियन्ता (जल) ग्रेड–1 की "बी" श्रेणी जलकल अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरणों में विधायकों को पदेन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाये जाने हेतु आदेशित करने की मांग

118—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास प्राधिकरण मे विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार विधायकों को प्राधिकरणों में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने पर विचार कर रही है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ प्राधिकरणों में विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्राधिकरणों में विधायकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

शासन द्वारा कुछ प्राधिकरणों में विधायकों को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाये जाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4(3) एवं 4(7) में ऐसा प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु कमेटी में क्षेत्रीय विधायकों को सम्मिलित कर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की मांग

119—श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सं०–152/9–

आ–1–1998, लखनऊ दिनांक 15-1-1998 (आवास अनुभाग–1) के अन्तर्गत विकास हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुमोदन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कोई कमेटी गठित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उस कमेटी में क्षेत्रीय विधायकों को सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी कतिपय स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के एक निर्धारित भाग को नगर के अवस्थापना विकास हेतु अलग एक खाते में रखने की व्यवस्था संदर्भित शासनादेश द्वारा की गयी है तथा उस धनराशि से किये जाने वाले व्यय के अनुमोदन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है ।

जी, नहीं ।

व्यय की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण की आय का ही एक अंश होने के कारण व्यय की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के ही पदाधिकारियों, सदस्यों अथवा प्रतिनिधि की समिति गठित की गयी है ।

लखनऊ के मोहल्ला कन्धारी बाजार लोधपुरवा में जर्जर वाटर लाइन को बदलने की मांग

120—श्री मलखान सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मोहल्ला कन्धारी बाजार लोध पुरवा (जगदीश चन्द्र बोस वार्ड) में जो वाटर लाइन बिछी है वह कितने वर्ष पुरानी है ? क्या पुरानी वाटर लाइन होने के कारण जगह-जगह छेद हो जाने से उसमें सीवर लाइन का दूषित पानी मिल जाने के कारण मलमूत्र युक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त पुरानी वाटर लाइन को कब तक बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त मोहल्ले में सुबह एवं शाम को कितने बजे से पानी की आपूर्ति की जाती है ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1975 से पूर्व की है ।

जी नहीं ।

पुरानी वाटर लाइन को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन कन्धारी बाजार में जलापूर्ति की कमी के कारण एक नई लाइन लालबाग जोनल पम्पिंग स्टेशन से डाली जा रही है जिससे कि उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी हो जायेगी ।

प्रातः 6.30 बजे से 8.30 बजे तक

सायं 6.30 बजे से 8.30 बजे तक ।

पर्वतीय अंचल में तोकों के विद्युतीकरण की योजना की जानकारी एवं विद्युतीकरण की मांग

121—श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में तोकों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण गांवों के छूटे हुए तोकों में विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ? क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बारामण्डल, अल्मोड़ा के ग्राम पंचायत नया संगोली के तोक रातीभाटी व बस्ता में विद्युत विभाग द्वारा पोल गाड़े हुए 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक उनमें तार नहीं खींचा गया है जिससे अनुसूचित जाति बाहुल तोक में विद्युतीकरण सुविधा नहीं मिल पायी है ? उक्त तोकों में विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विधान सभा क्षेत्र बारामंडल के ग्राम पंचायत नया संगोली के तोक रातीभाटी व बस्तावे में पूर्व में गाड़े गये खम्भों पर अपवाद स्वरूप मार्च, 1999 के अन्त तक तार खिंचाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद अल्मोड़ा में सीवरेज निर्माण की मांग

122—श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था पर रोक लगाने के बावजूद प्राचीन नगर अल्मोड़ा में यह व्यवस्था अब भी जारी है ? क्या सरकार का अल्मोड़ा में सीवरेज निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शासन द्वारा सिर पर मैला ढोने की व्यवस्था पर कड़ी रोक लगायी गयी है यदि कोई व्यक्ति उक्त कार्य कर रहा है तो वह नियम विरुद्ध है ।

जी हां ।

साध्यता आख्या बनायी जा रही है जिसके आधार पर विस्तृत प्राक्कलन बनाकर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में धान क्रय केन्द्र पर धान की खरीद एवं उचित मूल्य न दिये जाने के विरुद्ध जांच की मांग

123—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सत्र 1997-98 में कुल कितने धान क्रय केन्द्र खोले गये थे तथा उक्त केन्द्रों में तिथिवार प्रत्येक केन्द्र से पूरे सत्र में कुल कितना धान खरीदा गया है ? क्या यह सही है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों से सत्र 1997-98 में ठीक प्रकार से धान न खरीदने के कारण किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल पाया जिससे किसानों की क्षति हुई है ? जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों की उक्त क्षति हुई है उनके खिलाफ जांच करके दोषी कर्मचारियों को क्या सरकार दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

जनपद आजमगढ़ में सत्र 1997-98 में कुल 28 धान क्रय केन्द्र खोले गये थे । उक्त केन्द्रों में पूरे सत्र में कुल 1558.45 कुन्टल धान खरीदा गया है । केन्द्रवार/तिथिवार खरीद का विवरण संलग्न है ।

धान की खरीद नियमानुसार की गयी है और किसानों को इस संबंध में अपेक्षित सुविधा प्रदान की गयी है, तथा किसानों को कोई क्षति नहीं हुई है ।

धान की खरीद नियमानुसार हुई है और किसानों को कोई क्षति नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(विवरण हेतु देखिये नत्थी 'ड' पीछे पृष्ठ 174 पर)

जनपद आजमगढ़ में गेहूं खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

124—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से सरकार थोक व्यापारियों से गेहूं खरीदती है या किसानों से सीधे ? क्या सरकार के व्यापारियों से गेहूं सीधे खरीदने से सामान्य किसानों को गेहूं का उचित मूल्य मिल पा रहा है ? क्या सरकार किसानों का गेहूं क्रय कर उनको उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करेगी ? जनपद आजमगढ़ के अन्दर क्रय केन्द्रों से 6 मई, 1998 तक केन्द्रवार किन-किन किसानों से कितना गेहूं खरीदा गया ? क्या सरकार गेहूं क्रय केन्द्रों की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

1—गेहूं खरीद वर्ष 1998-99 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्रों पर सीधे कृषकों से गेहूं खरीद करने के साथ-साथ कच्चे आढ़तियों से भी कमीशन बेसिस पर गेहूं खरीद करने की योजना 8 मई, 1998 तक लागू की गयी थी ? कच्चे आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीद की व्यवस्था दिनांक 9 मई, 1998 को समाप्त कर दी गयी है । वर्तमान में किसानों से ही सीधे गेहूं की खरीद की जा रही है ।

2—कच्चे आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीद की व्यवस्था दिनांक 9 मई, 1998 को समाप्त कर दी गयी है और अब केवल किसानों से ही सीधे क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जा रहा है । मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों को उनके द्वारा बेचे गये गेहूं का निर्धारित मूल्य दिया जा रहा है ।

3—सरकार ने किसानों का गेहूं क्रय कर उनके उचित मूल्य दिलाने हेतु पूर्ण व्यवस्था की है जो दिनांक 1 अप्रैल, 1998 से लागू है ।

4—जनपद आजमगढ़ के अन्दर 6 मई, 1998 तक कुल 153 कुन्टल 62 किलो गेहूं की खरीद 17 किसानों से की गयी है । सूची संलग्न है ।

5—गेहूं क्रय केन्द्रों की जांच में जहां-जहां भी अनियमितता पायी गयी है वहां दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

(सूची देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 175–176 पर)

125—श्री विजय पाल सिंह–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा नगर के लोहामण्डी में कैनरा बैंक तोता का तालाब से सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लेचपुरा तक मार्ग के नव निर्माण की मांग

126—श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर आगरा में थाना लोहा मण्डी में कैनरा बैंक तोता का तालाब से सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लेचपुरा तक का मार्ग जर्जर है और गड्ढे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उसका नव निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर आगरा में थाना लोहामंडी में कैनरा बैंक तोता के तालाब से सिन्धी गुरुद्वारा बिल्लेचपुरा मार्ग का आंशिक मार्ग क्षतिग्रस्त था ।

यातायात के सुचारु रूप से आवागमन हेतु पैचवर्क से सड़क ठीक कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी बनारस में व्याप्त विद्युत समस्याओं के निराकरण की मांग

127—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 242 शहर दक्षिणी बनारस में व्याप्त विद्युत समस्याओं तथा उनके निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 3-9-97, अध्यक्ष, रा० वि० प० तथा शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के पैरा 1 से 9 के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र के पैरा 1 से 9 के संबंध में की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण संलग्नक "क" † पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर अन्य द्वारा मिट्टी तेल की कालाबाजारी करने के आरोप के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

128—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1994 तथा 1995 में जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर तथा अन्यों ने मिलकर करीब 2 करोड़ रुपये की किरासन तेल काला बाजार में बेच दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या अन्य जिलों में भी इस प्रकार से घपला किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी–

गोरखपुर जनपद में वर्ष 1994-1995 की अवधि में मिट्टी तेल के वितरण में अनियमितता होने का तथ्य प्रकाश में आया था ।

इसकी जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा की गयी । जांच से प्रथम दृष्टया 6407 कि०ली० मिट्टी का तेल कालाबाजारी में जिला पूर्ति अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक द्वारा बिकवाने का मामला पाया गया है । अतः श्री राम मोहन श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा श्री अशोक कुमार वर्मा, पूर्ति निरीक्षक को सेवा से च्युत कर दिया गया है । प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने का भी निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं ।

---

† छापा नहीं गया है ।

जनपद जालौन में सामूहिक पेयजल योजना मुसमरिया तथा अकबरपुर इटौरा में व्याप्त अनियमितताओं एवं धन के दुरुपयोग के विरुद्ध जांच की मांग

129—श्री श्रीराम पाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, जालौन ने वर्ष 1997 में अधिशासी अभियन्ता जल निगम के कार्यालय को विभिन्न वित्तीय अनिमितताओं के कारण सील किया था तथा लगभग 2 करोड़ की वित्तीय अनियमिततायें होने के कारण अधिशासी अभियन्ता को हटाया गया था ? यदि हां,तो जल निगम उरई जालौन के अधिशासी अभियन्ता व उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा कराये गये कार्यों में कौन-कौन सी वित्तीय अनियमिततायें की गयीं ? क्या यह सच है कि सामूहिक पेयजल योजना मुसमरिया तथा अकबरपुर इटौरा की पेयजल पाइप लाइनों की गत वित्तीय वर्षों में प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग भी अनियमितताओं में शामिल है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

किसी वित्तीय अनियमितता के कारण कार्यालय सील नहीं किया गया था बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरित तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा तत्समय चार्ज न दिये जाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों की दूर करने के लिये मात्र कैश चेस्ट का संचालन अल्प समय के लिये सील कर दिया गया था जो उनके द्वारा चार्ज देने पर पुनः संचालित करा दिया गया था ।

अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था ।

वित्तीय अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मंडल, जल निगम, झांसी से जांच करायी जा रही है । जांच के उपरान्त ही टिप्पणी किया जाना सम्भव होगा ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, गोण्डा के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कराने की मांग

130—श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों के मार्गों का सतह लेपन तक का कार्य करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक सारे अम्बेडकर ग्रामों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का लेपन करवा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं, चयनित 36 अम्बेडकर ग्रामों में से 22 अम्बेडकर ग्रामों का सतह लेपन तक का कार्य करवा दिया गया है ।

सीमित संसाधनों के कारण शेष ग्रामों में सतह लेपन तक का कार्य सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य नहीं हो सका है ।

धन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र कार्य पूरा कराया जायेगा ।

जनपद गोण्डा के विद्युत उपकेन्द्र, मनकापुर की क्षमता बढ़ाने की मांग

131—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विद्युत उपकेन्द्र, मनकापुर पर उसकी क्षमता से अधिक विद्युत भार है जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उपकेन्द्र मनकापुर 33/11 के० वी० पर एक 3 एम० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है, जो अतिभारित है ।

इस विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता 1 × 3 एम० वी० ए० से 2 × 3 एम० वी० ए० करने का वर्ष 1998-99 में प्रस्ताव है । धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य को कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, गोण्डा में कतिपय स्थानों पर विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की मांग

132—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा मनकापुर, गोण्डा में सांबरपुर एवं झिलाही तथा छपिया में क्या 33 के० वी० सब-स्टेशन खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में सांबरपुर, झिलाही एवं छपिया में विद्युत भार की पर्याप्त मांग न होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से वर्तमान में इन स्थानों पर 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे हटाने एवं सुन्दरीकरण विषयक जानकारी

133—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया --

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे हटाने एवं लखनऊ का सुन्दरीकरण करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री ओंकारेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट, अमीनाबाद, लखनऊ को पार्क के सुन्दरीकरण हेतु लखनऊ नगर निगम ने अपने पत्र दिनांक 5-4-97 एवं 23-9-97 द्वारा कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो किसके आदेश से रेलिंग एवं पार्क को ध्वस्त किया गया ? क्या इसकी भरपाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में ट्रस्ट का पत्र दिनांक 27-3-98 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाने हेतु अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाना नगर निगम के निरन्तर चलने वाले कार्यक्रमों में से एक है एवं लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न कार्यों हेतु शासन द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जा रहा है।

जी हां।

घन्टाघर पार्क के सम्पूर्ण सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत पार्क के अन्दर कुछ भाग में बनी बाउन्ड्रीवाल को बाधित होने के कारण तोड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पार्क का सौन्दर्यीकरण ट्रस्ट की भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

ट्रस्ट का दिनांक 23-3-98 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान, लखनऊ द्वारा पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने पर मदवार व्यय विवरण की जानकारी

134—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल संस्थान, लखनऊ द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिये अलग-अलग मदवार व्यय विवरण क्या है ? मुहल्लों में ट्यूबवेल न चलने पर तत्काल क्या व्यवस्था की जाती है ? पिछले 3 वर्षों में माडल हाउस स्थित ट्यूबवेल पर कितना व्यय करके क्या-क्या कार्य कराये गये ? इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 6-5-98 जो कि नगर प्रमुख, लखनऊ नगर निगम/मुख्य सचिव, को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

मदवार व्यय का विवरण संलग्न है।

नलकूप बन्द होने पर 48 घंटे के अन्दर उसे चालू कराने का प्रयास किया जाता है तथा टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

इस ट्यूबवेल पर केवल माइनर रिपेयरिंग का कार्य हुआ । कोई भी मेजर रिपेयरिंग नहीं करायी गयी।

मा० नगर प्रमुख, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 6-5-98 में अंकित बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही की गयी है ?

(विवरण हेतु देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 177 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के लिये निर्गत की गयी धनराशि की जानकारी

135—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत धनराशि कितने समय बाद निर्गत की गई तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्षेत्रीय अधिकारी से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर दिनांक 15-2-96, 23-5-96 एवं दिनांक 19-3-97 को धन निर्गत किया गया ।

परिषद् में धन की कमी के कारण सामान्यतः मासिक वेतन के अतिरिक्त अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी मामलों में धन निर्गत करने में विलम्ब होता रहता है जिसके फलस्वरूप मार्च, 96 तक के अवकाश नकदीकरण का फण्ड मार्च, 1997 में निर्गत करने का निर्णय लिया गया था । कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये शादी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा के लिये धन प्राथमिकता पर निर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया नगर परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों पर कथित धनराशि की क्षति पहुंचाने के आरोप के विरुद्ध कार्यवाही

136—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया नगर परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा 4,49,440.20 रुपये की क्षति पहुंचाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-97 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम, वर्तमान में तैनाती स्थान भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी वर्ष 1996-97 की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-5-97 पर जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से जांच करायी गयी ।

जांच आख्या के अनुसार कथित अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई ।

शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

जी नहीं ।

शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

137—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[4थे शुक्रवार के लिये निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1998 तक क्रय किये गये मीटर/इलेक्ट्रानिक मीटर्स की सी० एस० पी० सी० द्वारा जांच की मांग

138—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अक्टूबर, 1997 से फरवरी, 1998 तक अलग-अलग क्षमता के कितने-कितने मीटर/इलेक्ट्रानिक मीटर किस दर से किससे-किससे खरीदे गये ? क्या इन मीटरों को खरीदने के पूर्व विद्युत परिषद् द्वारा कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया ? क्या यह सत्य है कि विद्युत परिषद् द्वारा जो दर निर्धारित किया गया है मार्केट रेट से ज्यादा है ? क्या मंत्री जी सी० एस० पी० सी० द्वारा की गयी टिप्पणी एवं आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माह अक्टूबर, 1997 से माह फरवरी, 1998 तक निम्नलिखित क्षमता के इलेक्ट्रोमैकेनिकल/इलेक्ट्रानिक मीटर क्रय करने हेतु परिषद् द्वारा उनके समक्ष दी गयी दर पर विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश निर्गत किये गये :—

(क) एल० टी० (04 के० वी०) स्टैटिक टाइबेक्टर (इलेक्ट्रानिक मीटर) (दर रुपये 12,771.98 पैसे) :—

1–मे० सिक्योर मीटर्स लि०, उदयपुर	2000 नग
2–मे० डाटाप्रो इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, पूना	350 नग
3–मे० लार्सन एण्ड टूब्रो लि०, नई दिल्ली (ट्रायल क्रयादेश)	50 नग
4–मे० आशिया ब्राउन बौवेरी लि०, मुम्बई (ट्रायल क्रयादेश)	50 नग
5–मे० सी० जी० स्लम्बर्जर इलेक्ट्रिसिटी सिटी मैनेजमेन्ट लि०, गुड़गांव (ट्रायल क्रयादेश)	50 नग
योग–	2500 नग

(ख) 11 के० वी० स्टैटिक ट्राईवैक्टर (इलैक्ट्रानिक) मीटर दर रुपये 10,942.35 पैसे :—

1–मै० सिक्योर मीटर्स लि०, उदयपुर	4000 नग
2–मै० आशिया ब्राउन बौवेरी लि०, मुम्बई	100 नग

(ग) एक फेज, दो तार (5–20) एम्प० कन्वैन्शल ऊर्जा मापक (इलैक्ट्रोमैकेनिकल मीटर) दर रुपये 379.22 पैसे :—

फर्म का नाम	पूर्व में क्रयादेशित मात्रा	उक्त अवधि में अतिरिक्त मात्रा
1–मे० बी० एच० ई० एल०, लखनऊ	15,000	30,000
2–मै० जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, जयपुर	30,000	30,000
3–मै० एक्यूरेट मीटर्स लि०, नोएडा	45,000	72,000
4–मै० माडर्न इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रा० लि०, गाजियाबाद	30,000	48,000
5–मे० एलिमर इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली	30,000	40,000
योग –	1,50,000	2,20,000

जी हां।

उपरोक्त सभी प्रकार के मीटर्स क्रय करने हेतु निविदा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

जी नहीं।

जी हां।

सी० एस० पी० सी० की बैठक के निम्न कार्यवृत्त संलग्न† हैं :–

(क) 0.4 के० वी० ट्राइवेक्टर मीटर क्रय करने की बैठक का निर्णय दिनांक 30-9-97

(ख) 11 के० वी० ट्राईवेक्टर मीटर क्रय करने की बैठक का निर्णय दिनांक 26-12-1997

(ग) एक फेज, दो तार (5–20) एम्पीयर मीटर क्रय करने की बैठक का निर्णय दिनांक 9-7-1997 तथा 21-2-1998।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में ग्राम पंचायतों में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कृत कार्यवाही की जांच की मांग

139—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/श्रीदत्तगंज/गैड़ास बुजुर्ग में वर्ष 1996-97 में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को पक्के मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था ? किस-किस मार्ग पर कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध कितना कार्य हुआ है ? क्या सरकार उन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर कार्यदायी विभाग को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/श्रीदत्तगंज में वर्ष 1996-97 में किसी भी ग्राम पंचायत को जोड़ने का प्रस्ताव नहीं था। विकास खण्ड गैड़ासबुजुर्ग में बंजरिया ग्राम पंचायत को पक्के मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था।

बंजरिया अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग पर रुपया 40.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध रु० 32.00 लाख का कार्य किया गया है। उक्त मार्ग 6 कि०मी० लम्बाई का है जिसमें 3 कि०मी० तक द्वितीय सतह लेपन कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।

समय-समय पर नियमानुसार गुणवत्ता जांची गयी है, जो ठीक पायी गयी है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच नियमानुसार कराई जायेगी।

माता हिंगलाजदेवी मार्ग (जगदीश चन्द्र बोस वार्ड) लखनऊ में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

140—श्री राम सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माता हिंगलाजदेवी मार्ग (जगदीश चन्द्र बोस वार्ड) लखनऊ में कितने अवैध निर्माण किये जा रहे हैं एवं उक्त मार्ग पर अनधिकृत रूप से कितने वाहन खड़े किये जा रहे हैं एवं उक्त मार्ग पर आवागमन हेतु अवरुद्ध होने के कारण वहां के नागरिक को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उनको हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया है।

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण कराने की मांग

141—श्री राम जग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में 1993 से 1998 तक कुल कितने अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? किन-किन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? जिन अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनका विद्युतीकरण कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक 50 अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया है ।

इस क्षेत्र में निम्नलिखित तीन अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ।

ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम
मेंहनगर	रामपुर
मेंहनगर	चौकी मुनियर
ठेकमा	जेतीपुर

इन तीनों ग्रामों को चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण करा दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा मानक के अनुसार सड़क निर्माण न कराने का आरोप

142—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम द्वारा बनायी जा रही सड़कों का निर्माण मानक के अन्तर्गत न कराकर घटिया स्तर पर कराया गया है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या नगर अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 1-5-97, 11-6-97 एवं 2-7-97 जो कि माननीय नगर प्रमुख को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

केशव भादुड़ी रोड का सुधार कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार एवं मानक के अनुरूप कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा 10 एम० एम० की स्टोन ग्रिट व स्टोन बैलास्ट की कतिपय वर्षों में क्रय की धनराशि दर एवं प्रयोग की जानकारी

143—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में 10 एम० एम० व 12 एम० एम० की स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलास्ट वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कब-कब एवं कितनी-कितनी धनराशि की किस दर से किससे-किससे खरीदी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेन्ट्रल स्टोर पर मगाई गई स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलास्ट का कहां-कहां प्रयोग किया गया और कितना शेष है ? उक्त वर्षों में डामर एवं सीमेन्ट कब-कब कितना-कितना एवं किससे मगाया गया ? उसका प्रयोग कहां-कहां हुआ है ?

श्री लालजी टण्डन—

वर्ष 1995-96 में स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलास्ट की ली गयी आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित है :—

स्टोन बैलास्ट—140.54 घनमीटर रु० 330.00 प्रति घनमीटर के हिसाब से दिनांक 6-1-96 को मेसर्स ए० के० इण्टरप्राइसेस से आपूर्ति ली गयी तथा 238.11 घनमीटर स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति दिनांक 15-3-96 को श्री राकेश कुमार गुप्ता ठेकेदार से रु० 235.00 प्रति घनमीटर की दर से ली गयी एवं दिनांक 28-3-96 को मेसर्स ए० के० इण्टरप्राइसेस से 9.41 घनमीटर की आपूर्ति रु० 330.00 प्रति घनमीटर की दर से ली गयी ।

स्टोन ग्रिट (10 से 12 एम० एम० गेज) :—

इस समाग्री की आपूर्ति वर्ष 1995-96 में नहीं ली गयी ।

वर्ष 1996-97 में स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलेस्ट की ली गयी आपूर्ति का विवरण :—

स्टोन बैलेस्ट—179.24 घनमीटर रु० 235.00 प्रति घनमीटर की दर से दिनांक 20-5-96 को श्री राकेश कुमार गुप्ता ठेकेदार से आपूर्ति ली गयी ।

स्टोन ग्रिट—142.18 घनमीटर रु० 430.00 प्रति घनमीटर की दर से दिनांक 13-5-96 को श्री राजू खरे ठेकेदार से तथा 83.28 घनमीटर रु० 430.00 प्रति घनमीटर की दर से दिनांक 5-12-96 को श्री राजू खरे ठेकेदार से आपूर्ति ली गयी ।

स्टोन ग्रिट एवं स्टोन बैलेस्ट का प्रयोग निम्न वार्डों में किया गया :—

वार्ड का नाम	स्टोन ग्रिट	स्टोन बैलेस्ट
1–गनेशगंज वार्ड	18.00 घनमीटर	42.00 घनमीटर
2–वजीरगंज वार्ड	—	21.00 घनमीटर
3–हजरतगंज वार्ड	51.00 घनमीटर	206.00 घनमीटर
4–भिलावां वार्ड	24.00 घनमीटर	30.00 घनमीटर
5–सहादतगंज वार्ड	—	9.00 घनमीटर
6–दौलतगंज वार्ड	—	36.00 घनमीटर
7–हसनगंज वार्ड	—	36.00 घनमीटर
सामग्री की अवशेष मात्रा	132.46 घनमीटर	163.76 घनमीटर

प्रश्नगत वर्षों में डामर एवं सीमेन्ट नहीं मगाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैती, अल्मोड़ा का भवन एवं पहुच मार्ग के निर्माण की मांग

144–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैती, अल्मोड़ा का भवन पिछले कई वर्षों से अपूर्ण पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या भविष्य में सरकार द्वारा उक्त संस्थान में नये विषय (ट्रेड) खोलने का प्रस्ताव है । क्या अधूरे भवन तक पहुंच मार्ग न होने के कारण भवन निर्माण में प्राक्कलन से अधिक व्यय हो चुका है तथा स्वीकृत ट्रेडों के उपकरण नहीं पहुंच पा रहे हैं ? क्या श्रम मंत्री जी उक्त पहुंच मार्ग की यथा शीघ्र स्वीकृति देंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जी नहीं ।

जी हां ।

भवन निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद उपकरण स्थानान्तरित किये जायेंगे ।

पहुंच मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की टाण्डा तापीय परियोजना के स्टोर से स्टील/सरिया गायब होने के आरोप की जाचं की मांग

146—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना में दिसम्बर, 1996 तक कुल कितने टन सरिया आदि गायब हुई ? गायब हुए सामान की प्राथमिकी कब दर्ज कराई गई और किसके द्वारा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी को सौंपी गयी ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने ही स्टील/सरिया आदि को गायब किया है ? यदि हां, तो स्टोर में तैनात अधिकारियों के नाम पदनाम क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड द्वितीय के अधीन स्टील स्टोर से कुल 6.685 टन स्टील चोरी हुई ।

घटना की प्राथमिकी 27-1-97 को श्री बी० बी० उपाध्याय, अवर अभियन्ता द्वारा दर्ज करायी गयी। इस घटना की जांच तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड प्रथम श्री एन० के० गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपी गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में "पत्रकारपुरम्" योजनान्तर्गत पत्रकारों को रियायत दर पर आवास उपलब्ध कराने की मांग

147—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में "पत्रकारपुरम्" बसाये जाने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है ? उक्त योजनान्तर्गत कितने पत्रकारों को भूखण्ड दिया जा सकेगा तथा किस दर पर ? क्या उक्त भूखण्डों पर किसी विभाग द्वारा लखनऊ की तरह कोई रियायत प्रदान करने पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री लालजी टण्डन—

वाराणसी में मौजा चुप्पेपुर सिकरौल में पत्रकार कालोनी के स्थापना हेतु प्राधिकरण द्वारा 12.7693 एकड़ भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गयी है।

अध्याप्ति भूमि पर पत्रकारों को भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु ले-आउट प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 1995 में इसका एक ले-आउट तैयार कराया गया था जिसमें 12×24 मीटर के 10, 10×20 मीटर के 28, 9×18 मीटर के 12, 7.5×15 मीटर के 60 तथा 3.5×10 मीटर के 282 भूखण्ड विकसित किये जाने का प्राविधान था। इस प्रकार कुल 392 भूखण्ड विकसित किये जाने का प्राविधान था। वर्तमान में इस योजना में हुए निर्माणों का सर्वेक्षण कराकर पुनरीक्षित ले-आउट तैयार कराया जा रहा है। ले-आउट तैयार हो जाने के पश्चात् ही पत्रकारों हेतु कुल भूखण्डों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसी प्रकार विकास कार्य का आगणन तैयार हो जाने एवं टेण्डर हो जाने के पश्चात् ही भूखण्डों की वास्तविक दर ज्ञात हो सकेगी।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की तापीय परिकल्प अभियंत्रण शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

148—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत तापीय परिकल्प अभियंत्रण शक्ति भवन, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-5-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की विभागीय जांच कराई गई और आरोपों की पुष्टि नहीं हो पायी।

प्रश्न नहीं उठता।

149—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी की नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों को कतिपय वित्तीय वर्षों में विकास हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

150—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में जनपद मैनपुरी में आने वाली नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के विकास हेतु सरकार द्वारा कोई वित्तीय अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को और कितना-कितना ? क्या चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में मैनपुरी में उक्त संस्थाओं को धन दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितना-कितना और किस-किस संस्था को? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जनपद मैनपुरी में एक नगरपालिका परिषद् तथा 8 नगर पंचायतें हैं। वित्तीय वर्ष 1996-97 में दिये गये अनुदान का निकायवार विवरण निम्नवत् है :—

1–नगरपालिका परिषद्, मैनपुरी

1–सड़क अनुदान	23	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण हेतु	05	लाख
3–अतिवृष्टि अनुदान	02.50	लाख
4–प्रकाश व्यवस्था	02	लाख
5–लोडर क्रय हेतु	9.6893	लाख

2–नगर पंचायत किशनी

1–साधारण सड़क अनुदान	06	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण हेतु	03	लाख
3–प्रकाश व्यवस्था हेतु	01	लाख
4–अतिवृष्टि अनुदान	01	लाख
5–नाला निर्माण हेतु	0.90	लाख

3–नगर पंचायत–कुसमरा

1–साधारण सड़क अनुदान	06	लाख
2–मार्ग एवं प्रकाश व्यवस्था	01	लाख
3–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण हेतु	03	लाख
4–अतिवृष्टि अनुदान	01	लाख
5–नाला निर्माण हेतु	0.7722	लाख

4–नगर पंचायत–बेवर

1–साधारण सड़क अनुदान	10	लाख
2–प्रकाश व्यवस्था एवं ट्रैक्टर ट्राली उपकरण	05	लाख
3–दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत	1.0382	लाख

5—नगर पंचायत–भोगांव

1–साधारण सड़क अनुदान	10	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु	05	लाख
3–नाला निर्माण हेतु	1.2212	लाख

6–नगर पंचायत–कुरावली

1–साधारण सड़क अनुदान	05	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण	04	लाख
3–मार्ग प्रकाश व्यवस्था	01	लाख
4–अतिवृष्टि अनुदान	01	लाख
5–नाला निर्माण हेतु	0.8871	लाख

7—नगर पंचायत–घिरौर

1–साधारण सड़क अनुदान	06	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण	03	लाख
3–मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु	01	लाख
4–दशम वित्त आयोग नाला निर्माण हेतु	0.7233	लाख

8—नगर पंचायत–ज्योतिखुड़िया

1–साधारण सड़क अनुदान	05	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई व्यवस्था हेतु	03	लाख
3–मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु	01	लाख
4–अतिवृष्टि अनुदान	01	लाख
5–दशम वित्त आयोग के नाला निर्माण हेतु	0.3472	लाख

9—नगर पंचायत–करहल

1–साधारण सड़क अनुदान	08	लाख
2–ट्रैक्टर ट्राली सफाई उपकरण	02	लाख
3–मार्ग प्रकाश व्यवस्था	01	लाख
4–अतिवृष्टि अनुदान	01	लाख
5–दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत नाला निर्माण हेतु	1.34810	लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 1997-98 में दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का विवरण :—

निकाय का नाम	दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान (हजार रु० में)	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि (हजार रु० में)
1	2	3
1–नगरपालिका परिषद्, मैनपुरी	968.93	2464.355
2–नगर पंचायत, किशनी	90.02	370.601
3–नगर पंचायत, कुसमरा	77.220	317.944
4–नगर पंचायत, बेवर	103.82	—
5–नगर पंचायत, भोगांव	122.12	502.691
6–नगर पंचायत, कुरावली	88.71	—
7–नगर पंचायत, घिरौर	72.33	207.842
8–नगर पंचायत, ज्योतिखुड़िया	34.72	141.413
9–नगर पंचायत, करहल	134.81	554.902

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में प्रस्ताव पारित कराकर इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

151—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1997-98 में अब तक जल निगम द्वारा कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प विभिन्न योजना के अन्तर्गत लगने के लिये प्रस्तावित हैं और कितनों का अब तक पैसा दे दिया गया है । क्या विधान सभा क्षेत्र से संबंधित विधायकों से हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव मांगे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद स्तर पर कोई समिति बनाकर एवं उसमें प्रस्ताव पारित करवाकर ही हैण्ड पम्प लगवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1746 एवं 100 हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25-25 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का भी प्रस्ताव है ।

उपरोक्त सभी हैण्ड पम्पों हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

विधान सभा क्षेत्रों हेतु आवंटित 25 हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का अधिकार संबंधित मा० विधायकों में निहित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार हैण्ड पम्प स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चयनित मजरों में लगाये जा रहे हैं । स्थल चयन संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई की समिति द्वारा ग्राम्य पंचायत की खुली बैठक में किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की जानकारी

152—श्री चेतराम–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शाहजहांपुर में वर्ष 1998 में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों को दुकान आवंटन में प्रतिनिधित्व दिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

नगर शाहजहांपुर में वर्ष 1998 में दुकानें आवंटित करने हेतु दिनांक 18 सितम्बर, 1997 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 17 अक्टूबर, 97 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। उक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करायी गयी। उचित दर की दुकानों के आवंटन हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 6 अप्रैल, 98 को सम्पन्न हुई तथा चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उचित दर की दुकानें आवंटित की गयीं।

जी हां।

नगर शाहजहांपुर में आवंटित 24 दुकानों में से 05 दुकानें अनुसूचित जाति, 06 दुकानें पिछड़ी जाति को आवंटित की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टनकपुर से सूखीढांग लोहाघाट जिला चम्पावत को 66/132 के० वी० ए० की लाइन से जोड़ने की मांग

153—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 66/132 के० वी० ए० की लाइन को टनकपुर से सूखीढांग, लोहाघाट, जिला चम्पावत को जोड़ने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त लाइन की कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत प्रणाली एवं भार के अनुसार आवश्यकता नहीं है।

जल निगम की सी० एण्ड डी० एस० शाखा की उधमसिंह नगर तथा गढ़वाल इकाई का लखनऊ से हटाकर गाजियाबाद परिक्षेत्र में किये जाने का विरोध

154—श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम की सी० एण्ड डी० एस० शाखा की उधमसिंह नगर तथा गढ़वाल इकाई को लखनऊ से हटाकर गाजियाबाद परिक्षेत्र में किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इससे जनहित के कार्यों में विलम्ब होगा और वरिष्ठ प्रबन्धक को अनावश्यक गाजियाबाद लखनऊ का बार-बार चक्कर लगाने से जनहित के कार्यों पर कुप्रभाव पड़ेगा तथा टी०ए०/डी०ए० से आर्थिक भार पड़ेगा। यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी को दंडित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की इकाइयों को कार्यहित में एक ही परिक्षेत्र में रखने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक निर्णय होने के कारण किसी अधिकारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

155—श्री राम सिंह सैनी–

[दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 96 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के मोहल्ला कानून गोयान (दलित बस्ती) मकान नम्बर 594 के पास होलिका मिलन समारोह की भूमि पर खड़ंजा लगाने की मांग

156—श्री सरवर अली खां तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कानून गोयान (दलित बस्ती) नगर बाराबंकी में मकान नम्बर 594 के दक्षिण भाग पर पड़ी होलिका मिलन समारोह की भूमि पर खड़ंजा लगाने हेतु जनवरी, 1997 से अब तक विधायकों ने जिलाधिकारी बाराबंकी को तथा अध्यक्ष, नगर परिषद् बाराबंकी को अनेकों पत्र प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मोहल्ला कानून गोयान (दलित बस्ती) नगर बाराबंकी में मकान नम्बर 594 के दक्षिण भाग पर पड़ी होलिका मिलन समारोह की भूमि पर खड़ंजा लगाने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी को पत्र प्राप्त हुए थे।

नगर पालिका परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण संदर्भित स्थल पर खड़ंजा नहीं लगाया जा सका।

संदर्भित स्थल के निकट जाने वाले रास्ते पर खड़ंजा लगाया गया था, परन्तु यह भूमि रास्ते से अलग थी। साथ ही परिषद् की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर खड़ंजा नहीं लगाया गया।

जनपद आजमगढ़ में डीहा (मेंहनगर) स्थित मगई नदी पर पुल निर्माण की मांग

157–श्री रामजग–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत 1996-97 में जनपद–आजमगढ़ की राज्यांश योजना के सापेक्ष प्रेषित प्रस्तावित डीहा (मेंहनगर) स्थित मगई नदी पर 80.00 लाख के पुल के संबंध में नियोजन कार्यालय से प्रेषित पत्र अ० शा० प० सं० 1352/35-5-97-8-163-29 अगस्त, 1997/2-9-97 के संबंध में कौन सी कार्यवाही की गयी ? कब तक पुल नि ण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

नियोजन विभाग द्वारा प्रेषित पत्र सं० 1352/35-5-97-8(163)97-96 दिनांक 29 अगस्त, 1997, 2-9-97 के संदर्भ में प्रश्गनत पुल का संशोधित आगणन आयुक्त आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के पत्र दिनांक 18-6-98 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है ।

नियमानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात ।

जनपद–हरदोई की टाउन एरिया-कुरसठ में उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जाने की मांग

158–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया–कुरसठ में विद्युतीकरण कब कराया गया ? क्या विद्युतीकरण होने से पूर्व ही विद्युत उपभोक्ताओं ने कनेक्शन हेतु पैसा जमा किया था उन सबको कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-98 को कराया गया था ।

कुछ ग्रामीणों द्वारा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही माह जून, 1990 में बत्ती पंखा के कनेक्शन हेतु धन जमा किया गया था । वर्ष 1992 में परिषद् की नीति के अन्तर्गत परिषद् के व्यय पर एल० टी० मेन्स के विस्तार पर रोक लगा दी गयी थी । इन आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु निकटतम खम्भे से संयोजन की दूरी निर्धारित मानक से अधिक थी इसलिये उन व्यक्तियों को जिन्होंने पूर्व में धन जमा किया था, कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये जा सकें । परिषद् के वर्तमान नियमों के अनुसार इन आवेदकों को विद्युत कनेक्शन निर्गत करने के उद्देश्य से वास्तविक प्राक्कलन बनाकर उन्हें उपलब्ध कराने के आदेश दे दिये हैं । वास्तविक प्राक्कलन के अनुसार धनराशि प्राप्त होने तथा परिषदीय नियमों के अनुसार आवेदकों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही कनेक्शन निर्गत करना संभव होगा । अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

कुम्भ मेला 1998 में विद्युतीकरण के समय में मृतक/घायल कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग

159–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेला 1998 में विद्युत संबंधी कार्य करते हुये कितने लोगों की मृत्यु हुई ? कितने घायल हुये ? मुआवजा कितना दिया गया /

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कुम्भ मेला-1998 में विद्युत संबंधी कार्य करते हुये विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार एवं विद्युत विभाग खण्ड, कु० मे०–98 हरिद्वार के अन्तर्गत तीन लोगों की मृत्यु हुई व एक व्यक्ति घायल हुआ तथा

रु० 75,000/- (रुपये पिछत्तर हजार मात्र) का मुआवजा दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1-मृतक लोग-3	रु० 70,000.00
2-घायल लोग-1	रु० 5,000.00
योग	रु० 75,000.00

जनपद-लखनऊ की आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम् में अतिक्रमण हटाने की मांग

160-श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम् (धनिया महरी पुल के पास) लखनऊ के मकान नं० एफ-11/233 एफ-11/238 तथा एफ-11/234 तथा एफ-11/241 तक के मकानों के सामने की रोड पर बाउन्ड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है ? क्या इस कारण सारी नालियां बन्द हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जा हटाकर बन्द नालियों को खुलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

अवैध कब्जा हटा दिया गया है नाली खुलवायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर-4, ब्लाक-ए में पार्क पर अवैध निर्माण हटाने की मांग

161-श्री विजय पाल सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी सेक्टर-4, ब्लाक-ए के निवासियों द्वारा पार्क में अवैध निर्माण कतिपय लोगों द्वारा करा लेने के संबंध में दिये गये आवेदन-पत्र दिनांक 4 अगस्त, 1997 एवं 20 सितम्बर, 1997 को मा० सभापति सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा अग्रसारित कर तत्काल कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो अब तक पत्र में उल्लिखित बिन्दुओ के परिपेक्ष्य मे क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां।

पार्क का अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उन्नाव पनकी एवं उन्नाव आगरा लाइन गंगा सीवर लोकेशन नं० 1/0 की डिजाइनिंग से कथित क्षति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

162–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उन्नाव पनकी एवं उन्नाव आगरा लाईन, गंगा सीवर लोकेशन नं०–1/0 की डिजाइन किसके द्वारा कराया गया था ? क्या उपलब्ध कराया गया डिजाइन सही नहीं पाया गया था ? यदि हां, तो त्रुटिपूर्ण डिजाइन के आधार पर निर्माण कराये जाने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार बतायेगी कि डिजाइनिंग पर कितने लाख रुपये भुगतान किये गये ? क्या सरकार इससे परिषद् को हुई करोड़ों की क्षति के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

डिजाइन का कार्य मैसर्स ई०एम०सी० कलकत्ता द्वारा कराया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुबंध के प्राविधानों के अनुसार डिजाइनिंग के कार्य का अलग से कोई भुगतान नहीं किया गया । चूंकि कार्य अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार पूर्ण कराया गया है ।

अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण प्रणाली के घोटाले में सम्मिलित सेवानिवृत्त अधिकारियों से वसूली की मांग

163–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ों रुपये के घोटाले प्रकरण पर सतर्कता इकाई द्वारा वर्ष 1996 में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराई गई ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? दोषी अधिकारियों में से कितने अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं ? क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों से वसूली की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषदीय सतर्कता इकाई द्वारा अनपरा तापीय परियोजना के निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध राख निस्तारण घोटाले के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (डी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है :–

1–श्री ओ० पी० धमीजा, महाप्रबन्धक (सेवा निवृत्त)

2–श्री आर० डी० कटियार, मुख्य अभियंता (सेवा निवृत्त)

3–श्री के० एन० श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सेवा निवृत्त)

4–श्री एस० पी० सिंह, सदस्य (उत्पादन) (सेवा निवृत्त)

5–श्री बी० बी० सक्सेना, मुख्य अभियंता (सेवा निवृत्त)

6–श्री एन० वी० सिंह, उप मुख्य लेखाधिकारी ।

7–श्री राम सजीवन, उप मुख्य लेखाधिकारी ।

8–श्री एन० पी० बाजपेयी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवा निवृत्त)

9–श्री जे० सी० वर्मा, उप मुख्य लेखाधिकारी ।

10–श्री वी० पी० गुप्ता, उप मुख्य लेखाधिकारी ।

11–श्री आर० सी० अग्रवाल, लेखाधिकारी ।

12–श्री बी० पी० खन्ना, अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत्त)

13–श्री विजय कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (सेवा निवृत्त)

14–श्री आर० के० शर्मा, अधीक्षण अभियंता ।

15–श्री विश्वनाथ, अधिशासी अभियन्ता ।

16–श्री वी० डी० अजमानी, अधिशासी अभियंता ।

17–श्री मदन प्रकाश, अधिशासी अभियंता ।

18–श्री डी० एन० माथुर, अधिशासी अभियन्ता ।

19–श्री राम मूरत राम, अधिशासी अभियंता ।

दर्ज प्राथमिकी पर अग्रेतर विवेचना प्रचलित है जो वर्तमान में सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

आठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

विवेचना आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में हुए घाटे आदि की जानकारी

164–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितना-कितना घाटा रहा है ? घाटे से निपटने के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तापीय एवं जल विद्युत उत्पादन की लागत क्या है तथा कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है ? पिछले तीन वर्षों में माहवार पी० एल० एफ० क्या रहा है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1992 से लगातार पी० एल० एफ० का ह्रास हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में पिछले तीन वर्षों में वाणिज्यक घाटा की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष	वाणिज्यक घाटा (रु० करोड़ में)
1994-95	577.46
1995-96	866.30
1996-97	762.31

घाटे से निपटने के लिये राज्य सरकार निम्न कार्यवाही कर रही है :–

(1) पुरानी तापीय इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु 886 करोड़ की एक योजना बनाई गयी है जिसके क्रियान्वयन के उपरान्त पी० एल० एफ० 60 प्रतिशत होना लक्षित है ।

(2) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाकर विद्युत खपत का सही मापन तथा चोरी रोकना ।

(3) विद्युत चोरी रोकने हेतु सघन अभियान चलाना ।

(4) इनर्जी आडिटिंग का कार्य प्रारम्भ करना जिससे उत्पादित तथा विक्रय की गयी विद्युत का सही लेखाजोखा रखा जाय ।

(5) अवैध विद्युत कनेक्शनों का नियमितीकरण तथा लेजराइजेशन ।

(6) पारेषण एवं वितरण उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना ।

जी हां ।

पिछले तीन वर्षों की तापीय एवं जल विद्युत की उत्पादन लागत निम्नवत् है :–

वर्ष	तापीय उत्पादन लागत (बसबार पर) पैसे/ इकाई	जल विद्युत उत्पादन लागत (बसबार पर) पैसे/इकाई
1994-95	125.64	33.17
1995-96	136.37	36.92
1996-97	136.80	35.55

कुल उत्पादन अधिष्ठातापित क्षमता 5776 मे०व० है जिसमें 4271 मे०वा० तापीय तथा 1505 मे०वा० जलीय है ।

पिछले तीन वर्षों का माहवार पी०एल०एफ० संलग्नक–1 में दर्शाया गया है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1992 से 1997 तक पी० एल० एफ० निम्नवत् है :––

वर्ष	पी० एल० एफ०
1992-93	51.1 प्रतिशत
1993-94	49.8 प्रतिशत
1994-95	43.6 प्रतिशत
1995-96	47.8 प्रतिशत
1996-97	49.2 प्रतिशत
1997-98	49.1 प्रतिशत

प्रश्न नहीं उठता ।

[संलग्नक देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 178 पर ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् मुख्य अभियन्ता (लवेसा), लखनऊ में वेतन रजिस्टर गायब किये जाने की जांच

165–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–84 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री मेसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को लिखे गये समस्त पत्रों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सहायक विधि अधिकारी द्वारा लिखित राय की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गबन किस अवधि का है तथा इस अवधि में कौन-कौन अधिकारी तैनात रहे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा में कूट रचना कर सेवा समाप्त करने विषयक कथित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

166–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा में कूट रचना कर सेवा समाप्त करने विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 17-8-97, जोकि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अप्रैल, 1998 तक क्या कार्यवाही की गई तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राज्य विद्युत परिषद् को दिये गये हैं।

पूर्ण तथ्य ज्ञात होने पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

नगर शाहजहांपुर के मोहल्ला आवास विकास कालोनी को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग

167–श्री चेतराम–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर शाहजहांपुर अन्तर्गत मोहल्ला आवास विकास कालोनी के अम्बेडकर पार्क में पेयजल हेतु पानी की टंकी हेतु बोरिंग आदि पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो कब तक मोहल्ले के नागरिकों को पेयजल व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हाँ।

दिनांक 9-6-98 से सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

पिथौरागढ़ के जिलापूर्ति अधिकारी के रिक्त पद को भरने की मांग

168–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिथौरागढ़ जिले में जिला पूर्ति अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? जिले की खाद्य समस्या को देखते हुए यह पद कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजाज रिजवी–

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों को पृष्ठभूमि में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति न हो पाने की स्थिति में पिथौरागढ़ में जिला पूर्ति अधिकारी को पद अगस्त, 1995 से रिक्त था। जनपद की समस्याओं को देखते हुये दिनांक 9-5-98 से पिथौरागढ़ जनपद में प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती की जा चुकी है।

कानपुर नगर निगम क्षेत्र में अधिष्ठापित नलकपों का विवरण

169–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम क्षेत्र में भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित कुल कितने नलकूप हैं ? इन नलकूपों का उपयोग तथा इन नलकूपों का संचालन तथा अनुरक्षण का कार्य किस संस्था द्वारा किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि वर्तमान में कानपुर नगर क्षेत्र में स्थापित कुल नलकूपों का विवरण नगर विकास विभाग में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

भिन्न-भिन्न संस्थानों द्वारा अधिष्ठापित कुल 95 नलकूप कानपुर जल सस्थान के अन्तगत हैं। जिनमें से 74 चालू हैं तथा 21 निष्क्रिय हो चुके हैं जिन्हें मरम्मत कर चालू नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में उपरोक्त नलकूपों का उपयोग, संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य कानपुर जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठापित जोनल पम्पिंग स्टेशनों पर योजनावार व्यय, क्षमता एवं उपयोग की जानकारी

170–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितने जोनल पम्पिंग स्टेशन किस-किस योजनान्तर्गत तथा किस-किस स्थान पर कब-कब निर्मित हुए हैं ? उक्त पम्पिंग स्टेशन किस-किस क्षमता के हैं तथा उन पर योजनावार कितना-कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त पम्पिंग स्टेशन का उपयोग कब-कब प्रारम्भ हुआ तथा वर्तमान में कितने उपयोग में लाये जा रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण नहीं किया गया है।

171–श्री राम अचल राजभर–

[विस्तीर्णता एवं कई विभागों से सम्बधित होने के कारण निरस्त

जनपद पौड़ी गढ़वाल में दैविक आपदाओं, भू-स्खलन एवं बाढ़ आदि से प्रभावित सड़कों, इमारतों के रख-रखाव हेतु धन का आवंटन

172–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल मे दैवीक आपदाओं, भू-स्खलन, बाढ़ आदि से प्रभावित कच्ची एवं पक्की सड़कों, इमारतों के रख-रखाव एवं पुनर्गठनों हेतु 1997-98 एवं

1998-99 में लोक निर्माण विभाग पौड़ी गढ़वाल को वांछित राशि को आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

179–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कैम्पवेल रोड, सआदतगंज, लखनऊ में जल निकासी की व्यवस्था की मांग

174–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कैम्पवेल रोड, सआदतगंज, लखनऊ की मुख्य सड़क (एक्जान स्कूल के पास) के दोनों ओर बसे मोहल्लों में जल निकासी की स्थाई व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर घरों का पानी मुख्य सड़क पर बहता है और सड़क के किनारे नालियां न होने के कारण प्रायः सड़क क्षतिग्रस्त रहती है जिससे जल भराव बराबर बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु जल निकासी की स्थाई व्यवस्था हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत सड़क पर दोनों ओर विकसित हो रही कालोनियों का भूविन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं है ।

मौरावां जनपद उन्नाव के पावर स्टेशन हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के शीघ्र भुगतान की मांग

175–श्री उवैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौरावां जनपद उन्नाव के पावर स्टेशन के निर्माण में ली गई भूमि के भुगतान के संबंध में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल रायबरेली के पत्रांक–750/वि० वि० म० रा०/जी–एम–3, दिनांक 9-4-92, पत्रांक–3878/वि० वि० म० रा०/जी–एम–3, दिनांक 22-6-96 एवं अपर सचिव विद्युत परिषद् के पत्रांक–347–कार्य/चौदह–ए/राविप/97, दिनांक 14-2-97 तथा जिलाधिकारी, उन्नाव के मेमो/आठ–वि०भू०अ०रा०, दिनांक 25-2-97 मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र–4, विक्रमादित्य मार्ग को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पत्रों में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ? यदि नहीं, तो उसके लिए दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उसका निस्तारण यथाशीघ्र कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में उत्पन्न हुये भ्रम के कारण इस प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच आदेशित की गयी थी । जांच हेतु संदर्भित कतिपय बिन्दुओं पर

आख्या अपूर्ण/अस्पष्ट होने के कारण जांच अधिकारी से स्पष्ट/पूर्ण जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने एवं उसके परीक्षणोपरान्त इस प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा। अतः इस प्रकरण के निस्तारण के संबंध मे कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के क्षतिग्रस्त मुनस्यारी से मिलम मार्ग को ठीक कराने की मांग

176–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से मिलम तक के अश्वमार्ग में 1997 में अतिवृष्टि के कारण कितने रुपये की क्षति हुयी है ? उक्त मार्ग को ठीक करने के लिये कितना रुपया स्वीकृत हुआ है तथा कितना रुपया मार्ग को ठीक करने में खर्च हुआ है ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

अतिवृष्टि के कारण रुपया 49.08 लाख की क्षति बताई गयी है।

वर्ष 97-98 में उक्त मार्ग को ठीक कराने के लिए रु० 10.61 लाख दैवी आपदा राहत से स्वीकृत हुआ तथा इतनी ही धनराशि व्यय की गयी।

177–श्री राम विशुन आजाद–

[2रे बुध में अता० प्र० सं० 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

178–श्री दद्दू प्रसाद–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ब्लॉक रामनगर जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर में कैरोसीन तेल के ब्लाक वितरक को खारिज कर थोक वितरक को ब्लाक वितरक नियुक्त करने की मांग

179–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रामनगर जिला छत्रपति शाहूजी महाराज-नगर में तेल कम्पनी के थोक विक्रेता के होते हुए भी कैरोसीन तेल का ब्लाक वितरक एक साधारण व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ? शासनादेश सं०–1646/29-33(के०ओ०)/90, दिनांक 19-5-90 खाद्य एवं रसद अनुभाग–7 के पैरा 3–1 का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो नियम विरुद्ध नियुक्ति किये गये वर्तमान ब्लाक वितरक को खारिज करके थोक विक्रेता को ब्लाक वितरक नियुक्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखकर सड़कों के निर्माण हेतु वन अधिनियम 1980 में वांछित संशोधन करने की मांग

180–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वन अधिनियम, 1980 के कारण जनपद पिथौरागढ़ एवं नवसृजित जिला चम्पावत में कितनी सड़कें रुकी पड़ी हैं ? क्या पर्वतीय जिलों की भौगोलिक विषमता को ध्यान में रखकर रुकी सड़कों के निर्माण के लिए शासन स्तर पर उक्त अधिनियम में वांछित संशोधन हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

60 पिथौरागढ़ व 12 चम्पावत जनपद में ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोरखपुर में रेलवे स्टेशन से धर्मशाला फल मण्डी तक की सड़क के निर्माण में फर्जी भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

181–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जक्शन रेलवे स्टेशन से धर्मशाला फलमण्डी तक जाने वाली सड़क को पिछले 10 वर्षों में कब-कब कितना-कितना व्यय करके किसके द्वारा निर्माण कराया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है इस सड़क के निर्माण में फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गोरखपुर जक्शन रेलवे स्टेशन से धर्मशाला फल मण्डी तक जाने वाली सड़क के कुछ अंश की मरम्मत सन् 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार करायी गयी है । उक्त निर्माण पर रु० 3.50 लाख 1993 में तथा रु० 4.64 लाख 1998 में व्यय किया गया है । समस्त निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा ठेके पर कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ग्राम भदरेसी के पास नाले पर रपटा निर्माण की मांग

182–श्री श्रीराम पाल–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के ग्राम भदरेसी के पास नाले पर रपटा का निर्माण बुन्देलखण्ड विकास निधि से गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उससे कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां।

जी हां, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के भवनहीन चिकित्सालयों हेतु भवन निर्माण की मांग

183–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में कुल कितने विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों के पास अपने भवन नहीं हैं ? क्या शासन इन भवन विहीन चिकित्सालयों की सूची सदन के पटल पर रखेगा ? क्या इन भवन विहीन चिकित्सालयों के भवन शासन द्वारा बनवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

पौड़ी जिले के अन्तर्गत 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 60 राजकीय एलोपैथिक तथा 30 आयुर्वेदिक औषधालय भवन विहीन है।

जी हां, सूची संलग्न है।

शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए भवन विहीन चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण करा दिये जाने की समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 179–182 पर)

जनपद-चम्पावत के विकास खण्ड पार्टी मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार करने की मांग

184–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला चम्पावत के विकास खण्ड-पार्टी मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार जिला योजना का भाग है। तहसील मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण किये जाने की प्राथमिकता है। इस दिशा में लोहाघाट तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किया जा चुका है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों द्वारा गेहूं क्रय न करके आढ़तियों द्वारा खरीदे जाने के आरोप की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की मांग

185–श्री श्रीराम पाल–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों की उपज गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है, बल्कि गल्ला आढ़तियों द्वारा किसानों से क्रय किये गये गेहूं को सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बाजार भाव से सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं के रेट अधिक हैं तथा किसानों को बढ़े हुए मूल्य का कोई लाभ नहीं

मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग द्वारा तत्काल जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

क–रबी खरीद वर्ष 98-99 में क्रय केन्द्रों पर सीधे किसानों से गेहूं क्रय करने के साथ ही साथ कच्चे आढ़तियों के माध्यम से गेहूं क्रय करने की योजना शासन द्वारा लागू की गई थी जो कि दिनांक 8-5-98 तक लागू रही है । वर्तमान में 9-5-98 से क्रय केन्द्रों पर सीधे किसानों से ही गेहूं खरीदा जा रहा है ।

ख–गेहूं क्रय केन्द्रों पर निर्धारित समर्थन मूल्य रुपया 510/- प्रति कुन्टल की दर से गेहूं क्रय किया जाता है । यदि खुले बाजार में गेहूं का मूल्य निर्धारित समर्थन मूल्य की अपेक्षा कम होता है तो किसानों के लिए यह विकल्प है कि वह अपना गेहूं सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचे ताकि उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सके ।

ग–गेहूं खरीद योजना के संचालन में ऐसी कोई गम्भीर अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है जिसकी सतर्कता विभाग से जांच कराने की आवश्यकता हो ।

जिला चम्पावत के लोहाघाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग

186–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवाओं में खेल भावना को विकसित करने के उद्देश्य से नव सृजित जिला चम्पावत के लोहाघाट में मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण मिनी स्टेडियम का निर्माण कराना सम्भव नहीं है ।

जनपद बरेली की आजाद सहकारी आवास समिति के सचिव पर गबन के आरोप की जांच की मांग

187–श्री गोपाल कृष्ण सक्सेना–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद की आजाद सहकारी आवास समिति के सचिव द्वारा गत लगभग 12 वर्षों से संचालित समिति के सदस्यों का लगभग एक करोड़ रुपया गबन कर लिया गया और नागरिकों को भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विधान सभा कैसरगंज में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा धांधली करने का आरोप एवं क्रय केन्द्रों की व्यवस्था ठीक कराने की मांग

188–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में गेहूं की खरीद के कितने केन्द्र वर्ष 1996-97, 1997-98 में खोले गये थे और उन केन्द्रों पर कितना-कितना गेहूं क्रय किया गया है ? वर्तमान सत्र में कितने केन्द्र पिछले सत्र से अधिक स्थापित किये गये हैं ? मौजूदा सत्र में विधान सभा

क्षेत्र कैसरगंज में कितने केन्द्र स्थापित हैं और उक्त केन्द्रों पर कितनी खरीद की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि बिचौलियों के वजह से खरीद में काफी धांधली की गयी है और किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान रखते हुए सुचारु रूप से क्रय केन्द्र चल सकें इसके लिये कौन प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

क–जनपद बहराइच में गेहूं की खरीद के लिए वर्ष 1996-97 में कुल 109 क्रय केन्द्र खोले गये थे, जिन पर 792 मी० टन गेहूं की खरीद हुई थी । वर्ष 1997-98 में 105 क्रय केन्द्र खोले गये थे और इन केन्द्रों पर कुल 12499 मी० टन गेहूं की खरीद हुई थी ।

ख–वर्तमान सत्र में जनपद बहराइच व नवसृजित जनपद श्रावस्ती को सम्मिलित करते हुए कुल 114 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जो वर्ष 1996-97 में खोले गये केन्द्र से 5 (पांच) एवं 1997-98 से 9 (नौ) क्रय केन्द्र अधिक खोले गये हैं ।

ग–वर्तमान सत्र में विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में कुल 7 (सात) गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित है, जिन पर दिनांक 23-6-98 तक 2024.70 मी० टन गेहूं की खरीद की गयी है ।

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में बिचौलियों द्वारा गेहूं के खरीद में धांधली के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया । जनपद के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों पर बराबर निगरानी रखी जा रही है जिन क्रय केन्द्रों पर इस प्रकार की धांधली प्रकाश में आई है, वहां नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है, परन्तु विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में इस प्रकार की कोई धांधली प्रकाश में न आने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का एक सवाल है । मान्यवर, आज की कार्य सूची में 19 तारांकित सवाल लगे थे और 19 में से बहुत कम सवाल उसमें आ पाये । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बहुत सारा समय ले लिया और ऊर्जा मंत्री को भी बचा लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं प्रश्न सं०–9 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह विधायकों के अधिकारों से संबंधित प्रश्न है और यह अभी भी उठाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल जब समाप्त हो गया है तो इस तरह के कोई प्रश्न नहीं । माननीय सदस्य जब अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिये समय सीमा निर्धारित होती है । मैं नियम–301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है आगे की कार्यवाही चलने दें । मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन प्रश्नकाल में ही प्रश्न किया जा सकता है । आप अपना स्थान ग्रहण करें । कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने बात सुन ली थी । विषय की जानकारी हो गयी है लेकिन इस तरह से प्रश्न किये जायेंगे तो कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राजधारी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैंने कह दिया है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जो आपको प्रश्न करना है बजट की समान्य चर्चा में कर लीजियेगा । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया सहयोग करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

नहीं यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । यह आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं ? मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं ।

श्री राजधारी सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इसको खत्म हो जाने के बाद ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 26 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं जो कि श्री भारत सिंह रावत, डा० वकार अहमद शाह, श्री श्याम लाल रावत, श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजेन्द्र सिंह की हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्ट्रियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न गम्भीर बेरोजगारी समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल उद्योग शून्य जिला हैं सरकार के प्रोत्साहन से वहां पर स्टील फैक्ट्रियां लगी हैं । जिसमें हजारों मजदूर कार्यरत थे स्टील फैक्ट्री मालिकों ने करोड़ों रुपया उ० प्र० वित्त निगम से ऋण लिया है पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग विभाग ने कठोर नियम बनाकर उद्योगपतियों को हतोत्साहित किया है जिससे सभी फैक्ट्रियां बन्द हो गयी हैं । फैक्ट्रियों के बन्द होने का मुख्य कारण विद्युत विभाग द्वारा फैक्ट्रियां बन्द होने की स्थिति में न्यूनतम विद्युत चार्ज लाखों रुपया लिया जाना है जिससे करोड़ों रुपये का बकाया फैक्ट्रियों पर हो गया है । फैक्ट्रियों के खिलाफ वसूली कार्यवाही एवं उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है ।

सरकार ने उत्तरांचल की विशेष स्थिति के कारण मा० ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद् की उप समिति बनायी गयी है जिसमें उत्तरांचल के उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु संस्तुतियां की हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय समस्या को सदन के संज्ञान में लाकर उप समिति की संस्तुतियों को सरकार से क्रियान्वित करावें ।]

जनपद बहराइच में गेहूं केन्द्रों पर भारी अनियमितताओं की जांच के फलस्वरूप दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, जनपद बहराइच में किसानों के शोषण का एक अति गम्भीर प्रकरण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं बहराइच में गेहूं क्रय केन्द्रों पर प्रशासन एवं व्यापारियों द्वारा भारी अनियमितायें की गयीं, जिसकी जांच भी करायी गयी एवं धारा 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 3/8 के अन्तर्गत 9 लोगों के विरुद्ध एफ० आई० आर० भी दर्ज हुई, किन्तु प्रशासन दोषी अधिकारियों/ कर्मचरियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही न कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है । इससे किसानों में क्षोभ एवं घोर असन्तोष व्याप्त है ।

अतः उपर्युक्त तथ्य सदन के संज्ञान में लाते हुए दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद सीतापुर की सिधौली तहसील मुख्यालय पर शासन द्वारा स्वीकृत फायर ब्रिगेड सेन्टर का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम लाल रावत–

[मान्यवर, सीतापुर जनपद की सिधौली तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड सेन्टर का निर्माण किया जाना शासन द्वारा स्वीकृत है तहसील मुख्यालय पर स्थल का चयन भी किया जा चुका है किन्तु निर्माण के लिए धन की स्वीकृति और आवंटन नहीं हुआ है ।

सीतापुर की तहसील मिश्रिख, महमूदाबाद तथा सिधौली में अग्निशमन सेवा उपलब्ध न होने के कारण भारी कठिनाई है तीनों तहसीलों के सैकड़ों गांवों में अग्निकाण्ड होते हैं गर्मी के दिनों में अधिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अग्निकाण्ड होते हैं जिनमें भारी हानि होती है । किसानों के मकान खलिहान फसलें जल जाती हैं अग्नि का शमन न हो पाने से भुखमरी तबाही पैदा हो जाती है ।

50 कि०मी० से 200 कि०मी० तक अग्निशमन केन्द्र नहीं है । सीतापुर अग्निशमन केन्द्र को सूचना करने में ही बहुत समय लगता है फायर ब्रिगेड के स्थल तक पहुंचने में सब कुछ जल चुका होता है ।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है सिधौली तहसील मुख्यालय पर स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र निर्माण कराने की मांग करता हूं शीघ्र ही धन आवंटित करके धन निर्गत करने के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

जनपद श्रावस्ती के ग्राम सेमरा बैरिया निवासिनी श्रीमती मिथलेश कुमारी की दहेज हत्या की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

[मान्यवर, अनुरोध है कि श्री हीरानन्द चतुर्वेदी निवासी ग्राम सेमरा बैरिया कुण्डी थाना सिरसिया जिला श्रावस्ती की पुत्री श्रीमती मिथलेश कुमारी उर्फ बड़कनी की शादी राजेश कुमार पुत्र श्री परशुराम त्रिपाठी निवासी ग्राम शंकरपुर, थाना सिरसिया, जिला श्रावस्ती के साथ लगभग चार वर्ष पूर्व हुई थी । माननीय अध्यक्ष जी दिनांक 10 मई, 1998 को थाना सिरसिया में हीरानन्द चतुर्वेदी ने अपनी पुत्री मिथलेश कुमारी की हत्या करके रात के अंधेरे में ही जला देने के लिए दहेज उत्पीड़न संबंधी प्रथम सूचना में मिथलेश कुमारी के पति राजेश कुमार, ससुर परशुराम त्रिपाठी, सास ऊषा देवी, देवर दिलीप कुमार, ननद राजू देवी को नामजद अभियुक्त बनाया है ।

मान्यवर, श्रीमती मिथलेश की ससुराल के लोग दबंग एवं खरकस व्यक्ति हैं । थाना सिरसिया की पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आनाकानी कर रहे हैं और मामले को दबाने में लगे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, इस लोक महत्व के मामले की सूचना आप श्रीमान् के संज्ञान में ला रहा हूं । दोषियों को दण्डित कराने की कृपा करें ।]

जनपद फैजाबाद के सोहावल क्षेत्रान्तर्गत कई विकास खण्डों में विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन तथा किसान पेंशन में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

[मान्यवर, कल्याणकारी राज में शासन द्वारा समय-समय पर तमाम कल्याण की योजनायें संचालित होती हैं विगत दिनों में प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो प्रदेश में पहली बार किसान पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन प्रदेश के सभी विकलांगों को विधवाओं को किसानों की पात्रता के आधार पर देने का निर्णय हुआ था वर्ष 1990 में और वर्ष 1993 में तमाम विधवाओं को विकलांगों को प्रदेश में लगभग साढ़े तीन लाख विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन स्वीकृत हो चुकी थी इसी तरह से प्रदेश में लाखों किसानों को किसान पेंशन मिलने लगी थी आज जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आयी बड़े पैमाने पर इसमें कटौती कर दी गयी हैं । अकेले मेरे जनपद फैजाबाद के अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल जिसमें विकास खण्डों के समस्त गांवों में जो पेंशन वर्ष 1990–93 में स्वीकृत हुई थी मिल रही थी उसमें से आधे से अधिक लोगों की अकारण काट दी गयी हैं । तमाम विधवा जिन्हें पेंशन

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मिल रही थी बन्द हो जाने से आज उनके सामने समस्या पैदा हो गयी है अगर उनकी धोती फट जाती है नई धोती दूर पुरानी धोती सिलने के लिए सुई और तागा खरीदने में लाचार हैं ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय सवाल को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं तत्काल पुरानी पेंशन दी जाय और नई स्वीकृत की जाय लोगों में जन असन्तोष फैला है । ।

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल की पांच कि०मी० पटरी निर्माण में हुई धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा० सदन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य लाकर समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं । जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत किशुनपुर पम्प कैनाल की पांच कि०मी० पटरी लेपन हेतु दीन दयाल उपाध्याप योजना में स्वीकृत हुई है जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा आनन फानन में बिना मानक के जो सामग्री प्रयुक्त की गयी है उससे उक्त पटरी पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी है, गिट्टियां बाहर दिखायी पड़ रही हैं । वाहन आने-जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । उक्त पटरी के लेपन कार्य में न तो समुचित पानी डालकर गिट्टी की कुटाई ही की गयी है और न ही पर्याप्त मात्रा में गिट्टी व डामर प्रयुक्त हुई जिससे अल्प समय में ही उक्त पटरी दुर्दशाग्रस्त हो गयी है ।

अतः जनहित में उक्त कार्य को सही ढंग से अन्जाम न देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक जांच कराकर पटरी दुरुस्त कराने का कष्ट करें । ।

जनपद देहरादून के धर्मपुर मोथरीवाला में रिस्पना नदी एवं डोईवाला कुडकावाला पर सौसवा नदी में पुल का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, देहरादून जनपद के धर्मपुर मोथरीवाला (डोईवाला) मार्ग में रिस्पना नदी एवं डोईवाला कुडकावाला, (बुल्ला वाला मार्ग) पर सोसवा नदी में पुल के निर्माण के संबंध में समय-समय पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जाती रही है पुल निर्माण के संबंध में कोई अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण जनता में अत्यधिक आक्रोष है, क्योंकि वर्षाकाल कै दौरान जनता का दूसरे क्षेत्रों से सम्पर्क टूट जाता है तथा कई बार जन हानि भी हो जाती है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए लोक निर्माण विभाग को पुल निर्माण हेतु निर्देशित करने की कृपा करें । ।

नियम–300 की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 26-6-98 को नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम तेज यादव की पहली सूचना है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश बढ़ा हुआ माना गया ।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की आज दिनांक 26 जून, 1998 की कार्य-सूची के मद संख्या–12 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखा गया है।

मान्यवर, बड़े ही दुःख और खेद के साथ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार जो लोकतान्त्रिक मूल्यों में अपनी आस्था का उद्घोष करती है, यह सरकार जो लोकतान्त्रिक मूल्यों की दुहाई देती है मान्यवर, यह सरकार अपने आचरण से जनतन्त्र की सबसे बड़ी संस्था जो विधान सभा है उसका अपमान कर रही है। इन प्रतिवेदनों को इतना विलम्ब से 11-12 वर्षों के बाद सरकार सदन के पटल पर रख रही है। जबकि इतने वर्षों पश्चात् सदन के पटल पर इसको रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश सरकार इस सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार जबावदेही से बचने के लिए यह साजिश कर रही है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर इस विभाग में कोई घोटाला हुआ हो तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही करनी अपेक्षित हो तो पता चलेगा कि यह तो इतने वर्षों में सेवानिवृत्त ही नहीं हुआ होगा बल्कि स्वर्ग-गमन भी कर गया होगा। 1985-86 के प्रतिवेदन 1998 में आये हैं। इससे बड़ा अपमान सदन का और क्या हो सकता है ? इस बात के लिए आपको सख्त निदेश शासन को देने की आवश्यकता है। सरकार के लिए कोई समय सीमा निर्धारित होना चाहिए कोई मर्यादा निर्धारित होनी चाहिए शीघ्रातिशीघ्र इन प्रतिवेदनों को सदन में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सरकार अपनी जबावदेही से भागने न पाये समय सीमा में सदन के पटल पर जब प्रतिवेदन रखे जायेंगे तो उनकी सामयिक विवेचना भी हो सकेगी तथा यदि लेखा जोखा संबंधी उसमें कोई चोरी, घोटाला या आर्थिक कदाचार है तो उसमें जबावदेही निर्धारित हो सके। जो दोषी हो उसके विरुद्ध समय से कार्यवाही हो सके। मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहते हुए बड़े दुःख और खेद के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में इस तरह का आचरण न करे जिससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचे।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो सोच रहा था कि जो सारे पुराने काम थे 1985 से लेकर अब तक यह सरकार ने पूरा किया और सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। यह उपलब्धि आपको माननी चाहिए थी। सरकार ने 1985 से लेकर अब तक जो मामला पेण्डिंग या बीच की सरकारें पेश नहीं कर सकीं, इस सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। 1985 से लेकर 1987-88 तक के प्रतिवेदन 1993 में मुद्रित होकर आ गये थे लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका इसलिए लम्बित रहे। 1988-89 से लेकर 1993-94 के प्रतिवेदन 1994-95, 1995-96 के प्रतिवेदन फरवरी, 1998 में मुद्रित होकर आये हैं। फरवरी, 1998 में उन पर अनुमोदन प्राप्त करके सर्वप्रथम माननीय सदन के समक्ष रखा जा रहा है। जो काम अब तक नहीं हुआ उसको इस सरकार ने कर दिखाया। इसका तो श्रेय देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 वर्ष 1984 में ही अधिनियम हो गया था। अतः उसके अनुवर्ती वर्षों में ऐसे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करके सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए थे। मैं इस ओर मा० संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री लालजी वर्मा, स०ब०स० को दिनांक 21 मई, 1998 को लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेने हेतु लखनऊ आते समय थानाध्यक्ष, इब्राहिमपुर द्वारा अकारण रोके जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संविधान के अनुच्छेद 194 के अन्तर्गत किसी भी सदन के सदस्य को सदन की बैठकों में और सदन की समितियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें वाक् स्वतन्त्रता है, किसी भी जगह सम्मेलन करने की स्वतन्त्रता है। प्रदेश और देश के अन्दर कहीं भी भ्रमण और बसने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। 21 मई को लखनऊ में लोक लेखा समिति की बैठक आहूत की गयी थी उस समिति का मैं भी सदस्य हूं उस समिति में भाग लेने के लिए जब मैं चला तो रात में घर से मुझे पता लगा कि मेरे घर के बाहर स्थानीय थानाध्यक्ष और दो सिपाही बैठे हुए थे। उन लोगों ने मुझे रोक लिया और कहा कि एस० पी० ने मुझसे कहा है कि माननीय विधायक को लखनऊ जाने की अनुमति न दी जाए। इस तरह से जो मुझे अधिकार संविधान के अनुसार प्राप्त है उसका हनन किया गया। उसने मुझे रोकने का काम किया। जिससे मैं उस समिति की बैठक में भाग लेने से वंचित रह गया। उसमें आडिट रिपोर्ट पर समीक्षा होनी थी जिस पर मेरे सुझाव से समिति वंचित रह गयी। इस महत्वपूर्ण सवाल पर जिसमें मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

यह प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है। अगर किसी ने उनके अधिकारों में अवरोध पैदा किया है...

श्री लालजी वर्मा–

सदन की समितियां सदन का कार्य मानी जाती हैं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अगर किसी ने माननीय सदस्य के कार्य में अवरोध पैदा किया है तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है। जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त की है पुलिस अधीक्षक अम्बेदकरनगर द्वारा इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मैंने किसी एस० ओ० को इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। एस० ओ० कौन था घटना क्या है आप लिखकर दे दें ?

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक गम्भीर प्रकरण सामने आ गया है और उसे बहुत लाइटली लेने की कोशिश माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं। कोई माननीय सदस्य जब सदन में कोई बात कहता है तो यह मानकर चला जाता है कि वह सत्य बोल रहे हैं, यह परम्परा रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि थानाध्यक्ष ने रोका जबकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि एस० पी० ने कोई निर्देश नहीं दिया था। इस प्रकार थानाध्यक्ष ने दो गुनाह किये, एक तो माननीय सदस्य को समिति की बैठक में भाग लेने से बलात् रोका दूसरे एस० पी० का बहाना बनाया। इससे ज्यादा किसी माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन क्या हो सकता है ? यह सदस्य के सम्मान का प्रश्न है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर सख्त कदम उठायें। इस तरह से सम्मानित सदस्यों के साथ अगर होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सदन में माननीय सदस्यों का पहुंचना मुश्किल हो जायेगा। माननीय अधिष्ठाता जी, इस पर नियमों से ऊपर उठकर सरकार को निर्देश दें।

*श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टेक्निकल तौर पर माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है और उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो टेक्निकली उत्तर आ गया है और उसको आप टेक्निकली डिस्पोज-आफ कर देंगे तो यह न्यायोचित नहीं है। नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने बात रखी और

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया और आप अन्य औचित्य के प्रश्नों की भांति इसका निस्तारण कर देंगे । सदन के माननीय सदस्यों के साथ इस तरह की घटनायें होंगी तो सदन की गरिमा का क्या होगा ? जब जन-प्रतिनिधि के साथ इनके सिपाही, दरोगा और दूसरे अधिकारी ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो यह एक गम्भीर प्रश्न है । इसको सिर्फ नियमों में देखकर निस्तारण न करें बल्कि इससे परे जाकर देखने की जरूरत है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर उनके इस विषय पर गम्भीर होने का परिचायक है । सदन को बहुत गम्भीरता से इस प्रकरण पर सोचना पड़ेगा। आप इस पर जब अपनी व्यवस्था दें तो इसके पूर्व शासन को निर्देश दें कि दोषी दरोगा के खिलाफ गम्भीर कार्यवाही किये जाने से कम कोई निर्णय इस सदन का नहीं होना चाहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता था कि लालजी वर्मा जैसे माननीय सदस्य ने एक संवेदनशील सवाल उठाया और आपने जबाव दे दिया कि माननीय सदस्य को रोकने के लिये कोई निर्देश एस० पी० ने दरोगा को नहीं दिया । इससे तो प्रथम दृष्टया केस उस दरोगा के खिलाफ बन गया । संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें कुछ नहीं करना चाहते हैं । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह केवल लालजी वर्मा का सवाल नहीं है, पूरे सदन का सवाल है और सभी विधायकों से संबंधित है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि दरोगा को एस० पी० ने कोई निर्देश नहीं दिया लेकिन दरोगा ने माननीय सदस्य को रोका । मैं चाहता हूं कि अगर यह कोई कार्यवाही न करें तो आप अपनी पीठ से निर्देश देने की कृपा करें कि सरकार उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे, यह मेरा अनुरोध है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं कोई प्रतिवाद करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । मेरा दायित्व है यह बताने का कि जो प्रश्न यहां पर उठाया गया है वह संगत नियमों के अन्तर्गत आता है या नहीं आता है ? इसलिये मैं नियम 300(5) की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । नियम–300 में प्रश्न उठाया है तो इसका पैरा–5 देखें । औचित्य का प्रश्न, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ..... अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो भी संगत नियमों में नहीं आयेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं ।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लालजी वर्मा के प्रश्न में कहा कि यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि किसी माननीय सदस्य को हाउस अरेस्ट किया गया तो चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिखित आदेश दिया हो या मौखिक, वह तो अलग बात है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी को इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच स्वयं करानी चाहिये । किसी माननीय सदस्य को बलात् रोका गया, इससे गम्भीर प्रश्न हो नहीं सकता । आज जो सत्ता पक्ष में है, कल वह प्रतिपक्ष में होंगे, जो आज प्रतिपक्ष में हैं, वह कल सत्ता पक्ष में होंगे । यह किसी सदस्य के विशेषाधिकार और मर्यादा का प्रश्न है । समितियों का विशेषाधिकार भी सदन के बराबर होता है । किसी थानाध्यक्ष ने बिना वारन्ट के हाउस अरेस्ट कर लिया, यह गम्भीर मामला है । लिखित आदेश नहीं रहा होगा तो मौखिक रहा होगा, यदि इस तरह की निरंकुशता होगी तो विधायिका पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसलिये जब आप पीठ से निर्देश दें तो सम्पूर्ण प्रकरण की जांच तथा दोषी लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की बात को भी शामिल कर लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों की भावनायें आ गई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनायें भी आ गयी । इस पर समुचित विचार करने के बाद, यह विषय महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं । लेकिन नियम 300 के औचित्य प्रश्न के रूप में इसे निरस्त करने की स्थिति है, अतः इसे मैं निरस्त करता हूं और माननीय सदस्य इसमें विशेषाधिकार की नोटिस यदि दें तो उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसका ठीक से परीक्षण कराकर जो इसके लिये दोषी/जिम्मेदार हों, उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें । शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय समरपाल सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री राम औतार शाक्य, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राजेन्द्र यादव की सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

आपने बिना सुने ही अस्वीकार कर दिया, आप सुन तो लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें, हम बता देंगे, कैसे यह नियमों में आती हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था आ गई है, बाकी सूचनायें अस्वीकृत की गई ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1991-92 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1992-93 †

पंजीयन,मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1991-92 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1992-93 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619–ए के प्राविधानों के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (पन्द्रहवां संशोधन) विनियम, 1998††

पंजीयन,मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 13/2/90–का०–1/98, दिनांक 16 मार्च, 1998 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (पन्द्रहवां संशोधन) विनियम, 1998 को विलम्ब के कारणों सहित, संविधान के अनुच्छेद 320 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे (वित्तीय वर्ष) 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96†††

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखे (वित्तीय वर्ष) 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 को, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 174 की धारा 23 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण *

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का अट्ठाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति–

(1) संख्या–क०सं० वि०-2–891/ग्यारह–9(198)–97 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 31-3-98

(2) संख्या–क०सं० वि०-2–892/ग्यारह–9(198)–97 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 31-3-98

(3) संख्या–क०सं० वि०-2–894/ग्यारह–9(198)–97 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 31-3-98

(4) संख्या–क०सं० वि०-2–1157/ग्यारह–9(45)–90 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 16-5-98

(5) संख्या–क०सं० वि०-2–1158/ग्यारह–9(45)–90 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 16-5-98

(6) संख्या–क०सं० वि०-2–1222/ग्यारह–9(133)–95 उ० प्र० अधि० 15-48–आदेश–98, दिनांक 22-5-98

को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार तथा विज्ञप्ति संख्या क०सं०वि०–2–893/ग्यारह–9(198)–97 उ० प्र० अधि०–15-48-आदेश–98, दिनांक 31 मार्च, 1998 को उ० प्र० व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–घ की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

††† छापा नहीं गया।

* छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1984-85††

पंजीयन,मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1984-85 को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के प्रस्तर 118(बी) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना †

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या–1513/15-10-95–15 (18) 94, दिनांक 5 मई, 1995 को विलम्ब के कारणों सहित उ० प्र० साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यिक) तथा प्रतिवेदन संख्या–2 (राजस्व प्राप्तियां) †

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यिक) तथा प्रतिवेदन संख्या–2 (राजस्व प्राप्तियां) को संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994 ††

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2344 टी/30-4-94-67-91 दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 की धारा–30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसी से संबंधित मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। फिर आप कहेंगे कि यह मद निकल गयी।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदन †††

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद के वर्ष 1985-86 से वर्ष 1995-96 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापे नहीं गये।

नियम 300 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न हम लोगों ने दिया है।

श्री अध्यक्ष–

हां, 3-4 माननीय सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर हैं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें तो व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मेरी जानकारी है इस संबंध में विधेयक की प्रतियां माननीय विधायकों को पहले से प्राप्त हो चुकी हैं। तो माननीय विधायकों को सूचित कर दिया गया प्रतियों के माध्यम से कि सरकार यह प्रस्तावित करना चाहती है। यह बिजली वाला विधेयक है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जी हां, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रतियां वितरित कर ली हैं फिर समाचार-पत्रों में आ गया है तो फिर नियम–300 में बात नहीं आयेगी। प्रतियां वितरित न होती तो बात दूसरी होती।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष को जो अनुमन्य सुविधायें हैं उनसे संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत तो वो नहीं आता, अलग से संज्ञान ले लिया है। जो मुझे निर्देश देने हैं, वह दे दिये हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सरकार के संज्ञान में बात आ जाय, आवास की उचित सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश से लोग, जन प्रतिनिधि आते हैं, छोटा सा मकान है, सफोकेशन हो गया, इसलिये नेता प्रतिपक्ष बीमार हो गये। छोटे-छोटे मंत्री हैं उनको तो बड़े-बड़े मकान एलाट हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 में मकान के संबंध में सूचना नहीं आती है लेकिन उसका अलग से संज्ञान लेकर निर्देश दे दिये हैं कि उनके स्तर का मकान आवंटित कर दिया जाय तो अब आपकी समस्या का समाधान भी हो गया और आपकी सूचना का निस्तारण भी हो गया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में तो नहीं आयेगा।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह तो संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी जब बजट में चर्चा आयेगी कि पूर्वांचल के लिये निधि है, पश्चिम के लिये कुछ नहीं है तो यह बात आप चर्चा में कह सकते हैं ।

श्री समर पाल सिंह–

संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जन्म-स्थान के हिसाब से भेद-भाव नहीं किया जायेगा । पूर्वांचल के लिये पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि बनाई गई है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप ही बतायें कि किस नियम का निर्वचन नहीं हो रहा है । विकास के लिये धन नहीं दिया गया है तो यह मामला नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है । मैं आगे की मद ले रहा हूं। मद संख्या–13, 14, 15, 16 में कुछ नहीं है । मद संख्या 17 ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आज उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान संशोधन विधेयक को इस सदन के पटल पर रखा गया है । इस विधेयक की धारा–2 (क) और (ख) में क्रमशः शब्द "चौदह प्रतिशत" के स्थान पर "बीस प्रतिशत" रख दिये जायें और शब्द "16 प्रतिशत" के स्थान पर "20 प्रतिशत" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो पुरःस्थापित करने हेतु सदन से अनुज्ञा मांगी जा रही है । अभी सदन ने अनुज्ञा नहीं दी है। इसी मामले में कुंवर रेवती रमण सिंह जी उठे हुए थे परन्तु बैठ गये । इसी प्रकार प्रमोद कुमार जी भी बैठ गये । यदि विधेयक की प्रतियां न वितरित हुई होती तो आप कहते । अब आप कृपा करके बैठ जायें ।

उ० प्र० मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) *

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा प्रारम्भ की जाती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1998-99 का इस विधान सभा में रखा है इस बजट का अगर आप अवलोकन करेंगे तो यह इस प्रदेश को बजाए आगे ले जाने के यह प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है। मुझे उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ ऐसे संसाधन जुटायेंगे जिससे जो प्रदेश की गाड़ी इस पटरी से उतर गयी है और ऋणग्रस्तता बढ़ गयी है और प्रदेश ऋण के भंवर जाल में फंस गया है इसको उबारने का कोई ठोस उपाय कल्याण सिंह जी करेंगे लेकिन जो बजट में प्रस्ताव आया है उसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश जो कि आजादी के समय ऊपर से तीसरे और चौथे स्थान पर था, आज नीचे से दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। एक साल इस सरकार को बने हो गया है और मैं यह उम्मीद करता था कि बजट में संसाधन जुटाने के प्रस्ताव पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये कोई ठोस उपाय जुटायेगी, लेकिन इसका अवलोकन अगर किया जाय तो इसमें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। मान्यवर, अभी जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया था बेहतर यह होता कि माननीय कल्याण सिंह यह प्रस्ताव अपने बजट में लाये होते। लेकिन इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है।

इस सत्र के समाप्त होते बिजली की दरें, बसों का किराया बढ़ने वाला नहीं है लेकिन यह परम्परा बन गयी है कि बजट में उल्लेख नहीं किया जाता। जब विधान सभा न हो तो लगातार कर लगाये जाते हैं और जनता पर बोझ बढ़ता रहता है और उसकी चर्चा विधान सभा में नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि जो प्रस्ताव माननीय कल्याण सिंह जी ने किये हैं उसे यह सरकार पूरा करेगी। मान्यवर, आज जो प्रदेश की मूल समस्या है उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे अपेक्षा करूंगा कि कोई कार्यवाही करेंगे। आज जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वह पूरे देश में सर्वाधिक है। 2.4 प्रतिशत की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। आल इण्डिया एवरेज 2.1

---

* दि० 24 जून, 1998 की कार्यवाही से आगे।

प्रतिशत है । आज प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ हो गयी है । हमारे संसाधन सीमित हैं लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि सरकार जन्म दर को कम करने का क्या उपाय करेगी ? अगर यह नहीं कर पायेगी, मान्यवर, आप देखें 74 से 80 के बीच में जो हमारा ग्रोथ रेट था वह पांच प्रतिशत था और आज तीन प्रतिशत का है जबकि भारत सरकार का 6 प्रतिशत है और वह 7, 8 प्रतिशत करने की कोशिश कर रही है, जो गरीबी की रेखा से नीचे 40 प्रतिशत लोग रहते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में रहते हैं, इसे कैसे पूरा करेंगे इसके बारे में माननीय कल्याण सिंह जी ने कुछ नहीं कहा है । मान्यवर, कल्याण सिंह जी के इस प्रस्ताव से कि हम स्वदेशी की तरफ, यह सरकार बढ़ रही है लेकिन आप इनका प्रस्ताव देखें तो यह सरकार ज्यादा निर्भर कर रही है विदेशी कर्जों पर । एक तरफ तो यह सरकार स्वदेशी की बात करती है और दूसरी तरफ विदेशी कर्ज की बात करती है कि विदेशी कर्ज हमें मिलेगा । मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री, जहां तक मुझे जानकारी है विश्व बैंक, आई० एम० एफ०, जापान और अन्य देशों ने आपके ऊपर से सैन्क्शन लगा रखी है कि आपको कोई ऋण नहीं मिलने वाला है और कल्पना करते हैं कि विदेशी कर्ज मिल जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि कर्ज कहां से मिल जायेगा ? यदि सही आंकड़े आप पेश करते तो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सही ढांचे का पता लगता किन्तु कल्पित बातें सोचकर यह बजट बनाया गया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेलवे के बाद सबसे बड़ा राज्य विद्युत परिषद् हमारा उपक्रम है और इसमें जबरदस्त घाटा चल रहा है । आप देखे कि विद्युत परिषद् में लाइन लासेस तीस प्रतिशत है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले पश्चिम बंगाल में लाइन लासेस 30 प्रतिशत थी और वहां कई-कई घंटे बिजली की कटौती करनी पड़ती थी लेकिन आज पश्चिम बंगाल में लाईन लासेस घटकर 7 प्रतिशत हो गयी हैं । क्या इसी प्रकार इस प्रदेश में आपने ऐसा काम किया है कि लाइन लासेस और चोरी को कम करने का कोई प्राविधान किया गया है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जब तक इस राज्य विद्युत परिषद् का विघटन नहीं किया जायेगा और ट्रांसमीशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसे तीन खण्डों में नहीं बांटेंगे तब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में कोई इच्छाशक्ति नहीं है इसलिये यह ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस प्रदेश का भला हो सके । यदि ऐसा होता तो 8-9 महीने हो गये हैं लेकिन सरकार की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक द्वारा हमने सर्वेक्षण कराया है और जल्दी ही कोई निर्णय लेने वाले हैं किन्तु आज तक वह निर्णय सामने नहीं आया है ।

मान्यवर, परिवहन के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह लगातार घाटे में चल रहा है । परिवहन विभाग में आठ हजार बसें हैं सम्भवतः बढ़ गयी हों तो मुझे नहीं मालुम लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज हर रोड पर प्राइवेट बसें, जीपें और मिनी बसें चल रही हैं उनको जो आमदनी होती है वह आर० टी० ओ० और पुलिस में आय का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है । यदि आज सीमा तय कर दें कि इतनी बसों से अधिक बसें नहीं बढ़ायेंगे और रोड टैक्स बढ़ा दें तो आपके खजाने में पैसा आ जायेगा और उससे सड़क बनाने के संबंध में जो प्रस्ताव रखे हैं उनको आप कार्यान्वित कर सकेंगे । इसलिये आप में कोई इच्छा शक्ति नहीं है अतः आपको काम करने की इच्छा शक्ति बनानी चाहिए ।

मान्यवर, आप बजट को देखें तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले वर्ष स्टीमेट 7,246.57 करोड़ रुपये का था और आपने 611.27 करोड़ रुपये उधार लिया था । 333.30 करोड़ रुपये का घाटा बरकरार था, लेकिन बजट का ओपनिंग बैलेंस 913.53 करोड़ रुपये है, बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि यह धन कहां से आयेगा । मेरी समझ में नहीं आया कि यह धन आप कहां से लायेंगे ।

मान्यवर, इसी प्रकार से 20 हजार करोड़ रुपये जो सरकारी कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड है, उसे भी सरकार अनप्रोडक्टिव खर्चे में व्यय कर रही है । मेरा सुझाव है कि इसको अनप्रोडक्टिव खर्चे में न प्रयोग करें, इसको इनफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें, तो यह बात समझ में आती है । मान्यवर, जिस प्रकार से इनफ्लेशन बढ़ रहा है, 6.5 प्रतिशत इनफ्लेशन है, इतना पहले कभी नहीं हुआ, यह सर्वाधिक बढ़ा है । इतना कभी नहीं बढ़ा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 हजार करोड़ रुपये को अनप्रोडक्टिव खर्चे में न खर्च करें । मान्यवर, 1998-99 के प्लान में 9 हजार करोड़ रुपया तय किया गया है, लेकिन यह पैसा कहां से आयेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि यह पैसा कहां से जुटा पायेंगे ? इन्होंने न कोई अपनी ऋण नीति बताया है और न कुछ बताया है । सरकार ने 5500 करोड़ रुपया मुहैय्या करने की बात की है, तो यह 4500 करोड़ रुपया कहां से आयेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिये हैं । पिछले वर्ष प्लान में 1600 करोड़ रुपये की कमी थी और इस कमी को आपने कहां से पूरा किया है । यह स्वदेशी की बात करते हैं और 721 करोड़ रुपये से लेकर 1567 करोड़ विदेशी ऋण से मुहैय्या करायेंगे । मान्यवर, यह एक ओर तो स्वदेशी चिल्लाते हैं और दूसरी ओर विदेशों से कर्जा ले रहे हैं । आप यह कर्जा कहां से लायेंगे, आपने किसी देश का नाम नहीं बताया है, आज आपको कोई देश कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है । जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि विधायक निधि बनायेंगे और 50 लाख रुपया हर विधायक को देंगे, लेकिन जब मैंने बजट को देखा तो मात्र एक हजार का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, यह धन कहां से आप लायेंगे ? हम लोगों को बताने की कृपा करें, किन संसाधनों से यह धन लायेंगे । सरकार ने कहा कि हम रोप-फण्ड बनायेंगे, लेकिन पैसा कहां से आयेगा, इसका बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ? इसलिये मैंने कहा कि यह बजट कपोलकल्पित है । केवल आंकड़ों पर यह बनाया गया है । आप एक लक्ष्य निर्धारित कर दें आने वाले दिनों के पूर्व में दो सड़कें, पश्चिम में दो सड़कें और पहाड़ों में दो सड़कें इतने कि०मी० की बनाई जायेंगी । आप इन सड़कों को सीमेंट की बनाइये । डामर की सड़कें बर्षात आते ही टूट जाती हैं । मान्यवर, आप विदेशों में गये हैं वहां नैशनल हाई वे सीमेंट के बने हैं, बम्बई महाराष्ट्र में सीमेन्ट की सड़कें बनी हैं इनमें अनुरक्षण पर खर्च कम होता है । डामर की सड़कें पानी पड़ते ही बेकार हो जाती हैं। आपके पास इतना धन नहीं है कि आप उनकी मरम्मत कर सकें ।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ कानपुर बनाया जाय जैसा कि बम्बई पूना एक्सप्रेस हाईवे है । आप प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे बनायें आप वही लकीर के फकीर बन कर चल रहे हैं । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने न्यूज कांफ्रेंस में कहा कि पिकअप, यू० पी० एस० आई० डी० सी० आदि इंस्टीट्यूशंस अपने शेयर बेचेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वह पैसा कहां खर्च करेंगे क्या इसकी कोई आपने योजना बनायी है, किसी प्रोडक्टिव वर्क पर यह खर्च होना चाहिए । आज 25 करोड़ रुपया सरकार का मंत्रिमण्डल पर खर्च हो रहा है । आज तक किसी मंत्रिमण्डल पर इतना खर्च नहीं हुआ । आप मितव्ययता की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से आप खर्च कर रहे हैं उसमें यह 25 करोड़ की सीमा लांघ जायेंगे ।

इसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर अनुत्पादक पब्लिक सेक्टर हैं जो कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं और लगातार करोड़ों अरबों का घाटा दे रहे हैं उनको चलाने का कोई औचित्य नहीं है इसका उल्लेख आपने बजट में नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि यह तो पिकअप, यू० पी० एस० आई० डी० सी० आदि का पैसा है इसको खर्च करने के लिये कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जैसे सड़कें हैं, उद्योग धन्धे हैं, सिंचाई है, उनमें उन पैसों को लगायें इससे प्रदेश की ही तरक्की होगी ।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो अत्यन्त निराशाजनक है पूरा सदन इस बात से अवगत है कि आज प्राइमरी शिक्षा पूरी तरह से तबाह हो गयी है कहीं भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है लोग मजबूर होकर बच्चों को नर्सरी स्कूलों में भेज रहे हैं कोई प्राइमरी स्कूलों में भेजना नहीं चाहता क्योंकि वहां मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। माननीय कल्याण सिंह एक अध्यापक रहे हैं इस बजट में इस बात का प्राविधान होना चाहिए था कि बेहतर शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में देने की व्यवस्था की जायेगी आज से 15 साल पहले प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे केवल अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सब विषयों में पारंगत होते थे और वहां से आई० ए० एस०, मेडिकल, इंजीनियरिंग परीक्षा में कम्पीट करते थे और आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा जाय तो उसे 10 का पहाड़ा भी नहीं आता तो इन स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये जिस तरह से नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। उसी तरह से प्राइमरी नवोदय विद्यालय हर ब्लाक में हर पंचायत में खोलने की व्यवस्था करें इससे गरीब किसानों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से पब्लिक स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उसी तरह की व्यवस्था इन स्कूलों में करें। इस समय एक कमरे दो कमरे में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं उसमें भी टीचर कहीं एक है, तो कहीं दो, तो मैं चाहता हूं कि टीचर की संख्या बढ़ायें और कमरों की संख्या दोगुनी करें। बच्चे जमीन पर बैठते हैं उनको कुर्सी मेज तक नहीं दी जाती है इस समय हमारे यहां शिक्षा की स्थिति निराशाजनक है। 48 प्रतिशत लोग साक्षर हैं और 52 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं तो इतनी संख्या में लोग निरक्षर होंगे तो प्रदेश कहां जायेगा ? मैं चाहता हूं कि अनौपचारिक शिक्षा एडल्ट एजूकेशन पर व्यय बंद करके प्राइमरी स्कूलों पर धन खर्च किया जाय। इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपका कोई डाक्टर जाना नहीं चाहता है। मेरी राय है कि आप 2 कैडर बनायें एक ग्रामीण अंचल के लिये और दूसरे शहरी अंचल के लिये। इसमें कम्पलसरी कर दीजिये कि डाक्टर को वहां रहना पड़ेगा और ग्रामीण अंचल की सेवा करनी पड़ेगी। इसी तरह से गरीबी की रेखा के नीचे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं। अगर इनके जीवन में गुणवत्ता लानी है और जीवन स्तर में सुधार लाना है तो इसमें पंचायत द्वारा धन खर्च कराया जाय। सरकारी अफसरों द्वारा न कराया जाय। सरकारी अफसरों द्वारा जो धन खर्च कराया जाता है वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उस कार्य में गुणवत्ता नहीं होती है।

जो कार्य पंचायत कराती है उसमें गुणवत्ता होती है। गांवों में बेरोजगारी बहुत है। मैं चाहता हूं कि हर ब्लाक पर कम से कम एक टेक्निकल स्कूल खोलें जहां पर बच्चों को टेक्निकल शिक्षा दी जा सके और जो हमारे ग्रामीण अंचलों पर इंटरमीडिएट कालेज हैं वहां पर टेक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। अनुदान सूची पर सन् 86 के विद्यालय अब लिये जा रहे हैं। हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में 200-300 रुपये महीने अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज में बच्चे ज्यादा हैं लेकिन अनुदान सूची में विद्यालय नहीं हैं। इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी विद्यालय 5 साल में अनुदान सूची में अवश्य आ जाना चाहिए। अब मैं पूंजी निवेश के बारे में कहना चाहता हूं जबसे यह सरकार बनी है कहीं भी एक पैसे का पूंजीनिवेश नहीं हुआ है। पावर सेक्टर में आये दिन पूंजी निवेश की बात कही जाती है लेकिन आज तक सरकार ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। आनपरा-ए, आनपरा-बी, जापान ने बनाया था। आनपरा-सी जापान बनाने को तैयार था लेकिन सरकार ने जापान से नहीं बनवाया। मंत्री जी कहते हैं कि ग्लोबल टेंडर करेंगे। 5 साल में एक तापीय विद्युत गृह बनेगा। आपका पी० एल० एफ० 20-30 प्रतिशत के बीच में है। आनपरा-ए तथा आनपरा-बी की वजह से ही यह 55 फीसदी पर आया है वरना इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसमें कोताही न करें प्रदेश को आगे ले जाना है तो बिजली से बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। इसमें पूंजी निवेश नहीं होगा तो आपके यहां उद्योग नहीं आयेंगे और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जायगी और निरक्षर लोगों की संख्या भी बढ़ जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

एक छोटी सी सूचना है । मैंने जो क्रम निर्धारित किया है उसमें दल के माननीय सदस्यों की वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए 2 विपक्ष और 1 सत्तापक्ष से बोलेंगे ताकि सबका समन्वय हो जाय । मौटे-तौर पर क्रम का उल्लेख कर देता हूं । इसमें परिवर्तन बीच में हो सकता है । माननीय प्रमोद कुमार, माननीय अमर मणि त्रिपाठी, माननीय लालजी वर्मा, माननीय समरपाल सिंह, माननीय मातवर सिंह कण्डारी, माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, माननीय शिव पाल सिंह यादव, माननीय कैलाश सिंह राजपूत, माननीय मुन्ना चौहान, माननीय श्याम किशोर यादव, माननीय नारायण रामदास जी । इतना क्रम है इसके बाद इसी प्रकार का क्रम है ।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1998-99 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो नेता प्रतिपक्ष ने अपने विस्तृत भाषण में या माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने अपने भाषण में कह दिया है मैं उन बातों को अपने से अलग रखने का प्रयास कर रहा हूं परन्तु कुछ आपत्तियां हैं उनको आपके समक्ष रखना अपना कर्तव्य समझता हूं । मान्यवर, यह बजट देखिये ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में वह पूरे शासन काल में रहे इसीलिये इन्होंने इसी सोच के साथ केवल दो-तीन महीने के लिये ही जैसे यह बजट बनाया है । वर्ष भर रहने की न इनकी रुचि है, न इच्छा शक्ति है न इन्होंने ऐसा प्राविधान ही किया है । यह पूरी तरह से दिशाहीन, संकल्पहीन और मैं कह देना चाहूंगा कि जिस तरह से यह सरकार दिग्भ्रमित है उसी तरह से यह बजट भी दिग्भ्रमित करने वाला है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो शुद्ध घाटा दिखाया है 339.90 करोड़ रुपये का ।

मान्यवर, इससे ज्यादा आंकड़ों की बाजीगरी और सदन को गुमराह करने वाली कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है । मान्यवर, अगर इस पर नजर डाली जाय तो इनके अनुसार जो 1998-99 में 97-98 की बजट धनराशि आयी है उसको उन्होंने सम्पूर्ण घाटे से कम कर दिया है 97-98 का 1259 करोड़ का जो शुद्ध घाटा है उसमें से 119 करोड़ कम करके 339 करोड़ कर दिया है । मान्यवर, इतना कम घाटा हो ही नहीं सकता है यह असम्भव है, यह एक तरह से सदन को गुमराह करने की बात है जिस 919 करोड़ से अपने वित्तीय घाटे को कम किया है वह पिछले साल का अवशेष है । पिछले साल स्वयं घाटे का बजट था । यह वह अवशेष है जो 31 मार्च तक खर्च नहीं हो पाया बचा रह गया तो उसको कह दिया कि यह बचत है । यह कहीं रखा हुआ धन नहीं है । यह किसी न किसी योजना में कहीं-कहीं लगा हुआ है क्योंकि यह 31 मार्च से पूर्व खर्च नहीं हो पाया इसलिये इसको बचत कह दिया । इनके पास दो ही विकल्प हैं या तो यह जो पिछली योजनायें हैं जिनके लिये पैसा आवंटित था, उनको बन्द कर दिया जायेगा । जैसे पुल पर 80 लाख खर्च हो गया और 20 लाख बचा है और उसका काम भी शेष है तो या तो उसे वहीं बन्द कर दें या फिर से उसके लिये और धनराशि लायें क्योंकि उसके लिये आवंटित धन को 31 मार्च तक खर्च न कर पाने के कारण इन्होंने उसे बचत में दिखा दिया । मान्यवर, इस तरह से धोखा देने वाला घाटे को घटाकर दिखाकर निन्दनीय और पूरे प्रदेश के साथ विश्वासघात किया है । यह जो 919 करोड़ रुपये सरकार के पास दिखाये जा रहे हैं । यह इनके पास उपलब्ध नहीं हैं किसी न किसी योजना में आवंटित धन है, जो योजनायें चल रही थीं उनका पैसा है । इनके पास दो विकल्प हैं या तो उस योजना को बन्द कर दें या इस साल के बजट घाटे को कम कर दें ।

मान्यवर, बजट घाटे को पूरा करने के लिये दो-तीन आशाएं दर्शायी गयी हैं । इन्होंने कहा है कि वाह्य सहायता मिलेगी । इसमें यह नहीं कहा है कि कहां से क्या सहायता मिलेगी ? मान्यवर, इनके

पास इतने संसाधन हैं नहीं यह सहायता कहां से मिलेगी ? केन्द्र से जो निश्चित सहायता मिलती है वही ऐनुअल प्लान के हिसाब से उनका ऐनुअल बजट है उसके अनुसार ही मिलेगी । जो हर प्रदेश को मिलता है वहीं आपको मिल जाय तो बहुत बड़ी बात है । इन्होंने कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिलेगी । यह बजट भाषण तब बना था जब पोखरन का मामला नहीं आया था । वाह्य सहायता पूरी तरह से जापान, अमेरिका और योरोप पर आधारित है । जापान चूंकि इस त्रासदी से गुजर चुका है इसलिये इनका कहना है कि परमाणु सम्पन्न जो राज्य हैं उनको एक पैसे की सहायता नहीं देंगे तो जो वाह्य आर्थिक सहायता से पुल बन रहे थे, सड़कें बन रही थीं, बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही थीं वह कैसे बनेंगी जापान तो सेंशन लगा चुका है तो वाह्य सहायता जो पहले मिल रही थी वही बन्द हो रही है आगे वाह्य सहायता क्या मिलेगी इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है ? इन्होंने कहा है कि सादगी और मितव्ययता से बजट घाटे को खत्म करेंगे । कहां से खत्म करेंगे इसका मतलब अब तक यह सादगी से नहीं रह रहे थे भड़कीले ढंग से रह रहे हैं । यह खर्चे को कैसे कम करेंगे जब इनके 94-95 मंत्री हैं तो निश्चित रूप से इनकी स्थापना पर कुछ न कुछ तो खर्चा आएगा ही, उनकी संख्या यह कम नहीं कर सकते हैं इनके रख-रखाव में 25 करोड़ रुपया चला गया । 55 लाख रुपये की घाय यह महीने में पी जाते हैं ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)–

आप लोग ही पीते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं सम्पूर्ण मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं ।

श्री अमरमणि–

मैं सम्पूर्ण मंत्रिमंडल की तरफ से कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पूरा कर लेने दें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्रिमंडल पर 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और यह सादगी की बात करते हैं अभी तक यह भड़कीले ढंग से रहे हैं । सादगी की बात यह करते हैं तो कुछ राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अरेंजमेंटस नहीं हैं एक कार है तो क्या उसको वापस ले लेंगे ? हर बजट भाषण में दो लाइन लिख दी जाती हैं लेकिन घाटा न पूरा हुआ है और न आगे पूरा होने वाला है । मान्यवर, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता के साथ धोखे की नीति अपनाई जा रही है । इन्होंने जनता के ऊपर सीधे कर तो नहीं लगाये लेकिन बैक डोर टैक्सेशन लगाये हैं बैक डोर टैक्सेशन के माध्यम से जनता के ऊपर बोझ लादा जा रहा है मान्यवर, आप आज की कार्यसूची देख लें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मान्यवर, आप आज की कार्यसूची में मद संख्या 11 देखें इसमें लिखा है– "मुख्य मंत्री परिवहन विभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2344 टी/30-4-94-67-91 दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे ।" मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसी तरह से आप देख लें "उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है।

यह मुख्य बजट का अंग नहीं है लेकिन मान्यवर, इन्होंने डीजल के दाम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये हैं जब ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं तो इसको मुख्य बजट में रखने में क्या इनको शर्म आ रही है ? बैक डोर टैक्सेशन में शर्म महसूस नहीं हो रही है। आज बजट प्रस्तुत हो रहा है आज ही दाम बढ़ाए दे रहे हैं। केन्द्र से दाम बढ़ते तो अलग बात थी जहां से इम्पोर्ट करते हैं वह बढ़ाते तो अलग बात होती लेकिन इन्होंने दाम बढ़ा दिये। पेट्रोल पर 1.20 पैसा और डीजल पर 60 पैसा बढ़ा रहे हैं। यह जो टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं वह वास्तविक बजट से अलग कर रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं यह कहने की बात नहीं है। इनकी कथनी और करनी की सच्चाई सामने आ गई है समय-समय पर घोषणा करते हैं कि बिजली कर बढ़ाना पड़ेगा तो आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बसों के संचालन में खर्च ज्यादा आएगा और जब संचालन में खर्च ज्यादा आएगा तो बसों के किराये में बढ़ोत्तरी होगी। हमारे यहां देहातों में खुदरा व्यापारी अपना सामान बसों में ही लाते जाते हैं अतः उनके सामान के किराये में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। इस तरह से सरकार ने सदन को धोखा देने का काम किया है।

सचिवालय सेवाओं के लिये 2700 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह धनराशि देखने में तो ज्यादा लग रही है लेकिन 2700 करोड़ रुपये सचिवालय सेवा के लिये करके इन्होंने शिक्षकों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक उद्योग से जुड़े हुए कर्मचारियों के साथ अन्याय की घोषणा कर दी है। क्योंकि वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जो धनराशि दी जानी है अगर वह धनराशि देंगे तो यह 2700 करोड़ रुपये नाकाफी होंगे। यह बजट पूरी तरह से कर्मचारी और श्रमिक विरोधी है। किसी भी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके अनुसार वह अपने नागरिकों को सुरक्षा देती है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, शिक्षा की व्यवस्था करती है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने शिक्षा की मद में कमी कर दी है। जबकि केरल के मुकाबले हम 50 प्रतिशत भी शिक्षित नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भवनों के लिये वर्ष 1998-99 में 30.63 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जबकि पिछले वर्ष 1997-98 में यह धनराशि 81 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष 817 करोड़ रुपये से घटाकर इसे 30.63 करोड़ रुपये कर दिया है। शिक्षा को बढ़ाने की जो आपकी लम्बी चौड़ी घोषणायें हैं वह आंकड़े स्वयं ही कर दे रहे हैं। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इस धन को बढ़ाकर 100 करोड़ 150 करोड़ रुपये कर देते तो मैं मानता कि इस तरफ इनका ध्यान है। मैं इस बात के लिये सरकार की निन्दा करता हूं। इसी तरह से आज की तारीख में मेरे हिसाब से 20-25 नये जिलों का सृजन हो गया है वहां भवन नहीं हैं, कितनी तहसीलों और ब्लाकों की घोषणायें हो चुकी हैं और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी आयत होती है क्योंकि पिछली सरकार में भी यह 50 प्रतिशत के साझीदार थे। अगर नये जिलों के सृजन पर आपको ऐतराज था तो आपको मंत्रिमंडल से हट जाना चाहिये था, इस मद में 47 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जबकि वर्ष 1997-98 में नये जिलों के लिये 51 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। जब नये जिले जो बने हैं वहां पर भवन ही नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा इससे सरकार की कंगाली का पता चलता है।

इसी तरह से सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश सिंह को श्री कल्याण जी के करीबी होने के कारण दीर्घ सिंचाई में तो वृद्धि कर दी गई लेकिन श्री मार्कण्डेय चन्द्र जी बाहर के थे इसलिये उनके साथ बाहर वालों जैसा हश्र हो रहा है। जबकि लघु सिंचाई योजना में 80 प्रतिशत कृषक आते हैं। इस मद में पिछले वर्ष 29.22 करोड़ रुपये मिले थे इसको घटाकर इस वर्ष 19 करोड़ रुपये

कर दिये गये । इस तरह से इस मद में करीब 33 प्रतिशत की कमी कर दी गई । इसी प्रकार चिकित्सा में, सिंचाई में कमी की गई । कुल मिलाकर कोई ऐसा अंश नहीं बचा है जिसमें आपने कमी न की हो । ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन होने जा रहा है उस आयोग के समक्ष जब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे तो कुल परिसम्पत्तियों का विवरण देंगे लेकिन आज परिसम्पत्तियों में कमी हो रही है । आज नई परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं कर पा रहे हैं और परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं करेंगे और केन्द्र के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जो 11वां वित्त आयोग है वह आपके साथ फैसला नहीं करेगा । मैं आग्रह करूंगा कि अपनी परिसम्पत्तियां बढ़ायें । इस सरकार के संदर्भ में दो सुझाव देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से यह एक ज्यादती कर रहे हैं, यह बहुत गम्भीर विषय है इसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । अगर देखें तो जो केन्द्र की सरकार के केन्द्रीय अंश जो राज्य को 29 प्रतिशत देने का निर्णय लिया था आप आश्चर्य करेंगे यह जानकर कि उत्तर प्रदेश को मात्र 26 प्रतिशत ही मिला है । जबकि घोषणा 29 प्रतिशत की गयी थी । 29 और 26 प्रतिशत के बीच में 600 करोड़ रुपये का घाटा है ।

इस सरकार की कमजोरी या इनकी नासमझी के कारण उत्तर प्रदेश को 26 प्रतिशत मिल रहा है । जबकि केन्द्र में भी इनकी पार्टी की सरकार है 600 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और आप बैठे हुए हैं । विधायक निधि के बारे में कहा गया कि हमने 50 लाख रुपया दे दिया । पिछली बार जब बात आयी थी तो यह कहा गया था कि जो सांसदों को मिल रहा है उसका आधा विधायकों को दे दीजिये । अब सांसदों को दो करोड़ रुपया मिल रहा है तो उस हिसाब से एक करोड़ रुपया विधायकों को मिलना चाहिये था । आपने 50 लाख रुपये दे दिया । 50 लाख रुपये में तो 5-6 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनेगी । हम एक ब्लाक में दो किलोमीटर सड़क भी नहीं बनवा पायेंगे । अब मान्यवर, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । इस सरकार ने अल्पबचत से तीन हजार करोड़ रुपये अगले वर्ष जुटाने का निर्णय लिया है । यह अब तक 1500 करोड़ रुपया जुटा पाये हैं । यह 1500 करोड़ रुपये का घाटा फिर मिलने वाला है । इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया । यह सारा घाटा लगभग 4 हजार करोड़ रुपये बैठेगा । आंकड़ों के हिसाब से 339.90 करोड़ रुपया दिखाया गया है । 992 करोड़ रुपया और 1500 करोड़ रुपया अल्पबचत का जोड़ दिया गया और जो वास्य संसाधनों की बात कही गयी है उसके कारण भी यह है । अगर कानून और व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तो प्रदेश की हालत और भी खराब हो जायेगी । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत लगभग 150 यूनिटें दिल्ली से बाहर पर्यावरण के कारण शिफ्ट हो रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिट नहीं आ रही है । हरियाणा और राजस्थान में जा रही हैं । इससे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था उजागर होती है । इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

युवा कल्याण राज्य मंत्री–(श्री अमर मणि)–

मान्यवर, आपने बजट के पक्ष में बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने बहुमूल्य सुझाव दिये । हमारी सरकार ने सार्थक प्रयास किया है कि समाज में जो व्याप्त असुविधायें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो विगत कई वर्षों से 1989-97 तक प्रदेश में अस्थिरता व्याप्त रही है, जिसके कारण यह प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई 6 महीने की सरकार, कोई 10 महीने की सरकार, कोई 15 महीने की सरकार और कई बार राष्ट्रपति शासन भी इस प्रदेश में लगा, जिसके कारण प्रदेश को विकास को जो रास्ता अख्तियार करना था, जिस रास्ते पर प्रदेश को चलना था, जिस रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश के जनमानस की आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति करनी थी, वह नहीं हो सकीं । जाति, उपजाति और तमाम इस तरह के नारे देकर सरकारें आई लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हुआ ।

डा० भीमराव अम्बेदकर के नाम पर कई सरकारें आई, उनके नाम पर पार्क भी बनवाने का प्रयास किया गया, पार्क बनवाया भी गया लेकिन आज अधूरा पड़ा है, जिसके नाम पर सरकार बनाई गई, उसमें भी भ्रष्टाचार छोड़ा नहीं गया और जब जांच कराई गई, तो करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार जांच में प्रकाश में आया है। इसी 6 महीने की सरकार में ग्रेटर नोएडा की बहुमूल्य जमीन के मामले में 700 करोड़ का घपला किया और इसकी जांच आज भी लम्बित है, कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार मंडी समिति की जमीन में घपला किया गया, पूर्व की सरकार द्वारा, जिसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्यवाही करने का प्रयास किया है ; हमारी सरकार अभी बहुत दिनों की सरकार नहीं है, फिर भी हमने एक सार्थक पहल की है .....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बहुत दिनों की सरकार नहीं है, इसका मतलब यह कि यह लोग जल्दी ही जाने वाले हैं क्या ?

श्री अमर मणि–

यह प्रयास तो आप लोगों ने किया ही था, यहां पाल साहब मौजूद हैं, किस भाड़े तरीकें से, किस गन्दे तरीके से रात के ।। बजे आपके मित्रों ने इस सरकार को, प्रदेश को अस्थिरता की आग में झोंकने का काम किया था और एक लोकप्रिय सरकार की जगह, प्रदेश को एक ऐसे हाथों में देने का काम किया था जिससे फिर भ्रष्टाचार हो सके।

हमारी सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसके लिये माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार है और हमने आपस में यह तय किया है। अभी माननीय सदस्य यादव जी ने एक सवाल उठाया, कहा कि राज्य मंत्रियो में अर्न्तविरोध है। मान्यवर, अर्न्तविरोध और विचारों की विषमतायें हुआ करती हैं और हो सकता है कि हो। लेकिन हम एक हैं और हम एक इसलिये हैं कि हमने प्रदेश में संकल्प लिया था, पाल जी ने भी संकल्प लिया था कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले चलना है।

मान्यवर, वर्ष 1989 से 1997 तक एक भी पावर प्रोजेक्ट इस प्रदेश में नहीं लगा, जिससे हम अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें, देहातों, गांवों में विद्युत आपूर्ति कर सकें, आप लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें। क्यों नहीं लगा क्योंकि प्रदेश की अस्थिर सरकारें, भ्रष्टाचार में लिप्त, नहायी सरकारों के कारण पिछले 10 वर्षों में एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लग पाया, इस कारण एक भी मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ पाया और इस बीच मांग दोगुनी हो गई, इस कारण मांग और पूर्ति में खाई बड़ी हो गई। इसी कारण से आज तमाम गांवों में कटौती का सहारा लेना पड़ रहा है तथा नेशनल ग्रिड से महंगी बिजली खरीदकर इस प्रदेश के लोगों की इच्छापूर्ति करनी पड़ रही है।

(इस समय । बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए।)

इस प्रकार से हमारी सरकार ने प्रयास किया है आपने देखा कि कई वर्षों से हम लोगों ने प्रतिपक्ष में बैठकर बार-बार यह उठाया था, हम अपनी लाचारी बार-बार सब सरकारों से कहते रहे, मायावती की सरकार में कहते रहे, माननीय प्रमोद जी, माननीय पाल जी, हम सब लोगों ने उठाया था कि विधायक निधि की घोषणा कर दें। उस समय की कार्यवाही उठाकर देख लें। श्री प्रमोद जी 25 लाख तक में सहमत थे, बार बार दबाव डाला मायावती पर कि 25 लाख दे दो। मान्यवर, हमारे पास कोई ऐसा धन नहीं होता जिसमें हम अपने क्षेत्र के लोगों की मांग को पूर्ण कर सकें। पुल, पुलिया, सड़क, खड़ंजा आदि बनवानी है तो कोई धन हम लोगों के पास नहीं था। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा

प्राविधान किया है कि जो हमें मानसिक यातना होती थी जब हम क्षेत्र में जाते थे क्योकि कोई धन की व्यवस्था नहीं थी जिससे हम क्षेत्र का विकास कर सकें।

गांव के लोग कहें कि एक पुलिया चाहिये, 50 मीटर सड़क चाहिये या 40 मीटर खड़ंजा चाहिये तो हम नहीं दे सकते थे। लेकिन इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि दिया है इससे जनप्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि हुई है इसे स्वीकार करे या न करें लेकिन बजट में जो प्राविधान किया गया है उसके लिये सरकार को अपने बजट को संतुलित बजट कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसके साथ ही जो हमारी बजट पुस्तिका है इसमें हमने प्रत्येक बिन्दुओं पर विस्तार से विचार किया है। मान्यवर, ये पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार रहा है, जो सरकारी अधिकारी कार्य संस्कृति भूल गये थे, जो अस्थिर सरकारों के नाते अधिकारी अपने भवनों और कार्यालयों में अपने आपको सीमित रखे हुए थे उसमें हमारी सरकार ने प्रयास किया है तहसील दिवस के नाम पर, कृषि सेवा केन्द्र के नाम पर कि अधिकारी गांवों में जायें और वहां जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें, जो सार्थक प्रयास हो सकता है, पहल हो सकता है, उनके निराकरण के लिये, वह करें। इस तरह से हमारा जो लोकप्रिय और संतुलित बजट रखने का प्रयास किया गया है, रचनात्मक बजट रखने का प्रयास किया गया है, इसका मैं पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 1998-99 के सामान्य बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, माननीय नेता सदन द्वारा, जो वित्त मंत्री भी हैं, इस सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया दिशाहीन और इस प्रदेश को विकास से कोसों दूर रखने वाला बजट है। मान्यवर, बड़ी बड़ी घोषणायें इस बजट के साहित्य में की गयी हैं लेकिन जब आप इसको विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे तो सारा परिणाम शून्य पर दिखाई देगा। मान्यवर, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने साहित्य में कहा है कि आज प्रदेश के ऊपर 50 हजार करोड़ का ऋण हो गया है। मान्यवर, जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया जिनसे ऋण की स्थिति में कोई कमी नहीं की गयी है बल्कि इस बजट के बाद अगले वर्ष जब हम देखेंगे तो उसमें प्रदेश की जो ऋण व्यवस्था है उसे 50 से बढ़कर 59 हजार करोड़ हो जाने की सम्भावना है। इस बजट से प्रदेश के विकास को सुधारने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, उसी तरह से भाई प्रमोद कुमार जी बजट भाषण पर कह रहे थे। आज यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है, घाटा कम करके दिखाया गया है, उनके अनुसार घाटा ज्यादा है। मान्यवर, वास्तव में जो घाटा है वह अधिक बढ़ रहा है। कुल 329 करोड़ रुपये का घाटा बताया जा रहा है। प्राप्तियां जो दिखाई गई हैं, उसमें 8838.56 करोड़ रुपये ऋण से प्राप्ति है जबकि पिछले वर्ष केवल 6652 करोड़ रुपये ऋण लिया गया था। अबकी बार 8838 करोड़ रुपये की ऋणों की प्राप्तियां हैं। जो लोक लेखा की प्राप्ति है, उस धन को भी प्राप्ति में दिखाने का काम किया गया है। मान्यवर, वर्ष 1994-95 में जो बजट पेश हुआ था, माननीय नेता सदन प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा था कि इस बजट में 1153.84 करोड़ रुपये लोक लेखा से निकाले जा रहे हैं। यह आज तक का सबसे ज्यादा लोक लेखा का धन है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया। उसमें लोक लेखा से 3438.86 करोड़ रुपये है।

मान्यवर, इस तरह से जब हम वास्तव में घाटे की तरफ देखने का काम करते हैं, तो यह दिखता है कि वास्तविक घाटा 12.617.32 करोड़ रुपये होता है। मान्यवर, जो हमारे प्रदेश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लगातार जो आयोजनागत खर्चा है और आयोजनेत्तर खर्चा है.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी जो मुझे सूचना मिली है आप इस बजट पर 22 तारीख को अपने विचार रख चुके हैं, जो बजट की सामान्य चर्चा है, उसमें सदस्य एक बार ही भाग ले पाते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपको गलत सूचना दी गयी है। ये मेरे साथ नाइन्साफी है। मान्यवर, हमारे दल में 48 मेम्बर हैं, मैंने यह बात अध्यक्ष जी के संज्ञान में लायी थी कि लोक सभा में हर दल को सदस्य संख्या के आधार पर समय दिया जाता है। बजट भाषण पर सामान्य चर्चा लगभग 15 घंटे की हो रही है तो उस हिसाब से हमारे दल को 2 घण्टे से ज्यादा का समय मिलना चाहिए, जो भी सदस्य हमारे दल के हैं, उसी सीमा में बोलना चाहते हैं। अगर दो घण्टे से कम समय देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। मान्यवर, जो आपने कहा उससे मुझे बेहद कष्ट हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आपके मन में कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। आप हमें बजट की सामान्य चर्चा में आये अच्छे विचारों से लाभान्वित ही करेंगे, आपका अच्छा अध्ययन है, अनुभव है। हम लोग उससे लाभान्वित होना चाहेंगे। दिनांक 22 तारीख या अन्य किसी तिथि में आप नहीं बोले यह सूचना थी कि आप सम्मिलित हुए थे।

श्री लालजी वर्मा–

अगर मैं बोला हूं तो सदन की सदस्यता से.....

श्री अधिष्ठाता–

इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, अगर बोले होंगे तो रिकार्ड में होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है। आप हमारे संरक्षक हैं। जब भी कोई निर्णय इस पीठ से दिया जाता है तो यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी माननीय सदस्य की भावना को चोट न पहुंचे। इस कुर्सी से कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत गलत संदेश बाहर जाता है। अधिष्ठाता जैसी कुर्सी पर कोई उंगली उठाये, बहुत ही चिन्ता की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही मंगाई गयी है उसे देख लिया जायेगा।

श्री मुराद लारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है जिसने भी गलत सूचना दी है,.....

श्री अधिष्ठाता–

हमें कोई गलत सूचना दी गयी, यह मैंने नहीं कहा।

श्री मुराद लारी–

मान्यवर, जिन कर्मचारियों द्वारा आपको गलत सूचना दी गई क्या उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

सदन को गुमराह करने का कोई आशय नहीं हो सकता है, कोई भ्रान्ति हो सकती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भूलवश हो सकता है, इसमें किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य हमने बीच में अनुरोध करते हुए केवल इतना कहा कि आप एक सेकेण्ड हमारी बात सुन लें । किसी को आघात पहुंचे यह आशय इस पीठ का कतई नहीं है । यदि कोई पूर्वाग्रह वाली बात आपके मस्तिष्क में है तो उसे आप निकाल दें । कार्यवाही में लाल सिंह वर्मा जी का नाम है यह एक भ्रान्ति हो गई उसी आधार पर यह बात कही गयी । अब आप अपने विचार जारी रखें । आपका जो समय खराब हुआ है वह नहीं जोड़ा जायेगा । आपने जहां से छोड़ा था वहीं से प्रारम्भ करें ।

श्री लालजी वर्मा–

विगत वर्ष 1994-95 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । हमारे प्रदेश की परकैपिटा इन्कम घट रही है, उत्पादन घट रहा है और निर्धनता बढ़ रही है । हमारे प्रदेश के बजट में आयोजनागत मद में कमी और आयोजनेत्तर में वृद्धि के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है । वर्ष 1997-98 में हमारी जो राजस्व व्यय था वह 25,728.39 करोड़ था, जिसमें आयोजनागत मद में 4,871.01 करोड़ था और आयोजनेत्तर मद में 20,851.38 करोड़ था 1998-99 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्व व्यय 27,563.45 करोड़ का है, 1997-98 की तुलना में मात्र 1.05 करोड़ की लागत खर्च में वृद्धि हुई है । 4872.06 रुपया और आयोजनेतर खर्च 22701.39 करोड़ रुपया है । आयोजनेत्तर खर्च में लगभग 20 करोड़ की वृद्धि हुई इस तरह से इस घोषणा में, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो उनके पूर्व के सिद्धान्त थे, जब वह नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपने विचार रखने का काम करते थे और विकास की बात करते थे, मान्यवर, विकास का मुद्दा यह पूरे प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ है सभी लोगों की यह इच्छा है कि प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े तो जो बजट बनाने का काम किया गया है उसमें आयोजनेतर खर्च में वृद्धि तथा आयोजनागत खर्च में लगातार कमी हो रही है । मान्यवर, इन्होंने यह कहा कि हमने पिछड़ी जाति को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया । पिछड़े वर्ग के छात्रों को 55.48 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया है, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 210 करोड़ रुपया देने का प्राविधान किया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 127 करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया है । तो इस तरह से पिछड़े वर्ग के लिए केवल 55.48 करोड़ रुपये का प्राविधान इस सरकार ने किया है जिससे उनकी घोर उपेक्षा का काम यह सरकार कर रही है । मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया है कि यह बजट ग्रामोन्मुखी बजट है । मान्यवर, जब हम यहां पर एक सवाल लगाते हैं कि गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है तो

सरकार के मंत्री कहते हैं कि गांवों के लिए केवल 10 घंटे बिजली की व्यवस्था की जा रही है । तो एक तरफ तो बजट का 70 फीसदी बजट गांवों में खर्च करने का काम किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ गांव में बिजली में कम पैसा मुहैय्या कराया जा रहा है । तो जो भी गांव के विकास के कार्य हैं उसमें कम पैसा पिछले वर्ष की तुलना में मुहैय्या कराने का काम किया जा रहा है । इस प्रकार से यह बजट ग्रामीण जनता विरोधी, दलित विरोधी बजट है इससे प्रदेश की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है । मान्यवर, यह भी कहा गया कि यह बजट किसानोन्मुखी बजट है । इस साल में रबी का उत्पादन कम हुआ है और 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन घट गया है तो इस तरह से सरकार ने किसानों की घोर उपेक्षा की है । मान्यवर, आज यह एक विधेयक के रूप में डीजल आयल कराधान (संशोधन) विधेयक लाये हैं इसकी मार भी किसानों पर पड़ेगी इस तरह से किसानों की घोर उपेक्षा करने का काम यह सरकार कर रही है और किसानों की स्थिति खराब हो गयी है जिसके कारण प्रदेश की प्रति एकड़ उत्पादन भी घटता जा रहा है । आपने यह कहा कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने का काम करेंगे । हमें खुशी होती कि आज आप बजट के माध्यम से इसकी घोषणा करते कि कौन से संसाधन जुटाने का काम आप कर रहे हैं लेकिन इसकी भी कोई घोषणा आपने नहीं की है । बैक डोर से हो सकता है ।

आप कोई काम कर रहे हो । इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा कि हमने प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ भी ध्यान दिया है । लेकिन आज प्रशासनिक स्थिति क्या है ? आप यह बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, हमारे यहां जातियों की कोई व्यवस्था नहीं है । प्रदेश की समस्त जातियों को हम एक समान रूप से देखना चाहते हैं । जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है आये दिन अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं और यह एक रिकार्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, भेद-भाव की नीति अपनायी जा रही है यह है आपकी पारदर्शिता । मैं अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर का एक उदाहरण देना चाहूंगा । हमारे यहां कामरान रिजवी, डी० एम० तथा बृजलाल मीना, एस० पी० का ट्रांसफर इसलिए कर दिया कि वहां लोक सभा चुनाव में बहन मायावती जीत गईं। मान्यवर, इस तरह से इस पारदर्शी सरकार का नमूना मैं बताना चाहता हूं । मान्यवर, अभी-अभी उप चुनाव हुए तो मड़ियाहूं में प्रजापति विरादरी के एकमात्र एस० डी० एम० था उसको केवल इसलिये हटा दिया गया कि चुनाव का परिणाम इस सरकार के खिलाफ था और वहां से श्री बी० आर० वर्मा को जीतने का सर्टिफिकेट दे दिया गया था । प्रमाण-पत्र देने के दूसरे दिन उस एस० डी० एम० को वहां से हटा दिया गया था और उसे अब पौड़ी गढ़वाल भेज दिया गया था । इस तरह यह पारदर्शी सरकार पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के कलेक्टर्स, एस० पी० जो प्रदेश में दो-चार हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है ।

इस तरह से पूरे प्रदेश में माननीय मायावती जी ने समरसता के आधार पर सभी के साथ इन्साफ हो और जिससे कमजोर वर्ग को एहसास हो कि सरकार हमारे हित के लिये काम कर रही है थानाध्यक्ष के पद पर आरक्षण लागू किया था । किन्तु यह पारदर्शी सरकार उस समय के शासनादेशों को आज निरस्त करने का काम कर दी है । आज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के थानाध्यक्ष गिने चुने हैं यह सरकार उक्त वर्गों के साथ नाइंसाफी कर रही है । इस सरकार को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाये हुए संविधान में विश्वास नहीं है । यह सरकार चाहती है कि किसी प्रकार मनुवादी संविधान लागू करना है जिसमें जाति पर आधारित व्यवस्था होगी । मान्यवर, इस मनुवादी व्यवस्था से कमजोर वर्ग के लोग जो विकास से जुड़े हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी । इसके साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोग विधान सभा, संसद में नहीं पहुंच पायेंगे और कलेक्टर तथा एस० पी० नहीं होंगे । इस तरह यह सरकार जनता के प्रति नाइंसाफी कर रही है ।

मान्यवर, इस सरकार ने कहा है कि अपराधियों से पुलिस् कर्मियों की सांठ-गांठ को समाप्त किया जायेगा और यदि अपराधी से किसी पुलिस कर्मी की सांठ-गांठ पाई जायेगी तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह कपोलकल्पित घोषणा है। इसलिये जब मुख्य मंत्री के नेतृत्व में अपराधियों से सांठ-गांठ करके मंत्रिमण्डल बना लिया है और अपराधी लोग यहां बैठे होंगे तो कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि प्रदेश के अन्य जिलों में सांठ-गांठ करने वाले लोगों के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करेगी। इसी तरह से आज इस प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि टापटेन जिलों में और थानों में अपराधियों को चिन्हित किया जायेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह काम सीधे-साधे लोगों के खिलाफ किया जायेगा और गरीब आदमी ने बड़े आदमी को सही उतर दे दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जायेगा और उसे अपराधी बनाकर उसका फर्जी इन्काउन्टर करा दिया जायेगा। मान्यवर, जौनपुर जिले के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे एक आदमी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसकी फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोगों को यह सरकार अपराधी बनाकर उत्पीड़न कर रही है।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था चरमरा गयी है। मैं अपने जिले अम्बेडकर नगर के संबंध में बताना चाहता हूं कि जबसे यह सरकार बनी है वहां अपराधों का अम्बार लग गया है। जलालपुर में एक आदमी का सरेआम कत्ल हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां थाना जहांगीरगंज में राम शंकर वर्मा को इसलिये मार डाला गया क्योंकि वह बंधुवा मजदूरों के खिलाफ आवाज लगा रहे थे। इस बारे में वहां की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की हालत यह हो गयी है कि जिन थानेदारों को हटाया गया था, उन्हीं थानेदारों को दुबारा पैसा लेकर थानेदार बनाया गया है। वहां के एस० पी० द्वारा कोई अपराध रोकने के सिलसिले में कदम नहीं उठाया जा रहा है। मान्यवर, इस जिले का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था, तो यहां की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि उनके नाम पर विकास के कार्य किये जायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के बीच में घाघरा नदी पड़ती है। इस नदी पर एक पुल के निर्माण की योजना बनायी गयी थी, लेकिन 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो उस सूचना को निरस्त कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में उस पुल के निर्माण की घोषणा जरूर की जायेगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस पुल के निर्माण की कोई घोषणा नहीं की गयी है। मान्यवर, पूर्वान्चल के लिये यह सबसे महत्वपूर्ण पुल है। अगर सरकार इस प्रदेश की स्थिति को अच्छा करना चाहती है तो अपनी आलोचनाओं को देखने का काम करे, जब माननीय कल्याण सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय जो उन्होंने कहा था, उसको देखें, तो इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बातों को सुनने का कष्ट किया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1998-99 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत ही भ्रामक है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अच्छे से अच्छे शब्दों का जाल फैलाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है । आप को पता चलेगा कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं की गयी है जिससे जनता को राहत मिले । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सात आयाम बताये हैं :–हमारा बजट ग्रामोन्मुखी है, हमारा बजट किसानोन्मुखी है, हमारा बजट गरीबोन्मुखी है, हमारा बजट रोजगारोन्मुखी है, हमारा बजट निवेशोन्मुखी है, हमारा बजट क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी है और हमारा बजट कल्याणोन्मुखी है ।

मान्यवर, सबसे पहले कहा कि ग्रामोन्मुखी है । इसको मतलब है कि ग्रामीण जनता को राहत दी जायेगी और उसके कल्याण के कुछ कार्यक्रम चलाये जायेंगे, लेकिन यह सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है । शहर में पूरे समय बिजली आती है, लेकिन गांवों में केवल दो घण्टे बिजली आती है और कई-कई दिन बिजली आती ही नहीं है । जो वितरण प्रणाली है, अब उसमें चीनी । किलो प्रति यूनिट शहर में दिया जा रहा है और गांव में 3.30 किलो प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा है । गांवों में रहने वालों के लिये, गांवों के विकास के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि यह ग्रामोन्मुखी बजट है ।

बजट भाषण में कहा गया है कि यह किसानोन्मुखी है । मान्यवर, आज किसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी फसल की लाभकारी मूल्य न मिलने की है । उसका परिवार साल-साल भर मेहनत करके फसल तैयार करता है और उस फसल की लूट होती है । लाभकारी मूल्य तो दूर रहा उसको लागत मूल्य भी नहीं मिलता है । अभी गेहूं समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी थी उसके संबंध में जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि विशेषज्ञ हैं जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय उनके वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वह किसानों की लागत से भी कम है । प्रदेश सरकार को चाहिए था कि केन्द्र सरकार पर दबाव डालती और समर्थन मूल्य को बढ़ाते । किसान जिन्होंने खून-पसीना बहाकर गेहूं पैदा किया है उसको सब्सिडी देकर अधिक समर्थन मूल्य देते तो हम कहते ही यह किसानों की हितकारी सरकार है ।

आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि इतना उत्पादन हम करेंगे लक्ष्य निर्धारित करने से उत्पादन नहीं बढ़ जाता है जब तक किसानों को अच्छे साधन, अच्छे बीज, अच्छे उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे इसका उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । कृषि मंत्री के या मुख्य मंत्री के कह देने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे । अगर किसान को लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो वह कैसे उत्पादन करेगा ? उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे सस्ती बिजली, सस्ता फर्टीलाइजर और सस्ते उपकरण नहीं देंगे तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा । आपने कहा कि किसानों के हित के लिए किसान मित्र की तैनाती कर दी है किसानों, को केवल सलाह की जरूरत नहीं है । जब तक उसे सस्ते ट्रैक्टर, अच्छे पंतनगर के बीज और उसे अन्य चीजे खरीदने के लिये पूंजी नहीं देंगे उत्पादन नहीं बढ़ सकता है किसान मित्र नियुक्त करने के बजाय कम मूल्य पर ऋण खाद और अच्छे किस्म के बीज और अच्छे उपकरण नहीं देंगे तो उसकी लागत उसे नहीं मिल सकती है । किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए जैसे पंजाब में 5 रु० के स्टाम्प पेपर पर लिख देने से टैक्टर मिल जाता है, उसी तरह से हमारे यहां भी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन हमारे यहां इसके लिये हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं यह उनके अधिकार क्षेत्र में है । निवेदन करूंगा कि वे घोषणा कर दें कि 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ट्रैक्टर मिल जायेगा ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपको मालूम होना चाहिए कि यह कर दिया है ।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के पास पूंजी नहीं है किसानों के गन्ने का पैसा समय पर नहीं मिलता। माननीय गन्ना मंत्री यहां पर नहीं हैं वह घोषणा कर रहे थे कि किसानों का उत्पादन का हम पूरा पैसा दिलायेंगे लेकिन कानूनन जो बकाया पैसों पर ब्याज उनको मिलना चाहिए था 2सौ करोड़ रुपया किसानों का नहीं दिलवाया उसको माफ करके मिल मालिकों को दो सौ करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ पहुंचाया। किसानों का शोषण करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं।

कहा गया है कि यह गरीबोन्मुखी बजट है गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना बनाई गयी है। उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मनमाने ढंग से लोगों का चयन किया जाता है और जो उस परिधि में नहीं आता है उसे मकान मिल जाता है उसे रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

इस बजट में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है बजट के अन्दर पूर्वांचल विकास निधि के लिए इतना पैसा, बुन्देल खण्ड विकास निधि के लिए इतना पैसा, उत्तरांचल विकास के लिए इतना पैसा लेकिन कहीं भी पश्चिम का नाम नहीं है तो क्या पश्चिम के नागरिकों ने कोई अपराध कर रखा है वहां के विकास के लिए बजट में प्राविधान क्यों नहीं किया गया यह हमारे मूल अधिकारों का हनन है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को क्या बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है ? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने कोई अपराध किया है कि उनके लिये सड़क का प्राविधान नहीं होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन है। एक क्षेत्र को सुविधा दे रहे हैं बाकी क्षेत्रों को वैसे छोड़ रहे हैं यह असंतुलनोन्मुखी बजट है। इसमें सम्पूर्ण क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है। आपने कहा है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है जो खिलाड़ी नहीं है। चेहरे देख कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया है समय-समय पर प्रोत्साहन दिया गया है, प्लाट दिये गये हैं, मकान दिये गये हैं और आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है वह भाई भतीजावाद के आधार पर किया जा रहा है। वालीबाल का खिलाड़ी रणवीर सिंह अपने प्रदेश में है।

उसने 7 साल तक वालीबाल टीम का नेतृत्व किया। 23 देशों में खेलकर तमाम मेडल लाकर जिसने दिये हैं वह आज तक रोता घूम रहा है उसको एक प्लाट तक नहीं दिया गया और जो कभी नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हुये उनको प्रतिभावान खिलाड़ी बताकर कई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है। उन खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया गया है जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। इससे आगे आने वाले पीढ़ी के लिये यह संदेश जायगा कि खिलाड़ी होना अच्छी बात नहीं है। खेलकूद की बजाय गुंडागर्दी करने से लाभ होगा। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो माफिया हैं उनके लिये कहा गया है कि अंतर्जनपदीय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स तथा इण्टरसेप्टर का गठन किया गया है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य जानता होगा कि किसी माफिया के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। सारे माफिया खुले आम घूम रहे हैं किसी की भी कोई दहशत नहीं है। न उनको सरकार का डर है न प्रशासन का डर है। अगर कोई दहशत में है तो वह प्रदेश का निरीह नागरिक है जिसकी जानमाल की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है। प्रतिदिन हत्यायें हो रही हैं। उस दिन यहां पर कानून व्यवस्था पर जिक्र हो रहा था। 12 बजे मुजफ्फरनगर जनपद में एक व्यापारी का अपहरण हो गया। अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है। जो टाप–टेन हैं वह सरकार में आ गये हैं और जो सरकार में नहीं हैं उनको कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है। टाप–टेन के नाम पर थानों की पुलिस लोगों को डरा रही है। कह रहे हैं कि रासुका, गुंडागर्दी, गैंगेस्टर

ऐक्ट में बन्द कर देंगे । इस तरह से पुलिस बेगुनाह लोगों से वसूली कर रही है । एस० ओ० और इंसपेक्टर चालान करने की धमकी दे रहे हैं । यह भी एक धोखा देने वाली बात है ।

कानून व्यवस्था में सुधार जब होगा जब पुलिस का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा । नये थाने व पुलिस चौकियां खोली जायेंगी और पुलिस बल को बढ़ाया जायेगा जहां पर ज्यादा अपराध हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं जहां पर ज्यादा गैंगस्टर हैं जहां पर ज्यादा माफिया हैं वहां पर ज्यादा पुलिस बल लगाना पड़ेगा । पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु जिप्सी गाड़ियां, एके–47 जैसे हथियारों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । इसके लिये धन की आवश्यकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण हो और पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़े कि पुलिस के पास जो गाड़ियां हैं उससे कहीं बेहतर इन अपराधियों के पास हैं । पुलिस के पास जो हथियार हैं उससे कहीं बेहतर व आधुनिक तरीके के हथियार इन अपराधियों के पास हैं फिर कैसे हम यह मान सकते हैं कि पुलिस वाले अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर अराजकता का माहौल है । इस बजट के अन्दर पुलिस बल बढ़ाने के लिये, उसके सुदृढ़ीकरण के लिये, उनका मनोबल बढ़ाने के लिये, उनको अच्छे उपकरण देने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मान्यवर, आज हमारे देश और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या । बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई सार्थक कदम उठाने की घोषणा इस बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं की है ।

मान्यवर, अशिक्षित बेरोजगार की तो बात छोड़िये । इस प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का जो योग्य है, काबिल हैं देश के नव निर्माण में हाथ बंटाना चाहते हैं उन्हें, इस प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी है, इसका निकम्मापन है कि उन करोड़ों हाथों को जो देश के निर्माण में लगना चाहते हैं उसमें न लगाकर असामाजिक तत्वों के हाथ में दे रही है । जो देश की एकता और अखण्डता तथा शांति के लिये खतरा पैदा कर रहे हैं । बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कोई योजना इसमें नहीं दी गई है । आर्थिक चक्र को देखिये । मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि हमने आर्थिक चक्र बनाया है । मान्यवर, कहने से कुछ नहीं होगा । रोजगार मिलना चाहिए । आपने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी । मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और हम उत्पादन करेंगे। लेकिन मान्यवर, रोजगार के साधन नहीं है उत्पादन क्या बढ़ायेंगे ? जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनमें रोजगार बढ़ाने के लिये कुटीर उद्योग धन्धों की स्थापना की जानी चाहिए । चौधरी चरण सिंह जी हुआ करते थे वे देश के महान किसान नेता थे उनका कहना था कि जिन चीजों का उत्पादन कुटीर उद्योग धन्धों के द्वारा हो सकता है उनका निर्माण बड़े कल कारखानों के माध्यम से न किया जाय । आज कुटीर उद्योग नहीं हैं बड़े से बड़ा काम और छोटा काम भी कल कारखानों में हो रहा है । टाटा रेल बना रहा है बड़ी बस, ट्रक बना रहा है, कार-मोटर बना रहा है और टाटा नमक बना रहा है । क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है ? सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जो कम्पनियां बड़े-बड़े साबुन बना रही है उनको प्रयोग हमारे यहां नहीं होगा हम कुटीर उद्योग के द्वारा अपने नागरिकों को उपलब्ध करायेंगे जिससे प्रदेश के करोड़ों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार का साधन मिल सकता है । मान्यवर, केन्द्र द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना चलाई जा रही है । मेरी निश्चित जानकारी है कि डी० आई० सी० से अभ्यर्थियों का नाम बैंक के लिये भेज दिया जाता है कि इसको एक लाख या एक लाख रुपये के अन्दर लोन दे दिया जाय लेकिन कोई बैंक उसको लोन नहीं देता ।

करोड़ों करोड़ रुपये का लोन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं । लेकिन इन अभ्यर्थियों को जो उसके हकदार हैं नहीं मिल पाता है अगर किसी को दे भी दिया जाता है तो उन्हें जो 5-10 हजार रुपये दे देते हैं । इस तरफ सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए जिसको भी लोन सैंक्शन होता है उसके लिये बैंक को आदेशित करें कि उस बेरोजगार को लोन दें और यह जानकारी करें कि वास्तव में उसने उससे

अपना कार्य शुरू किया कि नहीं या फिर वह किसी गैंग के गिरोह के हाथ में न पड़ जाये । मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो बजट दिया गया है उसे क्रियान्वित करने की इनके अन्दर इच्छा शक्ति नहीं है और न ही इनकी मंशा है यह तो इनके बजट के प्रविधानों से ही परिलक्षित हो रहा है । इन्होंने कहा है कि जो घाटा है इसको हम पूरा करेंगे । कहा है कि बाहर से दूसरे देशों से हमको सहायता मिलेगी । पिछले साल हमारे ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं थी इसलिये सहायता मिली । पिछले वर्ष हमको 712 करोड़ रुपये सहायता मिली । पता नहीं इस साल किस कल्पना के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान लिया कि 1567 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता मिल जायेगी, जबकि पोखरन विस्फोट के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों ने सहायता देने से इन्कार कर दिया है । इस सरकार को सहायता कहां से मिलेगी यह समझ में नहीं आता । इस तरह से यह भ्रामक बात कह रहे हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट दिया है । इसमें प्रदेश की भलाई के लिये कुछ नहीं है ।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी हृदय से आभारी हूं । अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पांच-छः दिन पहले वर्ष 1998-99 के लिये बजट प्रस्तुत किया गया था । यह बहुत दिनों से हम सब विधायकों की एक आवाज थी । कि विधायक निधि में विधायकों को कुछ दिया जाए जिस तरह की केन्द्र में सांसदों को मिलता है । इससे हम सबको आभारी होना चाहिए । विधायक निधि में हर विधायक के लिए 50 लाख की व्यवस्था की गई है जिससे हम विधायक गण अपने क्षेत्र में काम करा सकते हैं । मान्यवर, जब से माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने कार्यभार संभाला है तब से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, काम कुछ भी कर लिया जाए लेकिन आलोचना लोग करते ही हैं । महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी आई है । अपहरण की जो लगातार घटनायें हो रही थीं उसमें कमी आई है जिन्हें अपहरण किए जाते थे उनका कत्ल कर दिया जाता था, उसमें सुधार हुआ है । पहली बार ऐसा हुआ है कि गांवों के विकास के लिये इस बजट में 70 फीसदी धन की व्यवस्था की गई है ।

इससे गांवों का वाकई विकास होगा । जो काम 50 वर्षों में नहीं हो पाए हैं जहां गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का वह काम हमारी सरकार ने किया है, गांवों में स्कूल खुलवाए हैं । 2008 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना रखी गई है इससे गांववासियों को लाभ मिलेगा यह एक प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है । किसानों की ओर भी ध्यान दिया गया है इससे किसान अच्छी खेती कर सकेंगे, इससे किसानों को लाभ मिलेगा । इसके अलावा मान्यवर, 5 हजार नौ सौ करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है यह एक सराहनीय कदम है । श्रीमन् इसी के साथ दैवी आपदा से प्रभावित किसानों की राहत राशि बढ़ा दी गई है, इससे हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है । हर वर्ग की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए यह बजट बनाया गया है । मलिन बस्तियों में नाली, खड़न्जे की सुविधा न प्रदान की गई है इससे 32.4 लाख लोग लाभान्वित होंगे ।

यह एक सराहनीय कदम है । इसके अलावा उन गरीब लोगों जिनको मकान की सख्त जरूरत रहती है उनको 5-10-15 रुपये की दर से रोज धन जमा करने पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है यह एक सराहनीय कदम है । महिला उत्थान की योजना के लिए 67 हजार 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है इससे गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचेगा । बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा दी जाए इसके लिए कन्या इण्टर कालेज ब्लाकों में खोले जायेंगे इससे गांव की जनता को लाभ मिलेगा । मैं समझती हूं कि इतने अच्छे बजट में आलोचना नहीं हो सकती है । लेकिन हमारे साथी विधायकों ने जो

कुछ बिन्दु रखे हैं मेरा ऐसा मानना है कि किसी काम को बनाना बहुत मुश्किल होता बिगाड़ना आसान होता है। जो आलोचनायें की गई हैं मैं समझती हूं कि यह बाल की खाल निकालना है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 50 लाख की जो धनराशि हम विधायकों को दी गई है और यह राशि डी० आर० डी० ए० के पैसे से नहीं काटी जाएगी। हम लोग सांसदों का मुंह देखते थे उनसे किसी काम के लिए कहते थे तो कहते थे हमारा मामला है तो अब हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हमें जो धनराशि मिली है उससे कुछ काम हम अपने मन से करवा सकते हैं यह एक प्रशंसनीय कदम है इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वक्ताओं के क्रम निर्धारित कर दिए हैं मैं चाहता हूं कि उसी हिसाब से माननीय सदस्यगण अपनी बात रखें।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारी सूची है उसमें नहीं बोलेंगे। उसकी जगह श्री राम वीर उपाध्याय, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी एवं श्री राम ललित चौधरी को बुलवा लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह 5–7 मिनट में अपनी बात रखें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के साधारण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आपकी अनुमति से आय-व्ययक के सम्बन्ध में मैं आज की सरकार के मुखिया और इस सम्मानित सदन के माननीय नेता द्वारा विगत दिनों 1994-95 के वित्तीय वर्ष के बजट के दौरान मा० नेता विपक्ष की हैसियत से दिए गए उद्धरण से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। श्रीमन्, आपको इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा दुर्भाग्यशाली प्रदेश है जिसका आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर विकास दर घटकर 2.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है। आप अवगत हैं कि जहां विगत वर्षों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर पूरे देश का विकास दर 6 प्रतिशत था। वहां पर उत्तर प्रदेश की विकास दर 2.9% रहा। आप इस बात से भी अवगत हैं कि हमारे प्रदेश की ऋण ग्रस्ता निरन्तर बढ़ती चली जा रही है और 50,000 करोड़ रुपये के आज हम ऋणी हो गयें हैं। आज यह प्रदेश ऋण से दब गया है। श्रीमन्, ऐसे वित्तीय खस्ताहाली में प्रदेश की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, प्रदेश की जनता को, गरीब को, किसान को, मजदूर को उम्मीदें लगी थीं कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में उसे राहत मिलेगी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की जिन्दगी में उन्नयन होगा, उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। कि जो आय-व्यय का साहित्य है उसमें भौतिक षडयन्त्र और शब्दजालों का अम्बार खड़ा करने के सिवाय कोई सही दिशा में सार्थक पहल करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से इस वित्तीय वर्ष के बजट का घाटा जो बजट साहित्य में देश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दर्शाया है यह 339.90 करोड़ रुपये का घाटा है लेकि। आपकी अनुमति से इनके साहित्य से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके इस बात को साबित करना चाहता हूं कि यह आंकड़े सच्चाई से काफी दूर है और बहुत बड़े घाटे पर पर्दा डालने का एक बौद्धिक, बेईमानीपूर्ण प्रयास

बजट में किया गया है । समेकित निधि में घाटा है 6698.29 करोड़ रुपये का है और इस घाटे की पूर्ति के लिए लोक-लेखा से प्राप्तियों को सम्मिलित करके इन्होंने घाटा घटाने का काम किया है । मैं आपकी अनुमति से इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि नेता विपक्ष की हैसियत से इस सम्मानित सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1994-95 के दौरान इस बात के लिए सावधान किया था कि जो सरकार अपने वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के घाटे को लोक-लेखा से धन निकालकर पूरा करने का प्रयास करे तो वह घाटा सही मामले पूरा नहीं हो सकता क्योंकि लोक-लेखे का पैसा अतिरिक्त संसाधन नहीं है । लोक-लेखा में इस प्रदेश की जनता का पैसा है, ठेकेदारों की प्रतिभूतियों का पैसा है, अदालतों के किये गये फैसले के परिणाम स्वरूप जो पैसा जमा होता है वह पैसा है, तथा प्रदेश के कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा है । तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट की आलोचना करते हुए आज के मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1994-95 में एक सच बात बोलने का प्रयास किया था । लेकिन मुझे पीड़ा और तकलीफ हो रही है कि जब सत्ता का औजार माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में आया तो उन्हें अपने द्वारा कहे गये बातों का स्मरण नहीं आया और उन्होंने लोक-लेखे से एक बड़ी धनराशि निकालकर समेकित निधि को कम करने का प्रयास किया है जिसके दुष्परिणाम भविष्य में इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी खामी इस बजट की है कि प्रदेश की सरकार आयोजनेत्तर मद पर राजकीय कोष का पैसा ज्यादा खर्च करेगी और सपना देखेगी प्रदेश की तरक्की का, वह सम्भव नहीं हो सकता । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्व व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय 4872.06 करोड़ रुपये जहां है, वहीं आयोजनेत्तर व्यय 22701.319 करोड़ रुपया है और प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारा बजट ग्रामोन्मुखी किसानोंन्मुखी बजट है । मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि सम्पूर्ण बजट में इतना बड़ा घाटा है और जो अनुत्पादक व्यय का प्राविधान किया गया है इस घाटे की पूर्ति के लिये प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त संसाधन का प्रबन्ध कहीं भी नहीं किया है और इसका कहीं कोई जिक्र इनके बजट के साहित्य में नहीं है । पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय है 3456.35 करोड़ और अयोजनेत्तर व्यय है 3580.77 करोड़ रुपये । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने इस वास्तविक घाटे पर पर्दा डालकर घाटे की रकम प्रदर्शित किया है और जो घाटा अनुमानित किया है, उसके संबंध में मेरा यह कहना है कि इतने बड़े घाटे की पूर्ति के लिये अतिरिक्त संसाधनों का प्रबन्ध न कर के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इस सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है । इस बजट भाषण में इस घाटे को पूरा करने के संबंध में सिर्फ एक बात कही गई है कि हम मितव्ययिता व सादगी से इस बजट घाटे को पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

विगत दिनों के कुछ उदाहरण इस प्रदेश सरकार की मितव्ययिता के प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह बात साफ हो सके कि इनका वचन बचन और कर्म में कितना फर्क है और विगत दिनों का जो इनका आचरण रहा है, उस पर प्रदेश की जनता भविष्य में कैसे भरोसा करेगी प्रदेश सरकार घाटा पूर्ति के लिए इतनी मितव्ययिता का परिचय देगी । इनका जो विशाल मंत्रिमंडल 5 कम एक शतक का है, उस पर विगत 4 महीने में 17 करोड़ का खर्च आया है । अप्रैल, माह तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थानान्तरण को विधिवत् उद्योग की शक्ल में स्थापित करने का प्रयास किया है और स्थानान्तरण में एक नया कीर्तिमान कायम किया है । प्रदेश में जितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० हैं, उनकी संख्या का तीन चौथाई का विगत अप्रैल माह तक इन्होंने स्थानान्तरण कर दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यात्रा व्यय के रूप में राजकीय कोष से 5 करोड़ रुपये इस सरकार को खर्च करना पड़ा ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहता हूं कि विगत 6 महीने में वर्ष 97-98 में माननीय मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा हेतु एक जैबर सिस्टम क्रय किया गया और उसके लिये आकस्मिकता

निधि से 21 लाख रुपया निकाला गया । इसी प्रकार वर्ष 1997-98 में इस मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में मंत्री शरीक किये गये और इनके मंत्री जो पुरानी गाड़ियों में चलना अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत समझते थे, उनके लिये इस मितव्ययी सरकार ने 35 नई गाड़ियां क्रय की और इसके लिये राज्य की आकस्मिकता निधि से 1 करोड़, 15 लाख 83 हजार रुपया खर्च किया गया । इन गाड़ियों पर जो पेट्रोल का खर्च आया है, वह है 62 लाख 12 हजार रुपये ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी दो आवासों में रहते हैं । एक आवास संख्या-5 है, उसकी रंगाई, पुताई, सफाई की मद में 19 लाख खर्च किया गया और दूसरा जो मुख्य मंत्री जी का माल एवेन्यू वाला आवास है, उसकी रंगाई, पुताई, सफाई में 63 लाख 72 हजार रुपया खर्च किया गया और यह सरकार मितव्ययिता की बात करती है । इस विशाल मंत्रिमंडल का विस्तार जब किया गया, जिसकी इन्हें बड़ी मजबूरी में करना पड़ा तो मन्त्रिमण्डल में शरीक मंत्रियों के टेलीफोन पर 18 लाख 76 हजार का खर्च आया ।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी के प्रयोग हेतु एक सेटेलाइट टेलीफोन क्रय किया गया, जिस पर 3 लाख 66 हजार का खर्च किया गया । मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रमुख सचिव, वास्य सहायता एवं लोक निर्माण विभाग के लिये फर्नीचर, उपकरण तथा टेलीफोन पर 15 लाख 33 हजार रुपया खर्च किया गया । मंत्रि-परिषद् के कारों तथा पेट्रोल पर खर्च 4 करोड़, 32 लाख, 65 हजार रुपया और 1997-98 में मंत्रियों के आवासों के रख-रखाव पर जो खर्च किया गया, वह धनराशि है 1 करोड़ 70 लाख 65 हजार रुपये, इस सरकार ने इस प्रकार अपने मितव्ययी होने का परिचय पिछले दिनों में दिया है उससे कैसे इस प्रदेश के किसान और मजदूर इनके इस उद्घोष पर विश्वास कर लें कि आने वाले दिनों में इस वित्तीय वर्ष का बड़ा घाटा इनकी मितव्ययिता तथा सादगी से पूरा कर लिया जायेगा ।

इस प्रकार की सादगी से जीवन जीने वाले मंत्रिमण्डल के सम्मानित मंत्री लोग कैसे आने वाले दिनों में मितव्ययिता बरतेंगे जबकि 4 माह में एक करोड़ की चाय पी जाते हैं । बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने का ढिंढोरा पीटा गया है । इसमें कहा गया है कि प्रदेश के अन्दर जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको समाप्त करने की दिशा में प्रदेश की सरकार काम करेगी । मैं याद दिलाना चाहता हूं पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मात्र 92 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था । वर्तमान सरकार ने उसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर ढिंढोरा पीट रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के साथ हमने न्याय किया है । उत्तराखण्ड या उत्तरांचल से चुनकर आने वाले जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं ।

मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात को वे अन्यथा नहीं लेंगे । मुझे पीड़ा है सरकार क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की बात करती है उत्तरांचल के लिए पिछले वर्ष 670 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था वह बढ़ाकर अब 860 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल के लिए किया है । मान्यवर, बड़ा दर्द और पीड़ा है जिस इलाके से मैं चुनकर आता हूं, वहां इस प्रदेश की आबादी 16 करोड़ हो गयी इसमें से 7 करोड़ लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में रहते हैं । मान्यवर, इतनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की और सरकार 92 से 120 करोड़ रुपये का प्राविधान करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का ढिंढोरा पीट रही है । मान्यवर, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन से जो गम्भीर संकट आने वाला है अगर आपने समय से सबक नहीं लिया इसके गम्भीर परिणाम होंगे । तो दुनिया में सियासत के क्षेत्र में किसी भी आदमी ने यह पूर्वानुमान नहीं किया था कि दुनिया के मानचित्र पर जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था वह सोवियत संघ गणराज्य रातों रात विश्व के मानचित्र से गायब हो जायेगा । इसका कारण क्षेत्रीय असंतुलन ही था । मैं सरकार से अनुनय करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों की उपेक्षा की जा रही है उनकी तरक्की के लिए अगर सरकार ने संकल्प नहीं लिया तो भयावह स्थिति

हो सकती है,कितनी दुखद स्थिति है । वर्ष 1962 में जब इस देश के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू थे तो एक आयोग पूर्वी उ० प्र० के अध्ययन के लिए बना था और उसने अपना प्रतिवेदन 1964 में योजना आयोग को दे दिया था । सन् 64 से पटेल आयोग द्वारा दी गयी संस्तुतियां आज भी योजना आयोग की अल्मारियों में धूल चाट रही हैं और ढिंढोरा पीटा जा रहा है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए । अगर प्रदेश सरकार की नीयत साफ है तो उसे पटेल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर देना चाहिए । एक महत्वपूर्ण विषय पर जिक्र करना चाहता हूं जो आज के मुख्य मंत्री ने वर्ष 1994-95 में नेता विपक्ष की हैसियत से इस सम्मानित सदन में भाषण दिया था वह विषय प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है । आपको जानकारी है 1980 में रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल ने यह चिन्ता जताई थी कि इस देश में क्षेत्रीय असंतुलन ही उग्रवाद और पृथकतावाद का कारण बन रहा है ।

इसलिए रिजर्व बैंक ने पुनर्निर्धारित की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को पुनर्निर्धारित करते हुए कहा कि जो इस देश के अविकसित प्रदेश हैं पिछड़े जिलें हैं उनमें बैंक जमा धनराशि की 60 प्रतिशत राशि उस क्षेत्र की तरक्की के लिए बैंक ऋण के रूप में देने का प्रबन्ध करें । मान्यवर, 1994-95 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से इसी सदन में भाषण दिया था और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार पर प्रहार किया था कि बैंकों पर दबाव नहीं दिया जा रहा है जिस कारण उत्तर प्रदेश के बैंकों में जमा पैसा यहां से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में जा रहा है । किन्तु अब माननीय कल्याण सिंह जी ने अपनी ही कही बात को इसमें सम्मिलित करने की जहमत मोल नहीं ली । मान्यवर, हमारा प्रदेश आज देश का दुर्भाग्यशाली प्रदेश है जहां सी० डी० रेशियो मात्र 31 प्रतिशत है । वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, प० बंगाल आदि कुछ राज्यों में सी० डी० रेशियो 80 से 90 प्रतिशत तक है जिसकी वजह से इन क्षेत्रों का विकास हो रहा है । वर्ष 1990 के दौरान रिजर्व बैंक के अधिशासी निदेशक ए० डी० वाज के नेतृत्व में प्रदेश में निरन्तर घट रहे सी० डी० रेशियो के अध्ययन के लिए समिति का गठन हुआ था । वर्ष 1993 में वाज समिति ने जो सलाह दी थी उसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा एक कोर ग्रुप गठित किया गया । उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 23 बैंकों का प्रति वर्ष ग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

कोर ग्रुप द्वारा 96-97 में उत्तर प्रदेश में लक्ष्य बैंकों का निर्धारित हुआ 3,412 करोड़ रुपये लेकिन इन बैंकों ने केवल 1392 करोड़ रुपये ऋण दिया । राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालय अधिकांशतः महाराष्ट्र में मुम्बई में हैं । उन बैंकों के जरिये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते, प्रदेश का पैसा देश के दूसरे हिस्सों में वहां की तरक्की में लगाया जा रहा है । सरकार द्वारा, आज ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम अतिरिक्त संसाधन का इंतजाम कर रहे हैं, मैं देवरिया की स्थिति बताना चाहता हूं दिसम्बर, 96 तक वर्ष के केवल 10 महीनों की जो स्थिति रही, पडरौना जनपद के अलग होने के, बाद 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया धन 522 करोड़ रुपये था लेकिन वहां बैंकों ने ग्रहण दिया केवल 97 करोड़ रुपये । बाकी पैसा दूसरे प्रदेशों में लगा दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया हमें सहयोग करें सुबाष जी ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

जो धन दूसरे प्रदेशों में जा रहा है उसको रोकने का बजट में कोई संकल्प नहीं है, सरकार केवल सपने दिखा रही है । जो हमारी संचित निधि है, वह दूसरे हिस्सों में जा रही है इन वित्तीय संस्थाओं के जरिए ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार छतरी योजना का जिक्र इस सरकार ने अपने साहित्य में किया है । इस छतरी योजना का जिक्र इस सरकार ने अपने साहित्य में किया है । इस छतरी के नीचे

लोगों को रोजगार मिलने वाला नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख परिवारों को लाभ देने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनसंख्या आज 16 करोड़ हो गई है। यदि 5 व्यक्तियों के एक परिवार के हिसाब से देखा जाये, तो 16 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 20 लाख परिवारों की संख्या बनती है। इस योजना के तहत यह लाभ 32 वर्षों में आज के परिवारों को मिल पायेगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 32 वर्ष तक इस प्रदेश में रहे तब जाकर इस वर्तमान 3 करोड़, 20 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल पायेगा, शर्त यह है कि आज का लड़का जब विवाह मण्डप में शादी करने जाये तो वहीं अपनी नसबन्दी करा ले ताकि जो वर्तमान जनसंख्या है वही 32 वर्षों तक स्थिर रह जाय तब जाकर इतने परिवारों को रोजगार देने के लक्ष्य को यह सरकार प्राप्त कर सकेगी। मान्यवर, बेरोजगारी का जिक्र किया गया है।

आज बड़ी दुखद स्थिति है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है परन्तु बेरोजगारी जैसे विषय के बारे में इस सरकार की कोई निश्चित अवधारणा नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश और देश की तरक्की और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का जो संकल्प इस सरकार का है वह बेबुनियाद है। मान्यवर, मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ है। 5 आदमियों के परिवार की परिभाषा के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख परिवार हुए तथा एक बेरोजगार प्रति परिवार के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाखों लोग बेरोजगार है इस बेरोजगारी के प्रति प्रदेश सरकार चिन्तित नहीं है। मैं मान्यवर, विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समझ एवं इस समस्या के सभी आयाम को स्पष्ट करने के लिए एक मुक्त बहस इस सम्मानित सदन में होनी चाहिए। बेरोजगार वही नहीं है जो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो क्योंकि बेरोजगार जानता है कि सेवायोजन में नाम लिख देने मात्र से रोजगार मिलने वाला नहीं है। यह कहना कि समूचे बेरोजगार पंजीकृत हो गये हैं गलत बात है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक न्यूनतम आय ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक परिवार शालीन जीवन व्यतीत कर सके। कम से कम यह परिभाषित होना चाहिए कि 5,000 रुपये प्रति महीने न्यूनतम आय एक परिवार के लिए शालीन जिन्दगी व्यतीत करने के लिए पर्याप्त होगी और जो इससे नीचे का परिवार होगा उसके सभी वयस्क सभी पुरुषों को बेरोजगार के कोटि में रखा जायेगा। अगर सरकार में इच्छाशक्ति होती तो वह कोई ठोस निर्णय इस पर ले पाती। परन्तु बड़े दुख की बात है कि इस साहित्य में इसका कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, 43 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं इसे प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है। ये प्रदेश के 7 करोड़ लोग श्रम करने के बाद भी दो जून की रोटी के लिये मोहताज हैं। आज रिक्शा चालकों को उसका मालिक बना दिया जाय तो क्या इससे वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ऊपर उठ जायेंगे। इन 43 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

चीनी उद्योग के संबंध में कहा गया है कि 7 नयी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में लगायी जायेंगी। मैं माननीय कल्याण सिंह जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 1994-95 में जब वह नेता विपक्ष की हैसियत से यहां पर तत्कालीन सरकार के बजट की आलोचना करते हुए 11 नई चीनी मिलों की स्थापना के निर्णय को उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और उन्होंने इस सदन में घोषणा की थी कि प्रदेश में 11 नयी चीनी मिल लगाने जा रहे हैं तो उन्होंने यह कहा था कि 11 चीनी मिलें अपर्याप्त हैं और आज जब उन्हें खुद मौका मिला है तो प्रदेश में 7 चीनी मिलें लगाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। मान्यवर, आज चीनी उद्योग बरबाद हो रहा है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आज खस्ता हाल में पहुंच गयी हैं।

आज आपने उनकी पेराई क्षमता को बढ़ाने का संकल्प नहीं लिया है, मिलों के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं बनायी है, उनके उपकरणों के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं बनाई गई, इससे प्रदेश के किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, औद्योगिकीकरण की बात सरकार करती है

कि वह देशी पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों को यहां पर आमंत्रित करेगी । आज भय मुक्त समाज का संकल्प लेने वाली सरकार जब अपने मंत्रिमण्डल को अपराधियों से नहीं बचा पायी तो आम जनता की जान को कैसे बचा पायेगी ? आज जो कारखाने का मालिक है वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान अराजक स्थिति को देख रहा है । उसकी स्थिति खराब है इसलिए वह यहां पर उद्योग क्यों लगायेगा ? आज जो उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं वह आपके मंत्रिमण्डल में मंत्रियों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है । मैं कहना चाहूंगा कि नौंवी पंचवर्षीय योजना में जो योजना का आकार प्रस्तावित है वह एक लाख छियासी हजार का है । इस प्रस्तावित योजना आकार में जिसमें पूंजीनिवेश अनुमानित है सार्वजनिक क्षेत्र में 46 हजार 360 करोड़ रुपया का और निजी क्षेत्र में एक लाख उन्नतालिस हजार छः सौ चालीस करोड़ का है । मान्यवर, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है । उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 में 9.61 लाख, 1971 में 13.86 लाख, 1981 में 17.94 लाख, 1991 में 21.41 लाख, 1994 में 21.35 लाख तथा 1995 में 19.30 लाख लोगों को रोजगार मिला है जबकि निजी क्षेत्र में 1961 में 3.50 लाख, 1971 में 5.40 लाख, 1981 में 5.63 लाख, 1991 में 5.36 लाख, 1994 में 5.22 लाख तथा 1995 में 4.75 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है । श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता विपक्ष की हैसियत से वर्ष 1994-95 में माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि जैसे कृषि के क्षेत्र में समायोजन स्थापित करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त का पद बनाया गया है उसी तरह से उद्योगों के उत्पादन में समायोजन हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए । आज माननीय कल्याण सिंह जी को याद नहीं आया जबकि सारी सत्ता मशीनरी उनके हाथ में है । आज उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं आ रही है ।

मान्यवर, कुटीर, लघु और बड़े उद्योगों के बीच में वर्गीकरण की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया है । मान्यवर, गांधी जी, डा० राम मनोहर लोहिया ने सावधान किया था कि यदि विदेशी तकनीक को यहां आधुनिकीकरण कर लागू करेंगे तो उसका खामयाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ेगा । आज सरकार के पास इस संकल्प का अभाव है और बिना उद्योगों का वर्गीकरण किये हुये प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं होगा ।

मान्यवर, शिक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास समान शिक्षा हेतु कोई योजना नहीं है । शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार की जेहन पैदा करने वाली व्यवस्था चल रही है । एक व्यवस्था सरकारी स्कूलों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की चल रही है और दूसरी व्यवस्था अंग्रेजी माध्यम से चल रही है । आज यह सरकार शिशु मन्दिरों को बढ़ावा दे रही है दुर्भाग्य है कि किसान का बेटा और मजदूर का बेटा जिन विद्यालयों में पढ़ने जाता है वह बैठने के लिये बोरा अपने साथ ले जाता है और जब किसान मजदूर का बेटा इस स्कूल से पढ़कर निकलता है तो जीवन भर वह बोरा ढोने का काम करता है । दूसरी तरफ बड़े लोगों का हुजूर का बेटा अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर जब निकलता है तो वह कुर्सी पर ही बैठने वाला अधिकारी बनता है । इस प्रकार इस सरकार ने दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं किया है । माननीय आप मुझे अब बोलने के लिये समय कम दे रहे हैं इसलिये मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुये अपने को सुने जाने पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि प्रस्तुत बजट के विरोध में मुझे बोलने के लिये आपने अनुमति दिया । मान्यवर, मैं कानून व्यवस्था से अपनी बात शुरू करता हूं । मान्यवर, भयमुक्त समाज का नारा लगाने वाली इस सरकार के नाक के नीचे रोज आना एक दर्जन डकैती पड़ी हैं और एक दर्जन हत्यायें की गयी हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया था लेकिन मैं दूसरा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं और यदि मुख्य मंत्री जी का आंकड़ा गलत है या हमारा आंकड़ा गलत है आप उसे देखकर अपना निर्णय देंगे । मान्यवर, पुलिस विभाग के ही आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के प्रथम पांच महीनों में 23 प्रतिशत डकैती में वृद्धि हुई है ।

लूट में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई है, हत्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, चोरी में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और दंगों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मान्यवर, अपराधों के बारे में पिछले वर्ष के 5 माहों और 1998 के महीनों का एक कम्परेटिव स्टेटमेन्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं –

	1997 (5 महीने)	1998
डकैती	319	390
लूट	1526	1870
हत्या	3075	3361
दंगे	2000	2888
चोरी	3262	

मान्यवर, लखनऊ में गोसाईगंज, तालकटोरा, नगराम, काकोरी आदि गांवों में 9 हत्यायें हुई हैं, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पायी है । शाहजहांपुर में माता-पिता के सामने उसकी लड़की के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया । मऊ में बलात्कार हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, सिद्धार्थनगर में सिकरा गांव में मछली पकड़ने को लेकर ऊंची जाति के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किये । मान्यवर, इस गांव में पहले प्रधान सवर्ण जाति का था, लेकिन इस बार जो प्रधान हुआ है वह दलित वर्ग का हुआ है और लोगों ने समझा कि तालाब ग्राम समाज का है और पिछड़े वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग उसमें मछली पकड़ने के लिये गये, तो सवर्ण जाति के लोगों ने उनको बुरी तरह से मारा, उनके घर जला दिये, उनके छप्पर जला दिया और जो उनके बरतन थे उनको कूच दिया, लेकिन इस घटना के हो जाने के बावजूद भी पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है । 41 दलित लोगों को मारा गया और उनका घर जलाया गया ।

मान्यवर, सरकार विकास के कार्यों की बात करती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर बजट में कुछ भी नहीं है । जो विभागों का बजट है, उसका 90 प्रतिशत कर्मचारियों पर खर्च होना है और केवल 10 प्रतिशत विकास के कार्यों पर लगाया जाना है और वह भी जो धन है वह नीचे जाते-जाते बर्फ की सिल्ली की तरह पिघल कर समाप्त हो जाता है । जितने भी विभाग हैं चाहे सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो या सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, उनको जो बजट जाता है उसमें जितना कर्मचारियों और अधिकारियों पर व्यय होता है उसका 1/4 भाग ही विकास के कार्यों पर नहीं लगाया जाता है । मान्यवर, विद्युत विभाग बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया है । शहरों में 10 घण्टे बिजली जाती है, लेकिन गांवों में 6 घण्टे भी बिजली नहीं जा रही है । न कोई ट्रांसफार्मर है और न कहीं पर कोई खम्भा

है । किसी तरह से काम चल रहा है । परिवहन विभाग को ले लीजिये । परिवहन विभाग के पास ४ हजार बसों का बेड़ा है, लेकिन अधिकांश बसें डग्गामार हैं और वह घाटे में जा रहा है ।

डी० आर० डी० ए० को आप ले लीजिये, 50 प्रतिशत कमीशन खोरी हो रही है । जो धन विकास के लिये जाता है, वह विकास के कार्यों में नहीं लगाया जाता है । मान्यवर, 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । किसान को खाद नहीं मिल रही है और इस कारण पैदावार नहीं बढ़ रही है और किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है इसलिये 50 बीघे खेती करने वाला आदमी भी यही चाहता है कि उसका लड़का नौकर हो जाये चाहे उसको चपरासी की ही नौकरी क्यों न मिले । तो मान्यवर, इस प्रकार से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री श्याम किशोर यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 1998-99 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है वह किसानों के विरोध वाला बजट है और इस बजट से किसी भी किसान का भला होने वाला नहीं है ।

इसमें जो बातें कही गयी हैं वह पूरी तरह से मनगढ़न्त लगती हैं, इसमें जो नारे दिये गये हैं कि यह बजट ग्रामोन्मुखी है, किसानोन्मुखी है, गरीबोन्मुखी है, रोजगारोन्मुखी है, निवेशोन्मुखी है, क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी है और कल्याणोन्मुखी है यह पूरी तरह से थोथे नारे हैं । इनसे कहीं भी प्रदेश की जनता को लाभ नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में कहीं भी सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, नलकूपों की व्यवस्था ठीक नहीं है बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें पूरे प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए मात्र 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । लेकिन किसानों को कोई भी सुविधा देने की बात इस बजट में नहीं कही गयी है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सके । नई नहरों की कोई व्यवस्था नहीं है लिफ्ट नलकों की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों को कोई लाभ पहुंचता तमाम, तरह की परेशानियां किसानों को भुगतनी पड़ती है उसके निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है यह सरकार भयमुक्त समाज का नारा देती है लेकिन मैं राजधानी का विधायक होने के नाते कहना चाहता हूं कि आज यहां चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है । मुख्य मंत्री जी ने भयमुक्त समाज की घोषणा की है । लखनऊ शहर के अन्दर जिस तरह से अपहरण, हत्याएं और फिरौतियां हो रही है उससे आप देख लें आज हजरतगंज के किसी दुकानदार से पूछ लें वह अपनी औलाद की बांह पकड़कर पूछ लीजिए कि कितनी फिरौती का पैसा दिया है । सारे दुकानदार एक लाइन से कहेंगे कि जिस तरह से कुणाल रस्तोगी का अपहरण हुआ है उससे चारों तरफ भय व्याप्त है एक उदाहरण देना चाहता हूं कोई शरीफ आदमी घर से निकलता है तो वह शाम वापस सुरक्षित घर लौट आए तो यह बहुत बड़ी बात है एक ऐसी ही घटना एक महिला के साथ हुई उसे टेलीफोन आया कि आपके पति का अपहरण हो गया है 50 हजार रुपया फलाने रेस्टोरेन्ट में पहुंचा दो वहां बैठा आदमी आपके पति का पता बता देगा । वह आदमी आफिस में काम करता था जब अपहरण का फोन आया तो उस महिला ने आफिस में जानकारी की उसके पति कहां गये हैं पता चला है कि वह आफिस नहीं आये हैं तो महिला डर के मारे कि उसके पति का अपहरण हो गया है टेलीफोन की सूचना को सही मानकर वह रेस्टोरेन्ट में जाकर पैसा दे आयी । शाम को जब उसके पति घर लौट कर आये तो उनकी पत्नी ने पूछा की आप कैसे हैं तो जब उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं मेरा अपहरण नहीं हुआ है मैं काम से गया था तो पत्नी आवाक रह गयी तो इस तरह की

वारदात आज हो रही है लोग घबराहट में हैं आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों में भय व्याप्त है।

प्रदेश में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है जो उद्योग लगे थे वह भी खराब स्थिति में है और बन्द होने की कगार में है जब प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना नहीं करेंगे तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक उद्योग यू० पी० आई० डी० पी० एल० है जिसमें बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं जब वह फैक्टरी लगी थी उस वक्त एक कांट्रेक्ट हुआ था कि जितना उत्पादन होगा उसका 50 प्रतिशत सरकार खरीदेगी लेकिन वह नहीं हो रहा है किन्तु यह फैक्ट्री बन्द होने के कगार पर है इसी तरह एक जर्मन मैग्जीय जिससे टूल्स फैक्टरी की स्थापना माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने की थी इसकी स्थिति जर्जर हो गयी है।

इसी तरह टैक्निकल एजुकेशन की आप बात करते हैं उसके लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। 1987 में लखनऊ के चारों तरफ ग्राम सभाओं के एरियाओं को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। लेकिन आज तक उन गांवों का क्या हाल है ? वहां के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को इसकी सुध नहीं है चाहे बेहमा चिल्लावां अमौसी रहीमाबाद गुगैरा मस्ती खेड़ा सुनहरा महल फजापुर मिर्जापुर तमाम गांव आज जन सुविधाओं के नाम पर आंसू हैं इन गांवों को नगर निगम में लिया गया। लेकिन इन गांवों के विकास की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं क्योंकि इस सरकार ने जब विश्वास खो दिया है।

उनके विकास के लिये कोई योजना नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि लखनऊ की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो सड़के हैं जिनमें बहुत से गड्ढे हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हुयी है। सरकार की जितनी भी व्यवस्था है वह केवल शहर के सुंदरीकरण की है और शहर से लगे हुये जो गांव हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर गांवों पर ध्यान दिया जाता तो 50 सालों में इन गांवों की स्थिति और अच्छी हो सकती थी। मैं देख रहा हूं कि शहर से लगे हुये जो एरिया हैं वैसी तरह अभाव ग्रस्त हैं। सड़के, बिजली, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। राजधानी से लगे हुये 10-15 किलोमीटर के एरिया को देखें तो इस एरिया में जो गांव हैं और जो तमाम गांव नगर निगम की सीमा में हैं उनके प्रति नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। इन गांवों के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है उसको सरकार करने का काम करे। जो एक्सटेन्डेड एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सड़के बनाने की बात की गयी होती तो मैं इस बजट की तारीफ करता लेकिन मुझे अफसोस है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री मानवर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है वास्तव में यह बजट स्वागत करने योग्य है। इस बजट में नया दिशा, नया चिन्तन और नया नियोजन है। यह बजट पेश करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम जनता को राहत दिलायी है। इस बजट में कोई भी कर नहीं लगाया गया है। इस प्रकार से मंहगाई पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास मुख्य मंत्री जी ने किया है। मुख्य मंत्री जी का यह कदम बड़ा सराहनीय और बड़ा प्रशंसनीय है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले जब बजट पेश किया जाता था तो वह साल के अन्तिम में विभागों को जाता था। लेकिन अब बजट समय पर सभी विभागों को दिया जाता है जिनसे विकास कार्य होना है। मुख्य मंत्री जी ने ग्राम विकास के लिये 70 प्रतिशत धन का आवंटन किया है जो प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। मुख्य

मंत्री जी ने विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों का सम्मान किया और प्रथम बार मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि की स्थापना करके 50 लाख रुपये प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये दिया यह बहुत ही लाभदायी होगा और इससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा । मुख्य मंत्री जी ने नये उद्योगों की घोषणा की है और करके सरलीकरण की व्यवस्था की है । इंसपेक्टर राज को समाप्त किया है और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की है जिसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा ।

मुख्य मंत्री जी ने वैज्ञानिक कृषि के लिये उत्तम बीज, उपकरणों की व्यवस्था की है इससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि उत्तरांचल के लिये 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिये व्यवस्था की है । जहां 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है वहीं पूर्वांचल के विकास के लिये 120 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि में 40 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । इससे लगता है कि मुख्य मंत्री जी की निगाह चारों तरफ सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिये लगी है । मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि प्रत्येक जनपद में राशन कार्ड की व्यवस्था की जाय । राशनकार्ड छपवाये जायं और पहली बार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये विशेष कार्ड की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है इससे लगता है कि हमारी सरकार गरीबों के हितों की रक्षा के लिये सतत् प्रयत्नशील है । कई सरकारें आईं जो गरीबों, निर्बल वर्ग के लिये सिर्फ घोषणाएं ही करती रहीं लेकिन हमारी सरकार ने गरीबों के हितों के लिये कार्य किया है और करके दिखाया है। हमारी सरकार ने एक नारा दिया "दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज" । मान्यवर, आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं एक सरकार थी, उस सरकार ने मुजफ्फरनगर काण्ड किया, मसूरी काण्ड किया, खटीमा काण्ड किया और हमारी भोली भाली जनता पर गोलियां चलाईं मगर हमारी सरकार ने दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज दिया है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा अपराधियों के लिये जेल होना चाहिए और आम जनता के लिये भयमुक्त समाज की व्यवस्था होनी चाहिए ।

जो पहले की व्यवस्था थी आतंकित समाज था, जंगल राज था, अराजकता थी आज उसको खत्म करके जनता को सुख चैन से सांस लेने का अधिकार दिया जिससे वह भी एहसास करे कि प्रदेश की सरकार जनता के हित में काम कर रही है । इसी तरह से सिंचाई बन्धु की स्थापना करके सिंचाई की समस्याओं के निराकरण करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । किसान सेवा केन्द्र, तहसील दिवस स्थान-स्थान पर बनाकर गांव के लोगों को अपनी समस्याओं को रखने व उनका निराकरण पाने का अवसर दिया है । आज जनता एहसास कर रही है कि कोई सरकार है जिसने उनका ध्यान रखा है जो अपनी समस्याओं के लिये दर-दर भटकते हैं । आज किसान सेवा केन्द्र और तहसील दिवस में लोग जाते हैं और अपनी छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण पाते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे आज 90 प्रतिशत लोग राहत पा रहे हैं और उन्होंने चैन की सांस ली है ।

मान्यवर, मैं उन्नाव गया था वहां तहसील दिवस और किसान सेवा केन्द्र का निरीक्षण किया । वहां पर लोग आते हैं और अपनी समस्याएं दर्ज कराते हैं और वहां के अधिकारी/कर्मचारी उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं जिससे वह लोग राहत की सांस ले रहे हैं और महसूस करते हैं कि "जनता की सरकार जनता के द्वार" । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने जन-जन के पास पहुंचने का प्रयास किया है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि नकल पर प्रतिबन्ध लगाने का कुछ लोग विरोध करते हैं । हम कहना चाहते हैं कि नकल पर प्रतिबन्ध जरूर लगना चाहिए इससे छात्र-छात्राओं को परिश्रम करने की आदत पड़ेगी और परिश्रमी छात्रों को न्याय मिलेगा जो लोग नकल करके बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले लेते थे और परिश्रमी छात्र को उसकी योग्यता से वंचित रहना पड़ता था आज इस नकल प्रतिबन्ध से उस पर असर पड़ेगा ।

मान्यवर, पहले जो ट्रांसफार्मर जले रहते थे यूंही महीनों पड़े रहते थे आज माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के आधार पर 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर को बदला जाता है और लोगों ने राहत की सांस ली है। हमने और हमारी सरकार ने समतामय, ममतामय, समरसतामय समाज का वादा किया है। आज हम समाज को विभाजित करके राजनीति नहीं करना चाहते हैं बल्कि समाज में एक समानता की भावना रखना चाहते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखना चाहते हैं। आज समाज में यह बात आई है कि वास्तव में यह सरकार है जो समानता की दृष्टि से काम कर रही है। हम भेदभाव का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने छोटे-बड़े सबको समतामय, ममतामय और समरसतामय समाज की स्थापना करके दिखाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं यह स्वागत योग्य बजट है यह बजट आम जनता को राहत देगा इस बजट से उत्तर प्रदेश चहुमुंखी विकास होगा यही मेरी भावना है। धन्यवाद।

* श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने मुझे 1998-99 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पूर्व जनपद से विधायक हूं बहन मायावती जी ने हाथरस का नाम बदलकर महामायानगर रख दिया है। मान्यवर, हाथरस के साथ मुख्य मंत्री जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जितनी भी सड़कें हमारे शासनकाल में बननी शुरू हुई थीं वह बन्द कर दी गई हैं। जितनी बसें विधान सभा क्षेत्र में महामायानगर में चलाई गई थीं वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने बन्द कर दी हैं। मान्यवर, अलीगढ़ में मिनी सचिवालय चलता है जिसके इन्चार्ज मुख्य मंत्री जी के [xxx] हैं और उन के सहयोगी [xxx] हैं।

(व्यवधान)

*श्री हुकुम सिंह–

जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है जिसको अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त नहीं है उसका नाम लेकर आरोप लगाना संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। जो इन्होंने कहा है वह कार्यवाही में आ गया है उसको कार्यवाही से निकाला जाए और उनको निर्देशित किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण पुराने और अनुभवी हैं जो व्यक्ति अपनी सफाई यहां नहीं दे सकते हैं, प्रायः यह परम्परा रही है कि उनके नाम का उल्लेख कर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होते हैं। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं माने जायेंगे। कृपया माननीय सदस्य ऐसी बात न कहें जिससे सदन का वातावरण उद्वेलित बने और आपको अपनी बात कहने में कठिनाई हो।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र और जनपद के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इनके साहबजादे के द्वारा किया जा रहा है। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है...

श्री अधिष्ठाता–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

नाम का उल्लेख न करें अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

बजट पर बोलें ।

श्री रामवीर सिंह उपाध्याय–

इस बजट में सामाजिक समरसता, नैतिकता पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है । जहां तक नैतिकता पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की बात है मान्यवर, हमारे फिरोजाबाद जनपद में शराब का ठेका कृष्ण शर्मा दो करोड़ में लेना चाहते थे...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया इस बात का ध्यान रखें जो माननीय सदस्यगण उपस्थित नहीं हैं उनके नाम का उल्लेख न करें ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । श्री रामवीर उपाध्याय ने कहा कि एक अमुक व्यक्ति ज्यादा रुपयों में ठेका लेना चाहता था उसको नहीं दिया गया ।

यह शब्द कहां से असंसदीय हो गया ?

श्री अधिष्ठाता–

असंसदीय नहीं लेकिन अशोभनीय हो सकता है ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

अभी हमारे समक्ष पूर्व परिवहन मंत्री जी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे उनके कार्यकाल में फर्जी नियुक्तियां करके जो करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसकी सी० बी० आई० से जांच कराई जाए ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित रखने में अपना सहयोग दें । उपाध्याय जी मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है आप ऐसी बातें न कहें जिनसे सदन में उत्तेजना फैले ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह उचित परम्परा नहीं है कि जो इस सदन में उपस्थित न हो उसका नाम लेकर आरोप लगाए जाएं । यह संसदीय परम्पराओं में नहीं आता है । लेकिन अगर एक ऐसा तथ्य रखा जाए जिसमें किसी बड़े घोटाले का जिक्र हो और यह आरोप लगाने की दृष्टि से बात न कही जाए तो यह बात असंसदीय और अशोभनीय कैसे हो सकती है ? इसलिए अधिष्ठाता महोदय, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा ।

श्री लालजी वर्मा–

आपने राजेन्द्र प्रताप सिंह को किस नियम के तहत अनुमति दी ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस तरह से मैंने चौधरी साहब को सुना उसी तरह से श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह को भी सुना । श्री रामवीर जी आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप अपने को बजट तक ही सीमित रखें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

जितना बजट भाषण है मैं उससे अलग नहीं बोल रहा हूं । इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है इस पर मैं बोलना चाहता हूं । मैं जब परिवहन मंत्री था उस समय मैंने समीक्षा की थी उस समय परिवहन विभाग में 400 करोड़ रुपये का घाटा था मैंने जगह-जगह जाकर चेकिंग किया व पूरे प्रदेश का दौरा किया । पता चला कि परिचालक और चालकों की कमी है और आये दिन 30–35 परसेन्ट गाड़ियां खड़ी रहती हैं । इसलिए मैंने यह निर्देश दिया कि यह पता कर लिया जाये कि कितनी जगह खाली हैं और उसको नियमानुसार भर लिया जाये । मुझे यह भी पता चला कि पिछले 20 वर्षों से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की भर्ती नहीं हुई है और एक हजार चालकों की व एक हजार परिचालकों की जगह खाली है और नियमानुसार उनकी भर्ती की गयी । जब यह पता चला कि भर्ती में अधिकारियों ने अनियमितता की है तो मैंने उसे तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन मायावती जी के संज्ञान में लाया और उसे रद्द कर दिया और पुनः रोजगार कार्यालय से मेरिट के हिसाब से नाम मांगे गये और उसमें भर्ती की और आपने उन सबको रद्द कर दिया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मेजर जगत पाल सिंह–

मेरे एक रिश्तेदार से 80 हजार रुपया लिया गया ।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, करोड़ों का घोटाला किया । गाड़ियों के टायर इन्होंने बेच दिये ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में टोका-टोकी न करें । उपाध्याय जी आप वर्तमान में जो बजट उपस्थित हुआ है उस पर अपनी बात कहें । आपने क्या-क्या किया उसका स्पष्टीकरण न दें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, इसके पूर्व में माननीय उपाध्याय जी मंत्री थे उस समय जो सामने बैठे हुए लोग हैं वह भी सरकार में थे, यह क्या करते थे उनके साथ कौन सा पाप करते थे यह सब जानते हैं । इस समय यह लोग जो पाप कर रहे हैं वह जो अगला आयेगा वह बतायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, नाम लेकर उधर से आरोप लगाया गया कि भर्ती में रिश्तेदारों से पैसा लिया और करोड़ों का घोटाला किया । मान्यवर, जिसके ऊपर आरोप लगा अगर वह आपके माध्यम से अपने बारे में आपके समक्ष स्पष्टीकरण रखना चाहता है तो उसे अवसर मिलना चाहिए । अगर आरोप लगे और स्पष्टीकरण यहां न दें वह दूसरी जगह कहां जायेगा ? श्रीमन्, जो आरोप उधर से लगाये गये हैं, उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें, तब तो उपाध्याय जी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

इन्होंने मेरे द्वारा की नियुक्तियां रद्द कर दीं। यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, यह सरकार कितनी नैतिकतावादी है, जब से इस प्रदेश के मुखिया कल्याण सिंह बने हैं, तब से इनकी दो करोड़ की कोठी बनाई जा रही है.....

(सत्ता पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर – व्यवधान)

(प्रत्युत्तर में विपक्ष की ओर से भी कई सदस्यों द्वारा टोकाटोकी किये जाने से व्यवधान हो गया)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री दल बहादुर कोरी)–

वर्तमान मुख्य मंत्री तो 9 बार इस सदन में चुनकर आये हैं, तब कोठी बनी है, आप तो अभी पहली बार ही आये हो।

श्री अधिष्ठाता–

उपाध्याय जी, समाप्त करें, समय की सीमा हमारी विवशता है।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय मुख्य मंत्री के पुत्र हैं, राजवीर सिंह, जो वकालत करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स अदा नहीं करते हैं। मैं तो उसी जनपद का रहने वाला हूं.....

(सत्ता पक्ष की ओर से अनेक सदस्यों द्वारा टोकाटोकी किये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कोई आरोप न लगाया जाय। लेकिन आपके निर्देशों के बावजूद माननीय सदस्यों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और निर्देशों का उल्लंघन इस सदन की अवमानना के बराबर होती है। मैं आपसे यह अनुमति चाहता हूं। जो माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से खड़े होकर निर्देशों की अवहेलना करें, सदन की अवमानना करे, उसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात की ओर इंगित किया है.....

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, माननीय श्री रामवीर उपाध्याय ने कुछ निराधार, बेबुनियाद, गैरजिम्मेदाराना और अनर्गल बातें इस सदन में कही हैं। दो बातें इन्होंने कहीं हैं। उसमें एक बात इनकी कहूंगा, एक बात अपनी कहूंगा इन्होंने कहा कि हमारी 2 करोड़ की कोठी बन रही है तो श्रीमन्, 50 लाख रुपये इनको मुनाफा हो जायेगा, हमको डेढ़ करोड़ दे दें। हिन्दुस्तान में मेरे नाम से कोई कोठी है तो वह इनके नाम से हो जायेगी। डेढ़ करोड़ दे दें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको यह आरोप वापस लेना चाहिए और दूसरा, हमने पुराने सारे मामले देख लिये हैं, मैं श्री रामवीर जी उपाध्याय की पीड़ा से दर्द से अवगत हूं। जो भर्ती नियुक्तियां हुई हैं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसमें सी० बी० आई० से जांच के लिये मैं लिख चुका हूं आपके खिलाफ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

जहां तक इनकी कोठी खरीदने की बात है तो मेरे पास पहले से मकान है । राजनीति में आने से पहले मेरे पास मकान है, मै इनकम टैक्स दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो बात नेता सदन ने कह दी अब उसके आगे क्या कहेंगे ?

(सदस्यों द्वारा आपस में टोकाटोकी करने से व्यवधान)

मेजर जगत पाल सिंह–

दलाली की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं जो करते थे ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय रामवीर उपाध्याय जी अपनी बात कह रहे हैं, तथ्य के रूप में अपनी बात को रख रहे हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य टोकाटोकी कर रहे हैं और माननीय नेता सदन के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर इनको धमकी दी जा रही है इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई धमकी नहीं है । माननीय वर्मा जी, इसमें किसी प्रकार की धमकी का कोई आभास नहीं होता है । मैं व्यक्तिगत रूप से पीठ की ओर से अपील करता हूं कि आपका समय काफी हो चुका है अगर एकदम से कह दूं कि समाप्त करें तो उद्वेलित होंगे । मैं अनुरोध करूंगा कि आप बजट के बिन्दुओं पर अपने आपको सीमित रखते हुए इस बजट चर्चा के समापन की ओर चलें और कोई ऐसी बात न कहें ।

* वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ? व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपके सामने एक बात रखी थी कि जो माननीय सदस्य सदन में अध्यक्ष पीठ का अवमान करे वह सदन का अवमान है इस पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग सहयोग करें । जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है,उपस्थित नहीं है उसके बारे में कोई आरोप प्रत्यारोप का प्रसंग आयेगा तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, यह पहले से कहा जा चुका है और परिपाटी भी रही है । आप कनक्लूड करें ।

श्री राम वीर उपाध्याय–

[× × ×]

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

आप से अनुरोध किया जा रहा है कि सहयोग दें । माननीय सदस्यों को आज जाना भी है, दो दिन के लिए सदन उठ रहा है, सदस्यों को ट्रेन पकड़नी है, उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सहयोग करें और अपने भाषण को समापन की ओर ले चलें एक मिनट में अपनी बात खत्म करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक भ्रांति पैदा हो गयी है सदन में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए माननीय सदस्य विचलित हैं, सी० बी०आई० इंक्वायरी की जो बात आयी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई धमकी की कोई बात नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानकारी दी है कि सी० बी० आई० इंक्वायरी के आदेश हो चुके हैं । धमकी तो तब होती जब कहा जाता कि सी० बी० आई० जांच के आदेश देंगे ।

(व्यवधान)

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माहौल गरम है अब अगर पावर मिनिस्टर बोलेंगे तो क्या होगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय जगदम्बिका पाल जी जब परिवहन मंत्री थे सरकार में, आज विपक्ष में बैठे हैं, तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी से सी० बी० आई० की जांच के लिये अनुरोध किया था । उनके अनुरोध को स्वीकार किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जो यह प्रकाशित भाषण हैं इससे बाहर नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थीगणों की भर्ती हुई थी उनको माननीय परिवहन मंत्री जी ने, जो मुख्य मंत्री के पास डिपार्टमेंट है, रद्द कर दिया, यह न केवल दलित विरोधी है, यह ब्राह्मण विरोधी है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस तरह से कैसे सदन चल पायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जाएं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उपाध्याय जी यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी बात को दो मिनट शांति से सत्तापक्ष के सदस्य सुन लें । जो बातें असंसदीय होंगी, वह आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

[× × ×] । मान्यवर, ये ब्राह्मण विरोधी कैसे हैं । श्री कल्याण सिंह जी ब्राह्मण विरोधी हैं । मेरी सुरक्षा हटा ली गयी, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज किये गये । मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी से मिला और कहा कि आप इसकी सी० बी० आई० से जांच करायेंगे तीन मार्च को इसकी जांच हुई । सी० बी० आई० की टीम मेरे पास आयी और मुझे हिदायत दी कि श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई और उस हत्या की भी हम जांच कर रहे हैं । श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या किसने की और उनकी हत्या क्यों हुई ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के उत्तेजित होने तथा एक साथ खड़े होने पर – व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

व्यक्ति का नाम नहीं लिया जायेगा ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं । आज उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में कन्टैम्प्ट चल रहा है, जिसने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया । मान्यवर, अभी 12 तारीख को एक सादे समारोह में दो शराबियों के बीच में झगड़ा हुआ ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जायं । आपने अपनी बात कह दी है ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, माननीय नेता सदन, सदन में उपस्थित हैं । महान पुरुष वह होता है, जिसे अंपनी समालोचना को सुनने में कठिनाई न हो । मान्यवर, हम गर्व के साथ सीना फुलाते अगर माननीय नेता सदन यह कहते कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाओ मैं जवाब दूंगा । परन्तु आज नेता सदन आरोपों के नीचे झुके हुए हैं और आरोपों का जवाब नहीं दे पाते हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । ऐसी कोई टीका टिप्पणी जो अशोभनीय है, असंसदीय है और अवांछनीय है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का बहुत सम्मान करता हूं और उन्हें बुजुर्ग मानकर उनका सम्मान करता हूं । लेकिन मान्यवर, अगर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की बात शोर करके नहीं सुनेंगे तो यह सदन की अच्छी परम्परा नहीं है । माननीय नेता सदन, सदन में मौजूद हैं और हम जानते हैं कि हम संख्या बल में उनसे कम हैं लेकिन नेता सदन को कम से कम इतना अनुशासन रखना चाहिए कि उनकी मौजूगी में सदस्य जिस तरह का आचरण सदन में कर रहे हैं वह उचित नहीं है ।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबू राम यादव जी कृपया विराजें ।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से नेता सदन से यह प्रार्थना है कि एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने के लिये खड़े होकर रामवीर उपाध्याय जी को कहें कि अपनी पूरी बात कहें हम सुनने को तैयार हैं ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय बाबू राम जी वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया है और यह आग्रह किया है कि अपनी आलोचना सुनने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हैं, आलोचना होनी चाहिए । बजट में आलोचना होनी चाहिए, नीतिगत आलोचना होनी चाहिए । लेकिन चर्चा के माध्यम से आरोप लगाना यह उचित नहीं है । अगर आरोप लगाना चाहते हैं तो नियमों में प्राविधान है आप उन प्राविधानों के तहत आरोप लगायें, साक्ष्य प्रस्तुत करें आपके सम्मुख । आज बजट पर चर्चा हो रही है और आप इस बजट की चर्चा के माध्यम से आरोप लगायें तो यह उचित नहीं है, आप चर्चा के माध्यम से यह आरोप लगायें कि मेरी हत्या की जा रही है तो यह उचित नहीं है । मान्यवर, इस तरह के जितने भी आरोप हैं उन्हें इस कार्यवाही से निकाल दिया जाय और माननीय सदस्य को निर्देशित किया जाय कि वह कार्यवाही नियमानुसार चलेगी नियमों को तोड़कर नहीं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अगर इन्होंने पहला बजट पढ़ा होगा तो इन्हें याद होगा कि जब नेता सदन बहन मायावती जी थीं तो उस समय भी बजट चर्चा के माध्यम से माननीय कल्याण सिंह जी ने अम्बेडकर पार्क में घोटाले का आरोप लगाया था ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि यह सदन सुव्यवस्थित रूप से चले । मान्यवर, मुझे शर्म महसूस होती है कि नेता सदन यहां मौजूद हैं लेकिन उनके सामने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यहां [× ×] कर रहे हैं, यह शोभा नहीं देता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो उदण्डता शब्द का प्रयोग किया है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय, श्री रामवीर उपाध्याय जी को दो मिनट में अपनी बात रखने का समय आप नहीं दे रहे हैं जबकि उन्हें आपने बोलने के लिये समय दिया था। इसलिये उन्हें दो मिनट का समय आप दें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें और व्यवधान न पैदा करें। (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यवधान के मध्य बोलने पर) श्री स्वामी प्रसाद जी आप बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आपका नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

माननीय, स्वामी प्रसाद जी ने जो अभी कहा था कि सत्ता पक्ष के लोग [××] कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इसे कार्यवाही से निकालने के हमने स्पष्ट आदेश दे दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या [××] शब्द संसदीय नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह शब्द असंसदीय है, इसलिये यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, इस संबंध में हमने पहले ही निर्णय दे दिया है। आप लोग बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर जी आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

[× × ×] (व्यवधान)

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । श्री उपाध्याय जी द्वारा कहा गया एक भी शब्द कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री सोनकर जी से अनुरोध है कि वह अपनी बात कहें ।

श्री अधिष्ठाता–

उसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री लालजी वर्मा–

आपने नियम बनाया है कि सदस्य के लिए कितना समय दिया जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामवीर उपाध्याय की स्थिति नेता की नहीं है उनकी स्थिति एक सदस्य की है वह 45 मिनट बोलेंगे, जो किसी नेता को भी समय नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 1998-99 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय नेता सदन, जो बजट प्रस्तुत किया उसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि यह बजट किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है और छात्र विरोधी है । एक दिन माननीय नेता सदन यहां पर अपने आंकड़े पेश कर रहे थे और उसमें यह दिखा रहे थे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अपराध कितने प्रतिशत कम हुए, बलात्कार कितने प्रतिशत कम हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और माननीय मुख्य मंत्री जी माल एवेन्यू में रहते हैं उनके निवास के 1.5 कि०मी० पर ए० के० 47 की ताबड़तोड़ आवाजें सुनाई पड़ती हैं । ऐसा कोई दिन न जाता होगा जब ऐसी घटनायें न सुनने को मिलती हों ।

पत्रिका में छपा है कि पिछले वर्ष से अपराध ज्यादा हैं लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार अपराध कम हैं । मान्यवर, हमारे नेता सदन बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का एक डेलीगेशन आया यह मैं कानून व्यवस्था पर बोल रहा हूं । 1997 में दो छात्रों की हत्या हुई और उसकी सी० बी० सी० आई० डी० से जांच हुई उसमें बनारस जिले के एस० पी, सी० ओ०, ए० डी० एम० को दोषी ठहराया गया और माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां पर वह फाइल एक माह से लम्बित है उस फाइल का इसलिये डिस्पोजल नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें सरकारी कर्मचारी फंसे हैं अगर उस पत्रावली को निपटा दिया गया तो उन लोगों के विरुद्ध जरूर कार्यवाही होगी लेकिन मान्यवर, लॉ एण्ड आर्डर की यह हालत है कि गांव में चले जाइये तो पता चलेगा वहां पर अपराधियों का बोलबाला है बनारस के लंका में शिव सोनकर, जो दवा व्यापारी था की हत्या ए० के० 47 से की गयी । मैं चकिया विधान सभा की बात कहना चाहता हूं वहां पर नक्सलवादी 20-20 और 25-25 की संख्या में बन्दूक लेकर गांव में घूम रहे हैं लेकिन यह सरकार मूक दर्शक बनी हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सिंचाई मंत्री नहीं हैं जो बजट मिला है, इसमें लिखा है ट्यूबवेल के लिये जो प्राविधान किया है जो खर्च आयेगा उसका आधा भुगतान सरकार करेगी । अगर बिजली 3 कि०मी० से लेता है जो फायदा किसान को मिलना चाहिए वह बिजली के खर्च में चला जायगा इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी है । इसी तरह से किसान की सुविधा के लिये कोई बात नहीं है मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है । बजट में नये अस्पतालों की व्यवस्था नहीं की गयी है जो वर्तमान अस्पताल हैं उनके अन्दर बेड नहीं हैं और जो हैं भी वह टूटे फूटे हैं और गांव वाले

जब पेसेन्ट को लेकर जाते हैं तो अपनी चारपाई पर लाद कर ले जाते हैं, वहां पर फस्ट-एड तक की सुविधा नहीं है । वहां फस्ट-एड की कोई सुविधा नहीं है सिर्फ मेडिकल कालजे को मेडिकल विश्वविद्यालय से जोड़ दिया है इससे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है हमारे यहां स्वास्थ्य सुविधा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है अन्य प्रदेशों में यह 41.6 है ।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कोई नये डिग्री कालेज खोलने की बात बजट में नहीं कही गयी है सरकारी तौर पर डिग्री कालेज, इण्टर कालेज या हाई स्कूल खोलने की बात नहीं है । आज छात्रों के एडमिशन की हालत बहुत खराब है मैं बनारस की बात कह रहा हूं हर जनप्रतिनिधि के यहां चाहे वह एम० पी० हो या विधायक हो जितनी भीड़ नौकरी के लिये नहीं लगती उससे ज्यादा भीड़ एडमिशन के लिये लगी रहती है बच्चे दाखिला पाने के लिये परेशान हैं हमारे बनारस में जितने डिग्री कालेज, इण्टर कालेज या हाई स्कूल 20 साल पहले थे आज भी उतने ही हैं उसके बारे में कोई प्रगति हुई है अभी हाई स्कूल का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया आपने देखा होगा कि इतिहास में सबसे कम 28.7 प्रतिशत रिजल्ट था । तो शिक्षा की प्रगति के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

हमारे सिंचाई मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो नहरों की सर्विस रोड हैं उन्हें पक्का किया जाएगा हमारे विधान सभा के चुनार में जो सिंचाई मंत्री जी के क्षेत्र से मात्र 22 फिट दूर है उनके यहां तो 50 कि०मी० सर्विस रोड पक्की बन गई है लेकिन हमारे यहां 5 कि०मी० सर्विस रोड पक्की नहीं बनी है? क्या यह तय कर लिया है कि जो मंत्री होगा उसी के विधान सभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सीवर आदि सारी व्यवस्थायें होंगी और जो अपोजिशन के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं मंत्री नहीं हैं उनके क्षेत्र में काम नहीं होगा ? अभी हमारे साथी बहुत चिल्ला रहे थे तो हम क्या कह सकते हैं जब आधा-आधा बटवारा आपका हुआ था 6 महीने बारी-बारी से काम करने की बात हुई थी उस समय आपको बड़ा मजा आ रहा था और आज भागीदारी नहीं है, तो परेशान हैं माननीय रामवीर जी ने एक सही सवाल उठाया है लेकिन गलती की है तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय विद्युत मंत्री जी से कि पूरे पूर्वान्चल में 40 फीसदी ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हैं किसान रो रहा है जब ट्रान्सफार्मर बदलने के लिये अधिकारियों के पास किसान जाता है तो दो हजार तीन हजार रुपया मांगा जाता है अगर पानी बिजली सिंचाई की प्रापर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो यह सब लिखना किसान के लिए बेकार है । मैं इस बजट की निन्दा करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह किसान, मजदूर और गरीबों के हित में नहीं है उनका विरोधी यह बजट है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृपा के लिये कृतज्ञ हूं । मैं एक शेर निवेदन करना चाहता हूं––

"जाने क्यों मेरे दोस्त यूं गुमराह हो गये,
मेरे किये हुए सवाब भी गुनाह हो गये ।"

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं एक मिनट चाहता हूं एक शेर है–

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रतिपक्ष का अर्थ लोकतंत्र में होता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई सार्थक पहल की गयी हो तो उसकी प्रशंसा की जाय । अगर कहीं चूक हुई है, गलत नियोजन हो रहा है, आर्थिक नीतियां गलत हो रही हैं तो उसकी आलोचना की जाय । लेकिन केवल विरोध के लिये विरोध किया जाय, अगर ऐसा होता है तो यह लोकतंत्र के लिये ठीक लक्षण नहीं हैं । यह बजट ग्रामोन्मुखी है । 70 फीसदी धन बजट का ग्रामों की ओर जा रहा है । गांवों में 28 सौ सम्पर्क मार्ग पिछले 50 वर्षों में किसी सरकार ने बनाने की बात नहीं की है । 28 सौ गांव सम्पर्क मार्गों से जुड़ जायेंगे यह स्वीकार करने में आपको क्या कष्ट हो रहा है ? यह ग्रामोन्मुखी बजट है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे-सीधे 11 प्रतिशत धन दिया जा रहा है ।

इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया । क्यों संकोच होता है आपको इस बात को स्वीकार करने में कि इस बजट से उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बना है । हमारे ऊपर हमारे कुछ मित्र साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हैं । 21 वर्ष हो गये हैं कितनी सरकारें आयीं और कितनी गयीं । इसी लखनऊ में अजादारी और मोहर्रम पर किसी का साहस नहीं होता था कि अल्पसंख्यक बंधु शिया और सुन्नी दोनों लोगों के त्योहार शांतिपूर्वक करवा दें । प्रतिपक्ष को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए । यह पहली सरकार है जिसने साहसपूर्वक और शांति पूर्वक सारे कार्यक्रम को सम्पन्न कराया और अल्पसंख्यक वर्ग के इन दोनों वर्गों ने अपने त्योहारों को मना लिया । मान्यवर, नहरों की पटरियों को पक्का करने की योजना है । 1991-92 में जब हमारी सरकार थी तो हमने नहर की पटरियों को पक्का करने के लिये ध्यान दिया लेकिन बीच में जो सरकारें आयीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया । नहर गांव में होती है, गांव के लोग नहर की पटरियों पर जाते हैं । जब हमें प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला आज हम फिर गांव में नहर की पटरियों का पक्का करने जा रहे हैं । गांव में रहने वाला किसान अब पक्की सड़क पर चलेगा और अपनी उपज वह आसानी से शहर में बिकने के लिये ला सकेगा । गांव में रहने वाले डिग्री कालेज, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग के छात्र पक्की सड़कों से स्कूल जा सकेंगे । गांवों का सामान जो खराब हो जाता था 24 घंटे में वह पक्की सड़कों के माध्यम से शहर को आयेगा इसको आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि यह बजट किसानोन्मुखी है । मैं क्षमा चाहूंगा कि यदि केवल आलोचना की जायेगी तो काम नहीं चलेगा । पिछली सरकारों ने कभी विद्युत व्यवस्था की चिन्ता नहीं की । यह पाप अब हमारी सरकार को ढोना पड़ रहा है । यह पहली सरकार है जिसने आने वाले भविष्य की चिन्ता की है और नयी योजनायें प्रारम्भ करायी हैं । जो विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी थी उसको ठीक करने का हमारी सरकार ने संकल्प किया है इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए ।

मगर यह खड़े होकर कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो वास्तव में कष्ट होता है । मैं स्वीकार करता हूं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि 1991-92 में हमारी सरकार ने जो कानून और व्यवस्था में कीर्तिमान बनाया था वह किसी सरकार ने नहीं बनाया । मगर बीच के 5-6 साल के अंतराल में जो सरकारें रही उन्होंने गुण्डों को बढ़ावा दिया, माफियाओं को बढ़ावा दिया और अपराधियों को बढ़ावा दिया उसको सारे प्रदेश की जनता भुगत रही है । हमारा संकल्प है कि हम जनता को भयमुक्त समाज देंगे । जब मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण पढ़ा था तो स्पष्ट रूप से सदन के सामने सारी बातें रखी थीं । मेरा विश्वास है कि यह सरकार प्रदेश की जनता को भयमुक्त समाज देने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है । निश्चित रूप से ऐसा समय आयेगा जैसे 1991-92 में गुंडे, बदमाश जेलों में थे या प्रदेश की सरहद के बाहर थे यह स्थिति आने वाली है । मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से, यह किसी भी राजनैतिक विचारधारा का हो अपराधियों को किसी प्रकार से संरक्षण देने का काम न करें इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम और नहीं हो सकता है । इस सरकार ने प्रशंसा के काम किये हैं तो प्रशंसा होनी चाहिए । इस

सरकार ने जो 91-92 में आयी थी उत्तरांचल को एक अलग राज्य देने का वायदा किया था आज यह केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। यह संकल्प जो इस सरकार ने 91-92 में किया था आज पूरा होने वाला है। उत्तरांचल को एक अलग समृद्ध राज्य के रूप में बनायेंगे ऐसा हमारा विश्वास है। मान्यवर, स्वतंत्रता सेनानियों की चिन्ता पहली बार इस सरकार ने की है। आज तक इस बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमने उनकी पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2250 किया है। हमने सोचा हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं लेकिन इस वृद्धावस्था में उनको आर्थिक दृष्टि से कोई कमी न हो, इसलिये ऐसा कदम उठाया है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी।

जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की पक्षधर बनती थी उन सरकारों ने आज तक उनके लिये क्या किया ? छात्रों के लिये एक पैसे की वृद्धि छात्रवृत्ति में नहीं की। हमारी सरकार ने आज उनके लिये छात्रवृत्ति दुगुनी कर दी है। आपकी जिह्वा को लकवा क्यों मार जाता है ? प्रशंसा का कार्य किया गया है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। किसी जाति, धर्म के नाम पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की चाहे वह किसी जाति किसी वर्ग का क्यों न हो, किसी धर्म का क्यों न हो उसके कल्याण की चिन्ता की है। मान्यवर, किसान बही बनी थी। 91-92 में। सरकार गई तो उसके साथ ही किसान बही भी घूरे में फेंक दी गयी। आज हमने उसको फिर लागू किया है। किसान के संवैधानिक अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं उसके लेख अभिलेख उसमें होते हैं उसको जानकारी होनी चाहिए। मान्यवर, गन्ने के मूल्य में वृद्धि हुई है। पैसा कहां गया, किसानों के पास। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा प्रतिशत गन्ने का भुगतान किसान को मिला है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस सरकार ने किया है तो आपको प्रशंसा करने में क्या कष्ट है ? मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, पहले यह लोग इधर बैठते थे और हम लोग उधर। आज हम इधर हैं तब भी आपकी नीति हमारी नीति है। मान्यवर, हम लोग कहा करते थे, सभी विधायक कहा करते थे कि केन्द्र में सांसदों को जिस हिसाब से विधायक निधि मिलती है हमको भी मिलनी चाहिये। नियम-49 में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी। उधर और इधर बैठे सभी सदस्यों का एक मत था। मगर किसी सरकार ने यह साहस नहीं जुटाया कि जन प्रतिनिधियों को भी विकास के कार्यों के लिये राशि दी जाय। अबकी बार यह प्रश्न नहीं उठाया गया। हमारी सरकार ने स्वतः विचार किया कि प्रदेश के विकास के लिये जनप्रतिनिधियों के हाथ में भी कुछ धन दिया जाय ताकि वे अपने क्षेत्रों का विकास कार्य कर सकें। इस बात के लिये साधुवाद देना चाहिये था। सबकी मांग थी और हमारी सरकार ने इस बजट में व्यवस्था कर दी है कि चाहे विधान सभा का सदस्य हो, चाहे विधान परिषद् का सदस्य हो सबको एक समान धनराशि 50 लाख रुपये देने का फैसला लिया। अभी और लोग प्रतिपक्ष से बोलेंगे। मैं चाहूंगा कि साहसपूर्वक बजट में जो अच्छी बातें हैं उनकी प्रशंसा करें और कमियों की ओर संकेत करें, अच्छी बात है। बहस जरूर हो, मगर बहस सार्थक होनी चाहिये। हमारी कमियों को इंगित करें और कोई ठीक कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, दो लाइनें कहना चाहता हूं– डंग साहब के लिये–

"ताजिम लाजिमी है बड़ों की मगर जनाब,
इतना न झुकिये आप कि दस्तार गिर पड़े।
ताकत का अपनी आपको एहसास ही नहीं,
गर फेर लो नजर तो ये सरकार गिर पड़े।"

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

हमारी शक्ति क्या थी मान्यवर, आपने भी देखी यह उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं तो जनता ने शक्ति दी । उधर तो खुशामद हो रही थी तो उप नेता हो गये हम तो आज भी विधायक हैं कल भी विधायक रहेंगे कुछ लोग सत्ता जाने से विक्षिप्त हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब ने जो बात कही है, मैं भी कुछ बता दूं–

"न पूछो क्या गुजरती है दिले–खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी ना-मेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है ।
हमारे सामने जिसने बहारे-अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे-अंजुमन कहना ही पड़ता है ।
यह दुनियां है, यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले-गौहर कहना ही पड़ता है ।
वफैजे मसलहत ऐसा भी होता है जमाने में,
कि रहजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है ।"

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरा भी एक शेर सुन लें–

"चार रोजा है जवानी न चल यूं सर उठा-उठाके,
खुदा ने ऐसे तमाम चेहरे मिटा डाले बना-बनाके ।"

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मुन्ना चौहान जी मेरा अनुरोध है कि तौफीक साहब को जल्दी जाना है तो पहले उनको बुलवा देते हैं ।

एक माननीय सदस्य–

अधिष्ठाता जी, जिस तरह से क्रमवार माननीय अध्यक्ष जी ने तय किया था उसी तरह से ।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मेरा अनुरोध है कि पहले तौफीक साहब को बुलवा लें वह जल्दी जाना चाहते हैं ।

* श्री तौफीक अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया मैं शुक्रगुजार हूं आपका। यह जो बजट मौजूदा पेश किया गया है इसमें कहा गया है कि यह ग्रामोन्मुखी है, विकासोन्मुखी है, गरीबों के लिये, पिछड़ों के लिये, दलितों के लिये, कृषकों के लिये है। कृषकों के लिये गरजे कि सूबे की जनता की जो समस्यायें हैं उसमें हर पहलू के लिये सत्तापक्ष से बजट पेश किया गया है। हमने जो बजट पढ़ा और महसूस किया है हमने देखा है उसमें गरीबों के उत्थान के लिये कोई खास बात नहीं कही गई है। ग्रामों के उत्थान की बात खास नहीं की गई है लकीर पर जो चल रहे हैं वह चल रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिये कोई खास बात नहीं कही गई गांव में कल-कारखानों के लिये कोई खास बात नहीं कही गई है।

पूर्वांचल का जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वहां के किसानों की अनेक समस्यायें हैं। वह हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। कहने को तो कहा गया कि भयमुक्त समाज होगा कानून का राज होगा, लेकिन तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों की, शहरों की महापालिकाओं की तमाम घटनाओं का जिक्र किया है। मैं सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज तहसील का नागरिक हूं और इस आदरणीय सदन का सदस्य हूं मैं इधर उधर की बातें न कह कर अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहता हूं। अपराध का जहां तक सवाल है सिद्धार्थनगर जिला अपराधों में सबसे क्लाइमेक्स पर है। वहां के अपराध का रिकार्ड मंगाकर देखा जाय तो पता चलेगा। चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे दलितों के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे डकैती की वारदातों की बात हो, अपहरण के मामले हों, चाहे मासूम बच्चों की हत्या का मामला हो। डुमरियागंज में राम सिंह जो व्यापारी है उसके मासूम बच्चे जो 11 वर्ष का था उसकी हत्या कर दी गई इसके अलावा वहीं के थाने में दो लाशे पाई गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बिल्कुल अंधेर नगरी मची हुई है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विधायकों को 50-50 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई। लेकिन विधायकों की मांग बहुत दिनों से एक-एक करोड़ रुपये की थी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह विधायकों का कम से कम सांसदों की भांति एक-एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करे ताकि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सके। जहां तक अकलियतों की बात है अकलियत इस सूबे में सिक्योरिटी चाहते हैं। इस मुल्क में सम्मानित नागरिक की तरह जीना चाहते हैं जहां भी माइनारटी इंस्टीट्यूशन खोलने की बात की जाती है। अकलियत लोग तमाम माइनारटी इंस्टीट्यूशन खोलने की बात करते हैं उनको मान्यता देने में तमाम दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं। इस सूबे में जो छोटे लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, सारे लोग आपसे माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वह सबको समान निगाह से देखें। आज वर्तमान में जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० कैडर में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको कूड़ेदान में डाल दिया गया है। डी० एम० और एस० पी० की कुर्सी पर बहुत ही कम लोग हैं।

मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर सिद्धार्थनगर के मंत्री भी हैं। आप बस्ती से सिद्धार्थनगर जाइये आपकी कमर टूट जाएगी। हमारी कांस्टीटुएंसी में डुमरियागंज और बस्ती जिले का कुछ हिस्सा पड़ता है। हमारे यहां अमरडीहा गांव है वहां की अवाम से बिजली की वसूली की जा रही है जबकि पिछले 18 सालों से वहां एक बल्ब भी नहीं जला है। इसकी जांच की जाए। इसके अलावा तमाम गांवों में खम्भे गाड़ दिये गये हैं लेकिन बल्ब जलता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद बिजली के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं। इस तरह से सिद्धार्थनगर जिला कल-कारखाने के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी के रहते भी पिछड़ा हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज तक सिद्धार्थनगर जिले में एक भी कल-कारखाना नहीं है। सिद्धार्थनगर जिला किसानों का जिला है यहां गन्ने की एक मिल खोलने की बात काफी दिनों से चल रही है। पिछली बार भी मैंने सदन में सवाल उठाया था लेकिन आज तक उस चीनी मिल कारखाने का लाइसेंस नहीं दिया गया, न चीनी का कोई कारखाना लगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से सदन से गुजारिश करना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर को कारखाने के मामले में आगे करें। इस जिले में न तो कोई डिग्री कालेज है और न इन्जीनियरिंग कालेज और न पोलिटेक्निक कालेज है। 1972 में डुमरियागंज में एक आई० टी० आई० का स्कूल खुला था वह अब बस्ती में चल रहा है। 62 किलोमीटर की दूरी पर। 1830 का बना हुआ तहसील है, नोटीफाइड एरिया की बात काफी दिनों से लम्बित पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि उसे पूरा कर दिया जाये। मुंसिफी बनाने की बात चल रही है, बिल्डिंग मुहैया करा दिया है लेकिन आज तक मुंसिफ कार्यालय नहीं हो सका है। राप्ती नदी पर 1968 का बना हुआ पुल है उस पर आज भी टोल-टैक्स लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उसे हटाया जाये।

हमारे जनपद में 20-25 नदियां प्रवाहित हो रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नहर विभाग के माध्यम से या ड्रेनेज के माध्यम से या किसी मास्टरप्लान के माध्यम से ऐसी योजना चलायी जाये ताकि वहां की आवाम बाढ़ और दैवी आपदा से राहत महसूस कर सके। इन बातों के ऊपर मैंने कई बार आपको पत्र लिखा है। सिंगारजोत का पुल है अगर यह बन जाये तो अयोध्या जाने की 70-75 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से तमाम अधूरे कामों को पूरा करायें और पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ जिला सिद्धार्थनगर है उसे आगे लायें। माननीय अधिष्ठाता जी, एक बात और कहना चाहता हूं कालानमक का धान यहां की मुख्य उपज है और इसके बारे में योजना बनाने की जरुरत है। माननीय कृषि मंत्री जी इसके बारे में बात हुई है। मैं चाहूंगा कि इसके विकास और तरक्की के लिये सोचना होगा। कालानमक बहुत ही रेयर किस्म का धान है, उसके लिये सोचना होगा ताकि उसकी बेहतरी हो सके। इन बातों के साथ जो बजट पेश किया गया है उसमें कुछ तो बेहतर है इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्पसंख्यकों के बारे में जो कुछ कहा गया है वह पर्याप्त नहीं है, उससे हम लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है। अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिये उनकी बेहतरी के लिये कदम उठाया जाय। विधायकों के लिये जो 50 लाख रुपये की धनराशि दी है, यह अच्छा कदम है। इन अल्फाजों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बजट पर विचार रखने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। मैं इस बजट की आलोचना, समालोचना और सुझाव देने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण को मैंने बहुत गौर से पढ़ा और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 1994 के अन्दर बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से इस सम्मानित सदन के अन्दर बजट पर दिये गये भाषण को भी गौर से पढ़ा। माननीय मुख्य मंत्री ने उस समय प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से अपने भाषण में कुछ इस प्रकार कहा था। श्रीमन् कि विकास कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं। विकास की जब बात होती है तो उसको राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिये और किसी प्रदेश का बजट उस प्रदेश की तरक्की की दिशा देने का दस्तावेज है।

श्रीमन् मुख्य मंत्री जी तो चले गये, मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी की और मेरी बातों का कुछ जवाब भी आता। अपने बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह की और सरकार की तमाम असफलताओं को पोलीटिकल इनस्टेबिलटी के नाम पर छिपाने का काम किया लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी इस काम में सफल नहीं हो पाये और 16 करोड़ जनता से अपनी असफलताओं को छिपा नहीं पाये। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के यदि यह मानना है कि पोलीटिकल

इनस्टेबिलिटी किसी प्रदेश की तरक्की के लिये बाधा है, कान्टीन्यूइटी आफ गवरनेन्स का जो सिद्धान्त है, उसमें बाधा है तो माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपने मायावती जी के साथ एग्रीमेन्ट साइन किया था कि हमको 6-6 महीने की सरकार चलाना है, तब यह कम्प्रोमाइज क्यों किया था ?

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि आप रोजमर्रा इनस्टैबिलिटी की बात कह कर इस प्रदेश की जनता को यह संदेश देते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की कमजोर सरकार कुर्सी पर बैठी है। मैं एक संस्मरण याद दिलाना चाहता हूं। मेरी इस सदन में गम्भीर चर्चा करने की आदत नहीं है, यह मेरा मिजाज भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इकोनामिक सिस्टम "अर्थव्यवस्था" अपने आप में एक डायनामिक प्रासेस है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति के एक अल्फाज उस व्यवस्था पर जबरदस्त असर डालता है, इसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरसिंम्हाराव जी थे, उन्होंने खुले बाजार, ग्लोबलाइजेशन, लिब्रलाइजेशन की शुरुआत की थी, उस समय एक खबर छपी कि प्रधान मंत्री जी बीमार हो गये तो उसका असर दुनिया के अन्दर यह पड़ा और हमारे मुम्बई स्टाक एक्सचेंज का सेन्सेस भी काफी नीचे लुढ़क गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी नाजुक चीज है, जिस पर सत्ता में बैठे हुए लोगों के एक-एक शब्द का असर पड़ता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के एक दिन बीमार हो जाने की खबर छपने से बम्बई स्टाक एक्सचेंज में जिस तरह सेन्सेस गिर गया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार का रोजमर्रा यही रोना हो कि हम तो कमजोर हैं, हमारी सरकार लाचार है, हम बेवस हैं तो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं कि रात भर रोते रहेंगे तो सुबह मुर्दा दिखेंगे, इस तरह से रोने-धोने का कार्यक्रम इस बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश के विकास के जो मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिसको इन्डीकैटर्स कहा जाता है डेवलपमेंट के, उस पर नजर डालें तो वह बुनियादी इन्डीकेटर्स हैं, परकैपिटा इन्कम वह बुनियादी इन्डीकेटर है ग्रोथ रेट, वह बुनियादी इंडीकेटर है परकैपिटा पावर कंजम्पशन, वह है लिटरेसी परसेन्टेज, वह है हेल्थ सर्विसेज। मान्यवर, जीवन स्तर के बारे में कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का स्तर पूरे हिन्दुस्तान के बिहार और उड़ीसा को छोड़कर सबसे निचले स्तर पर है। आज नेशनल एवरेज है 10.771 पर एनम और हमारे प्रदेश का 6.733 पर एनम। आज नेशनल ग्रोथ रेट 6.0 प्रतिशत है और प्रदेश का 2.9 है। यदि आप गौर करें तो ध्यान देने की बात है छठी पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश का ग्रोथ रेट था 8.7 और देश का 5.3 प्रतिशत था। मान्यवर, इस बजट भाषण का मकसद ही इसका विश्लेषण करना और इस पर सुझाव देना है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट लिटरेचर जो हमारे सामने है उस पर यदि नजर डाले तो रेवन्यू इक्सपेन्डीचर 27573.45 करोड़ का है उसमें आप देखे कि प्लान इक्सपेन्डीचर 4872 करोड़ का है और नानप्लान इक्सपेन्डीचर है 22701 करोड़ का है और कैपिटल खाते का हिसाब किताब देखें तो यह है 7037 इसमें प्लान पर 3456 करोड़ और नानप्लान का 3580 करोड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रदेश की यह बजट की स्थिति है इसमें से हम लोग 80 फीसदी पैसा खर्च कर रहे हैं नानप्लान के ऊपर, जिसका विकास से कुछ ज्यादा सम्बन्ध नहीं है वेतन आदि का खर्च है पूंजीगत पदों में और 20 प्रतिशत पैसा प्लान इक्सपेन्डीचर है विकास पर खर्च कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि विकास के लिये कितना पैसा खर्च किया जायेगा। बजट खाते को आप देखे तो यह घाटा है 4698 करोड़ रुपये का और लोक लेखा से 3438 करोड़ रुपया निकाल लिया है। लोक लेखा के अन्दर सरकार का तो पैसा है नहीं। इसमें वह पैसा है जो कर्मचारियों का जी० पी० एफ० है, ठेकेदार की सिक्योरिटी है और जो हम लोगों की बचत है उसको निकालकर बजट खाते को कम दिखायें तो यह उचित परम्परा नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया के अन्दर सबसे बड़ी बात ह्यूमन राइट की होती है जिन

देशों को जुम्मा जुम्मा 4 दिन आजाद हुए हैं उन्होंने भी ह्यूमन राइट के लिये कोई न कोई प्रयास किया। यहां पर ह्यूमन राइट का उल्लंघन सबसे ज्यादा हो रहा है। पूरे बजट भाषण को देखें तो इसके अन्दर कहीं भी मानवाधिकार आयोग को गठित करने या मानवाधिकार उल्लंघन रोकने का कोई उपाय किया जायेगा इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान की आजादी का एक लम्बा इतिहास है जहां लोगों ने देश की आजादी के लिये कुरबानियां दी। उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम पंडित दीन दयाल योजना चलायेंगे मैं कहना चाहता हूं कि काकोरी काण्ड के शहीदों के लिये, राम प्रसाद बिस्मिल के लिये, राजेन्द्र प्रसाद के लिये हम कहना चाहते हैं लाहौर काण्ड के शहीदों के लिये, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में जिन्होंने कहा था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उन शहीदों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जंगे आजादी की नींव को अपने खून से सींचा था और अपने जज्बातों को इस प्रकार प्रकट किये थे–

"सूख न जाये कहीं पौधा ये आजादी का,
इसलिये अपने खून से हर-तर करते हैं।
दरों दीवार पे हसरत से नजर करते हैं,
खुश रहो अहलेवतन, हम तो सफर करते हैं॥"

मान्यवर, इसमें ग्राम्य विकास की बात कही गयी है, वास्तव में रूरल सेक्टर की बहुत उपेक्षा हुई है, लेकिन जो 70 फीसदी बजट का पैसा दिये जाने की बात कही जा रही है यह गलत है।

माननीय नेता सदन ने जब नेता प्रतिपक्ष थे तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के समय में कहा था कि आज प्रदेश की स्थिति जो है, म्युनिसपिल्टी की स्थिति हो गयी है, आप पहल करें हम समर्थन करेंगे और उन्होंने कहा था कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि आज संसाधन जो प्रदेश से जुटते हैं, उस थैली पर केन्द्र कुंडली मार कर बैठ जाता है। वस्त्र उद्योग, तम्बाकू, चीनी यह चीजें इन पर जो टैक्स हैं, उसे प्रदेश को मिलना चाहिये। उन्होंने कहा था कि आयकर है सेन्ट्रल एक्साइज है इनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर जो सरचार्ज है उसका वितरण भी प्रदेशों के बीच में होना चाहिये। उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिये। आज मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज सौभाग्य से इस प्रदेश में सरकार आपकी है, केन्द्र में आपकी पार्टी के नेतृत्व में सरकार है आपने जो माननीय नेता सदन ने उस समय सदन में कहा था, इस प्रदेश के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये, आपने दिल्ली में बैठी हुई अपनी पार्टी की सरकार से क्या प्रयास किया, टैक्सों में हिस्सा आपको मिले, उसके लिये क्या किया। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर यदि हम तरक्की करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि बाहर के लोग आकर पूंजी निवेश करें। माननीय नेता सदन ने 1994-95 के बजट भाषण के दौरान कहा था कि चूंकि केन्द्र में नरसिंम्हाराव जी की सरकार है, जो खुले बाजार की व्यवस्था की नीति अपना रही है, उदारीकरण के कारण, लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के कारण, हम किसी उद्योगपति पर दवाब नहीं डाल सकते हैं कि वह यहां आकर कल कारखाने लगाये तभी हम लाइसेंस देंगे। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये उन्होंने कहा था कि केन्द्र सरकार को विशिष्ट नीति अपनानी चाहिये, जो पिछड़े प्रदेश हैं उनके औद्योगिक विकास के लिये विशेष निधि का प्राविजन करना चाहिये। आज दिल्ली के अन्दर आपकी सरकार है, प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, अन्य पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आपके द्वारा क्या इन्तजाम किये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस सरकार के बनते ही माइनराइटीज के अन्दर उनके दिलो दिमाग में संशय का वातावरण रहा और वास्तव में यह साबित कर दिया गया है कि माइनराइटीज के वेलफेयर के लिये इस सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। यह हकीकत है सभी जानते हैं कि उनमें घोर अशिक्षा है, विकास का घोर अभाव है आज इस बात की जरूरत है कि विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये उनके विकास के स्त्रोत बनाये जायें उनके वेलफेयर के लिये विशेष इन्तजामात किये जायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौहान जी कृपया सहयोग दें। कई माननीय सदस्यों को बाहर जाना है, उन्हें ट्रेन पकड़नी है, इसके बाद श्री के० एन० सिंह राजपूत जी बोलेंगे, उसमें एजेन्डे की कई मदों को स्थगित करना पड़ेगा।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आप इस बात से विज्ञ हैं कि मैं उत्तराखण्ड हिस्से से हूं। माननीय डंग जी कह रहे थे कि हम उसे पृथक राज्य का स्वरूप देना चाहते हैं। 1993 के अन्दर माननीय नेता सदन ने उत्तराखण्ड के विधायकों की भावनाओं को देखते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि उत्तराखण्ड के विकास की प्रक्रिया में जो अवरोध है वह 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है। आज यदि उसमें कोई रिलेक्सेशन दिया होता तो कोई बात समझ में आती परन्तु, जो बेनाप की जमीन थी, बंजर भूमि थी, जिसे हम खत समलात कहते थे और केशर हिन्दू भूमि कहते थे, उसमें आज स्कूल के भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, बिजली की लाइन उससे नहीं जा पा रही है। आज केन्द्र में आपकी सरकार है और यह ऐक्ट भी सेन्ट्रल का है। परन्तु आपने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। मान्यवर, यद्यपि बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी और मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मुझे संरक्षण देंगे, फिर भी मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जब माननीय नेता सदन जवाब देंगे तो उनके उत्तर में हमारे द्वारा उठाये गये सभी बिन्दु होंगे। बजट का विरोध करने पर मैं बल देता हूं।

* श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, आपने 1998-99 के बजट पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने प्रदेश में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है जो इसके पहले किसी भी मुख्य मंत्री ने पेश नहीं किया था। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी को हृदय से बधाई देता हूं। किसानों के विकास के लिये, गरीबों के उत्थान के लिये, बेरोजगारी दूर करने के लिये तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिये जो यह बजट रखा है, यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। बजट में सिंचाई-बंधु की व्यवस्था की गयी है। किसान सेवा केन्द्र और तहसील सेवा केन्द्र पर तहसील के अधिकारी आकर पंचायत स्तर तक की समस्याओं का वहीं पर निस्तारण कर देते हैं। तहसील दिवस पर जो हमारे प्रभारी मंत्री होते हैं, जो हमारे जिलाधिकारी होते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं वहां पर समस्याओं का निराकरण करते हैं।

मान्यवर, परीक्षाओं में नकल पर रोक इस वर्ष लगाई गई। इससे वास्तव में प्रदेश का नहीं अपितु देश का भला हुआ है। इटावा में, मैनपुरी में फर्रुखाबाद में नकल को उद्योग बना दिया गया था लोग बाहर से आकर फर्रुखाबाद में फार्म भरते थे और अच्छे मार्क्स पाकर चले जाते थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने मैनपुरी का नाम लिया है। कृपा करके यह बता दें कि किस स्कूल में नकल करायी जाती है ?

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

कौन सा ऐसा स्कूल है, जहां नकल नहीं होती है। अब मैं किसका नाम बताऊं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, करहल एक ऐसा स्थान है जहां 3 कालेज हैं और आज तक जितने भी अधिकारी वहां गये उन्होंने यह कहा कि वहां पर नकल की परम्परा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, माननीय बाबू राम यादव जी उस संस्था से जुड़े हुए हैं इसलिये कोई ऐसी बात न कहें जिससे माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंचे।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, फैजाबाद, इटावा और मैनपुरी में परीक्षाएं हुआ करती थीं और नकल के ठेकेदार लाखों रुपया लेकर नकल कराते थे। एक दल विशेष का संरक्षण उन्हें प्राप्त था जो यह कार्य कराता था। वह दो तीन साल में ही अमीर हो गये.....

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अपने जनपद मैनपुरी, इटावा और फैजाबाद की बात की कि वहां नकल करा दी। आप भी तो वहीं के स्कूल के पढ़े होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय सदस्य को अपना भाषण करने दें। बीच में अवरोध न करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि करहल में आज तक नकल हुई हो इसकी आप जांच करा लें। अगर हुई होगी तो मैं अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा और अगर नहीं हुई हो आप कुछ मत करियेगा।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैंने करहल का नाम नहीं लिया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने नकल मुक्त परीक्षाएं करायी हैं। जो छात्र-छात्राएं मेरिट पर आयी हैं उनके बयान मैंने अखबारों में पढ़े हैं उन्होंने यह कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकल मुक्त परीक्षा न कराती तो हम लोग शायद मेरिट लिस्ट में न आ पाते। इस बात को सुनकर हम लोगों का सीना गर्व से फूल गया है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त विधायकों के विधायक निधि की स्थापना करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया है और इसकी सराहना सभी लोगों ने की है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इसकी घोषणा की उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में गया तो मुझे वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह देखने को मिला। हमारे क्षेत्र की

जनता ने भी सोचा कि चलो इस निधि से हमारे विधायक जी क्षेत्र के विकास के लिये कुछ कर सकते हैं। इससे विधायकों के प्रति जनता में सम्मान बढ़ा है और विधायकों में भी विश्वास आया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता के आधार पर अपराधों को रोकने का काम किया है और माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिये टास्क फोर्स की भी व्यवस्था की है और इस हेतु 30 प्रतिशत धन की अलग से व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, शिया सुन्नी विवाद को भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बखूबी निभाया है।

इससे पहले कितनी ही सरकारें आयीं और चली गयीं लेकिन कोई इस विवाद को हल न कर सका। यह हमारी कल्याण सिंह जी की ही लोकप्रिय सरकार थी जिसने इस काम को अंजाम दिया और शिया सुन्नी दोनों ने अपना जुलूस निकाला। निश्चित रूप से इस कार्य के लिये हमारे मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, किसान बही में भी हमारी सरकार ने काम किया। पहले किसान बही में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि जिसमें जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और विरासत का चलना इन सब कार्यों के लिये वैधानिकता की जरूरत होती थी और लेखपालों के यहां हजारों चक्कर लगाने पड़ते थे। मान्यवर, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का हमारी सरकार ने नारा दिया है इसलिये दिल्ली एवं अन्य राष्ट्रीय मार्गों को बनाने के लिये हम सरकार से अपील करेंगे।

मान्यवर, हमारी सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया है और इस प्रकार हमारी सरकार ने उन्हें एक सम्मान दिया है, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए जिन विकास खण्डों में स्कूल नहीं हैं उन्हें बीस लाख रुपये का प्राविधान करके मुख्य मंत्री जी ने एक सराहनीय काम किया है। वास्तव में यह निर्णय एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। मान्यवर, अब मैं अपने जिले के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद कन्नौज के अन्तर्गत तहसील तिलवा में भवन निर्माण हेतु यदि प्राविधान कर दिया जाता तो मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी रहूंगा। इसी तरह कन्नौज में खटीमा के अन्तर्गत मीरा घाट पुल बनाने की यदि मुख्य मंत्री जी प्राविधान कर देते तो बहुत अच्छा होता। इससे कन्नौज आने में 40 किलोमीटर कम हो जाता।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मुरलीधर आप चर्चा शुरू कर दें लेकिन आधे मिनट में अपनी बात कह दें और इसके बाद आपकी चर्चा अगले दिन जारी रहेगी।

* श्री मुरलीधर–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट के विरोध में मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का विरोध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबों के लिये तथा अल्प-संख्यकों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। अधिष्ठाता महोदय, बजट को संतुलित बताया गया है लेकिन मैं अपने जनपद फतेहपुर के संबंध में कहना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्वांचल में चयनित नहीं था किन्तु सुश्री मायावती के कारण पूर्वांचल निधि के अन्तर्गत हमारी सरकार ने फतेहपुर जनपद को चयनित करके पहली बार धनराशि देने का प्राविधान किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका यह भाषण 29 जून, 1998 को जारी रहेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय की नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारूप में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व और शब्द और चिह्न "विधि" रखे जाने संबंधी चर्चा एवं श्री अजय कुमार पोइया की नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के आवागमन कर तत्काल समाप्त किये जाने संबंधी चर्चा तथा श्री अजय कुमार पोइया की नियम 103 में निर्धारित प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुधारने के लिये पीपल व नीम के वृक्षों का ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहद रूप से वृक्षारोपण किये जाने संबंधी चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि माननीय सदस्यों को बाहर जाना है, जिसके कारण मद संख्या–22, नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरख नाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

> "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारूप में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व और शब्द और चिह्न "विधि" रख दिये जायें ।

नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायें ।"

नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिये पीपल व नीम के वृक्षों का ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाये ।"

यह तीनों मदें स्थगित की जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद सं० 22, 23 और 24 को स्थगित किया गया)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 26-6-1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान की उत्तर प्रदेश पुलिस में उपाधीक्षकों के पदों पर पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा न पूरा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी मंझनपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में भयंकर रूप से कालरा की बीमारी से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है। तीसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार की जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टाप बनाये जाने के संबंध में, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थापित स्टील फैक्टरियों के आर्थिक संकट के कारण बन्द होने से उत्पन्न बेरोजगारी समस्या के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में आने वाले मसौधा विकास खण्ड के लगभग 70 गांवों को नवसृजित तहसील सोहावल में शामिल करने से मसौधा ब्लाक के लोगों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री अरविन्द गिरि, श्री राजेन्द्र यादव, श्री हरदेव सिंह, श्री लाखीराम जोशी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री अकबर हुसैन, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री राम औतार शाक्य, श्री श्याम लाल रावत, डा० राम बाबू हरित, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री समरपाल सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, श्री कृपा शंकर सिंह, डा० मो० मुस्लिम, श्री तेजभान सिंह, श्री ददू प्रसाद, श्री श्याम किशोर यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री जगदीश नारायण एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

दि० 26 अप्रैल, 1998 को वाराणसी में जहरीली शराब पीने से हुई पांच मौतों के उपरान्त आबकारी विभाग द्वारा "एन० सी० थिनर" को जब्त एवं प्रतिबन्धित किये जाने से तत्संबंधी उद्योगों के बन्द हो जाने तथा उसमें लगे लोगों के बेरोजगार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 13 मई, 1998 में लिये निर्णय के बावजूद असेवित क्षेत्रों में ही जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इल्तिफातगंज एवं केदार नगर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना न कराये जाने से किसानों, बुनकरों एवं अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लाल जी वर्मा की सूचना पर निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, 29 जून, 1998 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
26 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 का संलग्नक

क्रम सं०	विद्यालय का नाम

जनपद बहराइच

1–मदरसा अलमरकजुल इस्लामी दारूल फिक्र, गाजीनगर दरगाह रोड, बहराइच ।

2–मदरसा जामिया अशरफया मसूदुल उलूम छोटी तकिया बहराइच ।

3–मदरसा जामिया गाजिया सैबदुल उलूम बड़ी तकिया बहराइच ।

4–नूर चिल्ड्रेन एकेडमी नाजिरपुरा बहराइच ।

5–न्यू आइ० एस० पब्लिक स्कूल सलारगंज बहराइच ।

6–आर० बी० मान्टेसरी स्कूल बड़ी हाट बहराइच ।

7–मुस्लिम किन्डर गार्डेन स्कूल शेखैयापुरा बहराइच ।

8–प्राइमरी मकतब रुपईडीहा बहराइच ।

9–मदरसा अरबिया इस्लामिया सिराजुल उलूम राजाबोन्डी बहराइच ।

10–मदरसा रहमानिया जियाउल उलूम रूकनापुर, बहराइच ।

11–मदरसा अशरफया कादिरया मुईनुल उलूम माधौपुर फखरपुर, बहराइच ।

12–अहमदुल उलूम प्रा० पा० कन्दैला बहराइच ।

13–उस्मानिया इस्लामिया प्रा० स्कूल कैसरगंज, बहराइच ।

जनपद श्रावस्ती

14–मकतब जामिया रिजविया गौसुल उलूम लक्षमनपुर बाजार श्रावस्ती ।

15–मदरसा अरबिया अनवारूल उलूम भिन्गा ।

16–मदरसा इस्लामिया अनवारूल उलूम बनगई व अकार श्रावस्ती ।

17–जनता जूनियर हाई स्कूल नासिरगंज श्रावस्ती ।

18–नेशनल जधुं माध्यमिक विद्यालय बैजनाथपुर बदला ।

19–मून एण्ड सन चिल्ड्रेन स्कूल इकौना श्रावस्ती ।

20–सर सैयद अहमद जू० हा० स्कूल नरपतपुर इकौना श्रावस्ती ।

21–बाल शिक्षा निकेतन अनुसूचित जाति प्रा० पा० पचदेवरा श्रावस्ती ।

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं० 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार के लिये श्री राम अचल राजभर माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अनारांकित प्रश्न संख्या : 29 के उत्तर का संलग्नक "क"

जनपद देवरिया के वर्ष 1995-96, 96-97, तथा 97-98 में अरबी-फारसी मदरसों/परिषदीय स्कूलों को दी गयी छात्रवृत्ति की धनराशि का आवंटन ।

वर्ष 1995-96	धनराशि
1–मदरसा इस्लामिया, महुआरी, पथरदेवा	7,200.00
2–मदरसा अरविया मिस्वाहुल उलूम, अहमनगर	7,200.00
3–मदरसा अरविया अंजुमन इस्लामिया, मदनपुर	21,552.00
4–मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया बुद्धूखां	50,328.00
5–मदरसा गौछिया अनवारूल उलूम मलसीखास	24,768.00
परिषदीय विद्यालय	
1–प्रा० विद्यालय गोरयाघाट	5,760.00
2–प्रा० विद्यालय शेरवा बभनौली	5,328.00
3–प्रा० विद्यालय संवचार	5,616.00
4–प्रा० विद्यालय बालकुआं	1,440.00
5–प्रा० विद्यालय फलेहरा	2,880.00
6–जू० हाई स्कूल, परसिया भण्डारी	2,880.00
वर्ष 1996-97	
1–मदरसा जामिया अरविया मेराजुल उलूम देवरिया बुद्धूखां	91,680.00
2–मदरसा दारूल उलूम गौसिया सलेमपुर	1,21,536.00
3–मदरसा अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	1,99,344.00
4–मदरसा अरबिया मिस्वाहुल उलूम महुआबारी	82,704.00
5–मदरसा इस्लामिया महुआरी पथरदेवा	1,50,744.00
6–मदरसा अरबिया गौसिया अनवारूल उलूम मलसीखास	58,632.00
7–मदरसा मदनीदारूल उलूम मेहाहरंहगपुर	1,14,624.00
8–मदरसा मदनी दारूल उलूम निस्वां मेहाहरंहगपुर	40,704.00
9–परिषदीय प्रा० पा०/उच्च प्रा० वि० (307)	18,32,609.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1997-98	धनराशि
1–मदरसा जामिया अरबिया मेराजुल उलूम देवरिया बुद्धूखां देवरिया	1,77,240.00
2–मदरसा दारूल उलूम गौसिया सलेमपुर	2.69,760.00
3–मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया मदनपुर	4,62,120.00
4–मदरसा अरबिया मिस्वाहुल उलूम महुआबारी	4,20,060.00
5–मदरसा इस्लामिया, महुआरी, पथरदेवा	2,86,500.00
6–मदनी दारूल उलूम मेहाहरंहगपुर	4,79,280.00
7–मदरसा अरबिया अनवारूल उलूम मलसीखास	2,63,100.00
8–परिषदीय प्रा० वि०/उच्च प्रा० वि० (590)	58,04,672.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्रश्न सं० 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

वर्ष 1996-97 में चयनित अम्बेडकर ग्राम परचल रसूलपुर की प्रगति विकास खण्ड–बिलग्राम (हरदोई)

क्रमांक	मद का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1	आई० आर० डी० सी०	24	30
2	ट्राइसेम	04	10
3	नि:शुल्क बोरिंग	04	09
4	खड़न्जा नाली निर्माण	0.5	0.5
5	इन्दिरा आवास	59	59
6	स्वच्छ शौचालय	05	05
7	सड़क	ग्राम के किनारे तक बनी है ।	
8	बिजली	है ।	
9	प्राइमरी पाठशाला	है ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता प्र० सं०–102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

सड़कों का नाम	प्रस्तावित लागत	20-6-98 तक व्यय की गयी धनराशि	कार्य की प्रगति
1	2	3	4
1–गोबर चौकी (राठौर मुहल्ला मार्ग) सुधार	8,18,378	8,18,185	पूर्ण
2–श्याम लाल मार्ग सुधार	2,74,976	2,06,000	प्रगति पर
3–शमशानघाट मार्ग यमुना पार	3,96,225	—	प्रगति पर
4–मधु नगर मार्ग सुधार	2,72,665	2,22,700	प्रगति पर
5–मऊ रोड से बम्बई वालों की बगीची मार्ग सुधार	3,54,234	3,13,530	प्रगति पर
6–नगलापदी कन्हैया लाल मार्ग सुधार	1,64,663	1,64,202	पूर्ण
7–लोहिया नगर मार्ग (अवशेष भाग)	3,20,129	71,100	प्रगति पर
8–गढ़ी भदौरिया मार्ग सुधार	6,29,610	2,10,400	प्रगति पर
9–ककरैठा अमर उजाला के समीप मार्ग	3,50,839	3,10,300	प्रगति पर
10–बोदला सराय मार्ग	3,10,069	1,02,000	प्रगति पर
11–ख्वासपुरा मार्ग सुधार	8,66,029	7,92,494	प्रगति पर
12–किशोरपुरा से नगला गोकुल पद होते हुए नगला बेर मार्ग सुधार	12,19,311	8,16,173	प्रगति पर
13–तुलसी चबूतरा (राठौर मोहल्ला मार्ग)	3,20,675	1,79,500	प्रगति पर
14–फ्रींगंज (टिम्बर मार्केट) मार्ग सुधार	12,33,250	11,99,729	पूर्ण
15–नाला मन्टोला रोड सुधार	3,92,922	1,51,000	प्रगति पर
16–यमुना किनारा मार्ग व नाली	4,97,573	2,85,490	प्रगति पर
17–जयनेर रोड गोपाल के मकान से कुंदन के मकान तक फर्श व नाली	1,98,507	—	प्रगति पर
18–खंदारी चुंगी चौकी से ट्रांसपोर्टनगर तक नाली	3,75,431	3,73,950	पूर्ण
19–खंदारी शास्त्रीनगर, बापू नगर में नाली निर्माण ।	3,39,833	—	प्रगति पर

1	2	3	4
20–पचकुइया क्रासिंग से तहसील क्रासिंग तक सड़क सुधार ।	1,97,916	1,82,810	प्रगति पर
21–खंदारी चौकी चुंगी से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क सुधार ।	3,16,792	—	प्रगति पर
22–अम्बेडकर पार्क से रेलवे फोर्ट स्टेशन से नाले तक सड़क सुधार ।	2,14,103	2,13,035	पूर्ण
23–बिजलीघर रोडवेज बस स्टेशन छीपी टोला टर्न तक मार्ग सुधार ।	2,90,668	2,90,578	पूर्ण
24–रेलवे ब्रिज से जामा मस्जिद सुभाष बाजार तक मार्ग सुधार ।	3,41,906	3,41,836	पूर्ण
25–प्राईवेट बस स्टैण्ड से आगरा फोर्ट रामलीला ग्राउन्ड पुलिया तक सड़क ।	2,60,857	—	प्रगति पर
26–मुगल रोड मुर्गी फार्म से अग्रसेन सेवा सदन तक मार्ग सुधार ।	3,37,467	3,35,280	पूर्ण
27–आर० बी० एस० कालेज से अवयस्क जेल तक मार्ग सुधार ।	3,33,374	—	प्रगति पर
28–नगलापदी हैण्डपम्प से पार्षद निवास तक सड़क सुधार ।	1,74,170	51,000	प्रगति पर
29–वीर नगर में सड़क व नाली	4,67,230	2,01,500	प्रगति पर
30–जामा मस्जिद के पीछे मदीना होटल तक सड़क सुधार	90,573	69,094	पूर्ण
31–गैलान बाई पास रोड लाल सिंह पार्षद के मकान से ट्रांसफार्मर तक सड़क सुधार ।	2,95,205	2,90,512	पूर्ण
32–मुगल रोड मुर्गी फार्म से रेशमी विहार तक नाली ।	4,12,425	—	प्रगति पर

पत्री "ड"

(देखिये अता०प्र०सं० 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

संलग्नक–'क'

मूल्य नियम योजना के अन्तर्गत 1997–98 में जनपद आजमगढ़ में धान खरीद विवरण तिथिवार केन्द्रवार मात्रा कुन्तल में

क्र० सं०	दिनांक	पवई	अतरौलिया	महराजगंज	तहवारपुर	बूढ़नपुर	फूलपुर	जीवनपुर	बिलरिया	तरवा	बेकना	मेहनगर	मार्टिनगंज	ललगंज	रानी का सराय	सराय मीर	मोगम्मद पुर	योग तिथि पर	प्रगतिशील योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	6-12-97	—	21-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-000	21-000
2	19-12-97	21-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-70	42-70
3	21-12-97	—	—	-	25-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.00	25.00	70-000	112-700
4	23-12-97	—	—	29-40	—	30-00	10-44	20-00	—	20-00	—	25-00	25-00	25-00	25-00	—	—	209-840	322-540
5	24-12-97	8-40	—	—	—	—	—	—	25-00	—	15-00	—	—	—	—	—	—	48-40	370-940
6	17-1-98	19-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19-600	390-540
7	20-1-98	14-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14-00	404-54
8	21-1-98	—	34-30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34-300	438-840
9	23-1-98	—	30-80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30-80	469-640
10	10-2-98	—	21-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-00	490-640
11	11-2-98	—	10-50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10-50	501-140
12	19-2-98	26-600	14-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40-60	541-740
13	23-2-98	—	95-20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95-20	636-94
14	28-2-98	—	9-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9-10	646-04
15	18-3-98	—	67-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67-90	713-94
16	20-3-98	—	116-90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116-90	830-84
17	25-3-98	—	105-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105-00	935-84
18	26-3-98	—	11-900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11-90	947-74
19	27-3-98	—	105-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105-00	1052-74
20	28-3-98	—	21-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21-00	1073-740
21	29-3-98	—	105-00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105-00	1178-74
22	30-3-98	—	161-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161-70	1340-44
23	31-3-98	—	141-40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141-40	1481-84

नत्थी 'च'

(देखिये अत० प्र० सं०–124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

दिनांक 6-5-98 तक केन्द्रवार कृषकों से गेहूं खरीद की सूची

संलग्नक

क्र०सं०	नाम सदस्य व पिता का नाम	ग्राम	दिनांक	रसीद नं०	वजन कु० में गेहूं	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री राममूर्ति सिंह	हरदासपुर	2-5-98	335301	11 कु० -	5618
2	श्री सुखनमल सिंह पुत्र बाबू राम सिंह	,,	,,	335302	15.20	7752
3	श्री सभाजीत सिंह पुत्र बाबू राम सिंह	,,	,,	335303	15.20	7752
4	देवेन्द्र विजय सिंह पुत्र हरिबंश सिंह	,,	,,	335304	20	10.200
5	पद्नजा देवी पति देवेन्द्र विजय सिंह	,,	,,	335305	20	10.200
6	श्री संजय कुमार सिंह पुत्र रामनयन सिंह	,,	3-5-98	335306	10	5100
7	श्री राजकुमार पुत्र दुक्खी यादव	,,	,,	335307	6.37	3248.70
8	श्री सुखई सिंह पुत्र राम निरंजन सिंह	,,	,,	335308	10	5100
9	हरि कुंवर सिंह पुत्र राम मूर्ति सिंह	,,	,,	335309	10.23	5217.30
10	श्री राज कुमार पु० बनवारी लाल	,,	4-5-98	335310	2	10.20
11	श्री महेन्द्र प्रताप पु० जगरदेव सिंह	,,	,,	335311	8	40.00
12	श्री सुरेन्द्र प्रताप पुत्र जगरदेव सिंह	,,	,,	335312	6	30.00
13	श्री अवधेश सिंह पुत्र मारखण्डे सिंह	,,	,,	335313	5	20.40

1	2	3	4	5	6	7
14	श्री दुखीनी पुत्र बहादुर पाल	,,	6-5-98	335314	372	591.21
15	श्री सुगन्हा पुत्र राम नरायन	जगदीशपुर	,,	335215	2	1020
16	श्री राजदेव पुत्र दुधनाथ यादव	पेडरी	,,	335316	6.50	3315
17	श्री रामकीरत पुत्र दुखरन पाल	हरदासपुर	,,	335317	4	2041
	योग–				153.62	78346.20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि व श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया मा० सदस्यों द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–134 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु० में)

मद	95-96	96-97	97-98
केमिकल्स	34.11	50.50	47.52
आपूर्ति	56.03	50.88	55.39
रखरखाव	83.78	80.55	81.58
अधिष्ठान	921.29	982.07	1133.50
विद्युत	767.66	736.52	715.21
अन्य व्यय	29.99	43.77	38.45
योग :–	1892.86	1946.29	2071.65

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

संलग्नक–1

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का पिछले तीन वर्षों का तापीय पी० एल० एफ०

माह/वर्ष	95-96	96-97	97-98
अप्रैल	46.8	48.8	56.0
मई	48.8	53.8	52.4
जून	46.3	45.8	49.1
जुलाई	41.6	43.1	43.3
अगस्त	40.7	42.5	40.5
सितम्बर	41.0	41.2	36.9
अक्टूबर	47.5	44.1	47.0
नवम्बर	49.9	43.6	43.6
दिसम्बर	53.4	53.6	51.2
जनवरी	51.3	60.3	52.5
फरवरी	51.8	55.2	58.9
मार्च	56.0	58.9	58.8
अप्रैल से मार्च	47.6	49.2	49.1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग्र'

(देखिये अता० प्र० सं० 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर)

जिला पौड़ी गढ़वाल में भवन हीन चिकित्सालय एवं औषधालयों की सूची ।

भवन विहीन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1–नैनोडांडा	निर्माणाधीन
2–सतपुली	---तदैव---
3–बेतालधार	
4–किमसार	
5–कटधर	

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय

1–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय नितनी	
2–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय उरेगी	
3–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर	निर्माणाधीन
4–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेड़ाखाल	
5–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय सबदरचाल	
6–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देहलचौरी	
7–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय सुमाड़ी	
8–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बुधानी	
9–रा० ए० चिकि० बटूंटी सेरा	निर्माणाधीन
10–रा० ए० चिकि० जाख	
11–रा० ए० चिकि० चिपलघाट	
12–रा० ए० चिकि० गजी	निर्माणाधीन
13–रा० ए० चिकि० मरोड़ा	
14–रा० ए० चिकि० सिंवाल	
15–रा० ए० चिकि० गाकरसण	
16–रा० ए० चिकि० थानमासौं	
17–रा० ए० चिकि० स्योली तल्ला	
18–रा० ए० चिकि० ऊफरैनखाल	
19–रा० ए० चिकि० नगर	
20–रा० ए० चिकि० अगरोड़ा	
21–रा० ए० चिकि० कल्जीखाल	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22–रा० ए० चिकि० असनखेत
23–रा० ए० चिकि० बैरासैण
24–रा० ए० चिकि० काण्डाखाल
25–रा० ए० चिकि० सैधीखाल
26–रा० ए० चिकि० गवाणी
27–रा० ए० चिकि० देवराजखाल
28–रा० ए० चिकि० कोलाखाल
29–रा० ए० चिकि० संगलाकोटी
30–रा० ए० चिकि० रीठाखाल
31–रा० ए० चिकि० भगवती तलिया
32–रा० ए० चिकि० दुनाव
33–रा० ए० चिकि० मठानघाट
34–रा० ए० चिकि० कोटामहादेव
35–रा० ए० चिकि० बेदीखाल
36–रा० ए० चिकि० थापला
37–रा० ए० चिकि० फरसाडी
38–रा० ए० चिकि० धनियाखाल
39–रा० ए० चिकि० दिगोली खाल
40–रा० ए० चिकि० मदरासी
41–रा० ए० चिकि० गोलीखाल
42–रा० ए० चिकि० कमान्द
43–रा० ए० चिकि० तिमताण
44–रा० ए० चिकि० द्वारी
45–रा० ए० चिकि० रनुवाढाव
46–रा० ए० चिकि० ढावखाल
47–रा० ए० चिकि० बन्दुरी
48–रा० ए० चिकि० भेरपुर
49–रा० ए० चिकि० हीराखाल
50–रा० ए० चिकि० दियुली
51–रा० ए० चिकि० जसपुर
52–रा० ए० चिकि० द्वारीखाल
53–रा० ए० चिकि० काण्डाखालं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54-रा० ए० चिकि० किन्सुर
55-रा० ए० चिकि० बल्ली
56-रा० ए० चिकि० मोटाडांग
57-रा० ए० चिकि० लालपानी
58-रा० ए० चिकि० नाथूखाल
59-रा० ए० चिकि० रामागांव
60-रा० ए० चिकि० सुमेरसैण

3-भवन विहीन आयुर्वेदिक औषधालय

1-सत्यखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
2-बाड़ा	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
3-जामड़ाखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
4-बैरागणा	बहिरंग	सशुल्क
5-बासूड़ी	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
6-देवलगढ़	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
7-खण्डाह	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
8-चोपड़ा	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
9-ताल चम्पेश्वर	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
10-पसीणा	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
11-जागलीखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
12-दोंदल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
13-नंगीधार	बहिरंग	सशुल्क
14-नतरपाली सैण	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
15-नौडी	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
16-टकोलीखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
17-शंकरपुर	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
18-अमोला	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
19-सिमलना	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
20-पोखरखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
21-दौरियाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
22-बुलैखाखाल	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
23-देवी खेत	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क

उत्तर प्रदेश राजपत्र सभा

24–पोखड़ा	बहिरंग	सशुल्क
25–चुरानी	बहिरंग	सशुल्क
26–अकिसैण	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
27–कालिका घांट	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
28–जोगी मठी	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
29–एकेवार	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क
30–कोटद्वार	4 शैय्यायुक्त	सशुल्क

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० एल० 200 विधान सभा ... 1998 813 (डी० सी० पी०)